राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 36वां दिवस [संख्या 27

सोमवार,

24 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, वित्त, कृषि, चिकित्सा, सहकारिता, आयुर्वेद, खनिज, स्वायत्त शासन, जन-स्वास्थ्य, उपनिवेशन, खाद्य, पर्यटन, पशुपालन, समाज कल्याण, यातायात, खनिज, पंचायत, तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्रीमती जमुना सोलंकी !

नगरपालिका केकड़ी द्वारा आवंटित भूमि

735. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व चेयरमैन नगरपालिका, केकड़ी ने कोई भूमि केकड़ी में अलॉट की है ? यदि हां तो क्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी भूमि अलॉट की गई ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान चेयरमैन नगरपालिका केकड़ी ने भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा आवंटित, भूमि को रद्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आवंटित भूमि भी रद्द कर दी गई है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी नहीं। नगरपालिका के प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 4-8-73 द्वारा भूमि आवंटन की गई जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी शामिल हैं।

(2) जी नहीं। नगरपालिका ने अपने प्रस्ताव संख्या 15, दिनांक 22-1-75 द्वारा कुछ भू-खण्डों की लीज कैन्सिल किए हैं परन्तु किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित की गई भूमि की लीज को रद्द नहीं की गई है।

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहती हूं कि उनके पास ठीक से जानकारी नहीं है। जो भी जमीन दी गई है, उसमें से दो शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति हैं, जिनकी लीज नगरपालिका द्वारा कन्सिल की गई है। इनके नाम हैं श्रीमती राम और श्री रामेश्वरलाल। क्या यह सही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे पास जो जानकारी आई है, उनके हिसाब से

Page No 2

(2)

(श्री रामनारायण चौधरी)
किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की लीज कैन्सिल नहीं की गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है—मन्त्री महोदय को कैन्सिलेशन की कोई रिपोर्ट अधिकारीगण नहीं देते हैं ? मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को जो जमीनें, प्लॉट दिये जाते हैं वे कई बार कैन्सिल होते हैं और उनकी कोई जानकारी सम्बन्धित मन्त्री महोदय के पास नहीं पहुंचती है। क्या मन्त्री महोदय इसकी पूरी सूचना मांगेंगे ? यह एक गंभीर मामला है ?

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि दो व्यक्तियों की जमीन, लीज कैन्सिल की गई है। यह शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों के साथ अन्याय हुआ है। क्या आगे भी इसी तरह से किया जाएगा या इनके खिलाफ—अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और इन लोगों की जो लीज कैन्सिल हुई है, उसको ठीक किया जायगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे पास जो जानकारी है उसमें 26 व्यक्तियों की लीज कैन्सिल की गई है और जो मेरे पास जानकारी है, इन 26 व्यक्तियों में एक भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है। यह जो लीज दी गई है वह कानून के खिलाफ दी गई है। एक नगरपालिका ने इनको लीज दी और जो दूसरी नगरपालिका आई उसने इन लोगों की लीज को कैन्सिल कर दिया। जिन दो अनुसूचित जाति के सदस्यों को लीज कैन्सिल होने की बात माननीय सदस्या ने यहां पर कही है, उनके नाम इस सूची में शामिल नहीं हैं। इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्रीमती जमुना सोलंकी : यह आपकी जानकारी गलत है। क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाएंगे ? मन्त्री महोदय, इस प्रकार गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं···

श्री विजयसिंह (मांडल) : क्या मंत्री महोदय, इसकी जानकारी प्राप्त करके यदि इन व्यक्तियों की लीज कैन्सिल हुई है तो उनको वापिस लीज दिलवाएंगे ··

श्री रामनारायण चौधरी : जो नियमानुसार कार्यवाही हो सकेगी की जायगी।

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने गलत सूचना देकर सदन को गुमराह किया है। नियमानुकूल ही उनको यह जमीन दी गयी थी। मैं इन दो व्यक्तियों के नाम भी बता रही हूं। चाहें तो आप इसकी जानकारी कर लें, जांच कर लें ···

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : जैसाकि माननीय सदस्या ने यहां पर बताया है क्या मन्त्री महोदय इसकी जांच करेंगे ··

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत 7 साल तक लीज का प्रावधान था। अब राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है और लीज पर जमीन देने की नीति का राज्य सरकार ने समर्थन नहीं किया है। लीज पर देने के बजाए या तो जमीन का आउट राइट सेल हो या नियमानुसार

(श्री रामनारायण चौधरी)
उसका आवंटन हो। रिसेन्टली, पिछले सत्र में, विधान सभा में राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज एक्ट में संशोधन हो जाने के बाद अब यह अधिकार नगरपालिका को नहीं है जमीन को लीज पर देने का

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ''

एक माननीय सदस्य : एक नगरपालिका ने लीज पर जमीन दी और दूसरी नगरपालिका ने उसको खारिज कर दिया ? यह कैसे ? क्या मन्त्री महोदय इसका कारण बताएंगे ?

श्रीमती जमुना सोलंकी : क्या मन्त्री महोदय इन दोनों व्यक्तियों को जमीन वापिस दिलवाएंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं, मन्त्री महोदय से—भूमि का आवंटन नगरपालिका नियम 285 के तहत करती है। इस नियम के अन्तर्गत कोई भूमि आवंटित की गई है या लीज पर दी गई है तो दूसरी नगरपालिका इस आवंटन के विरुद्ध कलेक्टर के पास अपील को जाती है और उस आधार पर भूमि-आवंटन को कैन्सिल किया जाता है ? क्या दूसरी नगरपालिका ने नियमों के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है ? मन्त्री महोदय इसकी जानकारी सदन को देंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : जो दो नाम माननीय सदस्या ने बताये हैं क्या उनको जमीन अलॉट हुई है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शिवनारायण!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न था दो व्यक्तियों की जमीन खारिज हुई है उसका उत्तर तो नदारद है। बाकी के उत्तर से क्या लाभ है ? मंत्री महोदय क्या सूचना चाहते हैं। जो मुख्य प्रश्न है, उसकी सूचना तो यहां पर नहीं है। जो सूचना चाही गई है वह सूचना मंत्री महोदय को देनी चाहिये ''

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह 26 व्यक्तियों की सूची है। इसमें शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों का कोई नाम नहीं है। इन 26 को अलॉट हुई है, उसमें तो नाम नहीं है ''

श्री अध्यक्ष : आप इसकी जानकारी कर लीजिये ?

श्री शिवनारायण !

कस्बा सीसवाली की नल योजना

736. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कस्बा सीसवाली की नल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : जी हां। टंकी का कार्य अब पुनः चालू कर दिया गया है व आशा है कि माह अप्रेल, 75 के अन्त तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलपतसिंह (खारची): क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि यह टंकी कितने समय से तैयार हो रही है और इसके इतने देरी से तैयार होने का क्या कारण है और क्या इसके लिए संबन्धित अधिकारियों का जवाब तलब करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : इस टंकी का कार्य 6-5-73 से चालू है और ठेकेदार इसको बंद करके चला गया। अब इसका काम शुरू है और आशा है कि 75 के अप्रैल तक यह काम पूरा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 737।

राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि भूमि के स्थाई आवंटन हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

737. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि भूमि के स्थायी आवंटन के लिए कुल कितने भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(2) वर्ष 73-74 व 74-75 में इस क्षेत्र की उपलब्ध सिंचित भूमि में से कितनी भूमि आवंटन के अभाव में काश्त होने से बाकी है ?

(3) भूमिहीनों को कृषि भूमि के स्थायी आवंटन का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

(4) क्या सरकार इस क्षेत्र में बची हुई भूमि को नीलाम करने का इरादा रखती है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द मीणा): (1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि भूमि के स्थायी आवंटन के लिए कुल 35285 भूमिहीन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(2) सन् 1973-74 में 0.86 लाख एकड़ एवं सन् 1974-75 में 0.75 लाख एकड़ भूमि का आवंटन नहीं हुआ।

(3) भूमिहीनों को कृषि भूमि के स्थाई आवंटन का कार्य पूरा करने की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है परन्तु आवंटन शीघ्र से शीघ्र किया जा रहा है।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री ज्ञानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि क्या राज्य सरकार परमानेन्ट अलॉटीज को आर्थिक सहायता किसी न किसी रूप में देने का इरादा रखती है जिससे वे लोग खेती कर सकें ? दूसरा यह बताने का कष्ट करें कि नहरी क्षेत्र विशेष कर राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन करने का क्या सरकार का इरादा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के भाग 2 के बारे में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। आपने बताया है 73-74 में 0.86 लाख एकड़ और 74-75 में 0.75 लाख एकड़ भूमि अलॉट होने से रह गई। इतनी भूमि बिना काश्त के रह गई

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
इससे कितनी हानि तो राज्य को हुई और कितनी हानि देश को हुई ? इसका क्या कारण था डेढ़ लाख एकड़ भूमि को बिना काश्त के रोके रखने का ? भूमि आवंटन न करने का क्या कारण था। यह एक गंभीर तथ्य है। क्या मंत्री महोदय इसकी गंभीरता से विचार कर और दोषी अधिकारियों को कोई न कोई सजा देंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, यह डेढ़ लाख भूमि आवंटन होने से नहीं रही है। यह तो हमने वर्षवार आंकड़े बताये हैं। 73-74 और 74-75 में 0.86 लाख एकड़ से 0.75 लाख एकड़ आवंटन से रही है। यह नहीं है कि आवंटन डेढ़ लाख भूमि का रह गया है। यह तो एक कन्टीन्यू प्रोसेस है। माननीय सदस्य ने दोनों साल का फिगर जोड़ कर कह दिया है। इसके आवंटन न होने के कई कारण थे। यह जो भूमि रही है—एक तो यह लोअर रीचेज में है और टेल पर है ज्यों-ज्यों भूमि को पानी लगता जायेगा, इसका स्थायी आवंटन होता रहेगा। इसके अलावा कई मामलों के अन्दर कुछ तो न्यायालय में है, कुछ रेवेन्यू अपीलेट आॅथोरिटी के यहां पर हैं और कुछ में कमिश्नर के यहां से या बोर्ड के यहां से स्टे आॅर्डर पर हैं। इसको देखते हुए आवंटन नहीं हो सकता। यह जा 0.75 लाख एकड़ भूमि है इसका पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है और पुख्ता आवंटन न होने का कारण माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं। परन्तु हम यह नहीं कह सकते हैं कि इस भूमि पर काश्त नहीं हुई है। काश्त हो रही है और कुछ हद तक आवंटन हो रहे हैं।

इसी तरह से विरदवाली की जो भूमि है हमारे पास 46 हजार एकड़ जो रबी में आती है उसमें 35 हजार पर पुराने काश्तकार बैठे हुए हैं। वह एलिजिबल है या नहीं उसको देख कर ही परमानेन्ट एलाॅटमेंट होता है इसलिए परमानेन्ट एलाॅटमेंट 75 हजार एकड़ का नहीं हो सका है। परमानेन्ट एलाॅटमेंट नियमों के अन्दर करते हैं। इसलिए यह कह देना कि 75 हजार एकड़ का नहीं हुआ ठीक नहीं होगा। एलिजिबिलिटी को देख कर ही एलाॅटमेंट होता है और परमानेन्ट एलाॅटमेंट द्रुतगति से इस अर्से में हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि कितनी भूमि आवंटन के अभाव में काश्त के बिना रह गई है ? चलो 75 हजार मान लें 73-74 की लेकिन 74-75 में 75 लाख....

श्री रघुनाथ विश्नोई: लाख नहीं हजार।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: आंकड़े निकाल लें माननीय राज्य मंत्री ने कहा है वह लाखों में है।

श्री शिवचरण माथुर: 0.75 लाख कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: इतना मान लें। क्या कारण है कि आपके द्वारा जो भूमि नहरी करार देकर भी दे दी जाती है वह भूमि भी वहां पर नहरी नहीं होती है, कमाण्ड नहीं होती है, पानी नहीं लगता है जिसके कारण से लाखों एकड़ धरती बिना

Page No 6

(6)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

काश्त के रह जाती है केवल एलॉटमेंट नहीं होने के कारण। मैं चैलेन्ज करके सदन में कहता हूं कि दो लाख एकड़ से अधिक धरती इस प्रकार की है जो कॉलोनाईजेशन विभाग के द्वारा नहरी घोषित करके नहरी पट्टे के आधार पर अलॉट की गई है और नहरी विभाग के बदल देने के कारण पानी नहीं लग रहा है उसके अन्दर काश्त नहीं हो रही जिसके कारण से वह किश्त नहीं दे पा रहे हैं, गिरदावरी का इन्द्राज नहीं हो रहा है। आपके दोनों महकमों की कन्ट्रोवर्सी आपस में बहुत गम्भीर है।

श्री परसराम मदेरणा : इरिगेशन डिपार्टमेंट से जब सूचना कॉलोनाईजेशन डिपार्टमेंट से मिलता है तब नहरी जमीन आवंटन किया जाता है। इरिगेटेड है या अनइरिगेटेड हैं, कमाण्ड है या अनकमाण्ड रहेगी इसका निर्णय कॉलोनाईजेशन डिपार्टमेंट नहीं लेता है

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हां, नहीं लेता है।

श्री परसराम मदेरणा : इसका निर्णय इरिगेशन डिपार्टमेंट लेता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट निर्णय लेकर हमें कॉम्युनिकेट करते हैं कि इसको इरिगेशन प्रोग्राम में ले रहे हैं आप उसका आवंटन कर सकते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट एक टैक्निकल डिपार्टमेंट है और वह कहता है तो जायज हो सकता है, और यह बात सत्य भी है कि कई मुरब्बों के अन्दर पूरे मुरब्बों में पानी नहीं पहुंच रहा है, कुछ इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए लैण्ड लेवलिंग का व दूसरे प्रोग्राम 25 हजार एकड़ का लिया गया है, और लैण्ड लेवलिंग के लिए जैसा कि भादरा से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि पानी नहीं पहुंच रहा है तो उनको अनुदान देने की बात उन्होंने कही थी तो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम चल रहा है। लैण्ड लेवलिंग और वाटर कोर्सेज के प्रोग्राम को हाथ में लेने के पश्चात् जब वाटर कोर्सेज हो जायेंगे और लैण्ड लेवलिंग हो जायगा जिसके लिए लोगों को ऋण मिलेगा वह दूर हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह है कि आपने रूल्स बनाये थे तो उस रूल्स कमेटी का मैं भी सदस्य था तो उस पर मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया था कि जमीन को पानी लगता है या नहीं लगता है इसको तय करने के लिए आपकी एलॉटिंग ऑथोरिटी होना चाहिए नहरी विभाग के साथ में। 25 परसेन्ट इरिगेशन नहीं होता है अगर तो कैन्सिल कर देते हैं और आपके कॉलोनाईजेशन के अधिकारी कोई ऑथोरिटी नहीं हैं और नहर वाले कह देते हैं वह अन्तिम होता है। नहर वालों से लिखकर रिपोर्ट मांगते हैं कि पानी लगा है या नहीं तो रिपोर्ट देने से इन्कार हो जाते हैं। अभी तक भी गम्भीर स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, गरीब किसान जो भूमिहीन लोग बैठे हैं और अपनी किश्त नहीं दे पा रहे हैं। वहां पर कोई लैण्ड लेवलिंग का प्रॉब्लम नहीं है। लैण्ड लेवल्ड है, कमाण्ड है, पानी लग सकता है, लेकिन माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूट्रीज नहीं खादने के कारण पानी नहीं लगता है और उन मुरब्बों पर कोई फसल नहीं होने वाली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक सीरियस मामला बन गया है। पौंग डैम के कितने ही एलॉटीज मुझे मिले हैं उनका यही कहना है कि पानी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ कॉलोनाईजेशन वाले काश्त नहीं की इसलिए एलॉटमेंट कैन्सिल कर देते हैं। 15.0 लोग पौंग डैम वालों की कैन्सिल कर दी क्योंकि पानी नहीं मिला तो उन्होंने काश्त नहीं की। पानी नहीं मिले तो काश्त कैसे करें ? तो कम से कम एलॉटमेंट डिपार्टमेंट को यह पॉलिसी रिवाइज करना चाहिए कि पानी नहीं मिलने की वजह से काश्त नहीं हो तो कैन्सिलेशन नहीं करना चाहिए।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या यह सही है कि कितने ही एलॉटीज को परमानेन्ट एलॉटमेंट इस बिना पर नहीं हुआ कि मौके पर काश्त नहीं पाई गई। मौके पर काश्त कैसे पाई जाय, मान्यवर, कमाण्ड कह कर एलॉटमेंट कर दिया और मौके पर यह नहीं देखते हैं कि पानी पहुंचा या नहीं। काफी लोगों का कैन्सिलेशन हुआ है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, चम्बल कमाण्ड एरिया में भी यही स्थिति है 25-30 हजार एकड़ इस तरह की लैण्ड है जिसको कमाण्ड मानते हैं लेकिन वहां पर पानी नहीं पहुंचता है तो इस लेकूना को राज्य सरकार जल्दी से जल्दी दूर करे। ऐसा मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री परसराम मदेरणा : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य का अलग से प्रश्न है। अगर वे प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनको सूचना दूंगा।

जहां तक गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठाई है कि जो लोअर पाकेट्स में कमाण्ड एरिया के अन्दर जहां पर पानी नहीं पहुंचता है चाहे वह पौंग डैम के आउस्टीज को एलॉट की गई हो या टी. सी. होल्डर्स को एलॉट की गई हो उन लोगों को रिन्युअल इसलिए नहीं हो सकती है कि उन्होंने काश्त नहीं की तो यह एलॉटमेंट की कन्डीशन्स का वायलेशन हो गया है। यह मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे मामले होंगे लेकिन जनरली यह नहीं कहा जा सकता है। पौंग डैम के आउस्टीज के बारे में तो यह है कि बहुत कम आदमी वहां पर छोड़े हुए हैं और उनको पॉवर ऑफ एटार्नी देकर चले गये हैं। वह वायलेशन करेंगे तो उन पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। एक बात आपने गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताई कि सिंचित भूमि नहीं होने से काश्त नहीं की तो कैंसिल नहीं होना चाहिये। ऐसे लोग जो काश्त नहीं कर सके हैं और अगर काश्त नहीं कर सके हैं तो कण्डीशन को उन्होंने वायलेट किया है। यह इण्डिविजुअल केसेज पर ही हो सकता है हाईपोथेटिकल नहीं हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : Let us take another question. आप कई प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न स्पष्ट है। चाहे पौंग डैम के आउस्टीज हों, चाहे टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स हों, चाहे परमानेन्ट एलॉटीज हों, जहां पर पानी नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मिले और कमाण्ड के पट्टे हैं वहां पर आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप वहां पर किश्तें लेंगे क्या? आप वहां पर कैन्सिलेशन करेंगे, और क्या आप वहां पर कानून लागू करेंगे? आप स्पष्ट आन्सर दें। कमाण्ड के पट्टे हैं, कमाण्ड की किश्तें लग रही है और रियेलिटी में पानी है नहीं, उसके बारे में आपकी क्लियर पॉलिसी होना चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपका परमानेन्ट एलॉटमेंट का कोई आधार तो होना चाहिए। सरकार के उत्तर में यह भी कहा गया है कि इस जमीन की नीलामी नहीं हो सकती। अगर वहां पर पानी नहीं आता है तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि ऐसी स्थिति में परमानेन्ट एलॉटमेन्ट किया गया हो तो उसको कैन्सिल नहीं करना चाहिए या कैन्सिल अगर किया है तो सरकार की दूषित नीति क्या नहीं है इस संबंध में, एलॉटमेंट के संबंध में?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार द्वारा परमानेन्ट एलॉटमेंट की नीति निर्धारित है, और बहुत ही स्पष्ट है। उसमें कहीं अस्पष्टता नहीं है। यह प्रश्न जिसमें भूमि पुख्ता तौर पर आवंटित हो गई है उसका अभी भी कैन्सिलेशन नहीं हो रहा है। वह कैन्सिलेशन हुआ है वह पौंग डैम के आउस्टीज हैं उनके कुछ लोगों का हुआ है। एलॉटमेंट की अलग अलग कन्डीशन्स हैं उनको वायलेट करेंगे जैसे किसी ने सब-टेनेन्ट से काश्त करवा ली हो, क्योंकि इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि साल भर पहले सब-टेनेन्सी के बिहाफ पर जो कॉलोनाईजेशन एक्ट था उसमें पिछले सत्र में यह एमेण्डमेन्ट किया गया है सब-टेनेन्सी और शिकमी काश्त के बारे में कि राजस्थान के कॉलोनाईजेशन के एरिया के अन्दर यह भूमि किसी को नहीं दी जा सकती है उसको खुद को काश्त करना पड़ेगी जब तक कि गैलान्ट्री एवार्ड होल्डर्स रूल्स के अन्दर जो आदमी किल्ड हैं उनके लिए यह प्रावधान नहीं है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्री महोदय, मेरा यह प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि पानी नहीं लगता है तो काश्त कैसे करेगा तो क्या उसके एलॉटमेन्ट को कैन्सिल करेंगे? पानी नहीं लगता है तो आपके अधिकारी देख ले, एक्स. ई. एन. देख ले, चीफ इन्जीनियरी देख लें कि जमीन पर पानी नहीं लगता है....

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वह कैन्सिल नहीं की जायगी, उस पर किश्तें नहीं ली जानी चाहिए। मेरा क्लियर प्रश्न है। पौंग डैम वाले या दूसरे हों उनसे इसको कन्फ्यूज मत कीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक मेरी जानकारी है परमानेन्ट एलॉटमेन्ट जो लैण्ड का हुआ है वहां 62 हजार एकड़ का हुआ है उसमें भूमि कैन्सिल नहीं हुई है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं देख लूंगा। केवल इसलिए कि पानी नहीं पहुंचा है काश्त

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं की है इस संबंध में देख लिया जायगा। जहां तक यह केन्सिल होना चाहिए वह टी. सी. होल्डर्स की कैन्सिल होना चाहिए। टी. सी. होल्डर्स में बहुत थोड़े लोग हैं। टी. सी. होल्डर्स में ज्यादा लोग नहीं रहे हैं। राजस्थान के अन्दर टी. सी. होल्डर्स ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे 24-5-73 के बाद के जो टी. सी. होल्डर्स हैं। वे बहुत ही थोड़े आदमी हैं। 24-5-73 के बाद उन लोगों को दी है बाकी परमानेन्ट अलॉटमेंट हो रहा है और टी. सी. होल्डर्स को नहीं दी जा रही है। इस एरिया में किसी को टी. सी. पर नहीं दिया जा रहा है। अब अलॉटमेंट किया जा रहा है वह परमानेन्ट अलॉटमेंट हो रहा है, टी. सी. पर नहीं हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पांच हजार से अधिक का कैन्सिलेशन हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : कैन्सिलेशन तब होता है, यदि कोई व्यक्ति, जिस वक्त फाईनल अलॉटमेंट होता है, तो फाईनल अलॉटमेंट के वक्त एलीजेबिलिटी को साबित नहीं कर सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अलॉटमेंट के बाद कैन्सिलेशन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

शुगर मिलों द्वारा गन्ने की खरीद

738. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डर के अनुसार प्रत्येक शक्कर मिल को गन्ना खरीदने हेतु क्षेत्र विशेष नियत किया हुआ होता है, जहां कि गन्ना उत्पादकों का वह सारा गन्ना जो गन्ना उत्पादक बेचना चाहते हैं ऐसी शक्कर मिल को खरीदना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो भूपालसागर शुगर मिल को अपने नियत क्षेत्र मांडल (भीलवाड़ा) से उन गन्ना उत्पादकों का गन्ना खरीदने हेतु क्यों नहीं बाध्य किया जाता जो गन्ना उक्त मिल को बेचना चाहते हैं ?

खाद्य मंत्री : (श्री शिवचरण माथुर): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर उद्योग मंत्री को दिया जाना है, इसलिए उनको ट्रान्सफर किया गया है।

श्री विजयसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, शुगर केन और शुगर का कृषि मन्त्री से ताल्लुक है, खाद्य मन्त्री से ताल्लुक है, दोनों ही विभाग के मंत्री माथुर साहब हैं, इनको जवाब देना चाहिए। किन्तु हमारे यहां के काश्तकारों को यह राहत नहीं देना चाहते, सेठ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर देते हैं।

श्री विजयसिंह राठौड़ : इसका जवाब अगले सत्र में आयेगा तब तक शुगर केन सूख जायगा। 25 के बाद विधान सभा की बैठक 29 तारीख को है, 30 तारीख को है, फिर यह प्रश्न आयेगा कब ? मैंने हर तरह से इस प्रश्न को लाने का प्रयत्न किया है, लेकिन सरकार ने ऐसी लापरवाही बरती है कि मांडल के अन्दर सैकड़ों बीघा गन्ना सूख रहा है। आप इस प्रश्न को टालना चाहते हैं केवल सेठ को प्रोटेक्ट करने के लिए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, यह मांडल का प्रश्न, एक लाख की फसल सूख जायगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं है, इजाजत काहे की दूं। यह सवाल इस सत्र में जब उद्योग मंत्री की टर्न हो, तब आ जाय। इसे स्थगित रखा है तब तक।

श्री भानुकुमार शास्त्री : (उदयपुर) : स्थगित किया जाता है, उसके पहले ही यह कार्यवाही हो जाय तो यह बात नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : श्री माणकचन्द सोगानी!

आयुर्वेदिक औषधालय

739. **श्री माणकचन्द सोगानी** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या में इस वर्ष वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है?

(2) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में कहां कहां नये औषधालयों की स्थापना की गई और कहां कहां औषधालयों की सेवा में विस्तार किया?

(3) क्या अजमेर शहर में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रोगी शय्याओं में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो इस दिशा में किये गये कार्यों का विवरण देने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां।

(2) 25 नवीन औषधालय खोले गये। औषधालयों की सेवाओं में विस्तार हेतु 22 कल्पद धात्रियों के पद सृजित हुए। विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखिये)

श्री माणकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री से यह निवेदन है कि प्रश्न में जो दो भाग दिये गये हैं, इतनी नीचे वाली कापी दी है कि उसको पढ़ नहीं पाया हूं। यह हैडिंग फर्मा दीजिये ताकि समझ में आये क्या लिखा है। ऐसा मालूम होता है कि कार्बन कापी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी नहीं से चकित नहीं हुए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं, दूसरे भाग का पूछ रहे हैं। 25 नवीन औषधालय खोले गये। इसकी सूची दी गई है। आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री माणकचन्द सोगानी : इतना टाइम नहीं लूंगा···

श्रीमती कमला बेनीवाल : औषधालयों की सेवाओं में विस्तार हेतु 22 कल्पद धात्रियों के पद सृजित हुए। इसकी भी सूची दे रखी है, आप चाहें तो पढ़ दूं सूची!

श्री माणकचन्द सोगानी : इतनी तकलीफ नहीं दूंगा····

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): फिर काहे को सवाल पूछा।

श्री माणकचन्द सोगानी : सदन का टाइम उसमें निकल जायगा, टाइम खराब करने से क्या मतलब है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी नफासत से हाउस गौरवान्वित हो गया है ।

श्री माणकचन्द सोगानी : यह लोंगिया अस्पताल अपनी सेवाओं के लिए आपने लिया है । क्या अपने यहां किराये पर आ चुका है ? यह देख लें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह अलग सवाल है । माननीय सदस्य ने पूछा था, इसमें रोगी शय्याओं की वृद्धि के लिए क्या व्यवस्था की गई है या नहीं ? मैंने लिखा है, जी नहीं । हालांकि इस बात की आवश्यकता महसूस करते हुए हमने अपनी स्वीकृत शय्यायें हैं उससे ज्यादा शय्याओं का प्राईवेट तौर पर प्रबन्ध किया है और राज्य सरकार से निवेदन किया है कि शय्याओं की वृद्धि के लिए और इजाजत दे दे ।

श्री माणकचन्द सोगानी : इसमें महिलाओं की प्रेगनेन्सी के केसेज के लिए आयुर्वेद विभाग ने कोई कदम उठाया है शय्याओं के अन्दर ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : लोंगिया अस्पताल में महिला रोगी हैं उनका अलग से कक्ष बना हुआ है ।

श्री माणकचन्द सोगानी : आखिरी सवाल है, कोई ऐसे भी केसेज रिजेक्टेड आये हैं एलोपेथी के, जिनकी चिकित्सा आयुर्वेद का प्रभाव जमाने के लिए की जा रही है ? अपने वैड्स में ऐसे भी केसेज आये हैं, जिससे यह प्रभाव पड़े कि जो कदम उठाया गया है आयुर्वेद के विकास के लिए वह ज्यादा महत्व रखता है एलोपेथी के मुकाबले ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, हरएक जो मरीज वहां पर भर्ती है, वह किस मर्ज का मरीज है, कौन रिजेक्टेड होकर आया है, और किसे विशेष दवा देकर ठीक किया है, यह अलग से सवाल है । इसकी विस्तार में जानकारी नहीं है ।

श्री शंकरलाल (पाली) : नये औषधालय खोलने के लिए क्या आधार हैं ? जो नये औषधालय खोले जाते हैं, उसका क्या आधार है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आयुर्वेदिक मेर्टनिटी सिस्टम और एलोपेथी मेर्टनिटी सिस्टम में भेद है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : दवाइयों में भेद होता है ।

श्री शंकरलाल (पाली) : नये औषधालय खोले जाते हैं, उसका क्या आधार होता है ? यह बतायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल !

सीताबाड़ी के विकास की योजना

740. श्री शिवनारायण (बारां), (श्री रामगोपाल (किशनगंज) की अनुपस्थिति में): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि स्थान सीताबाड़ी, जिला कोटा, राजस्थान प्रान्त का महत्वपूर्ण

(12)

(श्री शिवनारायण)
रमणीक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थान है ? यदि हां, तो उसके विकास के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री जुझारसिंह): जी हां, धनाभाव से सीताबाड़ी के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई गयी है।

श्री शिवनारायण : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान सीताबाड़ी है, वहां मेला होता है वहां हजारों यात्री, हजारों लोग एकत्र होते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान के लिए पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

श्रीमती नगेन्द्र बाला : यह धनाभाव जो है, यह सीताबाड़ी के लिए है या और कहीं के लिए भी है ? क्या आगे कोई योजना बनाने की मन्शा रखते हैं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी माननीय सदस्य ने पूछा था सीताबाड़ी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, लेकिन अभी टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोटा में टूरिस्ट डिपार्टमेंट नहीं खोला गया है। टूरिस्ट मैप में यह संशोधन जल्दी कर दिया जाय—यह सम्भव नहीं है। अभी टूरिस्ट मैप में इसे लिया जाना सम्भव नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अगले वर्ष खोलें उसमें सीताबाड़ी को ले सकते हैं।

श्री जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : यह अहम् जगह है सीताबाड़ी, यहां टूरिस्ट सेन्टर खोला जाना जरूरी है।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, उनके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। यह पुराना रमणीक, नयनाभिराम स्थान है, इसके सम्बन्ध में सरकार विचार नहीं करती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, यह विचार सरकार के विचाराधीन नहीं है, तो विचाराधीन में ले ताकि आगे इस रमणीक स्थान का विकास हो।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : कुछ टूरिस्ट की दृष्टि से डवलपमेंट करें, यह नयनाभिराम स्थान है।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : सीताबाड़ी कोटा के लिए गौरव का स्थान है। कोटा के लिए आपकी क्या योजना है ? कोटा से इसका सीधा सम्बन्ध है, तो कोटा में पर्यटन विभाग खोलने के लिए क्या विचार किया है, यह बताने का कष्ट करें।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोटा में अगली साल टूरिस्ट बंगला बनाने की योजना है, उसके लिए एक लाख का प्रावधान किया गया है। दो तीन साल में टूरिस्ट बंगला तैयार हो जायगा, उसके बाद जैसे जैसे साधन होंगे, जो साइजेबल प्लान होगा, वैसा करेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह : कोटा में टूरिस्ट अट्रैक्शन के कौन कौन से स्थान हैं—यह बताने का कष्ट करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस नयनाभिराम स्थान को डवलप करिये।

प्रश्न संख्या 741

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 742

श्री महेन्द्र कुमार ! श्री जयनारायण रोत ! श्री रामचन्द्र रोत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भोमाराम !

डीडवाना तहसील में गेहूं की लेवी

743 श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीडवाना तहसील में सन् 1974 में गेहूं की लेवी किस किस गांव से कितनी कितनी उगाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लेवी के आज तक कितने काश्तकारों के पैसे बकाया हैं तथा इसके न चुकाने के क्या कारण हैं ?

(3) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने पटवार सर्किल हैं जिन्होंने गेहूं की लेवी वसूल की और सरकार में जमा नहीं कराई ?

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भण्डार व्यवस्था निगम के गोदाम में जमा गेहूं के किसी भी काश्तकार के पैसे बकाया नहीं हैं। दस पटवार सर्किलोंमें भिन्न भिन्न स्थानों पर जमा गेहूं अभी तक गोदामों में जमा नहीं हुआ है, उसकी कीमत अभी तक नहीं चुकाई गई है।

(3) 10 पटवार सर्किल्स में लेवी में वसूल शुदा गेहूं अभी तक सरकार में जमा नहीं हुआ है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्यों ?

श्री भोमाराम चौधरी : जो सूची दी है, उसमें 11-12 पटवार सर्किल आये नहीं हैं। नम्बर 1, दूसरे जो आज तक लेवी का पैसा नहीं दिया गया है वह किस कारण से नहीं दिया गया है ? क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : कोटा में काफी लोगों का पैसा बकाया है, उसके लिए मेरा अतारांकित प्रश्न लगा हुआ है। इस बकाया का कब तक पेमेन्ट कर दिया जायगा ? और अब तक क्यों नहीं किया गया है ?

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ पटवार सर्किल नहीं आये हैं। वह आप बता दें, मैं जानकारी करा लूंगा। मेरे पास जो लिस्ट है, उसकी जानकारी दे दी।

श्री भोमाराम चौधरी : जिन्होंने लेवी की चोरी की है, काश्तकारों से लेवी उगाई है, लेकिन गवर्नमेंट के पास जमा नहीं की है, उन पटवार सर्किल के नाम सूची में नहीं हैं, यह वह नाम हैं जिन्होंने कोटा में लेवी गवर्नमेंट में जमा करा दी है। वह नाम इस सूची में नहीं हैं जिन्होंने काश्तकारों से लेवी

(श्री भोमाराम चौधरी)
ले ली है, और गवर्नमेन्ट के पास जमा नहीं कराई है। यह ऐसे केसेज हैं जिनमें काश्तकारों को पैसा दिया गया है 105 के हिसाब से और लेवी पटवारी और आर. आई. मिल कर खा गये हैं।

श्री **शिवचरण माथुर** : अलग से जानकारी दे दें, मैं जांच करा लूंगा।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : ऐसे पटवार सर्किल हैं, जहां लेवी ले ली गई है लेकिन लेवी जमा नहीं हुई है ?

श्री **रामरघुनाथसिंह** (डीडवाना) : डीडवाना में लेवी उगाई गई थी ··

श्री **जान मोहम्मद खां** : झालावाड़ में लेवी ली गई है, उसमें इन्क्वायरी कराई जाय····

श्री **रामरघुनाथसिंह** : अध्यक्ष महोदय, डीडवाना के अन्दर पटवारियों और आर. आई. द्वारा लेवी लिये 8-9 माह हो गये हैं लेकिन किसानों को उसका पैसा नहीं मिला है। ऐसा सुना है कि वह लेवी राज्य सरकार के गोदामों में जमा नहीं हुई है और वह लेवी पटवारी और आर. आई. मिल के खा गये हैं। इसलिये पटवारियों से लेवी लेकर 8-9 माह तक उन्हें पैसा नहीं दिलाने और राज्य सरकार के गोदामों में माल जमा नहीं कराने के लिये क्या राज्य सरकार उनके खिलाफ में जांच कराकर उन्हें सजा दिलायेगी ? इसके अलावा राज्य सरकार क्यों नहीं उन पटवारियों और आर. आई. को सस्पेण्ड कर दे। इसके साथ साथ राज्य सरकार किसानों को कब तक पैसा दिला देगी यह आश्वासन सदन में दें।

श्री **गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, पटवारियों ने किसानों से लेवी लेकर राज्य सरकार के पास जमा नहीं कराने के लिये क्या राज्य सरकार उन्हें सजा देगी और किसानों को पैसे जो अभी तक नहीं मिले हैं वह जल्दी दिलाने की व्यवस्था करेगी। क्या राज्य सरकार उन पटवारियों के खिलाफ में मुकदमे चलायेगी जो इसके लिये दोषी हैं।

श्री **जगमोहनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय से कोटा के बारे में प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया।

श्री **शिवचरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा पटवारियों ने लेवी तो वसूल कर ली लेकिन वह माल न सरकारी गोदामों में और न ही एफ. सी. आई. के पास जमा कराया है और काश्तकारों को लेवी का पेमेन्ट भी नहीं किया गया है। इसके बारे में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पटवारियों ने पैसे नहीं दिलाये हैं और माल भी जमा नहीं कराया है उनके खिलाफ में राज्य सरकार निश्चित रूप से जांच करेगी। जहां तक कोटा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है वह अलग से प्रश्न है वह मैं जानकारी करके जवाब दे दूंगा।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्रीमती **नगेन्द्रबाला** : अध्यक्ष महोदय, कोटा डिवीजन में भी इस तरह की दिक्कत आई है। एक तरफ तो काश्तकारों को प्रेशराइज्ड करके लेवी राज्य सरकार को दिलाई गई लेकिन उन काश्तकारों को अभी तक पैसा मिला नहीं है उस लेवी के गेहूं

Page No 15

15

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)
का। इस प्रकार के केसेज कोटा डिवीजन में सैकड़ों हो गये हैं जिनमें रेवेन्यू अधिकारियों ने लेवी लेली है पर पैसे काश्तकारों को नहीं दिलाये व लेवी भी जमा राज्य सरकार के गोदामों में नहीं कराई। ऐसी स्थिति में जब पैसे नहीं मिलेंगे तो किसान कैसे लेवी देंगे। उसके लिये राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो किसानों को कोई दोष नहीं दे रहा हूं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पटवारियों ने लेवी लेकर जमा नहीं करायी है और किसानों को लेवी का पेमेन्ट नहीं कराया है उसके लिये उनके खिलाफ में कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या कार्यवाही की जावेगी मन्त्री महोदय सदन में बतावें कब तक की जावेगी कार्यवाही उनके खिलाफ में आज 8-9 महीने हो गये हैं लेवी लिये हुए किसानों से।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्रीमती नगेन्द्र-बाला।

सहकारी समिति दीगोद

744. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दीगोद सहकारी समिति में लाखों रुपयों का ऋण बकाया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि समिति के अध्यक्ष तथा मन्त्री से कई बार रिकार्ड मांगा गया किन्तु वे नहीं दिखाते ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि रिकार्ड न दिखाने से जो समिति के सदस्य हैं उन्हें लेन-देन तथा खाद की खरीद में भारी कठिनाई हो रही है ?

क्या विभाग ऋण वसूली की मन्शा रखता है ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं इस पर उचित कार्यवाही की गई ?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) दीगोद ग्राम सेवा सहकारी समिति में 3,13,164-74 पैसे बकाया है।

(2) दीगोद ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष तथा मन्त्री से रेकार्ड प्राप्त हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर कुछ रेकार्ड प्राप्त हो गया है तथा शेष रेकार्ड प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। अधिनियमानुसार कार्यवाही की गयी है तथा की जा रही है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि दीगोद सहकारी समिति का रिकार्ड प्राप्त करने के लिये कब से कार्यवाही की जा रही है और वह रिकार्ड कब तक प्राप्त हो जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दीगोद सहकारी समिति के अध्यक्ष

(श्री रामनारायण चौधरी)
और मन्त्री के पास रिकार्ड राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत कुछ तो प्राप्त हो गया है और रिकार्ड की कोशिश की जा रही है यह कब तक कार्य पूरा हो जावेगा यह कहना मुश्किल है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह कबसे रिकार्ड प्राप्त करने की कोशिश चल रही है ? जैसा कि मैंने प्रश्न के चौथे भाग में पूछा है कि रिकार्ड अब तक नहीं देने के कारण उस सहकारी समिति के अध्यक्ष, मन्त्री व और जो दो चार सदस्य इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ में अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की गयी । अगर इस तरह से अध्यक्ष व मन्त्री गड़बड़ कर दे तो किसानों का काम कैसे चले ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अक्सर देखने में आता है कि ग्रामीण सहकारी समितियों में उनके मन्त्री व अध्यक्ष व कुछ मुख्य मुख्य सदस्य दूसरे सदस्यों से पैसा ले तो लेते हैं पर वह पैसा जमा नहीं कराते हैं बैंक में जिसका नतीजा यह होता है कि आगे उस सहकारी समिति का काम नहीं चल पाता है इसलिये मेरा सुझाव कि राज्य सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे ।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे मामले सिर्फ इस सहकारी समिति में ही हों वह बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले आपको हर क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी समितियां हैं उनमें कइयों में मिलेगी कि जिसमें उन सहकारी समितियों के अध्यक्ष और मन्त्री लोग रिकार्ड अपने पास रखते हैं और दिखाते भी नहीं इससे कई बार बहुत ही तकलीफ हो जाती है । अक्सर इसमें अध्यक्ष और मन्त्री गबन कर लेते हैं । ऐसी हालत में मेरा यह निवेदन है कि इस कानून में इस बारे में एमेण्डमैन्ट लाया जावे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कानून में संशोधन लाने की कोई जरूरत नहीं है । कानून खुद काफी सक्षम बना हुआ है । जहां तक सहकारी समिति दीगोद का प्रश्न है उस सहकारी समिति के अध्यक्ष और मन्त्री के रिकार्ड नहीं दिखाने के कारण सर्च वारन्ट से रिकार्ड थोड़ा बहुत तो कब्जे में किया गया है और बाकी के लिये कार्यवाही जारी थी इसी बीच में उस अध्यक्ष और मन्त्री द्वारा को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल से स्टे ऑर्डर प्राप्त करने की वजह से थोड़ा समय लग सका है लेकिन यह मैं सदन को निश्चित तौर से कह देना चाहता हूं कि राज्य सरकार रिकवरी जल्दी से जल्दी उनसे करके रहेगी ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि यह कार्यवाही कबसे चल रही है ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक एक करके पूछें । श्री गुमानमल लोढ़ा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सदन में बार बार मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह कार्यवाही कबसे चल रही है । इसके लिये राज्य सरकार उन लोगों के खिलाफ में क्या कार्यवाही करने जा रही है । इस प्रश्न का जवाब दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय क्या यह कार्यवाही दस साल से चल रही है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दस नहीं बीस साल-से चल रही है ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय सदन में बार बार एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह कार्यवाही अध्यक्ष और मंत्री के खिलाफ में कब से चल रही है मैं समझता हूं कि इतनी तो मन्त्री महादय को जानकारी होनी ही चाहिये कि यह कार्यवाही कब से चल रही है । मैं मन्त्री महोदय को इसमें इतना साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा भारी घोटाला है इसलिये अध्यक्ष और मन्त्री लोग उस रिकार्ड को दे नहीं रहे हैं । इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालें ।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय जैसा कि हालत से नजर आ रहा है मैं समझता हूं कि अध्यक्ष और मन्त्री ने कुछ न कुछ गड़बड़ी की है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई: शायद नहीं, स्पेसिफिक कहिये कौन है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय तो घोटाले में घोटाला कर रहे हैं ।

श्री लक्ष्मण सिंह: : No presumptions you must be definite.

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय जब तक पूरी जांच नहीं हो जाये तब तक किस प्रकार कहा जा सकता है कि कोई गड़बड़ हुई है और हुई तो कितनी हुई । अभी तक जांच चल रही है । रिकार्ड पूरा प्राप्त नहीं हुआ । और इसी बीच में को-ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल से इसके खिलाफ स्टे-आर्डर आगया है । राज्य सरकार ने उस को-ऑपरेटिव को भंग कर दिया है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा: उसको आपने भंग क्यों कर दिया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : भंग इसलिये किया कि वह को-ऑपरेटिव नियमानुसार कार्यवाही नहीं कर रही थी ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सहकारी समिति के खिलाफ में जांच कब से चल रही है । यह तो बतावें माननीय मन्त्री महोदय स्पष्ट ।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय यह कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है यह तो पिछले दो साल से कार्यवाही चल रही है

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि यह जांच पिछले दो साल से चल रही है तो क्या दो साल में नतीजा भी नहीं निकाल सके ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट प्रश्न। श्री चेतराम ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

तहसील नदौती क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

745. **श्री चेतराम** (टोडाभीम): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सच है कि तहसील नदौती, जिला सवाई माधोपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है

(श्री चेतराम)
तथा पशुओं की संख्या काफी होते हुये भी पूरी तहसील में कोई पशु-चिकित्सालय नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पशु धन के हितार्थ वहाँ पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

कृषी मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : नदौती में एक पशु औषधालय कार्यरत है। इसे पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना धनाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं सुन नहीं पाया हूं ?

श्री शिवचरण माथुर : नदौती में एक पशु औषधालय कार्यरत है। उसे पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना धनाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

श्री चेतराम: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा, मन्त्री महोदय, से कि वह कह रहे हैं कि पशुओं के चिकित्सालय का प्रबन्ध है। वहाँ पर केवल नाम का है। कोई डॉक्टर या चिकित्सक नहीं है। क्या आप वहाँ पर पशुओं का चिकित्सा का प्रबन्ध करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, नदौती में पंचायत समिति का औषधालय काम कर रहा है। वहाँ से व्यवस्था की जाती है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर चिकित्सालय अपार्ट किया जाये। मैंने उत्तर दिया है कि धनाभाव के कारण यह सम्भव नहीं है। वहाँ पर डिसपेंसरी द्वारा सुविधा दी जा रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता।

श्री चेतराम : वहाँ पर पशुओं की चिकित्सा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। आप उसके लिए क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। कोई चिकित्सक नहीं है तो उसका प्रबन्ध कर दिया जायेगा।

श्री चेतराम : उसके लिए आप क्या प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आपको मैंने निवेदन किया है कि डिसपेंसरी है। आपने चिकित्सालय खोलने की बात कही है।

श्री चेतराम : वहाँ पर डॉक्टर नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : डॉक्टर नहीं है तो भेज देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या डॉक्टर के बिना भी चिकित्सालय होता है।

श्री शिवचरण माथुर : There is difference between dispensary and hospital. A dispensary already exists there.

प्रश्न संख्या 746

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरिचन्द्र पल्लीवाल

भूमि विकास बैंक सवाई माधोपुर का ऑडिट

747. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) भूमि विकास बैंक सवाई माधोपुर का ग्रॉडिट कब से नहीं हुग्रा है ?

(2) क्या यह सत्य है कि 25-10-74 को ग्रॉडिट निरीक्षक जब ग्रॉडिट करने बैंक में गये तब ग्रॉडिट नहीं करने दिया गया ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि ग्रॉडिट निरीक्षक ने भूमि विकास बैंक के खिलाफ ग्रपने उच्च ग्रधिकारियों को एक डी. ग्रो. लिखा है । यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह भी सत्य है कि उस ग्रॉडिट निरीक्षक का जिला सवाई माधोपुर से तबादला कर दिया गया है ।

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : भूमि विकास बैंक सवाई माधोपुर के वर्ष 72-73 तक के वार्षिक लेखों का ग्रॉडिट किया जा चुका है। वर्ष 73-74 के लेखों के ग्रॉडिट सम्बन्धी काफी कुछ पूर्ण किया जा चुका है । शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा ।

(2) दि. 25-10-74 को दशहरा ग्रवकाश था ग्रत: ग्रॉडिटर का ग्रॉडिट हेतु बैंक जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(3) जी हां । ग्रॉडिट निरीक्षक ने भूमि विकास बैंक सवाई माधोपुर के खिलाफ ग्रपने उच्चाधिकारी को एक डी. ग्रो. लिखा है ।

(4) जी हां ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रसलियत यह है कि मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि ग्रॉडिट फलां फलां सन् में किया है । मेरी जानकारी के ग्रनुसार वर्ष 72-73 ग्रौर 74 का ग्रॉडिट ग्रभी तक नहीं हुग्रा है । ग्रॉडिटर ग्रॉडिट करने के लिये गये तो उनको ग्रॉडिट करने नहीं दिया गया । उसका कारण यह था कि ग्रॉडिट में ग्रॉब्जेक्शन्स किये गये हैं । बैंक में नियमानुसार नियुक्तियां नहीं की गई हैं । 72-73-74 में 35 लाख रुपया मिला जिसमें से 19 लाख रुपया ही बांटा गया है । उसके ग्रतिरिक्त भूमि विकास बैंक से एक-एक हजार रुपया लेते हैं । इस कारण से उनको ग्रॉडिट नहीं करने दिया गया है । ग्रॉडिटर ने एक डी. ग्रो. लैटर लिखा है ।

श्री ग्रध्यक्ष : थोड़े में पूछिये :

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : क्या यह सही है । कि इन्हीं कारणों से डी. ग्रो. लैटर लिखा गया ।

श्री रामनारायण चौधरी : जी नहीं ।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : डी. ग्रो. लैटर लिखा है, वह मेज पर नहीं रखा है । तो ग्राप उसके कन्टेंट्स ही बता दें ।

श्री रामनारायण चौधरी : डी. ग्रो. लैटर लिखा है, उसमें कई कारण थे । उसमें ग्रॉडिटर ने बैंक से सम्बन्धित ग्रनियमितताग्रों का जिक्र किया गया है । उसमें ग्रनियमितता

(20)

(श्री रामनारायण चौधरी)
को 5 बातें हैं। मुख्य रूप से जो सेक्रेटरी हैं, वह हाउस रेन्ट उठा रहे हैं। दूसरे जितनी सैलरी उनको लेनी चाहिए, उससे ज्यादा सैलरी ले रहे हैं। उसके आधार पर एल. पी. सी. नहीं दी गई है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : डी. ओ. लेटर सदन पटल पर नहीं रखा।

श्री रामनारायण चौधरी: यह भी लिखा, पता चला है कि बैंक के सेक्रेटरी अधिकांशतया छुट्टी में जयपुर आते हैं। यहां आकर रहते हैं। टी. ए. और डी. ए. भी बना लेते हैं। एण्टरटेनमेन्ट में भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बड़े गम्भीर आरोप हैं।

श्री गुमानमल लोढा : सेक्रेटरी का नाम बताइये।

श्री रामनारायण चौधरी : इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। शो कॉज नोटिस दिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : विभाग की क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। श्री निरंजननाथ आचार्य !

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्थगित प्रश्न सं. 131 (दिनांक 25-2.75)

स्वरूप सागर की बाढ़ से क्षति

131. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर के स्वरूप सागर के नाले की गत बाढ़ से पंचवटी, भूपालपुरा, अलीपुरा आदि किन बस्तियों के मकानात जलमग्न हुये और कितने मकानों को क्षति पहुंची और कितना नुकसान हुआ ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त नाले के जल प्रवाह में उक्त बस्तियां कितनी बार जलमग्न हुई।

(3) क्या यह सही है कि पंचवटी के समीपस्थ नाले के किनारे पर पानी की रोक के लिए नगर न्यास, उदयपुर द्वारा एक दीवार बनाई गई ? यदि हां, तो क्यों और इससे क्या लाभ और हानि इस बस्ती को पहुंची ?

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 131 के लिए कोई मन्त्री महोदय नहीं है, तो उसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री निरंजननाथ आचार्य !

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) उदयपुर नगर के स्वरूप सागर नाले की गत बाढ़ से पंचवटी, भोपालपुरा, अलीपुरा, सबरी कोलोनी, आयल स्कीम, रेल्वे ट्रेनिंग स्कूल, पल्ला, बेदला, पुराने स्टेशन के पास 608 मकानात जलमग्न हुये। इनमें से 197 मकानों,

(श्री रामनारायण चौधरी)
दुकानें आदि को क्षति पहुंची। तथा अनुमानतः 3,10,000 रु. (तीन लाख 10 हजार) का नुकसान हुआ।

(2) उक्त नाले के जल प्रवाह में उक्त बस्तियां दो बार जलमग्न हुईं।

(3) पंचवटी नाले के उत्तरी ओर बसी हुई फतहपुरा बस्ती के लिए एक सड़क नाले के किनारे बनाई गई। इस सड़क के बचाव के लिए उक्त दीवार उदयपुर प्रन्यास द्वारा बनाई गई थी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह बतलाइये, सड़क के बचाव के लिए यह दीवार बनाई गई थी, उसके कारण पानी उजलकर बहा। जिसने बस्ती को बहा ले जाने का प्रयास किया। क्या इससे उस न्यास पर जिम्मेदारी नहीं है कि उसने यह जलमग्न करने के लिए दीवार बनाई। और अगर जिम्मेदारी है तो न्यास क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार है या नहीं। और न्यास भविष्य में पानी से बचाव के लिए क्या प्रयत्न कर रहा है। शायद कोई योजना कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या न्यास के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। यह कलेमिटी बाद में नहीं पैदा हो। इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामनारायण चौधरी : आपने जो प्रश्न उठाया है, उससे यह भिन्न है। आपने अब कहा है कि न्यास ने सड़क बनाई है, उसके कारण से नुकसान हुआ है। तो मैं अभी यह नहीं कह सकता हूं कि यह न्यास के कारण जलमग्न हुआ है। बिना जानकारी के मैं यह कहने में समर्थ नहीं हूं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने जो पूछा है, पानी की रोक के लिए नगर न्यास द्वारा एक दीवार बनाई गई। यदि हां, तो क्यों?

श्री रामनारायण चौधरी : यह टैक्निकल बात है। ऑफ हैण्ड कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्थगित हुआ था। फिर जानकारी क्या हुई।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : लाभ हुआ या हानि? आप कह दो लाभ हुआ या हानि? आपने जांच नहीं करवाई। आपने क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या बताई। उनको क्या कम्पनसेशन दिया है। भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं। ताकि पानी के दुबारा डूब में नहीं आये। मैं अर्ज करूंगा कि क्या आप एवाइड करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी . एवाइड करने का प्रयत्न करेंगे। जिन लोगों की क्षति हुई है, यह देखा जायेगा कि किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्षतिग्रस्त हुये हैं, यह तो कम्पनसेट करेंगे। न्यास की जिम्मेदारी जांच के द्वारा मानी है। क्षतिग्रस्त मकानों को कम्पनसेट करेंगे या नहीं। क्या यह ठीक है?

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपने कहा है कि हम जाँच करायेंगे। जानकारी करायेंगे। दीवार के कारण पानी ऊंचा गया है। अगर जांच करायें और यह

Page No 22

(22)

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
साबित हो जाये कि पानी के कारण ही यह हुआ है तो क्षतिग्रस्त मकानों को कम्पनसेट करने के लिए और न्यास को दोषी करार देने के लिए, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने पानी की बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या बताई उसमें पुल्ला गांव और वेदना रेल्वे स्टेशन के पास गरीबों के झौंपड़े बह गए, आपने उनको कितना कम्पनसेट किया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप तो जाँच का हुक्म दे दें, हमें संतोष हो जाएगा किसी इम्पार्शियल आदमी से जांच करायें, अगर दीवार गलत बनी है और उसके बनने से पानी का बहाव हुआ है, क्षति हुई है तो उनको कम्पनसेट करेंगे, ऐसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पंचवटी के किनारे पर आचार्य जी बिराजते हैं तो उनको डूब से बचायेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विधि के विधान ने कई बार कोशिश की मुझे डुबोने की, मैं नहीं डुबा। मेरा मकान बहुत ऊंचा है और आपका विद्यालय कुम्हारवतों का वहां है, वह डूबा है, उसको बचायें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये तो डूबेंगे लेकिन आपको भी साथ लेकर डूबेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जांच के बारे में उत्तर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पहले ही कह चुके हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : केवल एक शब्द कहें कि हां जांच करायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : विकास न्यास का कोई मैलाफाइडी इन्टेन्शन नहीं हो सकता था कि बस्तियों को नुकसान होगा। उसका कर्त्तव्य है बस्तियों को सुविधा पहुंचाने का, अकस्मात ऐसी बातें हो जाती हैं, हेवी रेन्स के कारण ...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपका बोनाफाइडी इन्टेन्शन मान लिया तो क्या संतोष के लिए जांच कराने से लिए तैयार हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह मैंने पहले भी कहा है कि जांच करवा लेंगे कि इनके डूबने का, नुकसान होने का क्या कारण है और क्या न्यास की योजना में कमी थी जिसकी वजह से इन बस्तियों के मकानात जलमग्न हुये और उस नुकसान होने में न्यास का कितना उत्तरदायित्व था, इसकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरमल मोर !

सीकर जिले में पंचायतों में रिक्त स्थानों के चुनाव

145. श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में पंचों, उप सरपंचों, उप प्रधान तथा प्रधानों के काफी स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो किन किन पंचायतों तथा पंचायत समितियों में यह स्थान रिक्त है ?

(श्री सांवरमल मोर)
सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जहां जहां उप प्रधान तथा सरपंचों के स्थान रिक्त हैं, उनके चुनाव करवाने का आश्वासन गत वर्ष पंचायत मन्त्री द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो ये चुनाव अब तक नहीं करवाये जाने का क्या कारण है ? अब ये चुनाव कब तक करवा दिये जावेंगे ?

पंचायत मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) :(1) सीकर जिले में 280 पंचों, 24 उप सरपंचों, 33 सरपंचों एक उप प्रधान एवं 3 प्रधानों के स्थान रिक्त हैं। पंचायतों एवं पंचायत समितियों में रिक्त स्थानों की क्रम वार सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी हां, जिन स्थानों पर सरपंच और उप सरपंच, प्रधान और उप प्रधान तथा प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के स्थान रिक्त हैं वहां उप सरपंच, उप प्रधान व उप प्रमुख के चुनाव करवाये जाने का आश्वासन दिया गया था। जिन पंचायतों में सरपंच एवं उप सरपंच दोनों के स्थान रिक्त हैं, उन पंचायतों में उप सरपंच का उप चुनाव माह मार्च, 1975 में कराए जाने हेतु आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं। उप प्रधान एवं उप प्रमुख के उप चुनाव के बारे में वर्तमान विधियों में परिवर्तन लाया जाकर उप चुनाव कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)।

प्रश्न संख्या 284

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 477

श्रीमती भगवती देवी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

490. श्री श्रीराम गोटेवाला: (किशनपोल बाजार): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में कोई खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यरत है ? यदि हां, तो राज्य सरकार की ओर से उसे क्या क्या अनुदान दिया जाता है ? कृपया अनुदान की राशि बताने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड राज्य की खादी और ग्रामोद्योग में कार्य कर रही संस्थाओं को अनुदान एवं ऋण स्वीकार करता है ? यदि हां, तो किन किन शर्तों पर ?

(3) राजस्थान में कुल कितनी ऐसी संस्थायें कार्य कर रही हैं ?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय सहायता प्राप्त इन संस्थाओं द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के लिए कोई चन्दा भी दिया गया ? यदि हां, तो कितना ?

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(5) क्या यह सही है कि वह चन्दा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन या बोर्ड ऑफिस के द्वारा संग्रहित किया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसको उचित समझती है ?

राज्य मन्त्री खादी एवं ग्रामोद्योग, (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां। राज्य सरकार बोर्ड को प्रशासनिक व्यय एवं खादी बिक्री पर विशेष छूट की राशि अनुदान के रूप में देती है। वर्ष 1974-75 में यह अनुदान की राशि 23-31 लाख रु. है।

(2) खादी ग्रामोद्योग कमीशन से संबंधित संस्थाओं को छोड़ कर बोर्ड राज्य की खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं को, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत शर्तों पर ऋण एवं अनुदान खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास हेतु देता है। शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य में वर्तमान में कुल 92 कार्यरत संस्थायें हैं जिनमें 66 संस्थायें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुदानित हैं शेष 26 खादी आयोग से संबंधित हैं।

(4) जी नहीं। जानकारी नहीं है।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जो प्रश्न संख्या 4 के अन्दर उत्तर दिया गया है कि जी नहीं, जानकारी नहीं है और 23-31 लाख रुपए इस बोर्ड पर राज्य सरकार केवल मात्र इनको वेतन आदि बांटने के लिए खर्च करती है इनकी जो 66 संस्थायें कार्यरत हैं, मैं प्रमाण देकर निवेदन करना चाहता हूं कि ये 66 की 66 संस्थाओं ने एक एक हजार रुपए का विज्ञापन जो स्मारिका जयप्रकाश बाबू के जयपुर आने पर प्रकाशित हुई है, उसको दिया गया है। सरकार के खिलाफ सरकार के पैसे से, सरकार के विरोध में आन्दोलन हो और मंत्री महोदय बिना जांच के जवाब दे, मुझे बहुत दुःख है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : यह प्रश्न स्थगित करने के बाद इतने समय के बाद भी इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जानकारी हांसिल नहीं की और पूर्णरूप से सदन को अवगत कराने की पोजीशन में नहीं है, यह बहुत सीरियस बात है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, सरकार के खिलाफ, सरकार का हथियार इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा और दुखपूर्ण घटना क्या हो सकती है ?

श्री मूलचन्द शामरिया (दौसा) : कांग्रेस पार्टी की स्मारिकाओं को तो विज्ञापन मिल सकता है और जो जनतांत्रिक तरीके से संस्थायें चलती हैं, वे कोई आंदोलन करती हैं, उनका कोई कार्यक्रम होता है तो क्या उनको चंदा देना अथवा विज्ञापन देने पर इन संस्थाओं पर नियमों में पाबन्दी है ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अलग से प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न यह नहीं है कि वह आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ है। सवाल यह है कि ये खादी संस्थायें जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में विश्वास करती हैं, जबकि यह आंदोलन सरकार के खिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली बात है। पहले से आंदोलन सरकार के खिलाफ हुए हैं और चलेंगे। लेकिन बात यह है कि यह फासिस्टवादी आंदोलन लोकतंत्रवाद के खिलाफ है, जो मान्यतायें हमारे देश ने मान ली हैं, उसके अनुसार जो व्यवस्थायें चल रही हैं उनके खिलाफ जिन संस्थाओं का विश्वास है, उनको दिया गया है या उनको मजबूर किया गया है कुछ लोगों द्वारा क्योंकि मेरी जानकारी में उस संस्था के लोगों को बाध्य किया गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय ·······

(दोनों साथ साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने कर्मचारियों ने शिकायत की।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी !

श्री मूलचन्द सामरिया : एक प्रश्न महत्वपूर्ण ······.

श्री अध्यक्ष : उधर घड़ी में समय दिखाई दे रहा है·······

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो राशि अनुमानित की गई है वह कुल 23.31 लाख रुपये है और रिबेट जो दी जाती है, गांधी जयन्ती और नेहरू जयन्ती के महीने में दी जाती है। सूती खादी पर और ऊनी खादी पर, वह 8 लाख रुपये हैं। बाकी दूसरे जो विभाग हैं, प्रशासनिक व्यय हैं, इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनमें किसी प्रकार का दुरुपयोग हो सकता हो। जहां तक एडवर्टाइजमेन्ट का प्रश्न है ऐसी कोई सूचना निश्चित रूप से मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है कि किसी संस्था ने किस-किस में एडवर्टाइजमेन्ट दिये हैं। लेकिन यह हो सकता है कि स्मारिकाओं में एडवर्टाइजमेन्ट दिया गया हो, इस तरह की संस्थाओं ने किस-किसको एडवर्टाइजमेन्ट दिये हैं, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शोरगुल)

माननीय सदस्यों को मेरा यह भी कहना है कि यदि आप इस प्रश्न के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो दूसरी रेमेडी भी इसके लिए एडॉप्ट कर सकते हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चूरू जिले में डेयरी योजना

741. श्री रावतराम आर्य (छापर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अगले वर्ष के लिए चूरू जिले में डेयरी योजना के लिए कितनी धन राशि रखी गई है ?

(श्री रावतराम आर्य)

(2) क्या यह सही है कि डेयरी योजना के तहत जिले के काश्तकारों को दुधारू पशु खरीदने के लिए कर्जा देने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 75-76 के लिए अभी कोई धन राशि निर्धारित नहीं की गई है।

(2) जी नहीं।

खनिज खनन कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी

742. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा), **श्री जयनारायण रोत** (लसाड़िया), **श्री रामचन्द्र रोत** (चौरासी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में खनिज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न खनिज खनन कार्य में लगे हुए श्रमिकों को राज्य सरकार कितनी मजदूरी देती है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में खनिज खनन श्रमिकों को बराबर मजदूरी दी जाती है या इसमें किसी आधार पर कोई भेद किया गया है ? यदि हां, तो विस्तृत जानकारी दी जावे।

(3) माण्डव की पाल, जिला डूंगरपुर जहां फ्लोराइड उपलब्ध है उस पर कार्यरत मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जाती है। क्या यह राशि राजस्थान में अन्य स्थानों पर दी जाने वाली राशि से कम नहीं है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? विस्तृत जानकारी दी जावे।

उत्तर

(1) राजस्थान खनिज विभाग द्वारा संचालित खनिज खनन कार्य में लगे हुए श्रमिकों को मजदूरी निम्न प्रकार से दी जाती है:—

1. स्कील्ड लेबर 5.00 प्रति दिन।

2. सेमी स्कील्ड लेबर 4.50 प्रति दिन।

3. अन स्कील्ड लेबर 4.00 प्रति दिन।

(2) हां। उसमें कोई भेद-भाव नहीं है।

(3) माण्डव की पाल, जिला डूंगरपुर में फ्लोराइड खनिजों की चार खानों पर खनन कार्य चल रहा है। ये चारों खानें राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, जयपुर को राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई हैं। जनवरी, 1975 में इन खानों पर कार्यरत मजदूरों की औसतन मजदूरी प्रति दिन रुपया 4.80 थी। फरवरी, 1975 में यह मजदूरी बढ़ा कर 5.50 पैसे कर दी गई है।

अधिकारियों की पदोन्नति हेतु डी. पी. सी. का निर्णय

746. श्री रामकिशन (भरतपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार नियोजन के अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में डी. पी. सी. ने

Page No 27

(२७)

(श्री रामकिशन)
अन्तिम रूप से सन् 1967 व 1969 में निर्णय दे दिया था परन्तु सन् 1974 में उक्त चयन को निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार किया गया अथवा किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु किया गया ?

उत्तर

जी हां । जिन चिकित्सा अधिकारियों का चयन निरस्त कर दिया गया है वे नियमों में अङ्कित योग्यता उक्त पदों हेतु नहीं रखते थे । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-3-75)

नागौर जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त पद

284. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) नागौर जिले में किस किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने पंचों, उप सरपंचों एवं सरपंचों के पद कब-कब से किस-किस कारण से रिक्त हुए पड़े हैं ?

(2) नागौर जिले की पंचायत समितियों में सहवृत अनुसूचित जाति में सदस्यों महिला सहवृत सदस्यों एवं सहकारी समितियों के प्रतिनिधि सहवृत् सदस्यों में कौन-कौन व्यक्ति कब-कब से सदस्य पद धारण कर रहे हैं एवं कितने पद कब से किस कारण से रिक्त हैं ?

(3) नागौर जिले की पंचायत समितियों में प्रत्येक में कितनी-कितनी स्थायी समितियां हैं एवं उनकी पिछले 5 वर्षों में बैठकें कब-कब हुई ?

(4) नागौर जिले की पंचायत समितियों की ग्राम सभाओं की बैठकें किस-किस तारीख को, तारीख 1-1-66 के बाद तारीख 31-12-74 तक सम्पन्न हुई है ?

(5) पंचायत समितियों की साधारण बैठकों एवं स्थायी समितियों की बैठकें बुलाने का अधिकार किसका है, एवं बैठकें नहीं करने पर क्या क्या कार्यवाही कौन करता है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) पंचायत समिति तथा उनका स्थाई समितियों की बैठकें बुलाने का अधिकार राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अनुसार प्रधान एवं सम्बन्धित स्थाई समिति के अध्यक्ष को प्राप्त है। विकास अधिकारी द्वारा बैठकें बुलाये जाने हेतु सूचना का नोटिस जारी किया जाता है।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कार्य संचालन) नियम, 1965 के नियम 4 (2) के अनुसार अत्यावश्यक स्थिति में प्रधान द्वारा निर्धारित समय से कम अवधि की सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है, परन्तु किसी भी स्थिति में सूचना की अवधि 48 घण्टे से कम नहीं रखी गई है। उपरोक्त नियमों के नियम 24 के अनुसार स्थाई समिति की अध्यक्ष किसी भी समय स्थाई समिति की बैठक बुला सकता है। पंचायत समिति या स्थाई समितियों के हुए सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये हुए लिखित आवेदन प्राप्त होने पर पंचायत समिति के प्रधान एवं स्थाई समिति के अध्यक्ष द्वारा 7 दिन के अन्दर 2 एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-75)

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की पैरवी हेतु नियुक्त वकील

477. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में समाज कल्याण विभाग की ओर से गत दो वर्षों में आर्थिक सहयोग अथवा वकील का सहयोग प्रदान किया गया ? तथा इसमें से कितने मुकदमों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति जीते ?

(2) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों में से कितने वकील अनुसूचित जातीय एवं जन जातीय व्यक्तियों की पैरवी हेतु नियुक्त किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वकीलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में 59 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में पैरवी करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा कानूनी सहायता दी गई। इन मामलों में से 11 मामलों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति जीत गये तथा 47 मामले अभी पैन्डिग हैं।

(2) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के मामलों में पैरवी करने के लिये तथा उन्हें कानूनी सहायता देने के लिये जिलाधीशों की सिफारिश पर प्रत्येक जिले के लिये तीन-तीन वकीलों के पेनल्स स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से चार अनुसूचित जाति के एवं 3 अनुसूचित जन जाति के वकील हैं।

(3) अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के नियमों के अनुसार वकील 5 वर्ष का अनुभवी होना आवश्यक है। तदनुसार समस्त जिलाधीशों को अपने जिले के लिये वकीलों के नाम प्रस्तावित करने के लिए यह लिखा गया कि 'राज्य सरकार के आदेशानुसार तीन वकीलों के नाम प्रस्तावित

(समाज कल्याण मंत्री)
करते समय अनुसूचित जाति व जन जाति के अनुभवी वकीलों को प्राथमिकता दी जावे।' इस आधार पर जिलाधीशों ने जिन अनुभवी वकीलों के नाम प्रस्तावित किये, उनके नाम स्वीकृतियां जारी की गईं। पेनल नियुक्त करने के आदेश में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि 'अन्य परि-स्थितियां समान होने पर अनुसूचित जाति / जन जाति के वकीलों को मुकदमों में पैरवी करने की प्राथमिकता दी जाय।'

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा जिले मे लेवी के गेहूं की कीमत का काश्तकारों को भुगतान

442. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि सन् 1974 में कोटा जिले में लेवी के अभियान के दौरान बसूल किये गये गेहूं का कृषकों को रुपया चुकाना बाकी हैं ?

(2) यदि हां, तो कितना रुपया किस किस काश्तकार का बकाया है और अब तक इसका भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह एक गम्भीर मामला नहीं है ? यदि है तो सरकार भुगतान में विलम्ब करने के लिये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करेगी और भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, कुछ कृषकों को भुगतान करना बाकी रह गया है।

(2) कुछ कृषकों को 7549.50 रुपया भुगतान करना शेष है। अब तक भुगतान न करने के कारणों का विवरण संलग्न है।

(3) राज्य सरकार इसे गम्भीर मामला मानती है। मामले की जांच कराई जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर शेष भुगतान शीघ्र कराने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये।)

बाड़मेर जिले में डी. पी. ए. पी. के कार्य

443. श्रीमती मदनकौर (चित्तौड़गढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत हुये और इसकी स्वीकृति कब-कब, कितनी कितनी राशि की दी गई?

(2) प्रत्येक विभाग द्वारा जनवरी, 1975 तक कितनी कितनी धनराशि, मज-दूरी और साज सामान की खरीद पर अलग अलग व्यय की ? और रोजाना औसतन कितने मजदूरों को कितने महीने तक काम पर लगाया गया ? प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग सूचना सदन के पटल पर रखें।

(श्रीमती मदनकौर)

(3) प्रत्येक विभाग द्वारा फरवरी और मार्च, 1975 में इसी प्रोग्राम के अन्तर्गत मजदूरी और साज सामान की खरीद पर कितना कितना व्यय किये जाने की स्वीकृति है ? और प्रत्येक कार्य पर कितने मजदूर लगाने का प्रावधान किया गया है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) डी. पी. ए. पी. की कार्यान्विति 1973-74 के वर्ष से प्रारम्भ हुई। इनके अन्तर्गत 1973-74 से ही राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि, भू-जल सिंचाई, भेड़ व ऊन, डेरी एवं वन आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम बनाये गये हैं। किसी सीमा तक जन-स्वास्थ्य के कार्यक्रम भी 1973-74 के वर्ष में लिये गये हैं। इन कार्यक्रमों पर 1973-74 में 31.57 लाख रुपये व्यय किये गये थे जिनका विस्तृत वितरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(2) 1974-75 के वर्ष हेतु बाड़मेर जिले के डी. पी. ए. पी. हेतु 20.6 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि डी. पी. ए. पी. में रोजगार की अपेक्षा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी आय के स्रोतों के विकास को प्राथमिकता दी जाती है, इस राशि का अधिकांश भाग भू-सर्वेक्षण, उपकरणों, कृत्रिम गर्भाधान, चरागाह विकास आदि के लिए स्वीकृत किया गया है। संलग्न तालिका में 1974-75 के वर्ष हेतु जारी की गई स्वीकृतियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए स्वीकृति काफी विलम्ब से प्राप्त होने के कारण ये स्वीकृतियां दिसम्बर या उसके बाद जारी की गई हैं, अतः जनवरी, 1975 तक व्यय नहीं हो सका है।

(3) 1973-74 तक डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत मुख्य रूप से सार्वजनिक निर्माण, जल प्रदाय परियोजनाओं, वन संरक्षण व सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार देने की व्यवस्था की जाती थी। परन्तु अप्रेल, 1974 से डी. पी. ए. पी. का उद्देश्य रोजगार का सृजन न हो कर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आय के स्थायी स्रोतों का विकास करना हो गया है रोजगार की व्यवस्था अकाल से निपटने के लिए—सेल्स ऑफ वर्क्स के माध्यम से की जायेगी। इसके लिए डी.पी.ए.पी. में भू-सर्वेक्षण किये जायेंगे। ये सर्वेक्षण अभी प्रारम्भ हुए हैं तथा आशा है परीक्षण कार्यों की सूची शीघ्र ही (अनेक जिलों में) तैयार कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था हेतु चरागाहों एवं सतही सिंचाई के साधनों का विकास भी किया जायेगा। ये परियोजनायें हाल ही में प्रारम्भ की गई हैं और इसलिए इनका प्रगति विवरण कुछ समय बाद ही प्राप्त हो सकेगा।

1974-75 में विभिन्न डी. पी. ए. पी. क्षेत्रों के लिए स्वीकृत राशि (तिथि कर) तालिका 2 में अंकित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

बाड़मेर जिले में ट्रैक्टरों का आवंटन

444. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के कितने किसानों के प्रार्थना-पत्र किन-किन ट्रैक्टरों हेतु कब से

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में विचाराधीन हैं ? उनके बारे में कब तक निर्णय कर दिया जायेगा।

(2) निगम द्वारा अभी तक बाड़मेर जिले में किन-किन व्यक्तियों को कौन-कौन से ट्रैक्टरों का आवंटन किया गया है ? उनकी सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने का कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1973 से निगम जीटर-2511 एच. एम. टी. ट्रैक्टर का ही विक्रय कर रहा है। इस मेक के ट्रैक्टर के लिए बाड़मेर ज़िले के किसी भी व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है। क्योंकि यह जीटर-2511 एच. एम. टी. ट्रैक्टर स्टॉक में उपलब्ध होने से इस ट्रैक्टर के खरीदने के लिए इन्तजार की आवश्यकता नहीं है।

(2) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम को भारत सरकार द्वारा दिनांक 11-8-72 तक जिन-जिन मेक के आयातित ट्रैक्टरों का आवंटन किया गया उनमें से बाड़मेर जिले के जिन-जिन व्यक्तियों को आयातित ट्रैक्टरों का आवंटन किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। दिनांक 11-8-72 के बाद किसी भी मेक के आयातित ट्रैक्टर का आवंटन भारत सरकार द्वारा निगम को नहीं किया किया गया है। जीटर ट्रैक्टर के लिए आवेदन-पत्र देने वाले प्रार्थियों के नाम भी उपरोक्त सूची में सम्मिलित कर दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ग्राम विलाड़ा में कृषि भूमि का अकृषि में परिवर्तन

445. श्री कालूराम आर्य (विलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील विलाड़ा के ग्राम विलाड़ा में सन् 1972 से जनवरी, 75 तक किन-किन व्यक्तियों को कृषि भूमि के खसरा न. व रकवा को अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित की गई है व कितनी भूमि अन्य प्रयोजनार्थ परिवर्तित की गई है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) कृषि भूमि को अकृषि भूमि के प्रयोजनार्थ परिवर्तित करने के क्या नियम हैं ? प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जिन-जिन कार्य हेतु जमीन कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करवाई उस जमीन पर भवन (मकान) रहने के अलावा मकान बनाकर अन्य किसी को किराये पर दी जा सकती है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है)

चूरू जिले में वनों का सुधार कार्य

446. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिल में कुल कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो वन विभाग के अन्तर्गत हैं ? तहसीलवार एवं ग्रामवार बताने का कष्ट करें।

(श्री लूणाराम)

(2) उनके रख-रखाव के लिये हर क्षेत्र के लिये क्या व्यवस्था है। स्थयी तौर से तथा उन पर किसी की तैनाती है तो मय नाम, पद, वेतन सहित और यह भी बताने का कष्ट करें कि वह कब से है?

(3) उपरोक्त क्षेत्रों में एक वर्ष में क्या सुधार कार्य करवाया गया है और ऐसे सुधार कार्यों पर क्षेत्रवार क्या-क्या खर्च किया गया? 1 जनवरी, 74 से 31 दिसम्बर, 74 तक का बताने की कृपा करें।

(4) 1 जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक जिनमें हल चलाकर सुधार करवाया गया तथा उन पर क्या खर्च हुआ क्षेत्रवार व कितने कितने बीघा का सुधार करवाया गया?

(5) ऐसे क्षेत्रों में 1 जनवरी, 74 से 31 दिसम्बर, 74 तक किस किस किस्म से क्या क्या आमदनी हुई? क्षेत्रवार बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची (क) संलग्न है।

(2) सूची (ख) संलग्न है।

(3) सूची (ग) संलग्न है।

(4) सूची (घ संलग्न है।

(5) माह जनवरी, 1974 से दिसम्बर 1974 तक की चूरू रेंज की आय मद मद की सूची (ङ) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजस्थान नहर क्षेत्र में लिफ्ट योजना से सिंचाई

447. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या उप निवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने 14 मई सन् 1959 के राज-पत्र में राजस्थान नहर के 678 ग्रामों को नहरी क्षेत्र में घोषित किया था? यदि हां, तो उसके आधार पर एवं बाद में समय-समय पर कम किये जाने वाले ग्रामों की सूची अंकित करते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर लिफ्ट योजना द्वारा समस्त घोषित गांवों में पानी खेतों में नहीं दिया जायेगा? नहरी क्षेत्र मानते हुए भी पानी न दिये जाने वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार जिन गांवों के लिफ्ट से भी सिंचाई का पानी नहीं दे सकेगी उन गांवों को नहरी क्षेत्र से निकालने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। सम्पूर्ण सर्वेक्षण के पश्चात् ऐसे क्षेत्र को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर निकालने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति भोपाल सागर के गांवों में भूमि का अलॉटमेंट

448. **श्री जयकिशनलाल तोलावड़ा** (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1962 में पंचायत समिति भोपलसागर, जिला चित्तौड़गढ़ के कुछ ग्राम आकोला, रोजाका-खेड़ा, दौलतपुरा, चौकड़ा तथा चौरवड़ी आदि के काश्तकारों को जमीन अलॉट की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस को अलॉट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक भी उन काश्तकारों को खातेदारी राइट्स नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों नहीं दिए गये तथा अब कब तक दे दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ समय बाद उस जमीन को बडगांव बांध के अन्तर्गत कमाण्ड एरिया घोषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि उन काश्तकारों में से कुछ काश्तकारों को जिनमें वर्तमान प्रधान, पंचायत समिति भोपालसागर तथा वर्तमान सरपंच ग्राम आकोला है, को खातेदारी राइट्स दिये गये हैं, यदि हां, तो उनको किस आधार पर दिये गये हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि उन काश्तकारों को तहसीलदार कपासन द्वारा जमीन से बेदखल किये जाने के नोटिस बरा-बर दिये जा रहे हैं तथा उन काश्तकारों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वो इस समय किस स्थिति में हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार उन काश्त-कारों के हक में फैसला कर उनको खाते-दारी राइट्स दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। क्योंकि उक्त क्षेत्र कॉलोनी क्षेत्र घोषित हो गया था अतः खातेदारी अधिकार नियमानुसार दिये जावेंगे।

(3) जी हां। विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। अतः आधार का प्रश्न नहीं उठता। इनका नाजायज कब्जा 9॥।)2 बीघा पर 1962 से नियमन किया गया है जो गैर खातेदार के रूप में अंकित है।

(5) जी नहीं। जिन आवंटियों ने बिना कब्जा सौंपे ही जमीन पर कब्जा कर काश्त कर रहे हैं उनको बेदखल करने के नोटिस दिये जा रहे हैं तथा उनसे कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12-4-73 के अनुसार जो प्रिमीयम की राशि जमा कराने को तैयार हैं उनकी कब्जा शुदा भूमि नियमित की जा सकती है।

(6) खातेदारी अधिकार नियमानुसार दिये जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

Page No 34

(34)

नरेशों से अधिग्रहीत की हुई भूमि

449. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्यपाल महोदय के 1972 के अभिभाषण की प्रतिलिपि की पृष्ठ संख्या 4 पर उल्लिखित नरेशों से अधिग्रहीत की हुई 57,964 एकड़ भूमि भूमिहीन कृषकों को कहां कहां व कितनी आवंटित की गई है ?

(2) शेष 49,418 एकड़ भूमि में से वर्ष 1973 एवं 1974 में कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(3) आवंटितियों में से अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सदस्यों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) राज्यपाल महोदय के 1972 के अभिभाषण का सम्बन्धित अंश को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि माननीय सदस्य महोदय ने कृषि भूमि के अधिग्रहण के कार्य की दर्शायी गई प्रगति को भूतपूर्व नरेशों की अवाप्त भूमि मानलिया है। दूसरे वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट है कि कृषि भूमि के अधिग्रहण का यहां तात्पर्य सीलिंग कानून के तहत अधिगृहीत भूमि से है। जबकि प्रथम वाक्य में केवल भूतपूर्व नरेशों की भूमि आवप्त करने के सम्बन्ध में विवेचन है। प्रथम एवं द्वितीय वाक्य भिन्न-भिन्न कार्यों से सम्बन्धित है। अतः भूतपूर्व नरेशों की 1972 में राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 में उपरोक्त उल्लेखित भूमि अवाप्ति करने का प्रश्न नहीं था, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कुछ प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया गया था।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

मनोहरथाना (झालावाड़) में सब-तहसील की मांग

450. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि मनोहरथाना (जिला झालावाड़) पहले देशी रियासत कोटा के समय से ही तहसील का सदर मुकाम रहा है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त तहसील (मनोहरथाना) को तोड़ कर तहसील अकलेरा में शामिल कर दी है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि मनोहरथाना तहसील के टूट जाने से उस क्षेत्र की जनता को भारी कठिनाई उत्पन्न हो गई है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि अकलेरा मनोहरथाना से 37 किलोमीटर दूरी पर है और बीच में दो नदियां हैं ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि बरसात में इन दोनों नदियों में बाढ़ आई हुई रहती है और पुलिया छोटी होने से इन पर बरसात में पानी रहता है तथा अकलेरा पहुंचने के लिए बरसात में बसें बन्द रहती हैं और कोई समुचित साधन व्यवस्था भी नहीं है ?

(श्री भैरू लाल)

(6) क्या यह भी सत्य है कि मनोहरथाना क्षेत्र की जनता मनोहरथाना में सब-तहसील कायम किये जाने हेतु राज्य सरकार से सदैव से ही मांग करती आई है?

(7) क्या यह भी सत्य है कि सब-तहसील के भवन की व्यवस्था मनोहरथाना में उपलब्ध है ?

(8) क्या भौगोलिक एवं जनहित की दृष्टि से भी मनोहरथाना में सब-तहसील होना अत्यन्त आवश्यक है ? यदि हां, तो इस विषय पर क्या राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर मनोहरथाना में सब-तहसील कायम करने का निर्णय लेगी और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं । कुछ कठिनाई अवश्य हुई है ।

(4) जी हां ।

(5) जी हां ।

(6) जी नहीं ।

(7) जी नहीं ।

(8) जिलाधीश व राजस्व मण्डल के इस विषय पर प्रस्ताव आने पर राज्य सरकार विचार करेगी ।

जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय

451. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में जल समस्या के हल करने में जल प्रदाय योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई ? ग्रामीण एवं शहरों में व्यय की गई राशि अलग-अलग जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना में जल समस्या निवारण के लिये क्या प्रावधान रखा गया है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जल समस्या के हल करने में जल प्रदाय योजनाओं पर ग्रामीण एवं शहरों में अलग अलग जिलेवार व्यय की गई राशि के टेन्टेटिव आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं । इनका अन्तिम रूप से मिलान किया जाना है ।

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना में जल समस्या के निवारण के लिये निम्न प्रकार प्रावधान प्रस्तावित है:—

नगरीय क्षेत्र	1370.00 लाख रु.
ग्रामीण क्षेत्र	
पेय जल योजनायें	5000.00 लाख रु.
डिग्गी कार्यक्रम	400.00 लाख रु.
कुओं का कार्यक्रम	400.00 लाख रु.
	5800.00 लाख रु.

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

जयपुर जिले में मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग लोन

452. श्री जयकिशन लाल तोसावाड़ा (फागी) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग लोन शुरू से लेकर अब तक कितना दिया गया ? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लोन की कितनी रकम वसूल हो चुकी है और कितनी बाकी है ? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बाड़मेर जिले में ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं

453. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में कुल कितनी ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं अकाल राहत, योजना, डी. पी. ए. पी. एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कब-कब स्वीकृत की गई है ? प्रत्येक की स्वीकृति राशि का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त योजनाओं की क्या प्रगति है ? कौन सी सम्पूर्ण हो चुकी है ? कौन सी अधूरी है और उनमें क्या बाधाएं हैं तथा उनके निराकरण के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ? प्रगति का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) बाड़मेर जिले में कौन सी ग्रामीण क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनाओं का सर्वे हो चुका है, परन्तु जिनकी अभी तक स्वीकृति नहीं हुई है और कौन सी योजनाओं की सर्वे की जा रही है ? इनकी सूची सम्बन्धित लाभान्वित गांवों का विवरण देते हुए प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(4) कौन सी ग्रामीण क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनाओं के विस्तार के लिए सर्वे की जा चुकी है और उनकी स्वीकृति नहीं हुई है और विस्तार के लिए सर्वे का कार्य पैंडिंग है और वे किस प्रकार विस्तार की जा रही हैं और उनसे किन-किन गांवों को लाभ पहुंचेगा ?

(5) इस वर्ष मार्च, 1975 तक कितना ग्रामीण जल-प्रदाय एवं विस्तार जल-प्रदाय याजनाओं को स्वीकृति दी गई है या दी जायेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सूचना भी प्रश्न 1 की सूची के साथ संलग्न कर दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) प्रश्न एक की सूची के अनुसार योजनायें स्वीकृत कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

नागौर जिले में जल-प्रदाय योजनाएं

454. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर जिले में मिनिमम प्रोग्राम में किन-किन जल प्रदाय योजनाओं को राज्य सरकार इसी साल में हाथ में लेकर कार्य आरम्भ कर रही है ?

उत्तर

वर्ष 74-75 में नागौर जिले में कोई जल प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं की गई है। वर्ष 75-76 के लिये जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं किन्तु अभी तक जिलेवार राशि का नई योजनाओं के लिये आवंटन निश्चित नहीं किया गया है अतः यह नहीं बतलाया जा सकता है कि कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत की जा सकेंगी।

जैसलमेर राजघराने द्वारा किसानों की जमीन पर कब्जा

455. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर राजघराने द्वारा अमरसागर मूल सागर-देवा, किशनगढ़, मोहनगढ़ व साली में माली जाती के गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सर्वश्री रघुनाथसिंह, हुकमसिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उपरोक्त सारी जमीन सरकारी रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज करवाली है और मालियों को वेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि श्री हुकमसिंह ने बड़ा भाग के पास कंवर पाढा नामक बाग की दीवारों को हटा कर कुछ मालियों की जमीन व कुआ पर कब्जा कर लिया है ?

(4) क्या राज्य सरकार भूमि के कब्जे के आधार पर उक्त गरीबों को खातेदार अधिकार देने का विचार रखती है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जयपुर जिले में अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार

456. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर जिले में सन् 1970 से 1974 तक अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों ने अपने नाम रोजगार के लिए रजिस्टर कराये हैं ? इनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया है ? वर्ष वार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जयपुर जिले में सन् 1970 से 1974 तक अनुसूचित जाति के जिन व्यक्तियों ने नाम पजीयन कराया तथा जिनको रोजगार

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

पर लगाया गया के आंकड़े वर्षवार निम्न प्रकार हैः—

1970	1971	1972	1973	1974
2050	1826	2501	2260	2334
79	93	75	60	49

उत्तर भाग 1 में दिया जा चुका है।

उत्तर भाग 1 में दिया जा चुका है।

जयपुर जिले में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र

457. श्री केसरीमल (ब्यावर): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) जयपुर स्थित विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में कितने कारखाने फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 के तहत पंजीकृत हैं ?

(2) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में कितने कारखानों में उत्पादन कार्य आरम्भ हुआ है ?

(3) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कितने कारखाने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन पंजीकृत हैं ? कितने श्रमिक इस योजना के अधीन इन कारखानों में सदस्य हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर स्थित विश्कर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 15 कारखाने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत है।

(2) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के उपरोक्त सभी कारखानों में उत्पादन कार्य आरम्भ है।

(3) विश्कर्मा औद्योगिक क्षेत्र म्युनिसिपल एरिया के बाहर होने के कारण कर्मचारी बीमा योजना इस क्षेत्र पर अभी लागू नहीं हुई है, अतः इस योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र का कोई कारखाना पंजीकृत नहीं है।

बारां राजकीय अस्पताल

458. श्री शिवनारायण (बारां): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या बारां राजकीय अस्पताल में 50 बेड की स्वीकृति दी जा चुकी है परन्तु उक्त सुविधायें अभी तक नहीं दी जा रही हैं ?

(2) यदि हां, तो क्यों ? सरकार कब तक यह सुविधा देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, एवं बारां अस्पताल में स्वीकृति के अनुसार सारी सुविधायें उपलब्ध हैं।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजस्थान रोडवेज कॉर्पोरेशन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती

459. श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) राजस्थान रोडवेज कॉर्पोरेशन में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? इनमें शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब के लोगों की संख्या कितनी है ?

(श्री केशरीमल)

(2) कॉर्पोरेशन में सन् 1972-73-74 और फरवरी 75 तक कुल कितने आदमी नये भर्ती किए गये ? इनमें शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब जाति के कितने लोग भर्ती किये गये ? क्या ये संख्या 28 पर्सेंट के कोटे को पूरा करती है ? यदि नहीं तो, क्या कार्पोरेशन में आयन्दा भर्ती के समय इस कोटे को पूरा कराया जावेगा ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अपंग लोगों को राजकीय सहायता

460. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में कितने अपंग लोगों को सरकार की ओर से सहायता मिल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में 1689 अपाहिज लोगों को पेन्शन की सहायता मिल रही है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांव देवपुरा (सराड़ा) में धरती धन कम्पनी की खदान पर काम करने वाले मजदूर

461. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा, गांव देवपुरा में धरती धन कम्पनी की सोपस्टोन की खदान पर सन् 1973,74,75 के वर्षों में कितने मजदूरों ने काम किया व अब तक कितने काम कर रहे हैं ?

(2) क्या उक्त तीन वर्षों में लेबर इन्सपेक्टर तथा किसी अधिकारी ने यह जांच की है कि धरती धन कम्पनी के खदान पर कार्य करने वाले मजदूरों को लेबर नियम के अन्तर्गत चुकारा कम्पनी कर रही है ? यदि हां, तो तीन वर्षों के अन्दर किन तारीखों में लेबर को चुकारा किया गया और कितनी धनराशि चुकायी गयी ?

(3) क्या यह सही है कि धरती धन कम्पनी के पास सन् 1973,74 एवं 1975 के वर्षों में काम करने वाले मजदूरों की हाजरी रिकार्ड रखा गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में कितने मजदूरों ने काम किया व कितने मजदूर काम छोड़कर चले गये ?

(4) क्या धरती धन कम्पनी के खदान पर जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनका रिकार्ड लेबर विभाग में है ? यदि हां, तो उक्त तीन वर्षों की नामावली की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

खान में वेतन अदायगी अधिनियम, 1936 को लागू करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग की है अतः यह प्रश्न राज्य सरकार के दायरे में नहीं आता। खान में कार्य कर रहे श्रमिकों का रिकार्ड आदि का निरीक्षण भी केन्द्र सरकार के श्रम निरीक्षक करते हैं। अतः जो जानकारी इस प्रश्न में चाही गई है यह श्रम विभाग में उपलब्ध नहीं है।

भिक्षावृति से छुटकारा

462. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने व्यक्ति भिक्षावृत्ति पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं? इनमें से गत दस वर्षों में सरकार ने कितने लोगों को भिक्षावृत्ति से छुटकारा दिलवाया और अब वे क्या-क्या कार्य कर रहे हैं?

(2) क्या सरकार किसी ऐसी तिथि की घोषणा करने में सक्षम है, जिस तिथि से राज्य में एक भी व्यक्ति भिखारी न रहेगा?

उत्तर

(1) सन् 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में भिक्षुकों और आवारा व्यक्तियों की संख्या 50,551 है। सन् 1963 से 1974 तक 1,357 भिक्षुकों को भिक्षावृत्ति से छुटकारा दिलवाया है। इन पुर्नवासित भिक्षुकों में से 14 सरकारी सेवाओं, 28 प्राईवेट नौकरी, 34 निजी धन्धों व 552 अपने स्वयं के परिवार तथा 729 स्वेच्छा से विभिन्न धन्धों में लगे हुए हैं।

(2) राजस्थान में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से 1967 में अजमेर और पुष्कर नगरों के लिये एक पाईलेट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया जिसे 1969 में जयपुर तथा 1973 में उदयपुर नगरों में विस्तृत किया गया। इस योजना के अधीन जयपुर, अजमेर और उदयपुर में सेवा सदन और अजमेर में उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इनका उद्देश्य भिक्षुकों को सामाजिक स्तर पर भिक्षावृत्ति छोड़ने के लिये तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण और सामाजिक सहायता के माध्यम से पुर्नस्थापित करना है लेकिन जिस तिथि से राज्य में एक भी व्यक्ति भिखारी न रहेगा, यह बताना सम्भव नहीं है।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के परिवारों को भूमि

463. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में आज तक कितने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के परिवार भूमिहीन हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अन्दर रहने वाले उक्त परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त परिवारों को मकान बनाने के लिये धन राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने विशेष अभियान आवासीय भू-आवंटन का 6 दिसम्बर 74 से 26 जनवरी, 1975 तक चलाकर 5,53,363 आवासीय भू-खण्ड आवंटन

(समाज कल्याण मंत्री)
किये। सूची जातिवार एवं जिलेवार संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) राज्य सरकार इस वर्ष ऐसे लोगों को मकान बनाने हेतु गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से 6 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने के प्रयास कर रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की कम्पनी के खातों से आय

464. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की कम्पनी के खातों के झामर कोटडा रॉकफासफेट खाते में किस किस वर्ष में कितनी आय हुई ?

(2) उक्त कम्पनी द्वारा अब तक किस किस वर्ष में कितने कितने रॉकफासफेट का उत्खनन, ग्राईन्डिग व ट्रांसपोर्टेशन किया गया और इस कार्य में उत्खनन, ग्राईन्डिग व ट्रांसपोर्टेशन पर प्रति टन की दर से कितना कितना खर्च हुआ है ?

उत्तर

(1) वर्ष	आय
1970-71	रु. 64 19,008.40
1971-72	रु. 91,62,986.77
1972-73	रु. 75,56,999.34
1973-73	रु. 86,03,592.75

(2) उत्खनन

वर्ष	उत्खनन	दर प्रति टन
1970-71	1,87,663 एम.टी.	रु. 31.13
1971-72	2,23,087 " "	रु. 39.19
1972-73	1,88,184 " "	रु. 42.29
1973-74	1,16,893 " "	रु. 71.51

ग्राईन्डिग क्रशिंग

	मात्रा	
1970-71	1,87,663 एम.टी.	रु. 8.00
1971-72	2,23,087 " "	रु. 7.00
1972-73	1,88,984 " "	रु. 7.00
1973-74	1,16,893 " "	रु. 4.00

ट्रान्सपोर्टेशन

1970-71	1,64,269 एम.टी.	रु. 21.00
1971-72	2,20,202 " "	रु. 17.00
1672-73	1,88,175 " "	रु. 16.00
1973-74	1,09,720 " "	रु. 11.00

नोट:—वर्ष 1974-75 में फरवरी, 1975 अन्त तक कम्पनी की आय रु. 2,20,85,333.58 की हुई तथा 3,63,848 मैट्रिक टन रॉक फासफेट उत्खनन किया गया।

पंचायत समिति बिलाड़ा द्वारा राष्ट्रीय रक्षा पत्र हेतु की गई वसूल राशि

465. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बिलाड़ा द्वारा वर्ष 1965, 1966

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
व 1967 में पचायत समिति द्वारा वितरित ऋण में से 5 प्रतिशत ऋण प्राप्तकर्त्ताओं से 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्र हेतु वसूल किया गया ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों से किन किन तारीखों को कितना कितना रुपया किन किन व्यक्तियों ने वसूल किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि किन किन तारीखों को डाकखाने में 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षापत्र हेतु किन किन के द्वारा जमा कराई गई व उनके रक्षा पत्र किन किन तारीखों को जारी करवाये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि वसूल करने के कई महिनों तक डाकखाने या सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्या इस तरह इतने लम्बे अर्से तक उक्त राशि वसूल कर्त्ताओं ने अपने निजी काम में लेकर खयानत का जुर्म किया ! यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर के रामलीला मैदान में चार दीवारी तथा रंगरंच बनाने की योजना

466. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर के रामलीला मैदान में पक्की चार दीवारी तथा रंगमच बनाने की क्या योजना है ? मय नक्शे सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस निर्माण कार्य में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ? यह निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा तथा किस अवधि तक पूरा हो जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष की जनवरी में यहां गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी का आयोजन होता है तथा अक्टूबर में रामलीला।

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व रंगमंच व प्रस्तावित रंगमंच का उपयोग में दोनों ही आयोजन में अधिकाधिक होता है ?

(5) क्या यह उचित नहीं है कि इन दोनों ही आयोजनों के संयोजकों को प्रस्तावित निर्माण में अपनी राय देने के लिए बुलाया जाय ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(6) क्या राज्य सरकार रामलीला मैदान मे कोई फव्वारा चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक बन जायेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर रामलीला मैदान में पक्की चार दिवारी तथा रंगमंच बनाने की योजना पर मुख्य नगर नियोजक ने दिनांक जुलाई, 74 को अनुमोदन किया है। जिसमें कुछ संशोधन करने के लिए पुन: मुख्य नगर नियोजक की राय हेतु भेजी गई है। योजना अभी मुख्य नगर नियोजक के यहां विचाराधीन है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) तकनीकी अनुमोदन प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ हो जावेगा तथा इसके समाप्त होने में लगभग 6 माह का समय लगेगा।

(3) जी हां।

(4) जी हां। वैसे यह एक सार्वजनिक स्थान है एवं यहां पर समय समय पर कई कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं।

(5) जी नहीं। प्रस्तावित निर्माण कार्य एवं तकनीकी कार्य है जिस पर यह तकनीकी वास्तुशिल्प विशेषज्ञों की राय ही ली जानी चाहिये जो ली जा रही है।

(6) जी नहीं।

उदयपुर में आवासीय भू-खण्डों का बेचान

467. श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जह सही है कि उदयपुर में सूरजपोल से उदयापोल जाने वाली सड़क पर आवासीय भू-खण्ड शहर कोट को छोड़कर बेचे गये थे? यदि हां, तो किन किन को? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्ड मालिकों ने अपने मकानात बनाते समय उक्त शहर कोट पर भी नाजायज कब्जा कर उन पर खिड़कियां, दरवाजे और गन्दे पानी के नाले के पास के कब्रिस्तान की तरफ रख दिये हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शहर कोट को तोड़ा जाकर मलवा भी पास की कब्रों पर डाल दिया गया है।

(4) क्या यह सही है कि इन नाजायज हरकतों की शिकायतें मुस्लिम वक्फ कमेटी एवं तन्जमी कमेटी उदयपुर की ओर से जबानी और पर्चों द्वारा जिलाधीश एवं नगर विकास प्रन्यास को भी की गई? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) भू-खण्ड संख्या 8, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 29 एवं 31 के मालिकों ने स्वीकृत प्लान के विरुद्ध अथवा शहर कोट को काम में लेते हुए निर्माण किया है।

(3) कुछ मकान मालिकों द्वारा तोड़ी गई शहर पनाह का कुछ मलबा शहर के पास क्रब्रिस्तान के अन्दर पड़ा हुआ है। कब्रों पर कोई मलबा नहीं पड़ा हुआ है।

(4) मुस्लिम वक्फ द्वारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। सम्बन्धित मकान मालिकों के विरुद्ध प्रन्यास अधिनियम की धारा 90 एवं नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के अन्तर्गत नोटिस दिये जाकर कार्यवाही जारी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

पंचों, सरपंचों, प्रधानों के विरुद्ध शिकायतें

468. श्री जयकिशनलाल तोसवाड़ा (फागी) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किन किन पंचों, सरपंचों, प्रधानों, जिला प्रमुखों के खिलाफ शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष कब कब से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार उक्त शिकायतों का कब तक निपटारा कर देगी ?

(3) किन किन पंचों व सरपंचों का 1972 से अब तक किस किस पंचायत के कार्यभार से मुक्त कब कब किया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) किन किन पंचों व सरपंचों को 1972 से अब तक अयोग्य घोषित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

सीकर जिले में पंच, सरपंच, प्रधान के रिक्त पद

469. श्री नारायणसिंह चौधरी (दांता रामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में पंच, सरपंच, उप-सरपंच व प्रधानों के कितने स्थान कितने कितने समय से रिक्त हैं ? पंचायत वाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(2) क्या जिले में ऐसी पंचायतें तथा पंचायत समितियां भी हैं जिन में प्रधान, उप-प्रधान व सरपंच, उप-सरपंच के पद रिक्त हैं ? इनमें भी समय दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(1) सीकर जिले में पंच, सरपंच, उप-सरपंच एवं प्रधानों के रिक्त स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

ग्राम सांचोर में खालसा भूमि एवं आम रास्ते में अवैध कब्जा

470. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री पुखराज हस्तीमल, जीवराज पिसरान मिश्रीमल ने ग्राम सांचोर में खालसा भूमि एवं आम रास्ते में अवैध कब्जा कर अपना केबिन लगाया था ? अगर हां, तो कब व कैसे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस नाजायज कब्जे के विरुद्ध मिसल नं. 184/62, दिनांक 21-10-62 के जरिए नाजायज कब्जा हटाने की कार्यवाही ग्राम पंचायत सांचोर जिला जालौर ने की थी एवं उक्त शख्सों पर जुर्माना किया था ? अगर हां, तो, कब व कितना ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त ग्राम पंचायत के विरुद्ध पंचायत समिति सांचोर में अपील होने पर भी दिनांक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
16-1-64 को ग्राम पंचायत का उक्त फैसला कायम, पंचायत समिति, सांचोर ने रखा था एवं शीघ्र नाजायज कब्जा हटाने की आज्ञा प्रदान की थी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पंचायत समिति के विरुद्ध जिला विकास अधिकारी, जालोर के पास निगरानी करने पर भी ग्राम पंचायत सांचोर का उक्त फैसला कायम रखा गया था ? यदि हां, तो कब तथा उक्त नाजायज कब्जा उसी वक्त क्यों नहीं हटाया गया ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायत, सांचोर के कितनी ही बार लिखने पर भी अभी तक उक्त नाजायज कब्जा एवं केबिन हटाया नहीं गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त नाजायज कब्जा कब तक हटवा दिया जावेगा एवं क्या जुर्माना वसूल कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री पुखराज व हस्तीमल, जीवराज पीसरान मिश्रीलाल ने ग्राम सांचार में शिवजी के मन्दिर के दक्षिण की ओर खालसा भूमि एवं आम रास्ते पर सन् 1962-63 में अवैध कब्जा कर केबिन लगा रखा है।

(2) जी हां, पंचायत सांचोर ने मिसल नं. 184/62, दिनांक 21-10-62, को नाजायज कब्जा हटाने की कार्यवाही में दिनांक 21-10-73 को निर्णय लिया एवं अतिक्रमण करने वालों पर 11) रु. जुर्माना किया एवं सात रोज में कब्जा हटाने पर 1) रु. प्रतिदिन पैनल्टी कायम की गई।

(3) जी हां, पंचायत के निर्णय के विरुद्ध पंचायत समिति में अपील होने पर पंचायत समिति ने दि. 16-1-64 को पंचायत का फैसला कायम रखा एवं नाजायज कब्जा हटाने के आदेश दिये।

(4) जी हां, पंचायत समिति सांचोर के निर्णय के विरुद्ध दि. 3-4-64 को पुखराज मिश्रीलाल ने जिलाधीश जालोर को निगरानी पेश की जिस पर जिलाधीश, जालोर ने निर्णय दि. 31-8-64 के द्वारा सायलान की निगरानी खारीज की जाकर पंचायत एवं पंचायत समिति का फैसला बहाल रखा तथा कब्जा हटाने के आदेश दिये गये जिसकी कार्यवाही तहसील में जारी है।

(5) जी हां, पंचायत सांचोर द्वारा दि. 19-9-65 एवं 18-1-66 को तहसीलदार, सांचोर एवं दिनांक 29-9-74 को पुनः तहसीलदार सांचोर एवं अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जालोर को अवैध कब्जा हटाने हेतु लिखा गया जिस पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई परन्तु अभी नाजायज कब्जा हटाने की कार्यवाही जारी है। पंचायत द्वारा जुर्माने की राशि वसूल की जा चुकी है।

अनुसूचित जाति की गृह निर्माण सहकारी समितियां

471. श्री रावतराम आर्य (छापर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अनुसूचित जाति की कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों को

(श्री रावतराम आर्य)
कर्जा दे दिया गया है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) चूरू जिले की किन किन गृह निर्माण सहकारी समितियों का कर्जा दे दिया गया है और कितनी समितियों का पंजीकरण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) सहकारी समितियों के नियमों का सरलीकरण करने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति की 400 गृह निर्माण सहकारी समितियों को राजस्थान स्टेट कोआॅपरेटिव हाऊसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि., जयपुर द्वारा ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इनमें से 178 समितियों को धनराशि वितरित की जा चुकी है। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) चूरू जिले की जिन जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण दे दिया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। चूरू जिले में 48 गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीकरण हुआ है इनकी भी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सहकारी समितियों के नियमों के सरलीकरण करने के बारे में कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड़ जिले की ग्राम सहकारी सभाओं में गबन के मामले

472. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सहकारी सभाओं के पेड सेक्रेट्री, सहायक निरीक्षक, ऋण, निरीक्षक आदि कर्मचारियों की नियुक्तियां कोआॅपरेटिव सेन्ट्रल बैंक द्वारा की जाती है ?

(2) जिन-जिन ग्राम सहकारी सभाओं (जिला झालावाड़) में गबन के केस पाये गये उन पेड सेक्रेट्रियों व दीगर कर्मचारियों के खिलाफ सेन्ट्रल बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ? कृपया उन सह-सभाओं की सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करियेगा जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि गबन वाली सहकारी सभाओं के पेड सेक्रेट्रियों की नियुक्ति देने का अधिकार सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक को है ? यदि हां, तो इन सेक्रेट्रियों को क्यों नहीं हटाया गया ?

(4) किन-किन सहकारी सभाओं में गबन के मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई अगर नहीं तो क्यों नहीं ? बैंक द्वारा गबन रोकने के लिए क्या प्रभावशाली कार्यवाही की गई ?

(5) क्या ऐसे केस भी जिला झालावाड़ में प्रकाश में आये है कि जिनमें बैंक कर्मचारियों की देखरेख में ही गबन हुआ ? यदि हां, तो एसे कर्मचारी कौन - कौन है? जिनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(6) सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, झालरापाटन द्वारा रखे हुए सचिव, सहायक निरीक्षक एवं ऋण निरीक्षक के द्वारा की गई अनियमितताओं गबन, आदि के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार सहायक रजिस्ट्रार, झालावाड़ को है या नहीं ?

(7) जिन-जिन सहकारी सभाओं में गबन हो चुका उनका ऑडिट विभाग द्वारा या सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा कब करवाया गया ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(8) ग्राम सहकारी सभा मनयसरयोडिया, खेड़ी, बनेट, सलोतीया, छछलाव ओड़िया गरनावट आदि के केस (गबन) पुलिस को दिये गये हैं ? इनकी क्या प्रगति है ।

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पेड सेक्रेट्रियों (व्यवस्थापकों) की नियुक्ति संबंधित नियमों के अन्तर्गत चयन कमेटी द्वारा चयन की जाकर बैंक द्वारा की जाती है । सहायक निरीक्षक की नियुक्ति सहकारी विभाग द्वारा का जाती है । ऋण निरीक्षक की नियुक्ति बैंक द्वारा तथा इस पद पर प्रतिनियुक्ति विभाग द्वारा को जाती है ।

(2) जिन-जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन के केस पाये गये हैं उनमें की गई कार्यवाही का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने पेड सेक्रेटियों (व्यवस्थापकों) की नियुक्ति करने का अधिकार बैंक को है । 41 दोषी व्यवस्थापकों में से 30 व्यवस्थापकों को हटाया जा चुका है, 3 निलम्बित हैं, 8 व्यवस्थापकों के विरुद्ध अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । निर्णय होने के पश्चात उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

(4) सलावद ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. एवं ओडिया खेड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के गबन के मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई जा चुकी है । समस्त 41 सहकारी समितियों में जिनमें व्यवस्थापकों द्वारा गबन करना पाया गया है, सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के तहत कार्यवाही जारी है और इनमें से 30 व्यवस्थापकों के विरुद्ध अन्तिम फैसला दिया जा चुका है जिनमें से 28 व्यवस्थापकों के विरुद्ध कुर्की वारन्ट भी जारी किया गया है । शेष 2 के विरुद्ध अपील चलने के कारण अभी कुर्की वारन्ट जारी नहीं किया गया है । अन्य 11 मामलों में भी धारा 74 के तहत सुनवाई जारी है । बैंक द्वारा गबन की रोकथाम हेतु यह निर्देश जारी कर दिये गये है कि व्यवस्थापक, अध्यक्ष, मंत्री, खजांची अधिक नकद रकम हाथ में नहीं रखें तथा क्षेत्रीय स्टाफ को भी सहकारी समितियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने हेतु आदेश दिये गये है ।

(5) जी नहीं ।

(6) सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक झालरापाटन के द्वारा रखे हुए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार बैंक के अधिशासी अधिकारी को है । सहायक रजिस्ट्रॉर, सहकारी समितियां, झालावाड़ सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 41 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है ।

(सहकारिता मंत्री)

(7) जिन-जिन सहकारी संस्थाओं में गबन हुआ है उनका ऑडिट वर्ष 1972-73 तक का हो चुका है एवं वर्ष 1973-74 का ऑडिट अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ऑडिट समस्त संस्थाओं का सहकारी विभाग द्वारा ही प्रतिवर्ष करवाया जाता है। सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा कोई ऑडिट नहीं करवाया जाता है।

(8) ग्राम सेवा सहकारी मनयसर और ओडियाखेडी के ही केस पुलिस में दिये गये हैं। मनयसर के केस में पुलिस के स्तर पर जांच जारी है और ऑडियाखेड़ी समिति के केस में पुलिस द्वारा एफ. आर. लगा दिया गया है। शेष समितियों के केस अभी तक पुलिस में नहीं दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

पंचायत समितियों द्वारा किसानों को ऋण

473. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों द्वारा ग्रामीण किसानों को जो ऋण दिया जाता है उसमें मूल धन से अधिक ब्याज की राशि वसूल की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कानूनन मूलधन से अधिक, राशि ब्याज की नहीं ले सकते ? यदि हां तो क्या ऐसे आदेश पंचायत समितियों को प्रसारित किये जायेंगे ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-75)

बीकानेर जिले की पंचायत समितियों द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

229. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बीकानेर की पंचायत समिति के और जिला परिषद् द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति में संविधान के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों को लिया जाता है ? कृपया जिला परिषद् बीकानेर की जिला परिषद् के अन्तर्गत पाठशालाओं में काम करने वाले समस्त अध्यापकों की मय नाम, पते व जाति के सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों में जो नियुक्ति जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों द्वारा आज तक की गई है उनमें कर्मचारियों को पक्षपात से प्रेरित होकर अनुसूचित जाति एवं जन जाति का बहिष्कार किया गया है ? यदि नहीं, तो जिला परिषद् एवं चारों पंचायत समितियों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सूची उनकी नियुक्ति की तिथि, नाम व पूरा पता जाति आदि का समस्त विवरण देते हुए सदन की मेज पर रखी जाये।

(3) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के हकों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

Page No 49

(५९)

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां । जिला बीकानेर की पंचायत समितियों के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के नाम पते व जाति की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं । जिला बीकानेर की पंचायत समितियों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सूची उनके पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-75)

पंचायत समिति पदमपुर व रायसिंहनगर क्षेत्र में क्रेश प्रोग्राम

231. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति पदमपुर व पंचायत समिति, रायसिह नगर क्षेत्र के कितने ऐसे गांव है जिन्होंने क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत पक्के खाले बनाये जाने हेतु रकम जमा करवाई थी लेकिन उनके खाले पक्के नहीं बनाये गये ? अब कब तक पक्के खाले बना दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह सच है कि चक 4 पी. एस. एवं 4 पी. एस. ए. व पी. एस. पी. पंचायत ससिति, रायसिहनगर ने 16 व 22 हजार रुपये दोनों गांवों के काश्तकारों से जमा करवा लिये हैं और इसी तरह चक 40 आर. बी. ने पंचायत समिति, पदमपुर में 6 हजार रुपये जमा करवा दिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-75)

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

253. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 1972 से आज तक किन-किन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराया गया है ? कृपया इन योजनाओं के ग्रामों के नाम एवं स्वीकृत धनराशि तथा कार्य की प्रगति से अवगत करावें ?

(2) क्या यह सच है कि जनता द्वारा अंशदान के रूप में 25,00), 2500) या इससे अधिक राशि 1 अप्रेल, 1972 के पश्चात जमा कराई गई है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों की जनता, पंचायत द्वारा जमा कराई गई है तथा कब-कब यह योजनायें स्वीकृत की गई हैं ? स्वीकृति करने में क्या-क्या माप दण्ड रखा गया है ?

उत्तर

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 72 से आजतक स्वीकृत की गई ग्रामीण जलप्रदाय

(50)

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
योजनाओं की सूची मय स्वीकृत धनराशि एवं कार्य प्रगति विवरण के संलग्न है।

(2) जी हां सूची संलग्न है। जल-प्रदाय योजनाएं ग्राम की आवश्यकता एवं धनकी उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 19 व 20 मार्च को रामद्वारा ग्राम विराई तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के महन्त श्री जुगतीराम की मृत्यु पर हुए मृत्यु भोज और उनकी सम्पत्ति को खुर्द बुर्द किये जाने के विषय में। जहां तक मृत्यु भोज का सम्बन्ध है इस विषय पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

2. श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 19 मार्च को उदयपुर सीमेंट वर्क्स के समीप दारोली माइन्स पर प्रबन्धकों और श्रमिकों द्वारा आपस में मारपीट किये जाने के विषय में।

3 श्री मीठालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में टायर ट्यूब आदि पर राशनिंग व्यवस्था के समाप्त होने के कारण उनके ब्लेक मार्केट में चले जाने के विषय में।

4. श्री अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में गत 15 दिनों से चल रहे दूध विक्रेताओं के धरने व आन्दोलन के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

5. श्री गुमानमल लोढ़ा श्री केदार नाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री चिम्मनसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की मृत्यु जिलाधीश, अजमेर के अभद्र व्यवहार के कारण हुई, इस विषय में। इसी विषय पर प्राप्त एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

6. श्री भोमाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से समय पर पानी नहीं मिलने के कारण डीडवाना तहसील के पूरे सर्किल में गेहूं, जौ व सरसों की फसल नष्ट हो जाने के विषय में।

7. श्री वेगाराम चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील रायसिंह नगर में फसल अच्छी नहीं होने के कारण हरिजनों को अलॉट की हुई जमीन खारिज का जा रही है, इस विषय में।

8. श्री मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के सरकारी अस्पताल में दवाइयों और पट्टियों की

(श्री अध्यक्ष)
व्यवस्था नहीं है, इस विषय में । सदन में हाल ही में स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी बजट की मांगों पर चर्चा हो चुकी है ।

चूंकि ये प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

9. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री, मोहम्मद गफ्फार अली व निरंजननाथ आचार्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के प्राध्यापकों द्वारा यू. जी. सी. के ग्रेड न मिलने के कारण 24 मार्च से आन्दोलन और 26 मार्च से धरने के कार्यक्रम के विषय में । इसी सत्र में इसी विषय पर पहले भी स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उन पर चर्चा की जाकर सरकार की ओर से उत्तर भी दिया जा चुका है । अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सारे राजस्थान के अन्दर हमारे राजस्थान के शिक्षक वेतनमान के मामले को लेकर विधान सभा के बाहर प्रदर्शन करने आये ...

श्री अध्यक्ष : इस पर हाउस में काफी डिस्कशन्स हुए हैं, जो संक्षेप में कहना चाहें कह दीजिये, सारी हिस्ट्री रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आज जो परिस्थितियां बिगड़ रही हैं उसको देखते हुए, मेरा यह कहना है कि यह एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके वेतनमान के बारे में युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने स्वीकार कर लिया है, आज राजस्थान सरकार को उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1979 तक उसका 80 प्रतिशत भार भारत सरकार वहन करेगी । फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार उसको वहन करने में क्यों हिचकिचाहट करती है क्योंकि राज्य सरकार को इसका विशेष भार वहन नहीं करना पड़ेगा । भारत सरकार इस भार को वहन करने जा रही है और उसके साथ-साथ अन्य राज्यों में भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, उस समय हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने एक बात कही थी, मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है और अन्य 6 राज्यों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में इस तरह की व्यवस्था न हो और शिक्षक लोग प्रदर्शन करने आयें, यही बात नहीं है, परीक्षाओं का भी बहिष्कार होगा और छात्र संघर्ष में पड़ गये तो उस संकट की कल्पना नहीं की जा सकती है कि उस समय राज्य की क्या परिस्थिति हो । दूसरी बात अध्यक्ष महोदय हमारे जो आज अफिलियेटेड कॉलेज हैं उन कॉलेजों के अन्दर भी शिक्षकों के वेतनमान वैसे ही रखे जायं जैसे कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और रीडरों वगैरह के होते हैं । मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में अपने विचारों को बदल कर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे । नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार सोच रही है कि वह ऐसे आन्दोलन को कुचल देगी और परीक्षाओं को ऐसे चलायेंगे जिनमें पुलिस वाले इन्वीजीलेटर्स होंगे और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सब

Page No 52

(52)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

कुछ होगा। मैं आसन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पुलिस वालों को परीक्षाओं में इन्वीजीलेटर बनायेंगे तो पुलिस वालों से स्वयं का पुलिस विभाग तो सम्भलता ही नहीं है, लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था तो कर ही नहीं पा रहे हैं और मजिस्ट्रेटों के भरोसे परीक्षा भवनों की रखवाली करेंगे तो इस तरह से आप परीक्षाएं नहीं चला सकते हैं। इसलिए आप इस तरह का विचार न करें और शिक्षकों की मांगों पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और इनके वेतनमानों को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार करे। इस पर राज्य सरकार का अधिक आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला है। अभी माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हम साउण्ड फुटिंग पर हैं तो क्या हम आशा करें कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारी भावी पीढ़ी को बनाने वाले हैं, उनके वेतन-मानों को यू. जी. सी. ने स्वीकार कर लिया है, यूनिवर्सिटीज के प्राध्यापकों के समान करने के लिए, आप उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले संकट का आप सामना कर सकेंगे और वित्तीय संकट भी बच जायगा, अन्यथा दूसरे ढंग से वित्तीय संकट उपस्थित हो जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय अन्यथा उनका धरणा कायम रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा कि जो प्राध्यापकों का जलूस आया उस जलूस को माननीय रामानन्द जी, मोहम्मद गफ्फार अली, श्री गुमानमलजी लोढ़ा और प्रोफेसर केदार और मैंने संबोधित किया। मैंने राज्य सरकार से इस संबंध में सान्निध्य स्थापित किया था और राज्य सरकार मानती है कि प्राध्यापक आन्दोलन करेंगे तो इससे स्थिति बिगड़ेगी? यह एक नीति का प्रश्न है, उनको घोषणा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यू. जी. सी. के वेतनमानों को माना है और इसको मानने में उन्होंने यह गौरव अनुभव किया है। अध्यक्ष महोदय डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के कल्याण की दिशा में यह पब्लिसिटी एक विज्ञापन के रूप में की गई है, प्राध्यापकों के हित के लिये यह कदम उठाया है—1 जनवरी, 1973 से राज्य कर्मचारियों को देय सभी मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया है उसी तिथि से नये यू. जी. सी. वेतनमान भी माना है। विज्ञापन में पढ़ता हूं जो इस प्रकार है। 1 अप्रेल, 1975 से वेतन का भुगतान सरकारी एजेन्सी के माध्यम से करने का निश्चय। कठिनाइयों के हल के लिये शिक्षक समस्या निवारण समिति गठित। अव्यवस्थित कॉलेजों में अध्यापकों के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकृत प्रबंधक नियुक्त नये संकाय और नये विषय खुलते ही अनुदान प्राप्त कॉलेजों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता। देश का, भारत को नयी पीढ़ी पर, नयी पीढ़ी के निर्माण का दायित्व।

श्री अध्यक्ष : क्या पढ़ रहे हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विज्ञापन।

श्री अध्यक्ष : विज्ञापन थोड़े ही पढ़ा जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पढ़ लिया अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप तो भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आप ही से मार्ग दर्शन ले रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह विज्ञापन देकर, यू. पी. सरकार ने गौरव अनुभव किया हैं। युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के वेतनमान मान कर सहूलियतें शिक्षकों को दी गयी हैं। इसी प्रकार से पंजाब ने भी यू. जी. सी. स्केल को मान लिया है। बंगाल और गुजरात भी यू. जी. सी. स्केल्स कर रही हैं। नीति के प्रश्न पर एक होते जा रहे हैं।

इस सम्बंध में मुख्य मंत्री जी से बात की थी। शिक्षा मंत्री जी से भी बात की थी। वे स्वयम् चिन्तित हैं। अध्यापक कहीं ट्रेड यूनियनिस्ट न हो जायं। उनमें ट्रेड यूनियन की भावना नहीं आनी चाहिये। यहां के प्राध्यापक भी चिन्तित हैं। राज्य सरकार को इस बेचैनी से बचाने के लिये सुझाव देना चाहता हूं। यदि प्राध्यापकों के वेतनमानों के प्रश्न को शीघ्र हल नहीं किया गया है तो सारे राजस्थान में ला एण्ड ऑर्डर का प्रश्न हो कर जनता के मानस की विकृति का प्रश्न बन जायगा।

सभी प्रान्तों ने नीति का प्रश्न माना है। आप भी नीति का प्रश्न मान लीजिये और स्वीकार कर लीजिये कि यू. जी. सी. की स्केल को आप स्पष्ट बतायें और इसको एक नीति के रूप में आप स्वीकार करते हैं या नहीं। स्वीकार करते हैं तो इसकी कार्यान्विति भी होगी या नहीं अभी पैसा नहीं है तो दो तीन महीने के बाद क्रियान्वित करने के बारे में सदन को विश्वास करा दीजिये।

शिक्षा मन्त्रीजी आ गये हैं। वे नीति के प्रश्न को स्वीकार करेंगे और उसके बाद क्रियान्विति के प्रश्न पर आगे विचार करेंगे। अन्यथा 28 तारीख को उनकी ओर से घरना होने वाला है और आगे कार्यक्रम आन्दोलन का होने वाला है। अतः राजस्थान जन आक्रोश की विभीषिका से बच सके इतना ही मुझे कहना है।

श्री खेत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय ....

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सब ही बोलेंगे तो काफी समय हो जायगा। यह जरूरी नहीं है कि सब ही बोलें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मेरा निवेदन यह है ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : भारत सरकार जब 80 प्रतिशत खर्चा वहन कर रही है तो इसमें राज्य सरकार को क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि यह एक ऐसा मामला है जिस विषय पर कांग्रेस की बैन्चेज और कम्यूनिस्ट बैन्चेज के लाग सहमत हैं और यह उचित मांग मानते हैं कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने जो वेतनमान की सिफारिश की है वह उनको दी जाय। 80 प्रतिशत तो यू. जी. सी. वाले दे रहे हैं। आपको तो 20 प्रतिशत ही देना है।

श्री अध्यक्ष: श्रीफली कहिये ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आधार कायम किये थे । दूसरे पक्षों को शिकायत पैदा होगी, आर. ए.एस., आई.ए.एस. कठिनाइयां पैदा करेंगे । मैंने निवेदन किया था और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिये सुविधायें हैं आर. ए. एस. आई. ए. एस ऑफिसर्स को कितनी एमिनीटीज हैं क्या हमारे प्रोफेसर और लेक्चरार्स को उतनी है ? न उनके लिये हम अच्छे मकानात प्रोवाइड कर रहे हैं, न उनके पास चपरासी है, न कार है, न और कोई उनको सुविधा है । ऐसी सूरत में यह मुकाबला करना और यह कहना गलत चीज है और कोई आधार नहीं है सिवाय यह कहना चाहें कि दूसरे लोगों को भी देंगे ।

श्री अध्यक्ष : बहस का विषय है ही नहीं यह इतना ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : ऐसा विषय है कि जिसको पांच सूबों ने माना है । तस्लीम कर लिया हैं । आपकी पोजिशन अच्छी हो चुकी है । उपूलन आप इसको सही मानते हैं आप कहते हैं कि विचाराधीन है । आपने जो विचार किया, उसको स्पष्ट रूप में बताये कि नीति के तौर पर सही मानते हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष: काफी हो गया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : भारतीय इज ग्रोन लेग्स ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : तो आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिये । उन्होंने आज यहां पर डिमोन्स्ट्रेशन किया आगे और कदम उठायेंगे । धरना 28 तारीख को है, ऐसा कदम उठा सकते हैं, जो सैक्शन अपनी मांगों के लिये कॉन्स्टीट्यूशनल मीन्स से रखते रहे हैं, वे आज इस बात के लिये बाध्य हो रहे हैं, आपकी हठधर्मी के कारण इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं, इस कारण से उनको संघर्ष में आना पड़ा है,····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली :····इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में जो भी आपकी नीति है वह आपको स्पष्ट करना चाहिये जिससे संतुष्ट हो जाय और उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेन्ट करना है यह बाद में तय हो जाय ।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि कल इस पर स्टेटमेन्ट होगा तब इस पर विचार कर लिया जाय ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : ऐसा स्टेटमेन्ट दीजिये कि जिससे बोलने की आवश्यकता ही नहीं हो । 80 पर्सेन्ट भारत सरकार दे रही है 20 पर्सेन्ट ही का तो मामला है आपकी ओर से ।

श्री खेतसिंह : सब हालात को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेन्ट दिया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : शिक्षा मंत्रीजी, ऐसा स्टेटमेन्ट दें कि जिससे किसी को इस विषय पर आगे बोलने की नौबत ही नहीं आये ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, दूध वाले 15 दिन से यहां बाहर विधान

(श्री अजीतसिंह)
सभा के घरना दिये बैठे हैं। लेकिन सरकार उनकी मांगों के विषय में निर्णय नहीं ले पायी है। भ्रष्टाचार से दुखी होकर वे आपकी शरण में आये हैं। सरकार इसका निदान निकाले। दूध वालों को सरकारी कर्मचारी पकड़ लेते हैं। उनसे पैसा वसूल करते हैं जबरदस्ती। बेचारे गरीब आदमी हैं इसके लिये कोई तरीका निकाला जाय। हम यह नहीं चाहते हैं कि दूध में मिलावट को न रोकें। रोकना चाहिये। दूध में मिलावट नहीं होना चाहिये। लेकिन जबर-दस्ती जो टैक्स लगा रखा है, वसूल करते हैं, रिश्वत खाकर परेशान करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री गुमानमल लोढ़ा : दो शब्द निवेदन करना चाहता था।

एक माननीय सदस्य : आपतो पहले से ही तन्दुरुस्त हैं, आपको दूध की जरूरत ही क्या है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लगभग पन्द्रह दिन से यह समस्या है। विधान सभा के सामने बड़ी तादाद में दूध वाले बैठ कर घरना दे रहे हैं। पांच हजार व्यक्तियों का जलूस आया था जिसमें आस पास के काश्तकार भी थे। स्वास्थ्य मन्त्री जी से बात भी की थी। दुःख इस बात का है कि एक मानवीय समस्या है, उनकी ओर से स्पष्ट आरोप है कि डॉ. मिश्रा इन दूध वालों को लूट लूट कर खा रहे हैं, खुले आम रिश्वत ले रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि सारे के सारे प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिये तैयार हैं, एन्टी करप्शन में दे दीजियेगा, कहीं दे दीजियेगा। यह प्रकट किया है उन्होंने कि वे हजारों रुपया दे चुके हैं। उसके बाद बाध्य होकर दूध का स्तर गिरता है। दूध का चैकिंग हो, किसी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं है यूनियन है जिसमें पांच-छः हजार मेम्बर हैं, जीप रख रखी है और वे स्वयं चैकिंग करते हैं। अधिकारियों को भी कहते हैं कि चैकिंग करो।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक मिनिट।

मैं निवेदन करना चाहता था स्वास्थ्य मन्त्री जी से आपकी मार्फत मैंने पूरी जानकारी की है। यह कहा था हाउस में कि जब तक प्रमाण न दें राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। उन्होंने शपथ-पत्र नोटेरी पब्लिक से साइन करवा कर प्रस्तुत किये हैं। जिसमें स्पष्ट लिखा है अध्यक्ष महोदय जैसा मूलचन्द ने बताया है 9-3-75 को डॉ. मिश्रा ने 100 रुपये रिश्वत के लिये, भीखादास ने बताया 500 रु. रिश्वत के लिए 10-3-75 को, हनुमान सहाय ने 500 रु. रिश्वत के दिये 10-1-75 को डॉ. मिश्रा को, कल्याण सहाय ने 400 रु 9-3-75 को रिश्वत के दिये डॉ. मिश्रा को, घासी-लाल ने 150 रु. दिये 9-3-75 को

श्री अध्यक्ष : यह तो स्थगन प्रस्ताव में...

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मैं स्वास्थ्य मंत्री को इसकी कापी दे दूंगा। लेकिन ऐसे जितने शपथ-पत्र हैं और शपथ पर यह

(श्री गुमानमल लोढा)

कहा गया है कि इस प्रकार की लूट चल रही है। दो कापी हैं मेरे पास एक कापी मैं माननीय मंत्री महोदय को दे दूंगा…

(विराम)

अध्यक्ष महोदय चार हजार लोगों के सिगनिचर करके, वेरिफिकेशन करके दिया है डॉ. मिश्रा खुले आम लूट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जब इस प्रकार से इतने बड़े रिश्वत का, घोटाले का मामला सामने आता है, बार बार धरना देना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, 5 हजार के जुलूस में आये हैं—हलफनामा दे रहे हैं, दिन बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं तो मेरा निवेदन है डॉ. मिश्रा को फौरन ट्रान्सफर कर देना चाहिये और उसके सारे पावर्स ले लेने चाहिये। सारे मामले को एन्टीकरप्शन को दे देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की इमेज खराब होती है, स्वाथ्य मंत्री जी के दफ्तर की इमेज खराब होती है। अगर राज्य सरकार सक्रिय नहीं हो तो इस बात को कहते हैं कि करप्शन मिटाने में असफल रहे हैं। विधान सभा के बाहर कई दिनों से बैठे हुये हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री जी इसमें कुछ न कुछ कार्यवाही करें। मैं उनके एफेडेविट प्रस्तुत कर रहा हूं, मामले को एन्टीकरप्शन में दीजिये। एफेडेविट देते हैं तो जिम्मेदार होते हैं। जांच करवाई जाय और डॉक्टर मिश्रा को तुरन्त निलम्बित किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न आज सदन में रखा है, मैं समझता हूं कि वह इस सत्र का सबसे बड़ा गबन, घोटाला और काण्ड है। इसका सम्बन्ध खाद्य मंत्री जी से भी है और देवस्थान विभाग के मंत्री जी से भी है। अध्यक्ष महोदय जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में तहसील ओसियां में रामस्नेही सम्प्रदाय के प्रसिद्ध महन्त का 3-3-75 को कलकत्ता में स्वर्गवास हो गया और 4 मार्च को 50 हजार रुपये खर्च करके एक हवाई जहाज के द्वारा उनके शव को जोधपुर में लाया गया जिसमें बीकानेर के बहुत बड़े बड़े सेठ, कर्नल सूरजपाल सिंह और उसके बाद एक एडीशनल एस. पी. जो रोडवेज के हैं मानसिंह उन्होंने बसों की व्यवस्था की है। उनके परमिट्स मौजूद हैं और 19-20 मार्च को 20 हजार लोगों ने, 18 हजार लोगों ने इन महन्त के मृत्यु भोज में हिस्सा लिया। अध्यक्ष महोदय, यह तो खाद्य मन्त्री जी से सम्बन्धित है और रोडवेज मन्त्री महोदय से सम्बन्धित है जिसमें सैंकड़ों पुलिस के कॉन्स्टेबिल जो एडीशनल एस. पी. मानसिंह और एडीशनल एस. पी., एन्टीकरप्शन हैं जिन्होंने कॉन्स्टेबल्स की व्यवस्था की और मृत्यु भोज में वे पुलिस अधिकारी मौजूद थे जो 19 और 20 मार्च को चलता रहा। 20 हजार लोगों ने मृत्यु भोज में हिस्सा लिया है।

दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय इनकी सम्पत्ति से सम्बन्धित है। इन महन्त का यह ट्रस्ट 19-3-68 को बाकायदा रजिस्ट्रार के यहां से रजिस्टर करवाया जिसमें पांच करोड़ से अधिक की सम्पत्ति का ध्यान है और इसमें यह बताया गया है जो ट्रस्ट के 6 सदस्य हैं उनमें एक सदस्य जिसमें मरते समय उनकी मनौती करेगा, इस ट्रस्ट का अध्यक्ष होगा या इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के लिए साधू होना आवश्यक है लेकिन इस कर्नल के लड़के सुरेन्द्र को साधू बनाकर,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांण्डा)
वे कभी साधू नहीं थे आज इस ट्रस्ट का इन्चार्ज कर दिया और रजिस्ट्रार के यहां यह डीड रजिस्टर हुआ है लेकिन देवस्थान में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं है। वहां के सरपंच बक्शासिंह ने एप्लीकेशन दी है और यह कहा है जो उनका महल है विराई के अन्दर वह लाखों, करोड़ों रुपये का बना हुआ है। उस भव्य महल के लिए चन्दन की लकड़ी काम में ली गई है जिसमें लाखों, करोड़ों रुपये ये महन्त छोड़ गये हैं कलकत्ता, यू. पी. जिनका करोड़ों रुपया है जिसको कर्नल सूरजपाल सिंह ने और बीकानेर के अनेक सेठों से हस्तान्तरित कर लिया और उसको बीकानेर में शिफ्ट कर लिया है। मैं अध्यक्ष महोदय, देवस्थान के मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा रजिस्ट्रार के यहां पर यह डीड बकायदा रजिस्टर हुआ है इसके बावजूद यह ट्रस्ट देवस्थान के अन्दर क्यों नहीं लिया गया और आज जो करोड़ों रुपये की धनराशि है उसको उठाकर ले जा रहे हैं। इस प्रकार जो करोड़ों की हानि हो रही है उसके लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहूंगा एक ओर जिन्होंने 20 हजार का मृत्यु भोज किया उनको फौरन गिरफ्तार किया जाय चाहे एडीशनल एस. पी. मान हो, चाहे एन्टीकरप्शन के एडीशनल एस. पी. कर्नल सूरजपालसिंह हो उन्होंने 20 हजार का मृत्यु भोज किया है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा उनका चालान और जुडिशियरी के सामने प्रस्तुत किया जायगा। आज तक इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इनको अरेस्ट करके जुडिशियरी के सामने सुपुर्द किया जाय। दूसरे फौरन जो ऑफिसर्स सारी की सारी ट्रस्ट की सम्पत्ति को अपने अन्तर्गत ले रहे हैं, इसकी रक्षा करें और जितनी खुर्द बुर्द हुई है उसकी एन्क्वायरी करें और केस इन्स्टीट्यूट करें, यह मेरा निवेदन है अन्त में निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री महोदय से अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि वे इस सम्बन्ध में एक स्टेटमैंट दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय मैं एक ···

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी। मैंने एक कटौती प्रस्ताव उदयपुर सीमेन्ट फैक्टरी की दारोली माइन्स हैं उसमें ···

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, हांण्डा जी से सम्बन्धित मेरा भी एक प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : यह हाण्डा जी से सम्बन्ध कब से हो गया ···

एक माननीय सदस्य : ओसियां से सम्बन्धित है इसलिये।

श्री अध्यक्ष : आपके गांव के मुतालिक है क्या ?

श्री रणजीतसिंह : मैं बहुत थोड़े में निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय जो यह मसला है वह जोधपुर जिले में तहलका मचा रखा है। लाखों, करोडों की सम्पत्ति अगर देवस्थान की इस तरह हड़प जाय और कन्ट्रोल नहीं करें तो जितने भी मठाधीश हैं उनका होसला और बढ़ जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है वहां पर इतना बड़ा

(श्री रणजीतसिंह)
मृत्यु भोज हुआ है। इतनी बड़ी सम्पत्ति की देख-रेख करने वाला जो फर्जी ट्रस्ट बना हुआ है वह जनता की सम्पत्ति को लूट रहा है, गांव वालों को धोखा दिया जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है देवस्थान विभाग इस पर पूरा नियंत्रण रखे और आज भी और घोटाला होने का अन्देशा है उसको रोके और मठाधीशों की मनमानी को बढ़ावा न दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय जांच का आश्वासन तो दे दीजिये जितनी डिले होगी उतनी ही जांच में ..

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य सूरतगढ़ से आने वाले कह रहे थे यह मन्दिर देवस्थान विभाग के कन्ट्रोल में नहीं है अब सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के अन्तर्गत जो एक्ट बना हुआ है, क्या उसमें कुछ हो सकता है ? उसकी क्या कानूनी स्थिति है, यह जानकारी करेंगे उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है····

श्री मोहम्मद गफारअली : उन पुलिस वालों के खिलाफ तो एक्शन लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में श्री कमलनयन बजाज जो कि एक बड़े उद्योगपति हैं उनकी एक सीमेन्ट फैक्ट्री है और उस फैक्टरी से संबंधित दारोली माइन्स में भी इन्टक की यूनियन है और उस फैक्टरी में भी इन्टक की यूनियन है। पिछली 19 मार्च को इन्टक यूनियन ने अपनी एक आम सभा दारोली माइन्स के ऊपर करने का निर्णय किया और उसका बाकायदा प्रचार किया। जैसे ही प्रबंधकों को इस बात की सूचना मिली उन्होंने यह मीटिंग नहीं हो, उसको नहीं होने दी जाये इस प्रकार का निर्णय उन्होंने लिया और इस बात की सूचना जो उसके महा मंत्री हैं यूनियन इन्टक के मिस्टर बी. चौधरी उन्होंने वहां के एस. पी. को और कलेक्टर को लिखकर यह सूचित कर दिया कि इस तरह से हम 19 तारीख को मीटिंग करने वाले हैं और हमें अन्देशा है कि मालिकों की तरफ से इस मीटिंग में कुछ गड़बड़ी की जायेगी इसलिए इसका प्रबंध किया जाना चाहिए और इस सूचना के बाद अध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को मीटिंग के लिए वह लोग वहां गए। जब गये तो पुलिस की तरफ से ए. एस. पी. मौजूद थे और उन्होंने यह कहा कि आप अपनी मीटिंग यहां न कीजिए क्योंकि यह कम्पनी की जगह है और सड़क पर कीजिए। यह बात अनुचित थी लेकिन फिर भी इन्टक यूनियन वालों ने सड़क पर अपनी मीटिंग का इन्तजाम किया। उसमें जो क्वेरीज का गेट था उस गेट से बाहर कुछ लोग जिनका न तो क्वेरीज से ताल्लुक था और न फैक्टरी से ताल्लुक था मालिकों की तरफ से कुछ गुण्डे बुलाये और उनको फैक्टरी के लोहे के टोपे देकर सड़क के बीच में बैठा दिया गया। पुलिस उनको देखती रही। इसके बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यूनियन वालों ने कहा कि देखो यह लोग बैठे हैं इनका कोई ताल्लुक इस मीटिंग से नहीं है और यह गुण्डागर्दी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पुलिस ने कुछ नहीं कहा। 5 बजे जब छुट्टी हुई और मजदूर आने लगे तो गुण्डों के पास लोहे की जंजीरें थीं, लाठियां थीं उनसे उन मजदूरों को मारना पीटना शुरू कर दिया और जब वह चिल्लाने लगे तो उधर से यूनियन के लोग भी गये और पुलिस भी गई। इस पर वहां बहुत जबरदस्त पत्थर वर्षा कर दी। मैनेजमैन्ट की तरफ से सड़क पर पत्थर के ढेर लगाये हुए थे जिससे कि उन्होंने इस प्रकार की पत्थर वर्षा की। इस पर उन्होंने पुलिस को कहा तो पुलिस ने थोड़ी देर के बाद कहा कि अब शांति हो गई है और अब आप मीटिंग कर सकते हो। घन्टे भर के बाद जब मीटिंग करनी शुरू कर दी तो 15 मिनट के बाद फिर जबरदस्त पथराव शुरू कर दिया और पुलिस ने यह कह कर कि भीड़ बहुत ज्यादा है और हमारे बसकी नहीं है और उनके रहम पर छोड़ कर चल दी। इस पर यूनियन वाले तो मीटिंग में आये हुए थे वह उनकी तरफ बढ़े क्योंकि वह थोड़ी तादाद में थे और वह क्वेरीज के अन्दर भाग गए दो मजदूर इन्टक यूनियन के सख्त घायल हुए और कितने ही मजदूर घायल हुए। पुलिस ने इन लोगों को अस्पताल में भेजा।

अध्यक्ष महोदय, इतना होने के बावजूद पुलिस की तरफ से मैनेजमेन्ट के गुण्डे बुलाये हुए थे। 6 आदमियों को गिरफ्तार किया लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उनको छोड़ दिया और यूनियन के 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी गिरफ्तारियां जारी हैं। मैनेजमेन्ट ने बीसियों कार्यकर्त्ता जो कि यूनियन के हैं उनको नौकरी से निकाल दिया है और इस तरीके से जबरदस्त टेंशन वहां पैदा हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि साफ तौर से मजदूर यूनियन की तरफ से पहले से अपनी जो डेमोक्रेटिक राइट मीटिंग करने का है उसकी सूचना गवर्नमेंट को, जिलाधीश को, एस. पी. को दे दी। उसके बावजूद उनकी कोई रक्षा नहीं की गई। मैनेजमैन्ट ने जानबूझकर गुण्डों को बुलाया और बुलाकर पिटाई करवाई। इसके बावजूद पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा और मजदूरों को उनके रहम पर छोड़ दिया। इसका साफ मतलब है कि पुलिस वहां के मैनेजमैन्ट से पूरी तरह मिली हुई है और यूनियन के ऊपर गुण्डों के जरिये इस तरीके से आतंक फैलवाती है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटना यह कोई राजस्थान में पहली नहीं है। उदयपुर डिवीजन में ही इससे पहले चित्तौड़ की घटना हम इसी सदन में सुन चुके हैं। आज हिन्दुस्तान के बड़े मोनोपोलिस्ट्स हैं श्री बिड़ला, उनका वह कारखाना है। वहां भी यही तरीके अपनाये गये। वहां की जो यूनियन है उसके खिलाफ गुण्डों को इकट्ठा करके उनके ऊपर अटेक करवाया गया और जब मीटिंग की जाती थी ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ही कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दफा 144 लगा दी गई और मीटिंग नहीं करने दी। तो मेरा यह निवेदन करना है कि आज हिन्दुस्तान के जो भी मोनोपालिस्ट्स हैं उनकी प्रोडेक्शन बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है। वह प्रोडेक्शन को गिराना चाहते हैं। आज यूनियन हड़ताल नहीं करना चाहती है लेकिन उसके बावजूद भी आज इस तरह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की कन्डीशन्स पैदा करते हैं और गुण्डों को बीच में बुलाकर यूनियन को तोड़ना, लोगों को नौकरियों से निकालना और इस बहाने से कारखाने बन्द करने की कार्यवाही अपना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इससे गम्भीर बात यह है कि यूनियन की तरफ से मिस्टर बी. चौधरी जो कि इन्टक के महामंत्री हैं और जिसके श्री बृजसुन्दर शर्मा अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि गवर्नमेन्ट को, चीफ मिनिस्टर को, श्रम मंत्री को तमाम सूचना दे दी गई। इसके बावजूद अभी तक उन गुण्डों के खिलाफ या मेनेजमेन्ट के खिलाफ जिन्होंने यह षड़यंत्र रचा और सारी कार्यवाही की है उनके खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल इन्टक का ही नहीं है…

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं लेकिन यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस रूप में अध्यक्ष महोदय कि इन्टक उस पार्टी से संबंधित जन संगठन है जिस पार्टी के हाथ में सत्ता है। आश्चर्य की बात है कि वह सत्ता और कांग्रेस आज मोनोपालिस्ट्स का साथ दे रही है, मिल मालिकों का साथ दे रही है और वही मजदूर जो कि उनके इलेक्शन में मदद करते हैं हर तरह से उनका साथ देते हैं आज उनके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रूप में अध्यक्ष महोदय, आज हम बारबार यह कहते हैं कि आज कांग्रेस में दो सेक्शन्स हैं एक तो वह जो मजदूरों का साथ देने वाला है और दूसरा वह सेक्शन है जो कि मोनोपालिस्ट्स का साथ देने वाला है। यह बात सामने स्पष्ट रूप से उभर कर आई है।

अध्यक्ष महोदय, आज अखबारों में आपने बयान पढ़े होंगे इन्टक और एटक दोनों के पदाधिकारियों ने मिलकर संयुक्त वक्तव्य दिया है और इस घटना का जबरदस्त विरोध किया है और निन्दा की है और निर्णय किया है कि यह सारा का सारा षड़यंत्र इन मिल मालिकों, इन प्रबंधकों और मोनोपालिस्ट्स के साथ मिलकर मजदूरों का गला घोंटने की नीति सरकार ने अपनाई है और अकेला कोई भी संगठन इसका मुकाबला नहीं कर सकता इसलिए हमें मिलकर इस तरीके का मुकाबला करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, बहुत कह दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल एक संगठन मात्र या केवल लॉ एण्ड आर्डर के प्रश्न मात्र का सवाल नहीं है। यह पूरा नीति का सवाल है। …

श्री अध्यक्ष : यह कोई डिस्कशन थोड़े ही है आप स्थगन प्रस्ताव के ऊपर कह रहे हैं। बहुत संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी गृह राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं और यह घटना 19 तारीख की है। उनके नोटिस में सारा मामला है और यहीं पर इस बात का वक्तव्य दें और बतायें कि सारी की सारी स्थिति क्या है। मैं यह कह सकता हूं कि बराबर उनसे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मिल चुके हैं औरों से भी मिल चुके हैं लेकिन कोई रेस्पोंस गवर्नमैंट की तरफ से इस प्रकार नहीं मिल रहा है बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई यह सोच चुके हों कि इन मिल मालिकों के साथ मिलकर इन यूनियनों का गला घोट दिया जाय, इन यूनियनों को खत्म कर दिया जाय ताकि यह मिल मालिक मनमानी करते रहें। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमैंट से इस बात के लिए आग्रह करें कि इस बात पर वक्तव्य आज ही दें और जो टेंशन की स्थिति है उस पर काबू पाया जाय।

श्री केदारनाथ : एक पाइन्ट है इस पर।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री केदारनाथ : मैं एक पॉइन्ट अर्ज कर रहा था कि पुलिस की हाजरी में अगर इण्टक अपनी मीटिंग, पब्लिक मीटिंग न कर पाए और पुलिस की हाजरी में उद्योगपतियों के गुण्डे मीटिंग डिस्टर्ब कर दें और एक तरफा गिरफ्तारियां हों, इण्टक के लोगों को ही गिरफ्तार किया जाय और मिल के आदमी खुले घूमते रहें और उनकी गिरफ्तारी न हो तो ऐसी स्थिति में मान्यवर बड़ा सीरियस मैटर है, पुलिस की कनायवेंस से, पुलिस की नेग्लीजेंस से यह सब होता रहे तो यह बड़ा इम्पोरटेंट मैटर है और गवर्नमेंट पुलिस मैटर को लेकर स्टेटमेंट दे।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है....

श्री केशरीमल : मेरे भी इसके नीचे दस्तखत थे। मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनिट में अर्ज कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट में ही समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : संक्षेप में अर्ज कर देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य (राजेन्द्र भारतीय) इण्टक के उपाध्यक्ष हैं और इसलिए बाकायदा उनका ऑर्गेनाइजेशन है और मजदूरों का मसला है, इसलिए उनको बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव था इसलिए आपको मौका दिया गया, वैसे स्थगन प्रस्ताव पर हरएक को मौका देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह से रिलेक्शेशन अलाऊ किया जायगा तो आपका काम इतना हो जाएगा कि इस विषय को पूरा कभी नहीं कर पायेंगे। दो-दो मिनिट की बात तो ठीक है लेकिन, इस तरह से बोलते रहें तो आपका ही काम पूरा नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज ही सदन के अन्दर लेक्चरार्स के सवाल पर आपने सबको मौका दिया है और वाजिब मौका दिया है और लेक्चरार्स से कहीं ज्यादा अहम क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न पर तो आपको थोड़ा रिलेक्सेशन देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : रिलेक्सेशन काफी देता हूं लेकिन मेरा निवेदन करना है कि हर विषय पर रिलेक्सेशन चाहा जाएगा तो रिलेक्सेशन नहीं मिलने वाला है । अगर इस तरह से हर विषय पर हर माननीय सदस्य बोलना चाहेगा तो काम कैसे चलेगा ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं इण्टक का उपाध्यक्ष हूं और यह मेरी जाति जिम्मेदारी हो जाती है कि इस सदन के सामने जिस घटना को माननीय साथी रामानन्दजी सदन के समक्ष स्थगन प्रस्ताव के रूप में लाये हैं, यह राजस्थान के लिए बहुत अहम प्रश्न है । इस श्रमिक वर्ग को किस प्रकार से आज पुलिस की मौजूदगी में जो है खतरे से खाली नहीं है । अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र के अन्दर क्योंकि एक ट्रेड यूनियन पहले से इत्तला दे करके अपनी मीटिंग करती है, कांग्रेस से सम्बन्धित इण्टक के श्रमिक उस इण्टक की मीटिंग को कन्वीन करने जा रहे हैं और एक उद्योगपति उस बीच में गुण्डों को बुला कर इस तरह से उस मीटिंग को डिस्टर्ब करता है । पहले भी इस सदन में मैं इस चीज को सबके सामने लाने का प्रयत्न करता आ रहा हूं कि किस प्रकार से पुलिस इन पूंजीपतियों का इंस्ट्रूमैंट बनकर श्रमिकों के साथ में खिलवाड़ कर रही है और राज्य सरकार इस बात से पूर्ण रूप से अवगत है कि किस प्रकार से आज श्रमिक लोगों पर, श्रमिक कानून का किस प्रकार से कुठाराघात पुलिस के हाथों से हो रहा है । पुलिस उद्योगपतियों के हाथों में पूंजिपतियों के हाथों में खेलती रहे और राज्य सरकार इसको देखती रहे, इससे ज्यादा दुःख भरी बात नहीं हो सकती है । मान्यवर, आप देख रहे हैं कि सारे राजस्थान के अन्दर यहां वहां जो मारपीट हो रही है और मारपीट करने वाले संगठन हैं वह राजस्थान के श्रमिकों के साथ ··

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आप बात करते हैं अहिंसा की और महात्मा गांधी के उसूलों का प्रचार करते हैं और इस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में उनका गला घोंटा जा रहा है, इन संगठनों को कमजोर किया जा रहा है और केवल उदयपुर में ही नहीं हुआ है, पहले चित्तौड़गढ़ में भी हो चुका है और जगहों पर भी हो चुका है, क्या वजह है राज्य सरकार इस बारे में ध्यान नहीं देती यह मेरी समझ में नहीं आता । और जैसे इस स्थिति में दूसरे तीसरे वक्त झगड़े किये जाते हैं, क्या सरकार जैसे भरतपुर में मालिकों ने मजदूरों को गोलियों से भून दिया, मजदूरों के साथ मारपीट की और उनके गोलियां लगीं उस स्थिति पर कार्यवाही करना चाहेगी । मुझे बहुत अफसोस है कि राज्य सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है और इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए और सतर्कता से काम करना चाहिए ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर ।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि यह एक अहम मसला है, जैसा हम सोच रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : रिपीट नहीं करें, संक्षेप में कहें।

श्री केशरीमल : संक्षेप में ही कह रहा हूं। यह जो घटना घटी है यह कोई पहली ही घटना हो ऐसी बात नहीं है। देश के इजारेदार, पूंजीपति देश के मजदूर संगठनों को तोड़ने के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से मिलिट्री के रिटायर्ड लोगों को, फौज से निकले हुए लोगों को, पुलिस से निकले हुए लोगों को, इनको नौकरी में रख कर उनके जरिये से मजदूरों को पिटवाना, मजदूरों पर गोलियां चलवाना, मारपीट करवाना यह सारी व्यवस्थित कार्यवाही करते हैं और लगभग यही कार्यवाही उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, यहां पर मजदूरों को उनकी मीटिंग करने नहीं देना, उनको मीटिंग करने से रोका गया मीटिंग करने से रोका गया जिससे लगता है कि ये कारखानेदार उनको बोलने तक नहीं देना चाहते हैं और इनके संगठनों को तोड़ दिया जावे यह कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय। ऐसे संगठनों को तोड़ने की घटनायें आये दिन हो रही हैं, चाहे चित्तौड़ में घटना हो, चाहे उदयपुर की घटना हो आप देखेंगे कि पहले भी ऐसी घटनायें यहां पर सदन में आ चुकी हैं, पहले भी यहां के लोगों को पिटवाया गया है और माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी मजदूरों को नौकरी से निकाला गया, उनको मारापीटा गया और फिर मजदूरों के ऊपर ही केस चलाए गए और इस प्रकार से सैकड़ों मजदूर आज भी बेकार बैठे हुए हैं। महीने में बीस दिन उनके कोर्ट में चक्कर लगाने में निकल जाते हैं, न वह यहां नौकरी कर सकते हैं और न और कहीं मजदूरी कर सकते हैं उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शर्मायेदार इस प्रकार पुलिस को बुला कर, पुलिस को मिला कर, पुलिस को अपने में शामिल करके मजदूरों को पीटें भी और उन पर मुकदमा भी चलायें और इस तरह से उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। यह सरकार किस तरह से आज इन शर्मायेदारों को किस तरह से साथ दे रही है और उससे यह स्थिति भयंकर रूप बन रही है। वह चाहते हैं कि इनको प्रोवोक कर दो और हड़ताल करा दो हड़ताल करना मजदूरों का अधिकार है और करते हैं और आगे भी करेंगे लेकिन किस समय करेंगे। आज जब कि सारे देश में जो सरकार की नीति है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, जनता यह चाहती है कि प्रोडक्शन ज्याद हो उस वक्त कारखानेदार प्रोडक्शन बन्द कर देना चाहते हैं और इसलिए कभी वह सवाईमाधोपुर का कारखाना इस प्रकार से बन्द करते हैं कभी दूसरे कारखाने को बन्द करते हैं और इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हो और मजदूर हड़ताल कर दें और कारखाना बन्द हो जाय ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री केशरीमल : और मजदूरों ने इस रूप में यह सोचा है कि कारखानों को किसी प्रकार से जब तक कि हम मजबूर ही न हो जायं वह प्रोडक्शन बन्द नहीं होने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम यह चाहते हैं, दूसरी तरफ कारखानेदार हड़ताल करवाने पर उकसाने के लिए मारपीट करवाते हैं, गोलियां चलाते हैं और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सरकार कारखानेदारों का साथ दे और घटनायें लगातार

(श्री केशरीमल)
घटती जायं तो मजदूर कहां जायेंगे। यह केवल इण्टक का प्रश्न नहीं है, यह सारे मजदूर वर्ग का प्रश्न है। आज सारे देश के अन्दर खासतौर राजस्थान में जितने भी पूंजीपतियों के कारखाने लगे हैं ···

श्री अध्यक्ष : अब कृपया समाप्त करें।

श्री केशरीमल : समाप्त कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। और वह पूंजीपति जो यहां पर बैठे हैं उनके सारे देश में बड़े 2 कारखाने हैं, उनके ब्रांचेज हैं, वह गुण्डों का इस्तेमाल करते हैं। उनसे जगह 2 लोगों को पिटवाते हैं, खेतों में कटवा देते हैं, गोलियां चलाते हैं और लोगों को मरवा दिया जाता है और आज भी यह घटनायें घट रही हैं और सरकार मौन साधे बैठी हुई है। आज ये जमाखोर देश के अन्दर इस प्रकार का परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, ऐसा मोर्चा बना रहे हैं कि जिससे देश में पैदावार बढ़ने के बजाय प्रोडक्शन बन्द ही हो जाय और उस परिस्थिति में सरकार उन शरमायेदारों का साथ दे रही है। आज की यह जो घटना मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि यह घटना एक इण्टक की घटना ही नहीं है, यह घटना किसी एक यूनियन, मजदूर वर्ग की घटना है, समस्त मजदूर वर्ग की घटना है। यह इण्टक पर हमला नहीं किया है, एक पर्टीक्यूलर यूनियन पर हमला नहीं किया गया है बल्कि इस प्रकार समस्त मजदूर वर्ग पर हमला किया गया।····

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

इस अहम मसले पर सरकार की जबान खुलनी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि इनके खिलाफ क्या कर रही है। इन लोगों ने जानबूझ कर छड़ें लेकर, जंजीरें लेकर मजदूरों के साथ मारपीट की और जिन लोगों ने मारपीट की उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं करके यूनियन के कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, यह शर्म की बात है, बहुत बेहयायी की बात है, इसको रोकना होगा और आपको मजदूरों की मदद करनी होगी। ···

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ···

श्री केशरीमल :····अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके जरिये से कि अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मजदूरों को मजबूर होकर आन्दोलन करना पड़ेगा, फिर यहां पर गोलियां चलेंगी, डण्डे चलेंगे लोगों को ठोका जाएगा तो मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि समय रहते चेते और ऐसे मसलों पर मजदूरों का साथ दें, पूंजीपतियों का, शरमायेदारों का साथ नहीं दे नहीं तो इसके परिणाम बुरे होंगे। यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री भोमाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है ···

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में अर्ज कर देना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब जब जवाब दें तो इस बात को बतावें कि यह स्थिति किस प्रकार पैदा हुई जब कि उनको पहले से चेतावनी दे दी गई कि गुण्डे आयेंगे,

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
झगड़ा करेंगे। काफी बड़ी तादाद में आयेंगे और पुलिस की कण्टीनजेंसी उनके साथ ...

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी चाही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जानकारी हो रही है वह तो ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि एम्प्लायर्स को प्रोत्साहन देते हैं यह सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है चूंकि वे ही प्रोत्साहन देते हैं इस वजह से यह सवाल आया है। इसके मुतलिक नीति स्पष्ट होनी चाहिये राज्य सरकार की कि वह क्या चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : तशरीफ रखिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मजदूरों के हितों का खातमा करके, उनको पुलिस द्वारा, पहलवानों द्वारा पिटवाया जा रहा है और इससे प्रोडक्शन घट कर देश में इकोनोमिक क्राइसेस पैदा करने की स्थिति बनायी जा रही है ताकि देश में फासिज्म कायम हो....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सवाल के सन्दर्भ में, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं ...

श्री अध्यक्ष : आपको इजाजत नहीं दी है फिर भी बोल रहे हैं। कृपया नियमों का ध्यान रखें।....

श्री रामनन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय :....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, तकरीर नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप पधार जावें तो बाद में पूछ लूंगा। ....प्रश्न यह है कि लगातार यह प्रश्न खड़ा हो रहा है, चाहे बिड़ला हो, चाहे बजाज हो, चाहे साहू जैन हो, यह सरकार एक ट्रेड यूनियन को चाहे वह इन्टक की हो, चाहे सीटू की हो, चाहे वह ए. आई. टी. यू. सी. की हो किसी को भी अधिकृत तौर पर प्रिफरेन्स देती है—यह बताया चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्टतः नीति का प्रश्न है और अध्यक्ष महोदय यह बात स्पष्ट हो चुकी है, चाहे कोई हो, चाहे सूरतगढ़ का फार्म हो, चाहे उदयपुर की सीमेन्ट फैक्टरी की बात हो, इस राज्य ने यहां के मजदूरों के मुकाबले में बिड़ला को प्रिफरेन्स दिया है, बजाज को प्रिफरेन्स दिया है, और इन्टक की यूनियन जिसमें कि कांग्रेस के लोग हैं, जो कि कांग्रेस का ही संगठन है, उसके मुकाबले भी इस राज्य ने बिड़ला को, बजाज को समर्थन दिया है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम इसको ट्रेड यूनियनिज्म के ऊपर, मजदूर संगठन के ऊपर....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :....प्रहार मानते हैं और बिड़ला, बजाज का एक यूनाइटेड

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा):

हमला समझते है। और अध्यक्ष महोदय, हम को कुछ भी करना पड़े ता इस तरह के प्रतिक्रियावादी लोग जो सरकार के अन्दर हैं जो आज बिड़ला और बजाज के एजेन्ट के शकल के रूप में काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जायेगा, उनके विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हम तिरंगा और लाल झंडा पकड़ कर, इण्टक की यूनियन और एटक की यूनियन दोनों एकजुट होकर सरकार के इन लोगों को जो बिड़ला और बजाज के एजेन्ट हैं, उनका घेराव करेंगे, उनके विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे और उनके विरुद्ध आन्दोलन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है…

श्री अध्यक्ष : तशरीफ रखिये। समाप्त करिये। …

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :… सवाई-माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी जो देश की सबसे बड़ी सीमेन्ट फैक्टरी है, उसका काम ठप्प है। उदयपुर की सीमेन्ट फेक्टरी का यह हाल है अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर गुण्डे डन्डे लेकर मजदूरों को पीट रहे हैं और यह सारा तमाशा हमारी सरकार देख रही है। कांग्रेस के नेता लोग इस बात को जानते हैं…

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गई। तशरीफ रखिये। …

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर प्रश्न है यह प्रश्न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीति से जुड़ा हुआ है और इनके विरुद्ध लड़ना कम्युनिस्ट पार्टी अपना फर्ज समझती है। यह हमारा सिद्धान्त है। केवल कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही नहीं, इण्टक के साथ रहने वाले लोग, कांग्रेस के अन्दर इनका समर्थन करने वाले लोग, हम दोनों मिल कर कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी के खिलाफ और कांग्रेस के बाहर के प्रतिक्रियावादी लोगों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे और नहीं चलने दी जायेगी बिडला और बजाज की। नहीं चलने देंगे उन लोगों की जो हरिद्वार में बैठ करके हर की पैडी के ऊपर हरिदेव जोशी के साथ सांठ-गांठ करते हैं, जनसंघ के नेता भैरोंसिंह के साथ सांठ गांठ करते हैं। बम्बई में जाकर बजाज के साथ सांठ-गांठ करते हैं और फिर बजाज और बिडला के एजेन्ट बन कर के यहां पर बैठ करके मजदूरों के सिर तुड़वाते हैं, ऐसे लोगों की नहीं चलने दी जाएगी, इनके विरुद्ध हम मिल कर संघर्ष करेंगे, आन्दोलन किया जायेगा। प्रगतिशील ताकतें मिल कर ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगी… …

श्री अध्यक्ष : मेहरबानी करके समाप्त करें……

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं,

श्री अध्यक्ष : शुक्र गुजार हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आज इस सरकार का भविष्य निर्भर है। इस सरकार को कहना पड़ेगा, इस सरकार को आज अपना मुख खोलना पड़ेगा, माननीय मुख्य मंत्री को कहना पड़ेगा कि वे किस के साथ हैं? मजदूरों के साथ हैं या इन करोड़पति, इजारेदारों के साथ है, यह उनको कहना पड़ेगा स्पष्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
रूप से हम कहलवाएंगे। यह लोगों को बताना पड़ेगा कि वे बिडला के समर्थक हैं। आज जगह जगह इन लोगों को रियायतें दी जा रही हैं। चालीस करोड़ रुपया बिड़ला, बजाज के जिम्मे बकाया है। इसकी वसूली नहीं होती है। बिजली की बकाया है। इसकी भी वसूली न हो। जगह जगह हर प्रकार की रियायतें आप दे रहे हैं और उसको हम सहन कर रहे हैं। यह बात अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

ये पूंजीवादी मजदूरों को पीट रहे हैं, उनको सता रहे है ......

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनके खिलाफ जम कर मोर्चा लिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हमने हमेशा आसन की आज्ञा को शिरोधार्य किया है—लेकिन यह मजदूर वर्ग का सवाल है, इसके पीछे इतना जबरदस्त षडयन्त्र है और आप भी देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से एक माननीय सदस्य के अलावा करीब करीब सभी माननीय सदस्य ऐसा महसूस करते हैं, यह उनके संगठन का सवाल है, यह देख कर हमको खेद होता है कि आज ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से और इन बेन्चेज में, दोनों मिलकर गुण्डों से मजदूरों को पिटवाते हैं, इन गुण्डों को कहा जाता है ट्रेजरी बेन्चेज के लोगों की तरफ से वहां पर मीटिंग होने वाली है उसको डिस्टर्ब करो। वहां पर पहलवान भेजे जाते हैं। उदयपुर शहर से पहलवान भेजे जाते हैं। दूसरी तरफ जो ये लोग बैठे हुए हैं इनके साथ मिलकर षडयन्त्र रचकर, पहलवानों को भेजकर मजदूरों पर हमला करवाया जाता है, उनको पिटवाया जाता है। आज इनकी ओर पुलिस है, यह शासन है और न आज कांग्रेस ही है और उसके सिद्धान्त हैं और न उसका समाजवाद ही रह गया है। हर प्रकार से लोगों को भेजकर, पहलवानों को भेजकर उनके सिर तुड़वाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में रहे, या कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में रहे, मजदूर चाहे किसी के भी नेतृत्व में रहे, परन्तु हम यह अन्याय नहीं देख सकते जिस तरह से भीलवाड़ा, चित्तौड़ और इस तरह से दूसरे स्थानों के मजदूरों को सताया जा रहा है। इस तरह से शासन के लोग मिलकर, इधर के लोग गुण्डों को भेजकर यूनियनों को तोड़ रहे हैं, मजदूरों को पीट रहे हैं और यह सरकार केवल तमाशा देखती रहे—अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर चुप क्यों है। गृह मन्त्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं वे सारे तथ्यों को जानते हैं—इस सम्बन्ध में वे क्या कहना चाहते हैं। उनसे सब मिले हैं। कहना चाहूंगा मैं गृह मन्त्री जी—उनके साथ भी इनकी सांठ-गांठ है, वे उनके पक्षपाती हैं, इसलिए चुप क्यों हैं ? उनकी ही सांठ-गांठ से यह सब हो रहा है। जिस तरह से उदयपुर में बोहरों का झगड़ा हुआ आपने सारे राजस्थान से पुलिस इकट्ठी करके भेज दी, तो यह सारा का सारा इन्तजाम आप अब भी कर सकते हैं। मजदूर संगठित हैं। मजदूर संगठन ने, आपके संगठन ने आपको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सूचना दी है कि मीटिंग नहीं होने देंगे तब भी आपकी पुलिस नहीं जाए तब आपके पास कुछ नहीं था। इस तरीके से करके आज आप कांग्रेस के सिद्धान्तों, समाजवाद के सिद्धान्तों को, मजदूर वर्ग के प्रति अपनी निष्ठा को यह जाहिर कर रहे हैं। आपकी यह इस तरीके के षड़यन्त्रकारी बातें नहीं चलेंगी जनता के सामने यह साफ होता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं कितने ही मामले पुलिस के हमारे सामने आये हैं। जबसे यह सदन शुरू हुआ है आखिर तक पुलिस के मामले खत्म नहीं हुए हैं, और सारे के सारे इन मामलों में इस पुलिस विभाग का और मन्त्री महोदय का बाकायदा इनका पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है, चाहे दारोली का सवाल हुआ हो, चाहे मजदूरों का सवाल हुआ हो, चाहे कोटा का सवाल हुआ हो और सब जगह इस तरीके की नीति इस विभाग की रही है और यह आवाज उठी है।

मैं बहुत अदब के साथ कांग्रेस के मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि यह आपकी यूनियन है, आपका संगठन है, आपका ऑर्गेनाइज्ड ऑफिशियल संगठन है, उनकी चिट्ठी मेरे पास आई है, उनकी चिट्ठी आपके पास भी आई है। करुणाजनक अपील है। क्या आपका यह फर्ज नहीं है, क्या यह हमारा ही फर्ज है कि इन मामलों को उठायें। हम उठाते हैं क्योंकि हमारी मजदूर वर्ग के प्रति निष्ठा है। यह हमला मजदूर वर्ग पर हुआ है। आज इण्टक पर हुआ है कल एटक पर होगा। यह वर्ग संघर्ष की लड़ाई है, यह सेठों से लड़ाई है। इसलिए हम समझते हैं कि एकताबद्ध होकर इस चीज का मुकाबला कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा राज्य मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में पूरे तरीके से अपना वक्तव्य दें, स्पष्टीकरण करें और यह बतायें इस स्थिति में। मैंने साफ चार्ज लगाया है इनके ऊपर। मैंने साफ चार्ज लगाया है कि आपके लोग हैं और इन्होंने गुण्डों को भेजा है। वे आपके लोग हैं। इन बैंचों की तरफ के लोगों की आज आपके साथ सांठ-गांठ हो रही है जो इस तरह से गुण्डे भिजवा रहे हैं जिनका यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग आज पहलवान लोगों को साथ में लिये हुए घूमते हैं उन पहलवान लोगों को भिजवायें और लोगों के सिर फुड़वा देते हैं। क्या आप इसीलिए पुलिस विभाग को सम्हाले हुए हैं? क्या आप इसी तरह से इन्टक के लोगों को और मजदूरों को संरक्षण देना चाहते हैं? आज यह सवाल सारी यूनियनों का सवाल है, हमारी रक्षा का सवाल है। आपको जबान खोलना चाहिए। आपको इस बात को कहना है। अगर यह समझती थी सरकार तो अभी तक उसके प्रबन्धकों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इसमें षडयन्त्रों और शहादत की जरूरत क्या है, क्या सबूत की जरूरत है? आपको जिस समय उन्होंने यह बताया था कि टोपीधारी आ गये हैं यहां तक कि पुलिस के सामने उन्होंने मारा है। आपका थानेदार भी जख्मी हुआ है। इसके बावजूद भी आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप उन प्रबन्धकों को गिरफ्तार नहीं कर सके, और इन्टक के लोग जगह जगह मारे मारे फिरते हैं।

Page No 69

(69)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वह मजदूर हमारे दफ्तर में आये हैं। उन्होंने कहा कि एकता करेंगे और उन्होंने एतमाद किया है कि चाहे इण्टक रहे या न रहे यह वर्ग की लड़ाई है और इसको मिलकर लड़ेंगे। आज एडमिनिस्ट्रेशन यह कहता है कि......

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल :....इण्टक के लोगों को कि मालिकों से मिल कर चलें, मालिकों से लड़ो मत और जो वह कहें उस पर समझौता कर लें। मुझे तारीफ करनी पड़ेगी उन इण्टक के नेताओं की जिन्होंने अपने नेताओं की सलाह को नहीं माना और मजदूर वर्ग के हितों के लिए लगातार लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं और झुकने से इन्कार कर दिया है इण्टक और ऐटक की एकता कायम की है, और सारे राजस्थान में इस तरह के अत्याचारों का मुकाबला करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आग्रह करना चाहूंगा माननीय राज्य मन्त्री से कि इस सम्बन्ध में जितनी जानकारी उनके पास में हो उस जानकारी का यहां पर कह देंगे तो कुछ सन्तोष मिल सकेगा आप क्या कुछ कार्यवाही करते हैं उनके खिलाफ इस बात का कहेंगे या आप यह कह दें कि यह जो है जनरल सेक्रेटरी ने कहा है यह झूठ है, यह गलत है और यह विज्ञप्ति उनकी झूठी है। आप यह कहें फिर पता लगेगा कि आप किसके साथ हैं।

श्री फूलचन्द्र जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उस संबंध में जो भी स्थिति माननीय सदस्यों ने यहां पर रखी है और दूसरी बातें भी माननीय सदस्यों ने रखी हैं उनको हमने ध्यानपूर्वक सुना है। उसका यह इन्फरेन्स निकलता है कि जो यहां पर बैठे हैं कांग्रेस के सदस्य वह पूंजीपतियों के साथ हैं या मजदूरों के साथ हैं और इस सम्बन्ध में आज हमारी विधान सभा में आवश्यकता रह नहीं गई है। यह स्पष्ट है कि जहां पर मजदूरों के साथ अन्याय होगा हम कभी भी बरदाश्त नहीं करेंगे। जहां पर मजदूरों और पूंजीपतियों का सवाल है वहां पर मजदूरों के हितों का पहले ध्यान रखते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं एक बात माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ट्रेजरी बेन्चेज के लिए यह कहा गया है कि विरोधी दल के साथ सांठ-गांठ करके इस तरह से गुण्डे भिजवाये हैं इस तरह का एक जनरल वेग चार्ज ट्रेजरी बेन्च पर लगाना उचित नहीं मानता हूं, अच्छा नहीं मानता हूं, या फिर जो है स्पष्ट बताना चाहिए कि किसने किया है, क्या किया है। मैं माननीय सदस्य से यह अपेक्षा करता हूं कि इस तरह के वेग चार्जेज इस सदन के अन्दर नहीं रखने चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, जब पहले इत्तिला हो गई थी मन्त्री महोदय,....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : एक मिनिट।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री, गृह): माननीय अध्यक्ष, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने दोराला काण्ड के सम्बन्ध

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
में यह बात कही कि मन्त्रिमण्डल की तरफ इशारा करते हुए कि उन्होंने विरोधी दल से सांठ-गांठ करके गुण्डे भिजवाये हैं। यह एक निराधार और तथ्यहीन बात है। मैं इसको चैलेन्ज करता हू और दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार के मन्त्रिमण्डल के किसी व्यक्ति ने भी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है।

दूसरी बात, मुझे अभी तक जो सूचना मिली है वह केवल समाचार-पत्रों के जरिये मिली है। जो समाचार पत्रों में छपा है वह मिली है। इण्टक के प्रतिनिधि या इण्टक के किसी व्यक्ति ने आज दिन तक इस घटना की बात नहीं की है। न तो घटना के बाद कहा है और न घटना के पूर्व ही कहा है कि इस प्रकार की घटना हो सकती है तो इसकी व्यवस्था करें। इस प्रकार की कोई सूचना इण्टक के दफ्तर से घटना के पूर्व और घटना के बाद आज दिन तक नहीं दी गई है। जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उसको मैं चैलेन्ज करता हूं और उसको निराधार मानता हूं, तथ्यहीन मानता हूं। राज्य सरकार की नीति हमेशा मजदूरों के हित की रही है। इण्टक की कोई इस तरह की बात आती है तो सरकार का पूंजीपति को मदद देने का प्रश्न नहीं है मजदूरों का हित करना ही राज्य सरकार की नीति है और राज्य सरकार हमेशा उसको करती रहेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय राज्य मन्त्रीजी ने यह कहा कि हमको सूचना नहीं दी....

श्री अध्यक्ष: आपने एक बार निवेदन कर दिया। इस बात को ज्यादा इम्पोर्टेन्स देते हैं तो आपने स्टेटमेंट की बात कही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं यही कह रहा हूं स्टेटमेंट की।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: स्टेटमेंट दें।

श्री अध्यक्ष: फरदर डिटेल में जाने की बात है तो....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: स्टेटमेंट दें, डिटेल्ड स्टेटमेंट दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं भी यही कहता हूं, अध्यक्ष महोदय। मैं यह नहीं कहता कि अभी दें। एक बात तो इन्होंने कही है कि इण्टक वालों ने कोई सूचना नहीं दी उसके सम्बन्ध में यह बी. चौपड़ा का पत्र सभी माननीय सदस्यों को मिला होगा। उन्होंने कहा है कि राज्य मन्त्री को, मुख्य मन्त्री को और अन्य अधिकारियों को सारी घटना की जानकारी देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। यह 22 मार्च का पत्र है और आप सबको अपील करते हुए सबसे उन्होंने यह कहा है।

फिर मेरा निवेदन यह करना है कि अखबारों के अन्दर यह खबर सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ी होगी कि दोराला माइन्स में इस तरह की घटना हुई है और इस तरह की घटना हुई है फिर गवर्नमेंट का यह फर्ज हो जाता है कि इन तथ्यों की जानकारा की बात यह नहीं करना चाहते हैं....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: अध्यक्ष महोदय, जब समाचार पत्रों की तरफ से सूचना मिली

Page No 71

(71)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
तो उसके आधार पर ऑथोरिटीज ने सूचना एकत्र करने का काम शुरू कर दिया है। ज्योंहि सूचना एकत्रित हो जायगी मैं तथ्य सदन में उपस्थित करना चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट देगी इस पर।

श्री भोमाराम (डीडवाना) : मेरा स्थगन प्रस्ताव जो 20 तारीख को फसल नष्ट हुई उसके सम्बन्ध में है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : थोड़ा थोड़ा बोलें। समय काफी हो गया है। आगे काम भी बहुत है।

श्री भोमाराम : मैं तो पूरा बोलूंगा। चिन्ता भी क्या है। कमसे कम सुन तो लें। तारीख 14 से लेकर तारीख 21 तक जो काश्तकारों से साथ में ज्यादतियां हुई हैं। तहसीलदार और एस. डी. ओ. के साथ में जो हुआ है, उसकी आप इन्क्वायरी करवा सकते हैं। हमारी फसलें खड़ी हुई हैं। खड़ी फसल पर, हमारी फसलें कितनी जली हैं। कितनी खड़ी है। दूसरी इलजाम यह है कि काश्तकारों को इसीलिए नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, कम से कम हमारे प्रश्न को महत्वपूर्ण समझकर इन्क्वायरी कमेटी बनायें। और उससे इन्क्वायरी करवायें। डीडवाना तहसील के पूरे सर्किल में और परबतसर में क्या स्थिति है। 19 जनवरी से वहां पर किस प्रकार से व्यवस्था है। चार-चार, दो-दो और छः-छः घन्टे चल गये हैं। बिजली की इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी निवेदन करता हूं कि काश्तकारों की फसल जल चुकी है। उसकी इन्क्वायरी जरूर करवा लीजिये। ताकि हमको सन्तोष हो जाये कि हमारी जो फसल जल गई है, उसकी सुनवाई हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री भोमाराम : जो भी फसल जल गई है, उसकी इन्क्वायरी करवा ले कि कितनी जली है। पूरी इन्क्वायरी करवा ली जाये। मैं यह भी कहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : थोड़ा विषय पर ही बोलें।

श्री भोमाराम : काश्तकारों का विषय है।

श्री अध्यक्ष : काश्तकारों का विषय है। बहुत लम्बा विषय है। आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री भोमाराम : लेवी देते हैं, उसकी सुनवाई नहीं। बिजली देते हैं, उसकी सुनवाई नहीं। आखिर काश्तकार क्या करेगा। काश्तकार खेती करना बन्द कर दे। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है। उसकी जांच करवा लें। चाहे गवर्नमेंट के लेविल पर जांच बैठाई जाये, चाहे स्वयं के लेविल पर बैठा दीजिये। आपको पता लग जायेगा। एक भेरे पर क्या हुआ है और दूसरे भेरे पर क्या हुआ है। कितनी फसल नष्ट हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल (लालसोठ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव टायरों के सम्बन्ध में है। ब्लैक में टायर बेचे जाते हैं। राशनिंग में आपने जो टायर बेचे जाने की व्यवस्था की है, ऐसे मामलों में जानबूझकर कोई न कोई खामी रख दी जाती है। नियम यह है कि केन्द्रीय सरकार से इजाजत लेना जरूरी था। जैसा कि अन्य मामलों में जरूरी होता है। इसी प्रकार के टायरों के लिए केन्द्रीय सरकार से इजाजत लेना जरूरी था। जब आपके उच्चाधिकारियों ने टायर डीलरों को यह खामी बता दी तो वह हाई कोर्ट में चले गये। आज स्थिति यह है कि किसी प्रकार का टायर उपलब्ध नहीं हो रहा है। ब्लैक में बिक रहा है। सरकार एकदम हतप्रभ होकर बैठी है। जिनको टायर की आवश्यकता है, उनकी गम्भीर स्थिति हो रही है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरा निवेदन है कि खाद्य मन्त्री महोदय, तत्काल उन कमियों को पूरा करायें। टायरों में जो ब्लैक मार्केट हो रहा है, उसको बन्द करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लोढ़ा !

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय,

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, 40 हजार का एक सी. पी. एम. का जुलूस आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है। आया तो नहीं है। आये तब फरमा दें।

श्री मोहरसिंह : बिल्कुल आ गया है, अध्यक्ष महोदय,।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसान मजदूरों और कच्ची बस्तियों में रहने वालों का जुलूस है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर रहा हूं, कच्ची बस्तियों पर एक ध्यान आकर्षक प्रस्ताव आ रहा है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार तक बात पहुंचाई जाये। जुलूस में बहुत से कच्ची बस्तियों वाले हैं। गगानगर जिले के रहने वाले किसान भी हैं। सभी लोग मिलकर प्रदर्शन करने के लिए आये हैं। सरकार का वहां पहुंच कर इनकी मांगों के बारे में जानकारी करनी चाहिए।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पहले ही कहा जा चुका है कि 24 तारीख को एक जुलूस आयेगा। वह एक मांग-पत्र भी लाये हैं। जिस पर दो लाख लोगों के दस्तखत हो चुके हैं। मेरे खयाल में वह 40 हजार का जुलूस आ रहा है। केबिनेट के मन्त्री जनता की समस्याओं को नीचे चलकर सुनें और उनको मुखातिब करें। उनका जो मांग-पत्र है, वह मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं पढ़िये।

श्री मोहरसिंह : महंगाई और श्रमिकों के सम्बन्ध में ..

(निरोध सूचक, घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये, मैं आपको सलाह देता हूं। आप पिटीशन पेश करने वाले हैं।

श्री मोहरसिंह : इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को नीचे जाना चाहिए। 40 हजार साथी आये हैं। प्रदेश के कोने कोने से किसान, मजदूर और विद्यार्थी 40 हजार साथी आये हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य नीचे चल कर उनकी समस्याओं को सुनें।

श्री अध्यक्ष : श्री लोढ़ा !

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि हमारी यह परम्परा रही है कि हम नयी परम्परा को बनायें उनकी पिटीशन को जाकर सुनें। उसमें सारे लोग शामिल हैं। उसमें विद्यार्थी, मजदूर, काश्तकार, भंगी, झोपड़ियों में रहने वाले लोग शामिल हैं। पावर्टी क्लास के लोग हैं। 35-40 हजार का जुलस हमारे सामने आ रहा है। वह अपनी मांगें लेकर आया है। राज्य सरकार अगर यह सोचती है कि उनको दबा दे तो उनको संघर्ष का रास्ता लेना पड़ेगा। जिस प्रकार का यह जुलूस है, ऐसे जुलूस बहुत कम निकले होंगे। मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्रिमण्डल का कोई नॉमिनी नीचे जाकर उनकी पिटीशन लेकर आये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री चिम्मनसिंह भाटी वाला है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं उसके पहले निवेदन कर दूं।

एक तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया है, वह केवल औपचारिक निवेदन है ऐसा मैं नहीं समझता। अध्यक्ष महोदय, जनतन्त्रीय प्रणाली में जनता के लोग, राजस्थान के सुदूर गांवों से बस में खर्च करके अपनी समस्याओं को लेकर, जन समस्याओं को लेकर राजधानी में आये हैं, वह इस ख्याल से आये हैं, विधान सभा चल रही है, विधान सभा का सत्र चल रहा है, राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के विधायक, उन विधायकों के साथ राजस्थान के भाग्य निर्माता, मन्त्रिमण्डल के सदस्य, सदन की ओर से सदन का संचालन करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय—सबके सब एक साथ उनकी चीत्कार, दुःख भरी आवाज, उनके अभाव अभियोग, उनकी समस्याओं चाहे वह राशन की हों, अकाल की हों या अन्य प्रकार की हों—उनको सुनने के लिए मिलेंगे। इस भावना से प्रेरित होकर अपने गांव-गांव, दूर-दूर से आते हैं, अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि जनतन्त्रीय प्रणाली में, मैं चाहूंगा, मन्त्रिमण्डल के सदस्य, चाहें मुख्य मन्त्री हों, अन्य कोई मन्त्री हों, अन्य विधायक गण हों, और चूंकि वह चाहते हैं, पिटीशन आपके पास प्रस्तुत की जाय, अतः आप सदन की ओर से भी उन लोगों की दुःख गाथाओं को सुन लें, और वह अभाव-अभियोग के प्रश्नों को लेकर, समस्याओं को लेकर आये हैं, मानवीय समस्याओं को लेकर आये हैं, जो गांवों में हैं, देश में हैं, राजस्थान में हैं उनको सुनने के लिए हम वहां पर जायें। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, और आपके माध्यम से

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से भी, अन्य विधायकों से भी कि उन समस्याओं को हमें सुनना चाहिए। वह जन समस्यायें हैं हर ढाणी, हर कस्बे, हर गांव, हर शहर में हैं चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे राशन की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे गावों के अन्दर भूमिहीन किसानों की हों और जमीन न मिलने की हो पानी न मिलने की हो—मैं समझता हूं, इन समस्याओं के ऊपर, अध्यक्ष महोदय, जो अन्य विधायकों ने निवेदन किया है, मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके माध्यम से मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों से प्रार्थना करूंगा, नई परम्परा पुनःस्थापित करें और चार दीवारी के कमरों में, बैठ कर, कमरे में सुनें, सैक्रेट्रियट के कमरे में सुनें, लोग वहां पर आयें, स्लिप भेजें, दरबान जाकर कहें, आप आ सकते हैं, फिर याचक की तरह खड़े हों मैं समझाता हूं, यह पुरानी राजाशाही, सामन्तशाही, ब्रिटिश साम्राज्यवादी, इम्पीरियलिज्म की परम्परा है, जो जनतन्त्र के युग में, जैसा आप कहते हैं, समाप्त हो चुकी है इसलिए अब के जमाने में, आज के जमाने में मान्यता आपको बदलनी चाहिये, नये डाइमेन्शन लिये हैं उनको समझना चाहिये और जो दीवारों पर लिखा है, उसको पढ़ना चाहिये और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवहार को बदलना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय जायं और उनकी बात को सुनें।

इसके साथ, अध्यक्ष महोदय जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में कहूं, उसके पहले ...

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा हो, उसमें आपत्ति नहीं है लेकिन ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं स्वयं चर्चा नहीं करूंगा। मैं निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : काल अटेन्शन मोशन भेजा है गवर्नमैंट को। आप इस पर बात करना चाहें वह कभी कर लें, वैसे उत्तर आने पर बात करेंगे तो ठीक होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं उस प्रसंग पर आऊं, उसके पहले निवेदन करना चाहूंगा, सदन में अभी, मैंने इन्ट्रप्ट नहीं करना चाहा कम्युनिस्ट साथियों ने कुछ बातें कहीं मजदूरों के बारे में। उस बात के अन्दर कहते कहते कुछ अनर्गल बात, अप्रासंगिक बात, निराधार बात, व्यर्थ की बात, अविवेकपूर्ण बात भी कह गये, और उन्होंने यह भी कह दिया, यह समस्यायें थीं मजदूरों की, वहां के मैनेजमैंट और मजदूरों के बीच यह समस्यायें थीं, मैनेजमैंट और यूनियन के

(म. प. 1.25 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बीच कुछ झगड़ा था, उस यूनियन के साथ में झगड़ा हुआ और यूनियन को मीटिंग नहीं करने दी गई। यूनियन को मीटिंग करने दी जाय इसमें दो राय नहीं हो सकती। यूनियन चाहे कांग्रेस की हो, या साम्यवादी पार्टी से सम्बन्धित हो, मार्क्सवादी पार्टी से सम्बन्धित हो, या अन्य पार्टियों के साथ सम्बन्धित हो मेरी मान्यता है, एक यूनियन किसकी है, किसकी नहीं है इसमें अन्तर नहीं पड़ता है। हम जनतन्त्र में विश्वास करते हैं, हम इस बात को नहीं मानते है कि कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित यूनियन है उसके लिये अधिक पुलिस

Page No 75

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को भेजा जाए और जनसंघ दल से सम्बन्धित यूनियन है उसके दमन की कार्यवाही की जाय, मार्क्सवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी से सम्बन्धित यूनियन है उसका बचाव नहीं किया जाय। मेरी मान्यता है, जनतन्त्रीय पद्धत्ति में जितनी भी यूनियन है, जो जनतन्त्रीय पद्धति में विश्वास करती है, ट्रेड यूनियन हो, मजदूरों की यूनियन हो, जहां कहीं भी हो उन सबको अपनी विचारधारा के अनुसार कार्यवाही, करने की फ्रीडम होनी चाहिये। इस दृष्टि से जो भी कार्यवाही हुई है, एक यूनियन के साथ, यूनियन के कार्यकर्त्ताओं को पीटा गया है वह निन्दनीय है। अब किसने पीटा है, क्यों पीटा है. उसकी मन्त्री महोदय जानकारी करें, यह पुलिस का कार्य है कि वह इसकी जांच करे। उसके साथ में अविवेकपूर्ण तरीके से यह कहना कि इधर बैठे हुए लोगों और उधर बैठे हुए लोगों, गवर्नमैंट और मन्त्री महोदय से सांठ-गांठ हो गई है, इधर से सांठ-गांठ हो गई है—इस प्रकार का मैं समझता हूं, अनर्गल प्रलाप हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने सदन में किया, अविवेकपूर्ण तरीके से किया है, मैं यह समझता हूं कि उन्होंने विवेक खो दिया है, या फिर वह गये हैं बातों के अन्दर उनको इस बात का विवेक नहीं रहा कि कहां पर खड़े हैं, क्या कह रहे हैं। वह यह कह नहीं सके कि किसने पीटा है, क्या किया है। कौन व्यक्ति है, यह हमें पता नहीं है। उस यूनियन से सम्बन्धित उदयपुर में क्या स्थिति है, किसने मारपीट की है, किसने मारा पीटा है। साथ में पांच बार इशारा करके कह गये, मेरे सामने बैठे लोग, मेरे सामने तो गुलाब सिंह जी बैठे हैं, हरिदेव जी बैठे हैं। यहां यह कह गये हरिदेव जी हर की पेड़ी पर मिल गये, हरिदेव जी मिल गये, भैरोंसिंह से मिल गये। वह स्वप्न लोक में विचरण कर रहे थे, या डिलिरियम में थे, यह पागलपन की स्थिति में थे—मैं समझ नहीं सका। मैं यही कह सकता हूं कि यहां अनर्गल प्रलाप करना उनको शोभा नहीं देता है। जिस इश्यू को लेकर बात कह रहे थे, उपाध्यक्ष महोदय, वह इश्यू मानवीय है, मजदूरों का है, उसमें दलगत राजनीति लाकर उसको दलगत राजनीति का रूप देकर वह विवेक को खो दें—मैं समझता हूं यह स्वयं उनके हित में नहीं है. वह मजदूरों की सेवा नहीं कर रहे हैं। और मजदूरों की सेवा करने के लिए जो लोग कटिबद्ध हैं उन लोगों को वह अण्डर माइन कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप से यूनियन के मजदूरों को सपोर्ट करना चाहें, उसके स्थान पर वह पार्टी को अण्डर माइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा और मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जहां तक जनता मोर्चे में यहां बैठे हुए विधायकों का प्रश्न है, हमें जानकारी नहीं है इस इश्यू के बारे में गुलाबसिंह जी ने पुलिस भेजी या नहीं, गुलाबसिंह जी ने कौनसे गुण्डे भेज दिये, कांग्रेस ने कौनसे गुण्डे भेज दिये। अजीब बात है, यूनियन कांग्रेस की बताते हैं और उसकी एवज में वह अनर्गल प्रलाप करना चाहते हैं He wants to be more pious than the Pope himself. कांग्रेस के लोग बोलते नहीं लेकिन उसके बारे में पीड़ा और वेदना उनको हो रही है, इससे लगता है कि कहीं न कहीं राजनैतिक द्वेष के कारण यहां पर अनर्गल प्रलाप किया गया है—मैं उसकी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

भर्त्सना करता हूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जहां तक हमारा प्रश्न है, न कोई व्यक्ति गया और न हमारी नॉलिज में है, न हमने भेजा है। यद्यपि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने वेग और अनपार्लियामेन्ट्री तरीके से स्वीपिंग एस्पर्शन जो अनबिकमिंग एस्पर्शन है और पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के अन्दर, मैं समझता हूं, इससे बढ़ कर अनपार्लियामेन्ट्री बिहेवियर हो नहीं सकता है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक प्रस्ताव रखा है, वह हमारे यहां विधायक····

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में निवेदन करूंगा यह सदन के हित में है, माननीय सदस्य खुद के हित है कि उसके ऊपर यहां पर चर्चा करना उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी सुझाव दिया है, इस सम्बन्ध में चर्चा न की जाय, तो उचित होगा माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में मिल कर सम्पर्क स्थापित कर लें, जो एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है उसके बारे में।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चैम्बर में मिलने और सम्पर्क स्थापित करने की परम्परा मैं समाप्त करना चाहता हूं। मूलचन्द सामरिया ने जो मुन्शीलाल महावर के बारे में मोशन दिया उसको चैम्बर में से गायब करके, वाटर गेट करके मंगवा लिया। जो मोशन आया, सुखाड़िया जी के खिलाफ जो मोशन रखा कि उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि बरकतुल्ला खां को उन्होंने मुख्य मन्त्री बनाया था, वह रख दिया, चेम्बर में··

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय अध्यक्ष ने कहा था, इस बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव गवर्नमेन्ट के पास भेजा है। वहां से उत्तर आने के बाद जो भी स्थिति होगी, उसकी सूचना दे दी जायगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जानकारी के लिए भेजा है। मैं इसके बारे में विस्तृत निवेदन इसलिए करना चाहता हूं, केवल अपने इस सत्र के साधारणतया समाप्त होने में तीन दिन का कार्यक्रम और है और साधारणतया जानकारी जो सरकार से आती है वह जानकारी वापिस यहां पर आती नहीं है, यह हमारा अनुभव है, जितने प्रस्ताव भेजे हैं, ध्यानाकर्षण या अन्य प्रस्ताव वह प्रस्ताव चले जाते हैं और वहां पड़े रहते हैं, सत्र समाप्त हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य गुरदयालसिंह सन्धु यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने एक प्रिविलेज मोशन रखा था पिछले सत्र में वह इनके और इनके परिवार की हिस्ट्री शीट रखने का था। उसमें गुण्डा शब्द लिखा गया था, यह लिखा गया था, ऐसा आदमी चुनाव के अन्दर आ गया है। यह सब-इन्सपेक्टर ने लिखा था, उसमें यह शब्द आये थे। इस पर कहा गया कि जानकारी कर लेंगे, यह प्रिविलेज का इश्यू बनता है या है नहीं, फिर कार्यवाही कर लेंगे उपाध्यक्ष महोदय, वह सत्र समाप्त हो गया, नया सत्र 17 फरवरी को प्रारम्भ हुआ, फिर 3 दिन के बाद सत्र समाप्त होने वाला है। मुझे कहते हुए वेदना होती है कि इस प्रकार की अपेक्षा की जा रही है जहां माननीय सदस्यों के लिए कटु शब्द पुलिस के लोग अपने चालान में लिखें कि दुःख है

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
कि बदमाश आदमी जीतकर आए हैं, उस पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की, प्रिविलेज मोशन आज भी पड़ा हुआ है, इसकी जानकारी करने पर कोई आज्ञा नहीं दी, प्रिविलेज कमेटी को रेफर नहीं किया, आप जानकारी चाह रहे हैं, आपकी जानकारी सरकारी जानकारी से आगे बढ़ गई है....

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार प्रश्न पर अध्यक्षीय निर्णय पर चर्चा

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मेरा ऐसा निवेदन है कि माननीय सदस्य आसन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आसन की आलोचना, उनके व्यवस्थाओं की यहां पर विधान सभा में चर्चा नहीं हो सकती। आप चाहें तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से मिल सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं लेकिन मेरे खयाल से यहां पर यह कहना उचित नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : यह सही है कि कई बार विधान सभा सचिवालय में भी गलतियां होती होंगी, आखिर सभी मनुष्य हैं, मगर हमारी परम्परा रही है कि विधान सभा सचिवालय और चेयर की हम कभी भी आलोचना नहीं करते हैं तो माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि आप उनसे चेम्बर में बात करें, उस पर जो उनका निर्णय हो, उस पर अमल हो जाएगा, यह ज्यादा उपयुक्त होगा। बाकी एक बार अगर यह परम्परा शुरू कर दी तो उसका अंत नहीं होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आलोचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नहीं हो रही ..

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने स्वयं कहा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में विचार कर रहे हैं, कौनसा दिन फिक्स करें, यह आपसे बातचीत करने के बाद होगा। इसलिए उस सम्बन्ध में आगे चर्चा करना उचित नहीं होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो केवल निवेदन करना चाहता हूं कि चिम्मनसिंह भाटी की मृत्यु से सम्बन्धित जो परिस्थितियां थीं और इस सम्बन्ध में जो विभिन्न समाचार छपे हैं और आए भी हैं कि जिलाधीश ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जिसके कारण उनकी हृदयगति रुक गई, क्या यह सच है या गलत है, इतना ही जानना चाहते हैं। आप भी सहमत होंगे कि जब इस प्रकार की चर्चा चल गई तो यह हमारे मुख्यमंत्री स्वयं के हित में है" और हम सबके हित में है कि इसका स्पष्टीकरण शासक दल के नेता की ओर से होना चाहिए। चाहे 29 को या बाद को कर दें, लेकिन यह कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाना चाहिए। जब कभी आपको सुविधा हो, हमें केवल बता दें कि यह समाचार सही है या गलत है। अगर विधायक के साथ में अभद्र व्यवहार के कारण उनकी मृत्यु हुई तो यह गंभीर बात है। अगर समाचार गलत है तो विधायकों के दिमाग में जो शंका होती है वह ठीक हो जाएगी।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जुलूस आ रहा है, मैं समझता हूं यह कांग्रेस के मिसरूल के परिणामस्वरूप है। इसमें किसी पार्टी

(श्री लक्ष्मणसिंह)

विशेष की दिलचस्पी हो, ऐसा नहीं है। इसमें सब तरह के लोग हैं और यह मैं नहीं कह सकता कि उनकी जो मांगें हैं, अक्षरशः सत्य हैं या सरकार उन सबको परिपूर्ण करे। लेकिन उनकी जो मांगें हैं उनके साथ एक हद तक मेरी सहानभूति है। तंग आयद जंग आयद। एक दिन हो, 10 दिन हो, महीने हो लेकिन अब तो यह दिन ब दिन ऐसी परिस्थिति होती जा रही है कि समस्या विकट होती जा रही है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये लोग उस गरीब तबके के प्रतिनिधि हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। राजस्थान की 2½ करोड़ जनता में से 1½ करोड़ जनता के नुमाइन्दे हैं। समय परिवर्तनशील है। अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति को सरकार को छोड़ना चाहिए, सरकार को राहत के साथ इन लोगों से दो शब्द सहानभूति के कहने चाहिएं। सरकार को आगे बढ़कर उनकी बात सुननी चाहिए। अगर सरकार यह नहीं सुनती है तो सरकार के लिए एक विषम समस्या उत्पन्न होगी और फिर सरकार शायद इस समस्या को काबू पा सके, यह भी दुविधा की समस्या होगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने आपसे पहले इस बारे में कहा था।

श्री लक्ष्मणसिंह: दोरोली और सीमेंट कारखाने के संबंध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चर्चा की और आरोप लगाये, उन आरोपों को मैं डिनाई करता हूं, मुझे पता नहीं कि क्या मामला है, मैं चाहूंगा.......

श्री रामानन्द अग्रवाल: मजदूरों से आपका ताल्लुक भी क्या है?

श्री लक्ष्मणसिंह: मेरा ताल्लुक मजदूरों से नहीं है लेकिन मुझे एक नागरिक के नाते, इस देश के अन्दर रहने का अधिकार है, आपको, माननीय सदस्य, जिस हद तक अपनी विचारधारा व्यक्त करने का अधि- है, उतना ही मुझे भी अधिकार है। सरकार का सर्वप्रथम पुनीत कर्त्तव्य है कि मजदूरों के प्रति इन्साफ हो, अगर उन पर अत्याचार होता है या उन पर गुंडागर्दी होती है तो सरकार का परम कर्त्तव्य है कि ऐसा न होने दें। उसके साथ साथ अगर मिल मालिक का कुसूर नहीं है तो उसको भी अधिकार है रहने का और व्यापार करने का। अगर आज की शासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन होता है तो जो आमूलचूल परिवर्तन होगा, उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा और जब तक ये तमाम समस्यायें हैं मिक्सड इकोनॉमी के बेसिस पर तब तक मैं मांग करूंगा कि सरकार सबके प्रति न्याय करे।

जहां तक ध्यानकर्षण का प्रश्न है, माननीय श्री शंकरसिंह के देहांत....

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद): मैं तो अभी भी यहीं बैठा हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: आप दुखी मत होइए।

श्री लक्ष्मणसिंह: मैं शुभ कामना करता हूं कि आप 101 वर्ष जीयें, मुझे श्री चिम्मसिंह का नाम लेना था उसकी जगह माननीय शंकरसिंहजी का नाम ले लिया, उसके लिए मैं करबद्ध क्षमाप्रार्थी हूं और

(श्री लक्ष्मणसिंह)
जिन परिस्थितियों में माननीय श्री चिम्मनसिंह की मृत्यु हुई है उस संबंध में अवश्य अध्यक्ष महोदय से बातचीत की जा सकती है लेकिन अगर इस संबंध में आसन के प्रति कोई आक्षेप नहीं लगता हो, अगर किसी सरकारी कर्मचारी का मिसरूल हो या उसमें कमियां हों, अगर उसको विरोधी पक्ष एक्सपोज करता है तो कई और विदिन राइट्स, हमारा अधिकार है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, आपके दल और व्यक्तिगत् रूप से स्वयं के हित में है कि आप कोई न कोई प्रतिनिधि भेजकर उसके पश्चात दें। आप 10 आदमियों को चेम्बर में बुलाकर बात करें तो यह व्यवस्था उत्तम होगी और उसको स्वीकार करने में आपकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचती है, यह मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री चिम्मनसिंह भाटी के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव हमने सदन में दिया था उसका एम हमारा यह नहीं था कि हाउस में श्री चिम्मनसिंह भाटी के मृत्यु के कारणों को यहां पर डिस्कस किया जावे। हमारे को तो यहां पर सिर्फ यही सदन में लाना था कि मौजूदा पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर के तहत हमारे जो हाउस के मेम्बर्स हैं उन्हें कॉन्स्टीट्यूशनली एक स्टेटस दिया गया है उसके अन्दर में एक डिगनिटी हम ओबजर्व करते हैं। और मान्यवर उस डिगनिटी को अगर गवर्नमेन्ट के बड़े-बड़े अधिकारी चाहे कोई आइ. ए एस हो चाहे आई. पी. एस. हो चाहे गवर्नमेन्ट का कोई भी सीनियर ऑफिसर हो वह अगर किसी एम. एल. ए. से जो कि पब्लिक परपज के लिए किसी कलेक्टर के पास या किसी सेक्रेट्री के पास जाता है और वह उस एम. एल. ए. के साथ दुर्व्यवहार करता है जिससे कि उस एम. एल. ए. को सदमा पहुंचता है और उस सदमें के कारण अगर उस एम. एल. ए. की मृत्यु हो जाती है तो यह एक बहुत बड़ा भारी गम्भीर मसला होता है इसलिये मेरा मान्यवर गवर्नमेंट से यह निवेदन है कि गवर्नमेन्ट इस सारे मामले की जांच करे और इसकी जांच मुख्य मन्त्री जी एक दो दिन में ही कराकर हाउस में अपना एक स्टेटमेन्ट इसके लिये दें। बस यही हमारा निवेदन है!

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रामचन्द्र चौधरी का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र चौधरी का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण।

श्री रामचन्द्र चौधरी (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय परसों यहां पर सदन में एक माननीय सदस्य जो कि सूरतगढ़ से आते हैं उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि गंगानगर में एक हरिजन सम्मेलन करने के लिये बाबू जगजीवन राम को बुलाने में कांग्रेस ने लाखों रुपयों का चन्दा इकट्ठा किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की। बातें सदन में झूठी बातें कहना एक अच्छी बात नहीं है। इसका असर बहुत खराब पड़ता है। और मैं समझता हूं कि असर बुरा हुआ भी है उसके लिये मैं माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज से करीब 15-20 दिन पहले मुल्कराज थिन्द, बाबू जगजीवन रामजी के पास गये और उन्होंने उनसे कहा

Page No 80

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
कि गंगानगर में हरिजन सम्मेलन हो रहा है उसकी अध्यक्षता आप करें। बाबू जी ने यह कहा कि अच्छा 18 मार्च का दिन रखलो। इसके बाद श्री मुल्कराज थिन्द मेरे पास आये और उन्होंने मुझसे यह कहा हमारे यहां जो हरिजन सम्मेलन हो रहा है उसके लिए बाबूजी अध्यक्षता करने आ रहे हैं। इसलिए उनके लिए इन्तजाम करना है। तब मैंने कहा कि बाबूजी अगर आते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिये क्या हो सकती है? इन्तजाम तो कर ही देंगे। इसके बाद मैंने इसके बारे में मुख्य मन्त्री जी से बात की। मैंने मुख्य मन्त्रीजी से कहा कि गंगानगर के अन्दर जो हरिजन सम्मेलन हो रहा है उसमें बाबूजी आ रहे हैं इसलिए आपका भी वहां होना ठीक है। इसके अलावा मैंने हमारे जो सिंचाई मन्त्री हैं श्री हीरालाल देवपुरा उनसे भी कहा कि आप चूंकि हमारे सिंचाई मन्त्री जो हैं और बाबूजी हमारे देश के सिंचाई मन्त्री हैं इस लिए जब वह आ रहे हैं तो आपकी प्रेजेन्स भी वहां हो तो उचित रहेगा। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय मैंने राजस्थान के कृषि मन्त्री श्री शिवचरण माथुर साहब से भी बात की। उनसे भी मैंने यही कहा कि चूंकि हमारे भारत के कृषि मन्त्री जी, बाबूजी आ रहे हैं इसलिए आप भी वहां पधारे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने भी उपाध्यक्ष महोदय, आने की हां भरली। इसके बाद में हमारे मुख्य मन्त्री जी तारीख 8-9 मार्च को दिल्ली गये तो वह बाबूजी से मिले और उन्होंने कहा कि आपके पधारने का कार्यक्रम कौन सी तारीख का है वह आप मुझे पहले फर्मादें ताकि आपके लिये वहां पर ठीक तरह से व्यवस्था हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, तब उस वक्त बाबूजी ने हमारे मुख्य मन्त्री जी से कहा कि मैं तो आ नहीं पाऊंगा क्योंकि यहां पर मेरे कार्यक्रम हैं। तब मुख्य मन्त्री जी ने मुझे कहा कि बाबूजी ने तो आने को मना किया है इस पर हमारे वहां की कार्यकारणी की मीटिंग तारीख 13 को हुई और जो बात मुझे मुख्य मन्त्री जी ने बतायी वह मैंने उनसे कही। मैंने कार्यकारिणी में साफ कहा कि बाबूजी ने आने को मना किया है। उनका प्रोग्राम आने का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 14 तारीख को थिन्द फिर वहां से दिल्ली गये और उन्होंने बाबूजी से फिर प्रार्थना की तो उन्होंने थिन्द से कहा कि इतना लम्बा प्रोग्राम तीन दिन का तो मैं रख नहीं सकता और वैसे दो तीन दिन का लम्बा प्रोग्राम तो मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा अगर आप कोई छोटा सा प्रोग्राम रखलें तो मैं आ सकता हूं। तब थिन्द मेरे पास वापिस आये और उन्होंने मुझे कहा कि बाबूजी ने कहा है कि इतना लम्बा प्रोग्राम तो वे अटेन्ड कर नहीं सकेंगे लेकिन अगर आप छोटा सा प्रोग्राम रखलें तो वह आजायेंगे। तब हमने हनुमानगढ़ और रायसिंहनगर का तो केन्सिल कर दिया और सिर्फ गंगानगर व रायसिंहनगर का प्रोग्राम तय किया। इसके लिये मैंने फिर मुख्य मंत्री जी को और दूसरे लोगों को भी इत्तिला दी और वहां के हमारे एरिया के जो माननीय सदस्य श्रीज्ञान-सिंह जी और श्री भीमराज जी वगैरह हैं उनसे भी बात की उन्होंने यह कहा कि अभी थोड़े दिन इस प्रोग्राम को अभी नहीं रखें तो क्या है थोड़े दिन बाद रखलें क्योंकि अभी तो विधान सभा चल रही है। सभी माननीय सदस्य बजट सेशन में रहेंगे और शायद लोग विधान सभा के चलने की वजह

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

से वहां नहीं आ सकेंगे। तो अच्छा हो यह हरिजन सम्मेलन अभी नहीं करके 15-20 दिन बाद रखलें तो ठीक रहेगा। तो यह बात मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि आप यह बाबूजी से दिल्ली जावें जब कर लेना। तब उस वक्त मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि आये मेहमान को मैं नहीं कैसे कह सकता हूं अगर बाबूजी आ रहे हैं तो आने दो। तब मैंने श्री माथुर साहब से बात की कि आप बाबूजी के प्राइवेट सेक्रेट्री से फोन पर दिल्ली बात करें। तब माथुर साहब के प्राइवेट सेक्रेट्री की बात बाबूजी के प्राइवेट सेक्रेट्री से हुई उस वक्त बाबूजी के प्राइवेट सेक्रेटरी ने फोन पर यही कहा कि अभी तक तो बाबूजी का वही प्रोग्राम तारीख 18 मार्च वाला स्टेण्ड करता है। वैसे हम आपको पक्का 17 मार्च को कनफर्म कर देंगे। चूंकि उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस हरिजन सम्मेलन में अध्यक्ष बनाया गया था तो मुझे उनके सारे इन्तजाम की कोशिश करनी थी। तो माननीय सदस्य यहां पर बैठ कर इस तरह की XXX और सदन के अन्दर इस तरह की XXX यह बात अच्छी नहीं है। चूंकि जब माननीय सदस्य ने यहां इसकी चर्चा की तब मैं यहां पर नहीं था। इसके बाद जो यहां पर यह कहा गया कि वहां पर XXX इतना ही नहीं उन्होंने तो कहां से कितना और कहां से कितना रुपया इकट्ठा किया यह भी बतायें। मैं समझता हूं कि वह माननीय सदस्य तो उस इलाके के नहीं हैं जहां कि सम्मेलन होने जा रहा था। उन्होंने तो किसी से सुना है वही कह दिया है। उन्होंने बताया कि रायसिंहनगर से 72 हजार, अनूपगढ़ से 52 हजार और गंगानगर से 30 हजार रुपये इकट्ठा किया। उपाध्यक्ष महोदय, थिन्द साहब के बारे में जो इकट्ठा करने की बात कही गयी है कि इन्होंने हरिजन सम्मेलन के नाम से XXX तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर सदन में 184 सदस्य हैं अगर वह सम्मेलन के नाम से दस हजार रुपये भी इकट्ठा करके बता दें तो मैं मानू। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सम्मेलन को आप अलग रखें। आज हमारे राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। अगर आज कोई अकाल पीड़ित लोगों के लिये 50 हजार रुपया इकट्ठा करके बता दे तो मैं उसे पांच हजार रुपये का इनाम अपने पास से उस माननीय सदस्य को दूंगा। XXX उसे कौन इतने रुपये देगा। XXX।

श्री निरंजननाथ आचार्य : XXX।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो डिफेमेटरी शब्दों का यूज किया है अपने स्टेटमेन्ट में वह उचित नहीं है। आपको अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये समय दिया गया था उसमें आप किसी दूसरे माननीय सदस्य के खिलाफ जो कि यहां पर हाजिर नहीं है व्यक्तिगत चार्ज नहीं लगा सकते। इसलिये मैं उन शब्दों को जो कि श्री थिन्द के खिलाफ हैं उन्हें सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज करने का आदेश देता हूं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इनका ध्येय श्री थिन्द को डिफेम करने का नहीं था यह प्रश्न नहीं था....

XXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाली गई।

श्री उपाध्यक्ष : Now please conclude.

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके बाद में 12 तारीख को मीटिंग हुई। श्री थिन्द ने मुझे कहा कि आपको दो-तीन बातों का इन्तजाम करना है। एक तो जहां बैठेंगे वहां का दूसरा लाउड स्पीकर वगैरह का इन्तजाम। मैंने कहा हो जायेगा। इधर श्री थिन्द ने वहां पर टैन्ट का जो प्रोगाम किया वह चार दिन के लिये कर लिया जिसका कि किराया करीब 6 हजार रुपये मांगा तब मैंने हमारे वहां के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जो सेक्रेट्री था उसको भेजा तो उसने सिर्फ 600 रुपये में ही टैन्ट का तय कर लिया है। वहां पर मैंने लोगों से चन्दा इकट्ठा करने की बात ही नहीं हुई लेकिन यहां पर जो कहा गया तो मैंने कल या परसों की बात को हमारे वहां के जो पंचायत समिति के प्रधान हैं और वहां की जो कृषि उपज मण्डी के जो चेयरमैन हैं जो यहां पर आये हुए हैं उनसे मैंने पूछा कि क्या वहां पर कोई चन्दा वगैरह इकट्ठा किया गया था तो उन्होंने मुझे कहा कि वहां पर चन्दे के नाम पर एक भी पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है।

चन्दे का जिक्र आया ही नहीं। तो यहां पर 15-16 तारीख को पत्रकारों ने बताया कि बाबूजी के यहां आने पर पर्चे बंटवाये गये। फिर मैंने पता लगाया और जब सारी स्थिति सामने आई तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बाबूजी का जो हरिजनों में आज हिन्दुस्तान में जितना प्रभाव है वह किसी दूसरे का नहीं है जब इतना बड़ा हरिजन सम्मेलन होता है और कम्युनिस्ट भाई उनके खिलाफ हों इसलिए उन्होंने इस बात को लेकर यह प्रचार शुरू किया कि तार दिलवाये और यह हो गया तो यह धोखाधड़ी का मामला बन गया। वहां से आने वाले आदमियों ने क्या किया। 17 तारीख को 2 बजे यह सूचना आई कि बाबूजी नहीं आ सकते। उस समय पांच-सात हजार आदमी इकट्ठा हो गये। कम्युनिस्ट भाइयों ने वहां पर सभा बुलाई और उनके क्षेत्र के एक हरिजन आदमी को कुर्सी पर बैठा दिया और यह कहने लगे कि बाबूजी आप यह करिये, पर्चे बांटिये और बाबूजी ने पर्चे बांटे। इसलिए मेरा निवेदन तो यह है कि इन्होंने गलतफहमी फैलाने की कोशिश की।

श्री फूलचन्द जैन : अगर यह घटना सही है तो बहुत ही शर्मनाक है। दूसरे जगजीवनराम बना सकते हैं, यह आश्चर्य की बात है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उस समय आप कहां थे माननीय सदस्य रामचन्द्रजी यह बताने की कृपा करें ?

श्री शंकरलाल (पाली) : आप सुन तो लीजिये।

(शोरगुल)

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत इल्जाम है ....

श्री शंकरलाल : उनको पहले सुनलें आप।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : ये बिल्कुल XXX बोल रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय

(शोरगुल)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

आपने गलत बयानी क्यों की। मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी फिश्ता करने की आदत क्यों पड़ी। यह XXX है, XXX है। असली बात को छिपाने का यह XXX है। उपाध्यक्ष महोदय ने यह कह दिया है कि आप अपना एक्स्प्लेनेशन दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र चौधरी का नाम लेकर कुछ बातें यहां पर कही गई हैं, उनको अधिकार है कि वह अपनी बात को कहें, वे नहीं थे तो कहा, अगर माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि उनकी बात उनको हर्ट करती है तो आपको भी अधिकार है कि उसको उचित ढंग से विरोध करें लेकिन उनकी बात को सुन तो लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप लीडर हैं तो हम भी अपने दल के लीडर हैं। आपको भी सुनना चाहिए हमको। हमारा निवेदन है कि वे अपना एक्स्प्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन जो बात रिलेवेन्ट नहीं···

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : रिलेवेन्ट इर्रिलेवेन्ट का प्रश्न नहीं है। वह जब एक बात को महसूस करते हैं, वे बोल रहे हैं तो उनको बोलने का अधिकार है। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप नहीं कहें, उनकी बात का नहीं सुनें यह डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में हमारे पर काफी गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। हम जब एक्स्प्लेनेशन देते हैं तो नाराज होते हैं। आखिर उनको सुनने का सब्र तो रखना चाहिए। अब भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में से पांच आदमी चलें और मैं भी चलता हूं और आपको मालूम हो जायगा कि कोई चन्दा किया गया तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। मैंने साफ वर्किंग कमेटी में तय किया था कि एक पैसा भी चन्दा नहीं लेना है। फिर आप लाखों रुपयों की बात करते हैं, यह शर्म की बात है।

शोरगुल

श्री उपाध्यक्ष : नॉट टू बी रेकार्डेड।

× × ×

श्री नरपतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाबूजी एक राष्ट्रीय नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका अपमान किया है, वे आज हरिजनों के नेता नहीं राष्ट्रीय नेता हैं। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो यह एक गलत परम्परा है और हरिजनों के सम्मान में ठेस पहुंचाई है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, मैंने निवेदन कर दिया है कि व्यक्तिगत प्रश्न की बात हो तो मैं आपको मौका दूंगा, आप भी उस समय अपनी बात कह सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक्स्प्लेनेशन देते हुए यह आरोप लगाया है कि बनावटी जगजीवनराम बनाकर और इस तरह से पट्टे दिये, अब किस व्यक्ति ने दिये, कहां

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

(84)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
दिये ऐसा कुछ नहीं बनाकर इस तरीके से वेग चार्जेज लगाकर हमारी पार्टी के खिलाफ और हरिजनों के खिलाफ गलत वातावरण बनाने का प्रयास किया है ? या तो माननीय सदस्य इस प्रकार की कोई बात कहें । डेफिनेट कॉन्क्रीट नाम, तारीख इस तरह की बात करें जिससे कि हम कोई जांच पड़ताल करके जांच कर सकें और फिर कोई बात इस तरह हुई हो, या तो नाटक होते हैं इस तरीके से, कल्चरल प्रोग्राम हो वह बात अलग हो सकती है लेकिन इस तरीके से कोई नाटक होता है, कोई गम्भीर बात हो तो कॉन्क्रीटली बतायें, पार्टी के सेक्रेटरी के नाते जांच करूंगा और मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी के बारे में कि इस तरह की घटना नोटिस में नहीं आयी और न पार्टी का रवैया इस तरीके से है, कल्चरल प्रोग्राम से नीति को गलत मानते हो, सरकास्टिक तरीके से, फिर वह अलग है ।

श्री शंकरलाल : कल्चरल प्रोग्राम था यह मानते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे कोई पता ही नहीं है, माननीय सदस्य ।

छोटी चौपड़ पर भुट्टो का नाटक किया निक्सन का पुतला जलाया ।

श्री फूलचन्द जैन : भुट्टो और निक्सन से जगजीवनरामजी की तुलना मत कीजिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य के सामने कोई कॉन्क्रीट बात हो तो वह कहें, कॉन्क्रीट बात की तो जांच की जा सकती है । जहां तक माननीय सदस्य ने एक्सप्लेनेशन दिया है, माननीय हुडा ने उनके बारे में नहीं कहा था और अमाउन्ट बताया माननीय बेगारामजी ने कहा कि फलां-फलां जगह से किया इकट्ठा ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय नेता से मेरी यह प्रार्थना है कि निक्सन के बारे में कोई करे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, भुट्टो के लिये करे मुझे कोई ऐतराज नहीं । लेकिन कम से कम जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनके लिये ऐसा न करें यह मेरी प्रार्थना है ।

(करतल ध्वनि)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाईपोथेटिकल बात क्यों कहते हैं आप । जैसे मि. धारिया को आप राष्ट्रीय नेता मानते हैं, हम नहीं मानते । हम आलोचना करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । मुख्य मंत्री महोदय बोल रहे हैं अभी ।

श्री हरिदेव जोशी : यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह पोलिटिकल एटमास्फियर को विशियेट करेगा । एक पार्टी के नेता के लिये ऐसी बात कहें तो दूसरी पार्टी के नेता के लिये दूसरी बात कही जावेगी । इससे पॉलिटिकल एटमोस्फियर विशियेट होगा । आप इसको स्वीकार करें तो अच्छा है । नहीं करें तो आपके ऊपर है यह । मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप ऐसा न करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाई पोथेटिकल बातें हैं । आप कहते हैं जगजीवन राम जी कम्युनिस्ट विरोधी हैं, आप यह मानते हैं कि जगजीवनराम जी कम्युनिस्ट विरोधी हैं ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(व्यवधान-शोरगुल)

माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं यह पूछता हूं कि आप के सदस्य कह रहे हैं कि जगजीवन राम जी कम्युनिस्ट विरोधी हैं....

श्री हरिदेव जोशी : मैं वह नहीं कहता हूं। आप इस बात को खत्म करिये। एक पार्टी कुछ कहेगी, दूसरी पार्टी कुछ कहेगी। इससे पोलिटिकल एटमास्फियर विशियेट होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक....

श्री उपाध्यक्ष : नो क्वेश्चन । आई एम नोट अलाउइंग।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज।

सदन की मेज पर रखे जाने वाला पत्र

राज्य मन्त्री गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उप-धारा (3) के अन्तर्गत समाचार भारती, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित लेखे और संचालकों का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की ओर से घोषणा।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री गुरदयालसिंह जी सन्धु, माननीय सदस्य, विधान सभा के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में जिक्र किया और उसमें उन्होंने बतलाया, कि माननीय सन्धु और उनके परिवार के सदस्यों की स्थानीय पुलिस ने कुछ इस प्रकार की अशोभनीय बातें रिकार्ड कर मान हानि करने का प्रयत्न किया है इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष के समक्ष एक विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया और उन्होंने चाहा कि उस विषय में माननीय अध्यक्ष ने कार्यवाही की है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य तथा सदन के समस्त माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने इस प्रकार के विषय को 24-2-75 को प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द कर दिया है।

प्रस्ताव पर विचार

माननीय मुख्य मन्त्री जी !

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:—

"यह सदन दिनांक 20 मार्च, 1975 को दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री ए. एन. रे पर एक युवक द्वारा हथगोले से किये गये घातक हमले की निन्दा करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के अन्दर, जहां प्रधान मन्त्री अपनी गवाही देने जा रही थी, वहां पर भरा हुआ पिस्तोल लेकर जो व्यक्ति गया वह पकड़ा गया उस सम्बन्ध में एक निन्दा प्रस्ताव सर्व सम्मति से यहां पारित कर चुके हैं।

(श्री हरिदेव जोशी)

उसके कुछ दिनों के बाद ही दिल्ली में यह घटना घटी है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश श्री ए. एन. रे. अपना कार्य करके घर जा रहे थे तो रास्ते में ट्राफिक पड़ता है, वहां पर उनकी कार रुकी। उनकी कार के अन्दर दो बम फेंके गये। स्वाभाविक रूप से उनको आघात पहुंचाने के लिये फेंके गये थे। सौभाग्यवश वे बम फटे नहीं और वे बच गये। इसको मैं प्रभू का अनुग्रह मानता हूं। इस प्रकार की घटनायें यह दर्शाती हैं कि निश्चित रूप से देश में इस प्रकार के तत्व विद्यमान हैं जो चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा राजनैतिक या अन्य कारणों से हत्या से, हिंसा से इस प्रकार के काण्ड करके देश के जिम्मेदार लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रश्न ने सारे देश में चिन्ता पैदा की है और हम यह समझते हैं कि यह घटना ऐसी घटना है जिसको कोई संजीदा व्यक्ति, कोई भी पोलिटिकल पार्टी, कोई भी समूह उचित नहीं ठहरा सकता है।

मैंने यह प्रस्ताव रखा है। यह जो घटना हुई है उसकी मैं पुरजोर शब्दों में निन्दा करता हूं और यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन इस घटना की पुरजोर शब्दों में निन्दा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य !

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न पर ज्योंही यह विषम स्थिति पैदा हुई प्रस्ताव रखा था। लेकिन माननीय नेता द्वारा एक मत से प्रस्ताव रखने की दृष्टि से मैं इस पर मौन हो गया।

निस्संदेह, श्री एन. एन. रे., आनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया पर यह घातक, बर्बर और कायरता पूर्ण हमला इस बात का द्योतक है कि परोक्ष अपरोक्ष रूप में राष्ट्र में इस प्रकार की प्रवृत्तियां पनपती जा रही है यह राष्ट्र के लिये चुनौती है, चुनौती इस रूप में कि इन प्रवृत्तियों को समय पर नहीं कुचला जायगा तो न्याय व्यवस्था और डेमोक्रेसी खत्म हो सकते हैं।

यह बड़ी कृपा, अनुकम्पा रही भागवान की दो हैण्ड ग्रेनेड उनकी कार में फेंके जाने पर भी बाल-बाल बच गये ? यह चमत्कारी स्थिति रही लेकिन न केवल हम दुघटना की निन्दा करें वरन् हम केन्द्रीय सरकार को आगाह करें कि ऐसे फासिस्ट प्रवृत्ति को कुचलने के लिये सख्त कदम लिये जाने चाहियें। साथ ही राजस्थान सरकार को भी सचेत करना चाहता हूं। अभी तो संकेत दिया है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके जिसका अर्थ होता है न्याय व्यवस्था और प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पर हर जगह खतरा है। चीफ जस्टिस के लिये जिस प्रकार सिक्योरिटि टाइट की गई है, वहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के चीफ जस्टिस महोदय के सम्बन्ध में भी सिक्योरिटि का पूरा प्रबन्ध किया जाना चाहिये। यह खतरे की घंटी बजी है इसलिये जनतान्त्रिक पद्धति को संकेत लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कु-कृत्य की भर्त्सना करना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि माननीय चीफ जस्टिस श्री अजितनाथ रे के ऊपर जो हैण्ड ग्रेनेड के द्वारा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हमला किया गया उसको कटु शब्दों में भर्त्सना की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, हमको इस सम्बन्ध में चिन्तित होना चाहिये और गहराई से विचार करना चाहिये आखिर कार जो तांता हिंसा का चला है, इसके कारण भी क्या है। मैं बहुत गहराई से इस सम्बन्ध में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं यह कहना चाहूंगा चाहे आप समाज की देश की परिस्थिति में जो हिंसा का तांता चला है उसको आप फासिस्ट की संज्ञा दें या असन्तोष की संज्ञा दें या कुछ हद तक शासनारूढ़ दल का मिस रोल कह कर भी संज्ञा को परिवर्तित कर दें।

पहले जस्टिस ग्रोवर पर भी इसी तरह का हमला हुआ था। श्री ललितनारायण मिश्र की दुर्घटना दो जनवरी को हुई वह भी इसी तरह की समस्या है, माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री शंकरदयाल शर्मा के भोपाल स्थित निवास पर भी यह समस्या हुई। अभी माननीय प्रधान मंत्री का इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी चुनाव याचिका के सम्बन्ध में उपस्थित हुई वहां पर भी एक व्यक्ति लोडेड रिवाल्वर से भरा हुआ पिस्तोल पकड़ा गया। उसके बाद हैण्ड ग्रेनेड की यह दुर्घटना चीफ जस्टिस पर दिन दहाड़े हुई। सरकार के हाथ लम्बे हैं मैं इस सम्बन्व में भी चिन्ता व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता हूं लेकिन वे हैण्ड ग्रेनेड इण्डियन आर्मी द्वारा बने हुये थे या फॉरन के बने हुए थे अगर मार्किंग मिटा दी गई है तो सामान्य बुद्धि की बात है। उसकी शान-शकल, मेन्यूफैक्चर, उसकी मेक से कुछ पता लग सकता है और सरकार को भी इस सम्बन्ध में गहराई से विचार करना चाहिये। बहुत सी बातें इस सम्बन्ध में दृष्टिगोचर होती हैं। इसके साथ अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं जो व्यक्ति विशेष अहिंसा के सिद्धान्त को मानता है वह सामान्य बुद्धि के अनुसार जनतन्त्र के लिये परम आवश्यक है उसके साथ-साथ थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन भी मेरे ख्याल से परम आवश्यक है। जो आन्दोलन जन आक्रोश को शान्त करने के लिये हिंसा की पद्धति से चलते हैं तो क्या उसको फासिस्ट की संज्ञा दी जाय आपको अधिकार है मैं समझता हूं अगर कोई व्यक्ति विशेष आन्दोलनों पर काबू पाने की चेष्टा करता है तो वह देश के लिये अहितकारी नहीं है। उनकी बात वाजिब है और कांग्रेस की प्रक्रिया के अनुसार वे एक हद तक मैं समझता हूं वाजिब है। आपकी इलेक्शन मेनीफेस्टो को अधिकांश बातों को लेकर हिंसा और सच्चाई पर आन्दोलन करना चाहते हैं तो शासनारूढ़ दल को भी अपने आपको संयम और नियन्त्रण रखते हुये जनता के शासन में क्या करना और क्या नहीं करना इस बारे में विश्लेषण करना चाहिये। डोज एण्ड डोन्ट्स की तरह सेल्फ पर नियन्त्रण रखिये कि अमुक-अमुक चीजें हरगिज नहीं करेंगे। आपके पास विशाल क्षेत्र है, आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आज देश में महंगाई से लोगों की क्रय शक्ति में ह्रास हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ी है हण्ड्रेड पर्सेन्ट मोटा अनाज के भावों के अन्दर वृद्धि हुई है.......

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कहीं विषयान्तर नहीं हो रहे हैं ....

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा कथन शीघ्र ही समाप्त करूंगा। मैं कोई राजनैतिक

(श्री लक्ष्मणसिंह)

रंग में नहीं रंगना चाहता हूं लेकिन जिम्मेवार नागरिक के रूप में अगर दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं तो आप मुझे क्षमा करें। इसके साथ जो इन्टेलिजेन्सिया वर्ग है, शिक्षित वर्ग है उसमें बेरोजगारी की जो समस्या विषम होती जा रही है उसके भी कारण हो सकते हैं। सरकार को गंभीरतापूर्वक इन समस्याओं पर विचार करना चाहिये और माननीय सदन के नेता का जो यह प्रस्ताव है, इसके सम्बन्ध में जो चीफ जस्टिस के ऊपर हमला हुआ है, उसकी निन्दा करते हुये इस संकल्प का समर्थन मैं मेरे दल की ओर से करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, इसका समर्थन करता हूं और यह जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति की भर्त्सना करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बात आवश्यक है कि इस बात का विश्लेषण किया जाय, जानकारी प्राप्त की जाय, गहराई में जाया जाय कि ये घटनायें निरन्तर एक के बाद एक क्यों हो रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं प्रधान मंत्री जी ने जो लोक सभा में संकेत दिया है कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे कुछ विदेशी शक्तियों का हाथ है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इस बात की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्य या कुछ लोग जो यह थ्योरी इस प्रकार की हिंसा के पीछे गढ़ रहे हैं कि यह सब जन आक्रोश सरकार को जन विरोधी नीतियों के कारण है और चूंकि जनता में असन्तोष है, इस कारण फ्रस्ट्रेशन से वे ऐसे कदम उठा रहे हैं। वह सब चीफ जस्टिस रे के ऊपर हमला होने पर वह थ्योरी ध्वस्त हो गई और जो बात हम कहते हैं कि यह अटेक कुछ व्यक्तियों पर नहीं है, यह अटेक शासक दल पर नहीं है, यह अटेक हमारे बेसिस लोकतन्त्र पर है, यह अटेक संसदीय प्रणाली पर है, यह अटेक सीधा संविधान पर है। हमारी एक्जीक्यूटिव पर न कर सीधा जुडिशियल हैड पर किया, जिसको हिन्दुस्तान में निष्पक्ष माना जा सकता है, जिसको निर्दलीय माना जा सकता है किसी दल पर कोई दुर्भावना न हो, और किसी दल पर कोई सद्भावना भी न हो, इस प्रकार माना जा सकता है। हमारी जुडिशियरी और चीफ जस्टिस यदि इस प्रकार की घटनाओं का सम्बन्ध केवल सरकार की नीतियों से सम्बन्धित होता है तो वह एक्जीक्यूटिव तक ही सीमित रहता लेकिन इस घटना ने उस बात को जैसा मैंने कहा कि गलत साबित कर दिया है और यह सीधा हमारा लोकतान्त्रिय प्रणाली के ऊपर अटेक है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की मिसालों की कमी नहीं है कि अमेरिकन सरकार या सी. आई. ए. विभाग इस प्रकार की गतिविधियों में हमारे मुल्क में भी और दूसरे मुल्कों में भी खूब सक्रिय रहा है और अभी तक अमेरिका के वर्तमान प्रेसीडेन्ट ने इस बात को नीति के रूप में घोषित कर दिया कि उनकी नीति ऐसी सरकारों के प्रति जो सरकार उनका वैदेशिक नीति की परिधि में नहीं आती उनको डीस्टेबलाइज करने का सारा अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्य है और डीस्टेबलाइजेशन की नीति के फलस्वरूप चिली

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
में उन्होने हस्तक्षेप किया, इन्टरवीन किया पहले इन्कार किया और बाद में पूरी तरह से मान लिया कि अमेरिकन सी. आई. ए. ने वहां की कुछ कम्पनियों के जरिये क्रांति कराई थी।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि हमारे देश में भी खुले तौर से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे दियागो, गारशिया में द्वीप बनाकर या पाकिस्तान को आर्म्स देकर कर रहा है हमारे देश की इस पद्यति में अव्यवस्था फैलाकर हमारे देश में हिंसा का वातावरण फैला कर अराजकता फैला कर या इस प्रकार के तत्वों को बेस बनाकर फासिस्ट-वाद लाना चाहते हैं और इस प्रकार का खुला षड्यन्त्र करके योजना बद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां यह दुख का विषय है वहां गम्भीर चिन्तन और साव-धानी का विषय भी है और इसका केवल इन्सीडेन्ट नहीं मानकर देश को गम्भीर चेतावनी है, एक चेलेन्ज है जिस चेलेन्ज को हमें सावधानी से मीट करना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दल की यह पुख्ता राय है कि जो देश में प्रयत्न फासिस्टवाद को लाने के हैं उस क्रम का यह एक अंग है और उसी अंग के रूप में यह कार्य हो रहा है। जब तक उसके प्रति कॉम्पलीसेन्सी बरती जायेगी और खुलकर उससे लड़ाई नहीं लड़ी जायेगी और लड़ाई लड़कर उसे हटाया नहीं जायेगा, इस सारे षड्यन्त्र को विफल नहीं किया जायेगा तबतक इस तरह का घटनाओं का रिपीटीशन होना बराबर जारी रहेगा और शायद हमको गंभीर उसके परिणाम भुगतने पड़ें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां इस प्रस्ताव से मैं सहमति व्यक्त करता हूं वहां सावधानी बरतने के लिए भी राजस्थान सरकार जो कुछ भी कर सकती है अपने प्रान्त में इस दिशा में उसको करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर जो प्रस्ताव मुख्य मन्त्री जी ने पेश किया है मैं और मेरा दल उसका पूर्ण रूप से सम-र्थन करता है। मान्यवर आज जो वायलेन्स का क्लाइमेट बढ़ता जा रहा है मेरा इसके बारे में यह निवेदन है कि हम सब जानते हैं कि छुटपुट तरीकों से हिंसा करके कभी राज्य की व्यवस्था बदली नहीं जा सकती और जिन लोगों का इसमें विश्वास है कि दो-चार का कत्ल करने से, बम्ब और ग्रेनेड से हत्या करने से मौजूदा राज्य व्यवस्था बदली जा सकेगी वह बिल्कुल भ्रम है। इसका मतलब है वह संघर्ष और आन्दोलन की फिलॉसफी में विश्वास नहीं करते और जो मौजूदा क्रांति परिवर्तन की राजनीति है उसमें विश्वास नहीं है। यह युवक कौन है और किस से इसका अलायेन्स है यह मैं नही कह सकता मगर माननीय चीफ जस्टिस को जनवरी में एक पत्र मिला, वह पत्र जो अब दो रोज पहले पेश किया गया और इण्डियन एक्सप्रेस अखबार में पत्र छपा है और हमें मालूम है कि बिहार, उड़ीसा के आसपास जो ऐसी घटनायें हुई हैं पांच, दस साल पहले और आज समस्तीपुर काण्ड कमीशन के सामने जैसे बयान आ रहे हैं उससे साबित हो गया और इलाहाबाद में जिस युवक ने हत्या करने का प्रयास किया और वहां जाने

(श्री केदारनाथ)

की कोशिश कर रहा था उसका भी मालूम हो गया और मान्यवर मैं इसलिए कह रहा था कि जिन लोगों ने बुनियादी तौर पर आजादी की लड़ाई लड़ी है पहली पंक्ति में खड़े होकर केवल फासिस्ट कह कर ही वह प्रजातन्त्र के खिलाफ हैं यह न्याय की बात नहीं है। इसलिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है वह ऐसा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे चाहे जितनी कुर्बानी करनी पड़े। यह स्पष्ट है और हमें यह भी मालूम है कि जिन देशों में क्रांति हुई है वहां छुटपुट एक्ट वॉयलेन्स के कभी सफल नहीं हुए। वहां सामूहिक रूप से और अच्छी लीडरशिप के नीचे बड़े मेन ऑब्जेक्टिव के साथ परिवर्तन राजनीति में आये हैं और वही देश क्रांति कर पाये हैं। इसलिए इस समय मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता जो प्रस्ताव पेश किया गया है ऐसी घटना चाहे रेवोल्यूशनरी आर्म्ड यूथ की हो, किसी भी पार्टी से एफीलियेशन हो इसका सख्ती से मुकाबला किया जाना जरूरी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह न्यायपालिका के उच्चतम और हमारे राष्ट्र के…

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी के नेता तो बोल चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : यहां नेता और उप-नेता दोनों को अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : विशेषाधिकार है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि यह वास्तव में बहुत ही चिन्तनीय विषय है और सदन में इस पर हमें सब प्रकार से जो एक, दो, तीन घटनायें हमारे सामने आई और उसमें जहां एक ओर प्रधान मंत्री पर जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव के नाते देश में सबसे बड़ी हैं और राष्ट्रपति जी का जो सभी ओर से उच्चतम स्थान है लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से प्रधान मंत्री का उच्चतम स्थान है और न्यायपालिका की दृष्टि से चीफ जस्टिस का स्थान सबसे ऊंचा है और माननीय मुख्य न्यायाधीश के ऊपर तो हमला कर ही दिया गया। यह हम सबका सौभाग्य है और ईश्वर की ऐसी अनुकम्पा है जिसके कारण से वह इसमें से बच निकले, जैसा उन्होंने स्वयं कहा। उपाध्यक्ष महोदय, इन दुर्घटनाओं के पीछे किस प्रकार की भूमिका है इसके बारे में अब तक कोई स्पष्ट कल्पना हमारे सामने नहीं आई। कई प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये हैं और इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। यद्यपि सब प्रकार की सतर्कता रखी जा रही है और सब प्रकार से प्रयास किये जा रहे हैं। समस्तीपुर बम काण्ड के अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात् भी आज तक हमारे सामने यह स्पष्ट कल्पना नहीं आ सकी या समाचार नहीं आ सके, सूचना नहीं आ सकी कि वह व्यक्ति कौन है। कई प्रकार के समाचार छपे और कई प्रकार के खण्डन हुए। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। यदि इस देश में अमेरिका किसी प्रकार से षड्यंत्र करके देश की शांतिमय व्यवस्था में विघ्न डालना चाहता है तो उसकी भर्त्सना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की जानी चाहिए। यदि अमेरिकन एजेन्टस सी. आई. ए. के लोग जो इस समय पाकिस्तान को सब प्रकार से हथियार देकर और लैस करके इस देश पर हमला करवाना चाहते हैं और आन्तरिक दृष्टि से भी यहां पर किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का कर्त्तव्य है कि उनका हर स्तर के ऊपर मुकाबला किया जाना चाहिए यदि यह कोई पागलपन का कार्य है किसी व्यक्ति का तो इस प्रकार का पागल व्यक्ति ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर हमला न कर सके इसके लिए प्रदेश और केन्द्रीय सरकार को सब प्रकार की सतर्कता बरतनी चाहिए। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन प्रश्नों के साथ में यदि कोई दल, राजनीतिक दल लाभ उठाने का प्रयत्न करे तो उसकी भी भर्त्सना करनी चाहिए क्योंकि अब हम विषय की गंभीरता को देखते हैं और उसके साथ में राजनैतिक लाभ की बात को जुटाना चाहते हैं तो उससे विषय की गंभीरता कम हो जाती है और हम राजनैतिक दल-दल में फंस जाते हैं। जैसा उत्तरप्रदेश विधान सभा में हुआ, वहां पर प्रिविलेज मोशन लाया गया, यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस दलगत राजनीति के विषय में नहीं फंसे और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य भी ऐसे गंभीर विषय पर अपना विचार प्रगट करें तो उसके अन्दर किसी प्रकार का राजनैतिक लाभ लेने की दृष्टि से कोई बात न कहें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी पंडित दीन दयाल उपाध्याय की इस प्रकार से बहुत ही संदेहास्पद स्थिति में हत्या की गई मुगलसराय के ऊपर और देश में अनेक ऐसे काण्ड हुए जिसके कारण से भी हमने हमारी हिंसा की प्रवृति को राजनीति में कोई कहीं पर भी स्थान नहीं देना चाहा है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, आज देश का जो वातावरण है उससे देश में जो असंतोष है या आक्रोश है, मेरी यह मान्यता है कि इन हत्याओं का इन असंतोष और आक्रोश से सम्बन्ध नहीं है परन्तु यह जांच की बात है और जांच के बाद ही मालूम हो सकेगा कि इनका क्या सम्बन्ध है। अभी तक जो जांच हुई है और जिस प्रकार के तथ्य आये हैं उसमें किसी प्रकार के यह संकेत नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए हम सब एक जुट हो करके राजनैतिक लाभ की दृष्टि से नहीं, राजनैतिक चोट-चपेट करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था राज्य में स्थान देते हुए लोकतांत्रिक मानबिन्दु में चाहे वह प्रधान मंत्री हो, न्यायमूर्ति हों, राष्ट्रपति हों, मंत्री हों, विधायक हों, सरपंच, पंच या कोई साधारण नागरिक हों, इन सबके लिए प्रयत्न करें राज्य स्तर पर, जनता के स्तर पर और हिंसा का जहां कहीं पर भी इदार हो, जिस किसी प्रकार का दौर हो उसकी पूर्णरूप से भर्त्सना करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि "यह सदन दिनांक 20 मार्च, 1975 को दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे पर एक युवक द्वारा हथगोले से

(श्री उपाध्यक्ष)
किये गए घातक हमले का निन्दा करता है, यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

(स्वायत्त शासन मंत्री के सदन में आने पर)

श्री लक्ष्मणसिंह : कहाँ सो गए थे आप ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं बीमार हो गया था गोली लेने गया था ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कोई ऐसी गोली लाइये जिससे कच्ची बस्तियों की समस्या हल हो जाय ।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में 109 कच्ची बस्तियां हैं । राज्य सरकार इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बसाने व उन्हें न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से सफल रही है । स्वतंत्रता की रजत जयन्ति वर्ष में प्रत्येक कच्ची बस्ती में सार्वजनिक कार्य जैसे कि नल तथा बिजली लगाये जाने का निर्णय लेकर, संबंधित विभागों को आदेश जारी किये गये और इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया कि प्रत्येक कच्ची बस्ती में कम से कम एक सार्वजनिक नल अवश्य लगा दिया जाय । इसके बाद सन् 1972-73 वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के विकास हेतु 5 लाख रुपये की धनराशि विशेषतौर से प्रदान की गई जिसके प्रथम चरण में सड़कों तथा नालियों आदि के विकास कार्य 13 कच्ची बस्तियों में किये गये । जयपुर शहर की 109 कच्ची बस्तियों को दृष्टि में रखते हुए चूंकि 5 लाख रुपये की धनराशि बहुत न्यून थी अतः राज्य सरकार ने इन कठिनाइयों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया तथा इन बस्तियों के विकास की योजना तैयार कर केन्द्रीय सरकार को भेजी । केन्द्रीय सरकार ने फलस्वरूप जयपुर की कच्ची बस्तियों को वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत शामिल किया । इसके बाद बस्तियों के निवासियों को राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार तथा सम्भव उस बस्ती में ही भूमि आवंटन कर विकास कार्य आदि बहुत ही तीव्र गति से करके बसाने का कार्य किया है । जब भारत सरकार ने जयपुर शहर को वातावरण सुधार कार्य के अन्तर्गत शामिल किया तो कच्ची बस्तियों के लिए कार्यक्रम की पहली परियोजना के अन्तर्गत मार्च, 1973 में 12 कच्ची बस्तियां हाथ में ली गई । वर्ष 1973-74 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 5 परियोजनाओं के अन्तर्गत 52 बस्तियों के लिए 68 लाख 82 हजार 20 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई जिससे लगभग 63 हजार से भी अधिक कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं । वर्ष 1974-75 में छठी परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें 15 कच्ची बस्तियों को हाथ में लिया गया जिसमें करीब 19,889 निवासी रहते हैं । राज्य सरकार द्वारा छठी

Page No 93

(93)

(श्री रामनारायण चौधरी)
परियोजना के अन्तर्गत 29,36,800) रु. की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 9,76,000) रु. नगर विकास न्यास, जयपुर को दे दिये। इस प्रकार से वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों को बसाने के लिए अब तक 6 परियोजना स्वीकृत की गई। अब तक जयपुर नगर में कच्ची बस्तियों के विकास कार्यों पर केन्द्रीय सरकार से 46,57,440) रु. तथा राज्य सरकार का ओर से 25,80,000) रु. की सहायता दी गई तथा 9,20,000) रु. की स्वीकृति अभी दी गई है। इस प्रकार कुल 74 लाख रुपये लगभग की राशि अब तक नगर के विभिन्न कच्ची बस्तियों के विकास कार्यों पर खर्च की जा चुकी है।

इस प्रकार से यह कहना कि राज्य सरकार जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के निवासियों को एक निश्चित नीति के अनुसार बसाने और घोषणानुसार उनकी ही बस्तियों में आवासीय भूमि दिये जाने में असफल रही है, सही नहीं है। इन कच्ची बस्तियों में अब तक राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार लगभग 4500 निवासियों को केवल 3) रु. वर्ग गज की दर पर भू-खण्डों का आवंटन कर यथा-सम्भव जिन बस्तियों में लोग रहते थे वहीं उन्हें बसाया गया है। इस प्रकार से यह कहना कि राज्य सरकार घोषणा अनुसार आवासीय भूमि के सम्बन्ध में असफल रही, सही नहीं है। राज्य सरकार ने इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों की पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों को राजस्थान स्टेट कोआॅपरेटिव हाउसिंग फाईनेंस सोसायटी लि. से अब तक 18,32,250) रु. ऋण भवन निर्माण हेतु स्वीकृत कराया जा चुका है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे दिनांक 21-8-71 से पूर्व के सभी निवासियों को यथा सम्भव उसी स्थान पर बसाने हेतु प्रयास किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि अभी आज का कार्य है जो विधायी कार्य है, विनियोग विधेयक लिया जाना है इसलिए इस विषय पर डिस्कसन के लिए मैं 3 बज कर 15 मिनिट तक का समय निर्धारित करता हूं जिस समय इसको क्लोज कर दिया जावे।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : दो-तीन मुद्दों के बारे में जानकारा करना है।

श्री हरिदेव जोशी : तीन बजे तक कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, तीन बजे तक समाप्त कर दें इसको।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रश्न है कि कच्ची बस्तियों में लोग बसे हुए हैं उनको आबाद करने के लिए जमीन आवंटन की गई है, यह सही है कि कुछ कच्ची बस्तियों में काम हुआ है और काम चल रहा है, इससे हम इन्कार नहीं करते। पर उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी ऐसी कच्ची बस्तियां हैं कि जिन कच्ची बस्तियों को

Page No 94

(94)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हमारी सरकार ने दिए थे पट्टे उन बस्तियों को किसी न किसी शक्ल में बसाने से रोका जा रहा है और मैं उदाहरण बहुत सी बस्तियों को दे सकता हूं। पर मैं यह चाहता हूं, तफसील में न जाकर मैं यही निवेदन किया चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय से कि जिन बस्तियों को आपने पट्टे दे दिए उनका अगर आबाद करने में कोई दिक्कत पैदा हो रही है तो उसमें आपको मदाखलत करना चाहिए। यू. आई. टी. की तरफ से कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है लेकिन चीफ टाऊन प्लानर्स की तरफ से कुछ दिक्कत दिखाई देती है और इस वजह से कुछ कच्ची बस्तियों में काम आगे नहीं बढ़ाया जा सका है इसलिए एक तो यह सवाल है।

दूसरा सवाल यह है कि यह नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि जो वरनेबल सेक्शन है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं अगर उनके पास जमीन नहीं है तो क्या उनको बसाने की कोई योजना राज्य सरकार के पास नहीं है। यदि हैं तो वह उसका स्पष्टीकरण फरमा दें कि वह क्या योजना है।

तीसरा सवाल यह है कि 31 अगस्त, 1971 की आपने सीमा निर्धारित की है और उसमें आपके अधिकारियों ने बहुत सी कच्ची बस्तियों के अन्दर तो प्रवेश ही नहीं किया और बहुत सी कच्ची बस्तियों में जहां गए वहां उन्होंने सर्व नम्बर छोड़ दिए तो अगर आपकी वो नीति है, 21 अगस्त के ऊपर कायम रहें तो फिर यह निवेदन करना चाहूंगा इस सिलसिले में राज्य सरकार का क्या दृष्टिकोण है। वे लोग जो नई बस्तियों में नहीं गये और वहां पर लोग आबाद हैं, मिसाल के तौर पर अर्ज करूंगा कुछ एरियाज ऐसे हैं जो रिहेबिलिटेशन के कब्जे में हैं, जो एरिया राज्य सरकार के रिहेबिलिटेशन के कब्जे में उसमें कोई भी सर्वे नहीं किया गया है और आज भी बरसों से लोग वहां पर आबाद हैं। अब उनको 1400/- रुपये की रिकवरी का नोटिस भी दिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि जो लोग आबाद है उनको उखाड़ा जाये और यदि उखाड़ा जाता है तो उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन देने की नीति नहीं है। यह मैंने पहले कहा है और आज भी कहना चाहूंगा कि जो रिहेबिलिटेशन की जमीन है, उसको आप नीलाम कर के देना चाहते हैं। इस सिलसिले में मैंने माननीय मंत्री महोदय रिहेबिलिटेशन से गुफ्तगु की है और लोकल सेल्फ मिनिस्टर साहब से भी बात की थी और यह निवेदन किया था। उस जमीन को नीलाम करेंगे तो उन्हीं लोगों का फायदा होगा जो कि पैसा रखते हैं और जिनके पास पहले से ही काफी जमीन है। इसलिए क्या इसका क्लेरिफिकेशन माननीय मंत्री महोदय करेंगे। मेरी मान्यता है, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो मरहूम बरकतुल्ला खां साहब के जमाने में हुई थी उसमें उन्होंने यह संकेत दिया था कि प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण यह है कि और हमारा फैसला यह हुआ है कि जिन लोगों के पास मकान नहीं है, जो वनरेबुल सेक्शन है जो शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनके पास मकान नहीं हैं, उनको जमीन उपलब्ध होनी चाहिये। जो लोग राज्य की जमीन 10/12 साल से लाइसेन्सी की हैसियत से चल रहे हैं, उनको बेदखल नहीं

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

किया जाना चाहिये। यह दृष्टिकोण राज्य सरकार को रखना चाहिए। ह्यूमेनेटरी प्रॉब्लम है, मानवता के नाते इस प्रश्न को हल करना चाहिये। इसके बारे में निवेदन करूंगा कि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए क्या आप इस 21 अगस्त की लाईन को अपना आधार मानते हैं? यह मानते हैं कि जिनके मकानात नहीं है, जो खस्ता हाल है, जो शिड्यूलड कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं, उनको बसाया जाये। मेरी मान्यता है कि जब आप गांवों के अन्दर इनकी आवास की समस्या को हल करते हैं, 5 लाख से अधिक पट्टे देते हैं तो कोई वजह नहीं है, शहर में यह प्रॉब्लम गंभीर है, इसमें इसको भी आप इस नजरिये से देखें, यहां आप यह लागू न करें और लोगों को न बसायें जिनके मकानात नहीं है। ये चन्द सवालात हैं जिनका मैं स्पष्टीकरण मंत्री महोदय से चाहता हूं। यह मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय की इस विषय में दिलचस्पी है कि लोग आबाद हों लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उसके लिए पूरा समर्थन और पूरा को-ऑर्डिनेशन अपने डिपार्टमेंन्ट से नहीं मिलता है और आये दिन हमको शिकवा, शिकायत करने वाले की हैसियत से जाना पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का भी स्पष्टीकरण हो जावे इसलिए इन लोगों को तुरन्त बसाया जाय जिनके पास कोई झुग्गी झोंपड़ी नहीं है। इन बस्तियों का और कई जगह सर्वे नहीं हुआ है। जैसे नायको का टीबा है, इसका सर्वे नही हुआ है। ऐसे और भी स्थान है जिनका पूरा सर्वे नहीं हुआ है। शिड्यूल कास्ट के लोग रह रहे हैं। मेरा अर्ज करना यह है कि... (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) आप मानवता के नाते इन चीजों का स्पष्टीकरण फर्मा दें। जिस आधार पर आपने गांव की आवासीय समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है, और जिस तरीके से आप सफल हुए है, उसी तरह से शहरों के लोगों में भी वातावरण बना करके इस तरह का प्रयत्न करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

श्री केदारनाथ : मैं स्टेटमेन्ट के समय नहीं था। थोड़ा ब्रीफ कर लूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि कच्ची बस्ती झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जयपुर शहर के आस पास, लोगों का संख्या क्या है? क्या सरकार ने इसका सर्वे करवाया है और इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है। इसका सर्वेक्षण करवाया है। यह जयपुर का ही बतावें, वैसे राजस्थान में अभी तो कई स्थानों पर लोग रहते है, परन्तु जयपुर के आस-पास ही अनेक स्थान ऐसे हैं, कच्ची बस्तियों की समस्या है, जयपुर में ऐसे कितने लोग हैं जो झोंपड़ियों और कच्ची बस्तियों में रहते हैं? दूसरा फिलहाल यह बतावें कि इनमें से कितने व्यक्तियो को प्लॉट आवंटित कर दिये हैं जिन पर उनका कब्जा है, रेगुलराईज कर दिया है और इन में से कितने लोगों को आपने लोन दिया है मकान बनाने के लिए, या कच्ची झोंपड़िया बनाने के लिए। ये तीनों बातें आप आंकड़ों सहित यदि बता सकें तो बतावें।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कच्ची वस्तियों की समस्या है, यह एक विकराल समस्या है। और आपने इस सम्बन्ध में बताया है कि कुछ लाख रुपया इसके लिए राज्य सरकार ने खर्च किया है। परन्तु वास्तव में यह सागर में बून्द के समान है। क्योंकि आज जिस प्रकार से लोग दयनीय स्थिति में हैं, उनको सर छुपाने को छप्पर नहीं है, रहने के लिए अलग बात है। किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है या तो फुटपाथ पर लोग पड़े रहते हैं या इधर उधर जगहों में पड़े रहते हैं। एक-एक आदमी पांच फीट, तीन फीट-दस फीट के एरिया में खुले आकाश के नीचे पड़े रहते हैं। जिस प्रकार से ये लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वह बहुत ही दारुण स्थिति है। आजादी के 27 साल बाद भी यह स्थिति बनी रहे, मैं समझता हूं राजस्थान सरकार और हमारे लिये यह कलंक की स्थिति है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताएंगे कि आज भी उनकी जो योजना है, अब तक 2/3 लाख की रकम खर्च की है, अब जो उनकी योजना है, उसके हिसाब से क्या अब तक 1975 के प्रारम्भ तक या 74 के अन्त तक जो लोग जिन-जिन स्थानों पर काबिज हैं, क्या उनके कब्जे, मानवता के नाते रेगुलराइज करेंगे। जो जमीन जिसके कब्जे में है, यह लोगों की जिनाइन नीड है, सिर छपाने के लिए छप्पर में पड़े हैं, क्या उसको आप रेगुलराइज करके उनके पट्टे देने की घोषणा करने का विचार रखते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आज यह एक प्रमुख समस्या है। गांवों के अन्दर छोटे-छोटे स्थान हैं, योजना बना कर के उनको आप बसाना चाहते हैं। परन्तु शहरों के अन्दर जो काबिज हैं, जयपुर शहर के आस-पास इस प्रकार दर्दनाक स्थिति में रह रहे हैं, उनको नया प्लॉट देने की आवश्यकता नहीं है, जिनके ऊपर उनका कब्जा है, उसको रेगुराईज करने की आप घोषणा कर दें मैं यह मांग करूंगा कि यह जयपुर ही नहीं सारे राजस्थान की समस्या है। यह एक विषम समस्या है और साथ ही गंभीर भी। लाखों लोग पड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह और भी दुखः की बात है एक स्थान पर बुल्डॉजर फेर दिया गया। जो लोग यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं उनसे मैंने बात की है, किराये के गुण्डे लेकर उनके छप्पर को हटवा दिया गया है। मैंने उनसे बातचीत की है। उनकी बात में एक टीस थी वास्तव में वे आपके सामने याचक बन कर आये हैं और यह मांग की है कि उनके रहने के लिए, एक छप्पर बनाने के लिए स्थान दिया जाय जिससे वे सुख से रह सकें। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस मानवीय समस्या के हल के लिए क्या जयपुर ही, राजस्थान की समस्या के हल के लिए मेरा यह सुझाव है कि कच्ची बस्ती झुग्गी झोंपड़ी समस्या निवारण आयोग बनाया जाये जिससे राजस्थान का एक नये ढंग की योजना बनायी जाये और जितने चेनल्स है, बैंक्स लोन हैं, सब को नेशनलाइज्ड करके उसका ठीक ढंग से नियोजित किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इस समस्या को हल करने का प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला!

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वास्तव में इस दिशा में काम हुआ है और इसके लिए मैं राज्य सरकार की तारीफ करूंगा। अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक कच्ची बस्ती पर बुल्डोजर फेर दिया गया, मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं वे मेहरबानी करके मेरे साथ चलें उस इलाके में और जाकर स्वयं देखें कि वहां के लोगों ने स्वयं ने अपने झोपड़ों को तोड़ा है और साथ ही मैं जयपुर नगर विकास न्यास को मुबारिकबाद देता हूं कि उसने 10 हजार कच्ची बस्ती के लोगों में से जा 1971 तक के सर्वे के अनुसार हैं, उनमें से 4500 व्यक्तियों को भूखंड के पट्टे दे दिये हैं और जितना बढ़िया काम हो रहा है सारे हिन्दुस्तान में और दुनिया के लोग इस काम को देखने आये हैं और राजस्थान सरकार की इस बात के लिए ताराफ की है। इतना बढ़िया काम गरीबों के बसाने के लिए इस ढंग से नियोजित किया, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं सर छुपाने की जगह नहीं है, वहां पर पक्के मकान बन गये हैं।

लोगों ने अपनी हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर जिनको राज्य सरकार ने इतनी सुविधाएं दीं कि उनको बिना ब्याज के 20 वर्षों की आसान किश्तों में चुकाने के लिए कर्जा दिया है। मैं इस सदन के माननीय सदस्य हाण्डा साहब को दिखाने के लिए ले गया था। उन मकानों को देखकर चित्त प्रफुल्लित होता है। आपका सहयोग अगर ऐसे रचनात्मक काम में हो तो आपको मालूम पड़े। केवल मात्र यहां आकर कह देने से कई बाधाएं पड़ती हैं। ऐसी बातें इन सारे कामों में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा और मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि इतना बढ़िया काम यह हुआ है उसके साथ में यह कम से कम और हो जाय कि दो हजार परिवारों को जमीन का लेवलिंग करवाकर वहां पर बसादें और वहां पर पानी, बिजली और पब्लिक लेट्रिन्स वगैरह बनाकर उनके लिए यह व्यवस्था इस प्रकार की कर दें दो हजार परिवारों के लिए जिससे जयपुर शहर में बाहर से लोग आते हैं रोजगार की तलाश में और जयपुर में इधर-उधर रहकर उसके सुन्दर स्वरूप को बिगाड़ते है तो जंगलात की जमीन जयपुर शहर के आसपास में बहुत पड़ी हुई है वह जमीन रिलीज होना चाहिए। इस प्रकार से एक-एक योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए भी क्रियान्वित करना है। जयपुर शहर की 18 हजार एप्लीकेशन्स हाउसिंग बोर्ड के पास पेंडिंग हैं। कच्ची बस्तियों के साढ़े चार हजार परिवारों की तो आपने समस्या हल कर दी है और साढ़े पांच हजार के लिए माननीय मंत्रीजी भी दिलचस्पी लेते हैं। उनके चैम्बर में मीटिंग हुई थी और उन्होंने यह फैसला किया था कि जल्दी से जल्दी इन 5½ हजार परिवारों को भी जो जहां पर बैठा है उसको वहां पर आवास खण्ड आवंटित करवा दिया जाय। कुछ राजनैतिक झगड़े वहां पैदा होते हैं और कुछ स्वार्थी लोग वहां जाकर घुस रहे हैं और सारी कच्ची बस्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं मंत्रीजी को फिर इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि 1,500 रुपये गज पर जहां उन्होंने जमीन नीलाम की है वहां

Page No 98

(98)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

3 रु. गज में भी जमीन दी गई है। इससे बड़ा काम और गरीबों के लिए नहीं हो सकता है। केवल मात्र आलोचना करके और कुछ आदमियों को पकड़ ले आयें और मेरी बात को गलत ढंग से पेश करते हैं ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : कुछ नहीं, 40 हजार आदमी बाहर इकट्ठे हुए हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जहां पर 6½ हजार परिवार कच्ची बस्तियों में निवास करते हों, मैं लोढ़ा साहब आपको चुनौती देता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो उन कच्ची बस्तियों में जाकर बात कीजिये और उन लोगों से बात कीजिये जो आपके यहां जोधपुर में कच्ची बस्तियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं उनसे बात करें। आवश्यक रूप से भाषण देकर आपके और आपके अनुयायी केवल-मात्र लोगों से इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे सारा काम धन्धा ठप्प हो जाय और निर्माण का काम न हो ताकि आपकी दुकानदारी बदस्तूर चलती रहे और कच्ची बस्तियों के नाम पर आप राजनैतिक शोषण करते रहें। हजारों लोग इस काम में लगे हुए हैं और यहां 40 आदमी आपके प्रदर्शन करते हैं। आपकी दुकान उठ गई है आज स्थिति यह है। मैंने देखा है आपकी सारी नाटकबाजी को। 20 आदमी तो आप क्लेक्ट नहीं कर पाते हैं और यहां पर बात करते हैं। वहां पर मैं और आप दोनों चलते है यहां से। मैं चेलेन्ज करता हूं अगर वहां का लोकल आदमी एक भी आपको सपोर्ट करे तो ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपमें चलने की हिम्मत हो तो आईये बाहर हजारों लोग खड़े हैं ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपकी तरह से हाई कोर्ट में वकालत करके जीवन-यापन नहीं करता हूं। मैं सड़क छाप आदमी हूं और सड़कों पर ही रहता हूं। कच्ची बस्तियों और गन्दी बस्तियों में काम करना मेरी जिन्दगी का लक्ष्य है, और मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कच्ची बस्तियों में रहकर इन्डस्ट्रीज चलाते हैं और बड़े-बड़े महलों में रहते हैं और कच्ची बस्तियों की बातें करने से काम नहीं चल सकता है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि आरोप लगाने का उनका अधिकार है। वह कह सकते हैं लेकिन मैं उनको चुनौती केवल मात्र इस बात के लिए देता हूं और बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अमृत लाल जी गहलोत से बात करें वह जोधपुर में काम कर रहे हैं। अजमेर में कच्ची बस्तियों के बारे में काम हुआ है और 15 लाख सेन्क्शन वहां के लिए किये गये हैं।

तो इसके बारे में दुबारा मैं यह निवेदन करूंगा कि उन दो हजार परिवारों के लिए यह व्यवस्था करेंगे। हमने नरौरा कैम्प में इस बात का डिसीजन किया है और हमने रावतभाटा में इस बात को कहा है कि जो परिवार शहरों में कच्ची बस्तियों में मजबूरी से रह रहे हैं उनके लिए 31 अगस्त 1971 की लक्ष्मण रेखा को छोडिये, और जो आदमी जहां पर बैठा है उसके लिए वहां पर आवास की व्यवस्था कराने की हमारी जिम्मेबारी है। यह आपने बढ़िया

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
काम किया है। उसी प्रकार से इस सारे काम को पूरा करके राजस्थान की राजधानी जयपुर का यह अनुकरणीय उदाहरण हो, जयपुर एक अच्छा उदाहरण बने।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान के अन्दर सर्वे के अनुसार 30 हजार झोंपडियां हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि 1956 में पार्लियामेंट ने स्लम क्लियरेन्स एक्ट पारित किया है तो मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि इस सारे राजस्थान में इस मानवीय समस्या को हल करने के लिए जिस प्रकार बहुत अच्छे ढंग से स्लम्प क्लियरेन्स बोर्ड का गठन करके सारे राजस्थान के स्तर पर इस काम को पूरा करायें ताकि शहरों के अन्दर जो गरीब और मजदूर इन्सान हैं, जिस इन्सान की लोढ़ा साहब आपकी ठेकेदारी खत्म हो चुकी है, केवल जिन्दा रहने लिए दूध के अन्दर तूफान की भांति उफन कर कभी-कभी ये प्रतिक्रियावादी शक्तियां उभर कर आती हैं वे विफल होकर पस्त हो जायं और जो भी इनको जिन्दा रहने को, पैर रखने को जगह मिलती है वह समाप्त हो जाय और सब मिलकर यह संकल्प करें कि इस काम को पूरा करेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष ···

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार साहब !

श्री मूलचन्द सामरिया : गोटेवाला साहब ने बात कही उसका एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं। आपकी तरफ से केवल मात्र भाषण देकर चले जाते हैं ···

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं जानता हूं कि आप क्या हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ···

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 450 पट्टे करवाये हैं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, कच्ची बस्तियों और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के बारे में राज्य सरकार की स्पष्ट नीति क्या है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है और जो काम हुआ है उसमें 50-60 लाख रुपये खर्च किये हैं और 3 रुपये गज में जमीन दी है और 10-15 हजार आदमियों को बसा दिया है, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं। मगर आपने एक सिद्धान्त के रूप में 71 से पहले के काश्तकार ने जो जमीन पर एन्क्रोचमेन्ट कर लिया तो आपने इस सदन में माननीय मन्त्री जी सब को रेग्युलेराइज कर दिया। एक कलम से उनके एन्क्रोचमेन्ट को रेग्युलराइज कर दिया सारे राजस्थान में। आपने इस सिद्धान्त को माना।

दूसरा, मान्यवर, हम यह कहते हैं कि जैसा कि आपने 26 जनवरी को 5½ लाख पट्टे हाउसिंग साइट के दिये हैं उन लोगों को तो इसी प्रकार से जो लोग बैठे हैं यहां पर उनके संवैधानिक अधिकार को मानें और उनको रेग्युलराइज कर दें

(श्री केदारनाथ)
सिद्धान्त के तौर पर। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे गवर्नमेन्ट सर्वे करवायें, जो भी कच्ची बस्तियों में बैठे हैं और जिनका 15 फरवरी, 1975 को सेन्सस में नाम आगया, आपने स्पोट पर जाकर राशन कार्ड बना दिया अगर उनका राजस्थान में कहीं मकान नहीं और यहां पर रहता है, मजदूरी करता है तो उनका संवैधानिक अधिकार मानकर वहां पर जमीन है तो उसको रेग्युलेराइज कर दें। यह स्पष्ट नीति आपसे घोषित करवाना चाहते हैं।

हमने यहां पर सुना था माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह ऐलान किया था कि हाउसिग सोसाइटीज जो बनी हुई हैं अगर सदस्यों के पास अपने मकान नहीं हैं और मकान उनके पास नहीं हैं तो रेग्युलेराइज कर देंगे। हमने उस बात का भी स्वागत किया। हमारा प्लानिंग क्या है? शहर के आसपास जो जमीनें थीं उनको सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए था और सरकार अपने हाथ में लेकर एग्रीकलचर लैण्ड है आसपास की उसको कन्वर्ट करने के बाद प्लॉट काटती और फिर लोगों को देती, गरीब आदमियों को देती, फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को देती, एक लिमिट तय करके देती। वह तय नहीं किया। आसपास की जमीनों को हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के मारफत खरीदवाया और 5 रु. गज की जमीन को जैसा कि श्री श्रीरामजी गोटेवाला अभी बोल रहे थे 1500) रुपये गज में बेचा गया ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : उस जगह की जमीन नहीं थी। मैंने यह कहा था कि 1500) रुपये गज में जहां जमीन बेची वहां 3 रुपये गज में भी बेची है....

श्री केदारनाथ : यह मिडिल मैन को प्रॉफिट लेने का मौका जो आपने दिया है वह कैसे दिया है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : गन्दे नाले को कवर करके दिया गया है।

श्री केदारनाथ : अगर राज्य सरकार इसको सही रूप में लेती तो राज्य सरकार यह हाउसिंग सोसाइटीज को नहीं लेने देती। खुद लेकर इसके प्लॉट्स काटती। जिन लोगों ने खेती की जमीन पर एन्क्रोचमेंट किये थे। उनको आपने रेग्युलराइज कर दिया है। वह खातेदार हो गये हैं। फिर क्या कारण है कि सरकार झुग्गी झोंपड़ी वालों को रेग्युलराइज नहीं करना चाहती है। आपके नरोरा का प्रस्ताव है, रावतभाटा का प्रस्ताव है। 15 साल से लेकर आज 75 तक वह वहां पर हैं। इसका मतलब है कि जो आदमी वहां पर रहने वाले हैं। उनको मालिकाना हक मिलना चाहिये। अब आप मान्यवर, सैक्रेटरियेट के पीछे चले जायें। 20-30 रुपये में सारी मोनोपोली में आपने प्लॉट दे दिये। एक-एक प्लॉट देखिये, जिसमें 500-500) रुपये में परिवार बस सकते हैं। उनसे आप मुकाबला करें। या फिर आप समानता की बात मत करिये। यह जितने भी मोनोपोली हाउसेज हैं। इनमें थोड़ा सा तो बंगला बना हुआ है। बाकी में खेती होती है। ऐसी जमीन आप अपने हाथ में लीजिये। यह नेशनल प्रॉपर्टी है। आपके पास बहुत सारे बाग बगीचे पड़े हैं। जंगलात की जमीन पड़ी है। आज राज्य सरकार को यह ऐलान कर देना

(श्री केदारनाथ)

चाहिये कि वह एक्वायर करेंगे । आप उसके लिए डेट तय कर दें । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की । यह तीन साल की थी । आज 71 के बाद 75 आ गया है । झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग बसे हैं, वह पॉवर्टी लाइन के नीचे के हैं । हो सकता है कुछ ऐसे हों जिनके पास अपने मकानात हों । खुद की प्रॉपर्टी हो । जिनके पास प्लॉट हों, और उन्होंने प्लॉट बेचकर झुग्गी झोंपड़ी बना ली हो । जो 15-20 साल से आप के राज में हैं, अब उनको अधिकार मिलना चाहिये । उनके राशन कार्डों के आधार पर, उनको अधिकार दे दिये जायें । प्लॉट काटे जायें तो उनमें विश्वास पैदा हो जायेगा । जिनके मकान हैं, वह गरीब प्रॉवर्टी के लोग हैं । जिसमें वह बसते हैं, वह चाहे राज्य की जमीन हो । चाहे वह सामन्ती जमीन हो । उनके अधिकार को मानकर चलेंगे माननीय मन्त्री महोदय ने जो बयान दिया है वह जयपुर शहर तक ही सीमित है । मान्यवर, यह पॉलिसी मैटर है । जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में बैठे हैं । यह केवल अजमेर, जयपुर और जोधपुर के लिए आपने कर दिया । बाकी क्षेत्र के लिए आपने क्या किया है । इस प्रकार से एन्वायरमेन्ट के लिए आप एक योजना बनायें । उनके लिए आप किसी प्रकार का एनक्रोचमेन्ट नहीं करें । इसीलिए चाहता हूं । लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी क्या घोषणा करने वाले हैं । मुख्य मन्त्री जी को इस प्रकार की घोषणा करनी चाहिये जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी । विधान सभा में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जैसे कि इन लोगों को रेग्युलराइज किया है । इसी प्रकार से आप इनका अधिकार मान लें । इससे यह स्पष्ट हो जायेगा । अगर ऐसा आप घोषित कर देते हैं । तो ठीक है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय बोल रहे हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं बोलूंगा । जब समाप्त हो जाये, तभी बोलूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव रखा है । ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखा है ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं एक-डेढ़ मिनट ही लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं बोलूंगा । मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वह एक हद तक प्रशंसनीय है । लेकिन पर्याप्त नहीं है । राजस्थान का उपाध्यक्ष महोदय, सौभाग्य है कि यहाँ पर आबादी इतनी अधिक नहीं है । जितनी अन्य राज्यों में । इस राजस्थान सरकार का बड़ा भारी उत्तरदायित्व है । 20 वर्ष के बाद क्या होगा ? इस समस्या को मद्दे नजर रखते हुये अभी से आपको एक योजना बनानी चाहिये । वह योजना आप इस प्रकार की बनायें कि आप हों या कोई दूसरी सरकार आये तो उनके लिए भी वह एक चार्टर के रूप में होनी चाहिये । भविष्य के लिए इस प्रकार के प्लानिंग के लिए आप सार्थक बनायें । उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के सिवा, अजमेर, जोधपुर में यह समस्या हो सकती है । 50 वर्ष पहले मैंने बम्बई की स्थिति देखी । दिल्ली की स्थिति देखी ।

(श्री लक्ष्मणसिंह डूंगरपुर)
हमारे निकटतम अहमदाबाद है। उसकी भी स्थिति देखी है। वहां हजारों लाखों आदमी किस प्रकार से रहते हैं। उसी में उनका जीना, मरना, शादी, ब्याह, गरमी सर्दी में वह रहते हैं। यह इस प्रकार की समस्या अगर जयपुर, अजमेर और जोधपुर में होगी तो यह आपका भी उत्तर दायित्व होगा। जैसा कि प्रोफेसर केदार ने कहा है, आप को आस पास की जमीन एक्वायर करनी चाहिये। यह कैसे होगी, यह तो आप जाने। अगर थोड़े से आदमियों को नाराज करके, हजारों आदमियों को भला हो तो वह मेरे खयाल से ठीक व्यवस्था में कदम होगा। आपको अभी से यह निर्धारित कर देना चाहिये कि वह योजनाबद्ध और व्यवस्थित रूप से आप लोग गरीबों को बसाने की व्यवस्था करेंगे। तो वह मेरे खयाल से आपके बाद आनेवाली सरकार को भी सहुलियत होगी। और, यह कच्ची झोंपडियों में रहने वाले हैं, उनको भी राहत मिलेगी। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वह जयपुर शहर तक ही सीमित रखा है। जबकि यह एक सैद्धान्तिक प्रश्न था। मैंने भी इस बारे में ध्यानआकर्षण प्रस्ताव दिया है। इस प्रश्न को सारे राजस्थान के रूप में उठायें। क्या करने जा रही है कांग्रेस की सरकार शहरों की कच्ची बस्तियों के बारे में, शहरों के आवासहीन लोगों के बारे में और उन लोगों के बारे में जो पिछले अनेक वर्ष से कुछ आवास में रहते हैं और उनके पास उनका पट्टा नहीं है ? यह प्रश्न, मैं समझता हूं, इस रूप में सिद्धान्त का प्रश्न था कि सरकार क्या निर्णय इन तीनों स्थितियों के बारे में लेती है। माननीय मुख्य मन्त्री का अखबारों में जोधपुर में दिया हुआ एक स्टेटमैंट और रावतभाटा में इस दिशा में कांग्रेस पार्टी के लिए हुए निर्णय मेरी दृष्टि के अन्दर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता कि मन्त्री महोदय अपने इस सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के प्रति सचेष्ट हैं, यदि थोड़ी बहुत जनरेलाइज्ड इस सिद्धान्त की बात राजस्थान के सम्बन्ध में कहते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल दो रूप में इस क्वेश्चन को पोज करता हूं, जिस तेजी से हमारे नगरों की आबादी बढ़ी है, उसी तेजी से हमारे विकास की ओर ध्यान नहीं दिया है, और उस तेजी से उनके आसपास की धरती को अवाप्त नहीं किया है, और उस तेजी से हमने आवास का प्लानिंग नहीं किया है, चाहे वह जयपुर हो, चाहे गंगानगर हो

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चाहे कोई भी शहर हो। आप इसकी डिटेल्ड सर्वे करवा लें। माननीय सदस्य, जो जयपुर से आते हैं वह चिन्तित हैं, उनका कहना है, अठारह हजार एप्लीकेशन्स हैं उनमें से साढ़े चार हजार की समस्या हल कर दी, वह राजस्थान में तीस हजार झोंपड़ियों की समस्या मानते हैं। मैं समझता हूं, समस्या इससे कहीं अधिक की है। खैर उन्होंने मेहनत की है और कुछ बस्तियां बसाई हैं—इसमें दो राय नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हो सकती, लेकिन यह प्रयत्न ऐसा ही है, जैसे मुर्गे का भार मुर्दे के बाल काट कर कम करने का प्रयत्न किया जाय। मैं यह जानता हूं कि गंगानगर, हम गंगानगर को कैनाल नगर कहते हैं, वहां वार्ड नम्बर सोलह है, यह पूरा वार्ड बसा हुआ है, इसमें पन्द्रह-बीस साल से लोग धरती पर काबिज हैं, अनेक बार वहां पानी भर जाता है, वह डूब जाता है लेकिन सारे लोगों के पास पट्टे नहीं है। वार्ड नम्बर सत्रह है, उसमें 80 पर्सेन्ट लोगों के पास पट्टे नहीं हैं। वार्ड नम्बर 18 है, छंगाणी जी ने वहां जाकर वार्ड नम्बर सोलह, सत्रह को देखा है, उन्होंने कहा है कि धरती पर कहीं नर्क है तो वार्ड नम्बर सोलह सत्रह में है, सारे (शहर की मोलेसिस, सारे शहर का गन्दा पानी जाकर वहां गिरता है, इस नारकीय स्थिति में नागरिक पन्द्रह-बीस साल से रहते हैं और उनको आज तक पट्टे नहीं दिये गये हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं चाहूंगा, मुख्य मन्त्री जी यहां घोषणा करें, धरती चाहे डालमिया के पास स्टेचू सर्किल के पास हो, चाहे जयपुर के महाराजा के पास सात सौ एकड़ धरती हो, चाहे, गंगानगर में उमराव एण्ड कम्पनी की धरती हो, या चाहे वह धरती हो जिस पर बिड़ला जी का दफ्तर है, या चाहे कोका कोला फैक्ट्री की दस बीघा जमीन हो, जिसमें एक बीघा पर फैक्ट्री लगी हुई है और नो बीघा में आनन्द मंगल मनाया जा रहा है, चाहे शाहू जैन का कारखाना लगा हुआ है वह धरती हो, चाहे मंत्रियों की धरती हो, चाहे कितने ही प्रभावशाली लोगों की धरती हो, चाहे अधिकारियों की वह धरती हो जो जयपुर के चारों तरफ सड़कों के पास है, जिस पर कोठियां हैं, लखपतियों की कोठियां हैं, लखपतियों के ओरचर्ड बने हुए हैं—इस सारी की सारी धरती को अवाप्त करने की राज्य सरकार की तैयारी है। और खाती-पुरा के बोगस खातों में एन्टर की हुई, बेची हुई जमीन है इस सारी धरती को दृढ निश्चय, मजबूती से अवाप्त किया जाय और उसमें प्लॉट काटे जायं और आवासहीन लोगों को दिये जायं, उनकी लिस्ट बनाई जाय और जो जबसे बैठा है, उसको वहां रेग्युलेराइज किया जाय.......

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरी पार्टी ने हजारों एप्लीकेशन कलेक्ट की हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को अदब और कायदे से कि केवल यह तीस हजार झोंप-ड़ियों का प्रश्न नहीं है, यह कई गुना ज्यादा लोगों का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसे कोई निश्चित योजना बना कर समाप्त किया जाय अपनी सारी शक्ति और कार्यक्रम को जुटा कर।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये !

श्री मूलचन्द सामरिया : जिस पार्टी में पांच सदस्य हैं उसके दो सदस्य बोले हैं...

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री मूलचन्द मामरिया : दो मिनिट का मुझे बोलने का समय दिया जाय, यह कच्ची बस्तियों का सवाल है। मैं इस सम्बन्ध में ...

श्री उपाध्यक्ष : वह स्थिति नहीं है। विराजिये !

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक वाक्य में अगर मैं अपनी मनःस्थिति को स्पष्ट कर सकता हूं, तो मैं यह कह सकता हूं कि इस एक वर्ष के भीतर मुझे मानसिक संतोष देने वाला अगर कोई काम हम कर सकें हैं तो वह काम है, साढ़े पांच लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जमीन के पट्टे देने का, और जयपुर के अन्दर जालूपुरा, हसनपुरा– इन कच्ची बस्तियों को बसाने का। मैं ऐसा समझता हूं कि इस काम ने जितना मुझे मानसिक संतोष दिया है उतना मानसिक संतोष मुझे किसी दूसरे काम ने नहीं दिया। और उपाध्यक्ष महोदय, चाहे 21 अगस्त सन् 1971 तक के बैठे हुए लोगों को हमने उसी स्थान पर उनके नाजायज कब्जों को रेग्युलेराइज करने की बात को स्वीकार किया हो किन्तु मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार दूसरों को नहीं बसायेगा—यह बात मान कर चल नहीं सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे शहरों में होवें, चाहे गांवों में होवें जिसके सिर के ऊपर छप्पर नहीं है, उसको छप्पर देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और कांग्रेस की हुकूमत अपनी इस जिम्मेदारी को गम्भीरतापूर्वक महसूस करती है और राजस्थान में उस कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उस जिम्मेदारी को यह हुकूमत अपने सिर के ऊपर लेती है।

उपाध्यक्ष महोदय, किन्तु एक चीज को स्पष्ट रूप में समझना चाहिए कि हर काम को हम फेजेज के अन्दर कर सकते हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया यहां पर उसमें उन फेजेज को स्पष्ट किया गया है। राज्य सरकार ने 1971-72 के अन्दर बड़े मोडेस्ट रूप में पांच लाख रुपये मंजूर किये थे क्योंकि उस समय रिसोर्सेज नहीं थे, उस समय केवल सीमित दृष्टिकोण था। जो लोग जहां बैठे हुए हैं, उनको वहां रेग्युलेराइज कर दिया जाय—क्यों ऐसा हुआ ? इसलिए यह हुआ, उस समय यह समझा जाता था कि इन लोगों का एन्क्रोचमेंट है, इसलिए इनको खदेड़ देना चाहिए, इनको यहां से हटा देना चाहिए। 21 अगस्त, 1971 को राज्य सरकार ने स्वीकार किया है, इनको नहीं हटायेंगे, इनको यहां बसायेंगे–इसके इम्प्लीकेशन्स को साफ साफ समझना चाहिए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आमंत्रित कर रहा हूं, कांग्रेस सहित सभी विरोधी पार्टियों के नेता को, भले ही जनता मोर्चे में मिल गये होंगे, लेकिन बाहर जनसंघ और अलग अलग पार्टियां हैं, उन सबको मेरा आमंत्रण है, कल साढ़े पांच बजे सारी विरोधी पार्टी और कांग्रेस दल के नेता पधारें, उनको पधारने की केवल इसलिए मैं दावत देता हूं कि हमने कुछ मोडेस्ट वे में नम्रतापूर्वक एक शुरुआत की है, यह हमारी भावना है, मैं उनके सामने उस चीज को रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ राज्यपाल का राज भवन है, और ठीक उसकी दीवार से सटी हुई अनाथोराइज्ड कच्ची बस्तियां हैं, जिसको राज्य सरकार ने रेग्युलेराइज किया है। यह केवल राजस्थान में है, यह सारे

(श्री हरिदेव जोशी)

हिन्दुस्तान के किसी राज्य में नहीं मिलेगा। एक तरफ सिविल लाइन है उसके पास में जहां पर नीलामी के अन्दर हजार, बारह सौ, पन्द्रह सौ स्क्वायर यार्ड के ऊपर जो जमीन नीलाम हुई थी, उसके पास लगी हुई, सटी हुई जमीन के तीन रुपये गज में राज्य सरकार ने पट्टे दिये हैं। यह चीज इण्डीकेट करती है, हमारी इन्टेन्शन क्या है। हमारे पास में फण्ड्स नहीं थे, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने केवल पट्टे देने की बात को सोचा। फिर भारत सरकार से हमने बातचीत की, भारत सरकार दस लाख से ऊपर की आबादी को रिकगनाइज नहीं कर रही थी। हमने कहा, कम से कम राज्य की राजधानी के लिए तो इस बात को स्वीकार करें। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और एन्वायरमैंट इम्प्रूवमैंट के नाम पर उन्होंने पैसा दिया। इसमें दो साल में 17-18 लाख खर्च किया। है। 29 लाख आज मंजूर किया है। आप समझिये, 29 लाख मंजूर किया है केवल इस काम के लिए। इसके मायने यह है, आप सोच सकते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। जो इन कच्ची बस्तियों को हम रेगुलेराइज कर रहे हैं, वहां हरिजन, आदिवासी इन लोगों को चार हजार रुपये का इन्ट्रेस्ट फ्री लान बीस साल की किश्त पर दे रहे हैं। इसका इन्ट्रेस्ट है वह राज्य सरकार भुगतेगी उस राशि का, बीस साल में चार हजार का इन्ट्रेस्ट चार हजार हो जाता है इस वर्ष 4 करोड़ रुपया बांटा है। उसके पिछले साल या उससे भी पिछले साल केवल 35 लाख रुपए बांटे थे। यह क्या कहते हैं? हमने राणा प्रताप सागर के अन्दर फैसला किया है वहां पर बैठकर। इस समस्या को निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अगर इस समस्या का फेस नहीं करेंगे, तो यह हमारे सर पर ही घूमती रहेगी। कहीं कोई पोलिटिकल दृष्टि से मैं नहीं देखता हूं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, यही श्री गोटेवाला मेरे पास आते थे और हसनपुरा बस्ती में 26 जनवरी को व 15 अगस्त को झंडारोहण के लिए ले जाते थे, मैं कीचड़ में से होकर वहां जाता था। मैं जानता हूं कि वह मुझे क्यों ले जाते थे, इसलिए कि मैं वहां पर जाकर देखूं, उनसे वायदा करूं। उसके बाद मैं अध्यक्ष हो गया तो भी वह ले जाते थे। उसके बाद मंत्री हुआ तो भी ले जाते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री हुआ, तब भी ले गए। उसके बाद में आज हसनपुरा जाकर देखें, जिसके पास में केवल छप्पर था, उसके पास में आज पक्का मकान है, वहां पर पक्की सड़क है, हरेक घर में फ्लश लैट्रिन है, किचिन है, दो कमरे हैं, बिजली व पानी है, 20 साल की किश्तों पर दिए गए हैं। जयपुर में जो 109 या 104 कच्ची बस्तियां हैं, इन सभी बस्तियों में 21 अगस्त, 1971 तक जो आदमी जहां पर बैठे थे उनको वहां पर बिठाने का वायदा कर चुके हैं चाहे वे जयपुर शहर में या वे सिविल लाइन्स में रहते हों चाहे राज भवन के पास में।

इन कच्ची बस्तियों के सिवा, मैं दूसरे लोगों की आवास समस्या को भी सिद्धांत रूप से स्वीकार करता हूं, उनके बसाने की। जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राज्य सरकार उस जिम्मेदारी से नहीं मुकरेगी। मैं समझता हूं, जिस स्कीम से आज हम चल रहे हैं, जिस प्रगति से चल रहे हैं, उससे

(श्री हरिदेव जोशी)

अनन्तकाल तक के लिए हम बस नहीं सकेंगे। इसलिए बड़े पैमाने पर हाउसिंग बोर्ड के साथ में बात करके या दूसरे ढंग, बसाने के काम को हाथ में लेना होगा। उसमें यह आग्रह नहीं चलेगा कि जो जहां पर बैठा हुआ है, वहीं पर उसको पक्का मकान मिले। हमें ऐसे लोगों को वहां से हटाना होगा, जब उनको वहां से हटाने की कोशिश करेंगे तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे सहयोग दें...

श्री केदारनाथ : बिल्कुल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सही तरीके से आवास मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : आज यह कहें कि जयपुर से अजमेर सड़क पर नाजायज कब्जे करने वालों को उस जमीन से हटाओ मत, तो आप उन आदमियों की मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उन लोगों को बसाने के लिए, उस पर करोड़ों रुपए खर्च होगा। वह खर्चा एक जगह की जमीन को नीलाम करके, इस तरह पैसा पैदा करके दूसरी जगह कम कीमत पर लोगों को देंगे, तब जाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इसलिए आज यह सवाल पैदा हुआ, किन्तु जोधपुर में भी मैंने कहा था कि राज्य सरकार अर्बन एरियाज में लोगों को पट्टा देने से इन्कार नहीं कर सकती, हमको देने हैं और देंगे। लेकिन यह एक दिन में नहीं दे सकेंगे, उसके लिए फेज्ड प्रोग्राम बनाना होगा। जो सेमी अर्बन टाइप, सेमी रूरल टाइप के अर्बन एरियाज हैं उनके अन्दर पहले देंगे। जैसे जयपुर जैसी जगह है, मुझे हर चीज का डिटेल में मालूम नहीं है, विधान सभा में बैठकर सीरियस बातें नहीं हो सकेंगी। पर हम बैठेंगे और देखेंगे, हम एक क्षेत्र की जिम्मेदारी लेकर चलेंगे, उनको जमीन देंगे, बसायेंगे, उसमें कुछ समय लग सकता है, एक फेज्ड प्रोग्राम बनाया जाएगा। आज अण्डर सर्टेन प्रेशर्स, काम नहीं होगा। जैसे 29 लाख मंजूर किए हैं, अमृतलाल जी गेहलोत को पता चल गया कि जयपुर के लोग कहते हैं, जयपुर के लिए दे दिया, जोधपुर के लोग कहते हैं, अजमेर के लोग कहते हैं, उनको नहीं दिया, इस प्रकार के प्रेशर्स से काम नहीं हो पाता। इसलिए पूरे काम के लिए एक तरफ इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, दूसरी तरफ उस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाए। सौभाग्य की बात है कि हुडको, हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन ने 50 हजार की आबादी वाले कस्बों को भी इस काम के लिए मन्जूर किया है पिछले दिनों पाली को शरीक करवाया, मैं खुद गया था। हम चाहते हैं कि उन सारे जिला मुख्यालयों पर इतना ही नहीं बल्कि हर म्यूनीसिपल एरिया में जहां इस प्रकार की जरूरत है, हमारे जो फाइनेन्सेज हैं, उनको लेकर इस प्रकार के कामों को करवायें। मगर उसमें कुछ समय लग सकता है। किसी बड़े आदमी का जमीन एक्वायर करने में दिक्कत नहीं। हम जंगलात की जमीन लेंगे, प्राईवेट जमीन लेंगे, और जमीन भी लेंगे, लेकिन इस समस्या को सॉल्व करना है, यही मैं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री फूलचन्द जैन!

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परसों जिला स्तर पर

(श्री फूलचन्द जैन)

सप्लीमेंटरी प्लान्स बनाए जाने के बारे में अपने कुछ विचार रख रहा था। उस सम्बन्ध में मैंने परसों कुछ सुझाव दिए थे। पर मैं अब एक दो बातों की ओर राज्य सरकार का खासतौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से जयपुर, जोधपुर अथवा अजमेर की कच्ची बस्तियों के बारे में जो भी राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं, उनके लिए निश्चित रूप से वह धन्यवाद की पात्र है। परन्तु शहरों के अन्दर, आज हम बिना किसी वित्तीय भार राज्य सरकार पर डालें, वे लोग किसी तरह से जमीन प्राप्त कर सकें, अपनी खुद की कीमत देकर, उस तरह की परिस्थितियां कम से कम वहां नगरपालिकाओं में और कस्बों में, शहरों में उनको आज पैदा करनी चाहिए और जो दयनीय स्थिति नगरपालिकाओं की है, आज वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके माध्यम से वे कॉलोनाईजेशन का काम कर सकते हैं, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड इस समस्या को कितने वर्षों में जाकर छोटे-छोटे कस्बों में सॉल्व कर सकते हैं, यह नहीं कहने की स्थिति में है और मैं मानता हूं कि इसमें कई वर्ष लग सकते हैं। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, वह यह कि आज जो प्रशासन के अन्दर हमारा जो काम है और खासतौर से नीचे के स्तर पर जो आज हमारे वहां पर छोटे कर्मचारी, अधिकारी हैं उनके फंक्शन्स में आज सबसे बड़ी दुविधाजनक स्थिति यह है कि लोगों में आज हम विश्वास पैदा करें कि राज्य सरकार जो कुछ खर्च कर रही है, उसका वह पूरी तरह से सदुपयोग कर रही है। मैं इसलिए कहता हूं कि कई बार हम सोचते हैं और समस्या को टाल देते हैं यह कह कर कि जब तक स्पेसीफिक एग्जाम्पुल्स हमारे पास नहीं आयेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे अनौपचारिक तौर से किसी मंत्री से अथवा जिम्मेदार अधिकारी से पूछा जाए कि आप कह सकते हैं कि कोई पुलिस का कर्मचारी अथवा अधिकारी जो हमारे कहीं भी वाहन चलते हैं उनका पैसा बंधा हुआ नहीं होता है? क्या आज हम कहने की स्थिति में हैं कि चाहे आपका शॉप इन्सपेक्टर हो, चाहे एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर हो और जो लोवर लेविल पर भी अधिकारी हैं, जिनका जनसाधारण के व्यक्ति से सम्बन्ध पड़ता है, पैसा बंधा हुआ नहीं है? क्या आप कह सकते हैं कि लोवर लेविल पर जो अफिसेज हैं, वहां पर एल. डी. सीज. और यू. डी. सीज. काम करते हैं वे बिना पैसा फाइल को बिगाड़ देते हैं और ऊपर तक फाइल चली जाए उसके बाद में उसको ठीक करने की स्थिति में हैं अगर प्राइमा फेसी उनकी बात मान लें तो नीचे के स्तर की आज जिस प्रकार से हमारी प्रशासनिक स्थिति बिगड़ी हुई है, उसको गहराई से आज अगर हम ध्यान नहीं देते, उसको ठीक करके और गम्भीरता से विचार करके आवश्यक कदम नहीं उठाते तो सबसे पहला आलोचना का विषय है वह लोवर की जो मशीनरी है, वह किस प्रकार से फंक्शन करती है, उसके कारण से है। आम लोगों का सम्बन्ध उनसे पड़ता है और उनको जो तकलीफ होती है उसका दर्द उनके दिल में है। जहां लाखों करोड़ों और बड़े विकास के काम हम कर रहे हैं, इसी कारण आज विकास के बहुत बड़े काम राजस्थान में करने के बावजूद भी जनसाधारण में असन्तोष है।

(श्री फूलचन्द जैन)

उपाध्यक्ष महोदय असन्तोष के और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। इससे उन लोगों का कान्फीडेन्स शेक होता है। और फिर इन कारणों की वजह से धीरे धीरे लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास उठता जाता है। लोग यह समझने लग जाते हैं कि पब्लिक एक्स चेकर का सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमें ऐसे मिन्स एडोप्ट करने चाहियें जिससे कि लोगों का हमारे अन्दर कान्फीडेन्स बढ़े, लोग हमको ज्यादा से ज्यादा कोआपरेट करें। हमें लोगों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिलना चाहिये। अगर यह नहीं हुआ तो हमारे सामने कई प्रकार की बाधायें उपस्थित हो जायेंगी। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह सुझाव है कि हमारे यहां पर जो लोवर लेवल की जो मशीनरी है उसके अन्दर हमें प्रोपर इन्वेस्टीगेशन करने की जरूरत है। उसी में सुधार करने की जरूरत है। आज हमारे यहां पर जो शॉप इन्सपेक्टर है, एनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टर है क्या उनके पास आठ घन्टे का काम है। मैं समझता हूं कि नहीं है। तब फिर वह क्या करते हैं। या तो वह एक आध घन्टा इधर उधर काम किया और फिर घूमते रहेंगे या फिर लोगों को गलत ढंग से या सही ढंग से पकड़ते रहेंगे। लोगों को हैरेश करेंगे। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपको मिसाल देना चाहता हूं आज हमारे यहां पर कई आई.ए.एस. और आर.ए.एस. अधिकारी हैं जो कि अपने नीचे के कर्मचारियों को यह कहते हैं कि हमें एक दिन में इतने केस लाकर देवो। अब चाहे वह रीजनेबल हों या नहीं बेचारा शॉप इन्सपेक्टर या एनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टर क्या करेगा वह जाकर झूठे या सही जो भी होगा केस लाकर दे देगा। इससे लोग हैरेश होते हैं। आज हमारे यहां पर कई ऐसे तहसीलदार हैं जो कि अपने नीचे के लोगों को कहते हैं कि हमें इतने केस लाकर दो तो उपाध्यक्ष महोदय हमारे यहां पर एक अजीब विडम्बना हो गई है। ऐसी स्थिति में इन्सपेक्टर जायेगा लोगों के चालान कर देगा या पटवारी इधर उधर के केस बना देगा। तो मेरा मतलब यह है कि इस तरह की बातों को जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी आलोचना चाहे आप कितना ही अच्छा कार्य कर लें बन्द नहीं हो सकती। लोगों की हमारे अन्दर आस्थायें नहीं बन सकतीं। इसलिये इस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी बात जो मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने आज पब्लिक-ग्रिवेन्सेज का डिपार्टमेन्ट खोल रखा है वहां पर भी काम सही रूप से नहीं हो रहा है। वहां पर लोग आमतौर पर शिकायतें दर्ज ही नहीं कराते हैं कारण यह है कि लोगों को यह डर रहता है कि कहीं मैं किसी के खिलाफ में शिकायत करूंगा चाहे वह सही ही है फिर भी वह डर के मारे नहीं करेगा। क्योंकि इसमें लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है इसलिये लोगों में मोरल करेज नहीं होता उनका साहस ही नहीं होता है कि वह इस तरह की कार्यवाही करे। लोगों को उससे तकलीफ हो सकती है इस डर के मारे लोग शिकायत ही नहीं करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि इस ओर लोगों को एनकरेज करे। मेरा सुझाव यह भी है कि इसमें हमें लोगों

(श्री फूलचन्द जैन)

को यह कहना चाहिये कि अगर तुम्हारी शिकायत सही है तो तुम्हारे खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं होगी दोषी व्यक्ति के खिलाफ में कार्यवाही होगी और अगर वह शिकायत सही प्रूफ नहीं हो सकेगी तो भी तुम्हारे खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसा करने से थोड़ा लोगों में करेज पैदा होगा। आज हमें इससे दूसरे आसपेक्ट से सोचने की जरूरत है। हमें लोगों के मन में ऐसी धारणा डेवलप करने की आवश्यकता है कि जिससे लोग आगे आवें। नहीं तो होता क्या है कि लोग हैरेशमेन्ट के डर से ही शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। हमें उन्हें कहना चाहिये कि तुम्हें किसी प्रकार का हेरेशमेन्ट नहीं होगा। इस प्रकार का प्रचार करने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तब तो आप सही स्थिति प्राप्त कर सकेंगे नहीं तो मुश्किल है। नहीं तो अगर कोई तहसीलदार के खिलाफ में या और किसी के खिलाफ में शिकायत करता है तो वह शिकायत उसी अधिकारी के पास आ जाती है जांच करने के लिये या अगर उसके पास नहीं आई तो किसी ऐसे ही अधिकारी के पास आजायेगी वह उस अधिकारी को बता देगा कि आपके खिलाफ में शिकायत आई है बताओ अब क्या करें। तो वह लोग वहीं पर उसको रफादफा कर देते हैं। अगर आप ऊपर से जवाब मांगते हैं तो अपने ढंग से रिपोर्ट बना कर दे देते हैं और आप यहां पर सदन में हमको उन्हीं के अनुसार रिपोर्ट दे देते हैं। तो यह तो कोई सही तरीका नहीं हुआ। इससे न तो हमको सन्तोष होता है न हमारी जनता को ही सन्तोष होता है इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम इज शार्ट प्लीज कन्क्लूड इट।

श्री फूलचन्द जैन : तो आज जो हम शोशियली और इकोनोमिकली क्रान्ति लाना चाहते हैं वह क्रान्ति किसी प्रकार आ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय क्रान्ति आती है आपके विचारों से जब आपके विचारों में क्रान्ति आती है तभी तो आपके आचार और व्यवहार में फर्क आता है। तो मेरा निवेदन यह है कि इसकी तरफ देखने की जरूरत है। आज चाहे आप शोशियली या इकोनोमिकली किसी प्रकार का चेन्ज लावें तो उसके पहले लोगों के मन में कोन्फीडेन्स डेवलप करने की जरूरत है नहीं तो आज हम देखते हैं कि लोगों के चोरी होती है पर लोग किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं एक तो उनका माल जाता है पर फिर भी लोग उसके बारे में शिकायत करने से डरते हैं इसका कारण यह है कि उनके मन में एक धारणा ऐसी बन गई है उनके विचार इस प्रकार पैदा हो गये हैं कि रिपोर्ट करने पर भी कुछ नहीं होगा। और जब तक हम उनके विचारों में क्रान्ति नहीं लायेंगे तब तक हम चाहे जैसे फैसले यहां जयपुर, दिल्ली या और कहीं बैठकर फैसला कर लें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि लोगों में कानफीडेन्स पैदा करें। बस धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर !

(कई माननीय सदस्यों के बोलने, खड़े होने पर)

आप लोग स्थान ग्रहण करें। She stands first.

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में विनियोग विधेयक के माध्यम में हम राज्य सरकार को और विशेष रूप से वित्त मन्त्री जी को राज्य के खजाने के लिये 270 करोड़, 70 लाख और 24 हजार की रकम 31 मार्च, 1976 तक खर्च करने की अन्तिम रूप से अनुमति प्रदान करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय इस धनराशि का व्यय करने की अनुमति प्रदान करने से पहले यह सदन आश्वस्त हुआ चाहता है कि जो धनराशि हम उन्हें प्रदान करेंगे वह उसे सही ढंग से व्यय होगा और उससे राज्य की अधिकतम जनता को लाभ मिलेगा। अभी जैसी स्थिति है कि सभी स्तर पर धनराशि का व्यय कर जरूर दिया जाता है लेकिन उससे अपने को जो लक्ष्य प्राप्त करना होता है वह प्राप्त नहीं होता है। आज पहले वित्तीय लक्ष्य की ओर ध्यान दिया जाता है। यह देखा जाता है कि वित्तीय लक्ष्य पूरा हो गया या नहीं। आज आपने जो धनराशि व्यय की उससे आपने भौतिक लक्ष्य प्राप्त किये या नहीं यह नहीं देखा जाता है आजकल की जो लेखा प्रणाली है वह इस तरह है कि आप वित्तीय लक्ष्य पूरे कर लेते हैं तो लोग यह समझते हैं कि हमारे प्रोगाम पूरे हो गये। ऐसा नियमानुसार मान लेते हैं। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि अगर यही तरीके आपने अपने सोचने के रखे कि अगर आपकी धनराशि खर्च करने का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो आप समझते हैं कि आपका भौतिक लक्ष्य पूरा हो गया चाहे वह पूरा नहीं हो। आज अगर भौतिक लक्ष्य पूरा नहीं होता है और अधूरा रह जाता है तो किसी भी अधिकारी पर उसकी जिम्मेदारी नहीं ठहरायी जाती।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो यह निश्चित मान्यता है कि हमारे राज्य की अर्थ-व्यवस्था खराब ही होती चली जायगी। माननीय वित्त मन्त्री जी को चाहिए कि उनका वित्त मन्त्रालय विभिन्न प्रशासनिक विभागों पर प्रभावी रूप से नियन्त्रण रखे। समय-समय पर जब कार्य-क्रमों की स्वीकृति जारी करे तो उसके पहले जो व्यय उस कार्य पर हो गया है उसकी वार्षिक प्रगति का पूरा-पूरा ब्यौरा प्राप्त किया जाय और इसी के साथ-साथ कार्य के दौरान जबकि कार्य प्रगति पर हो तब जो भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की जा रही हैं उनकी जानकारी भी करने की व्यवस्था वित्त मन्त्रालय के पास होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न विभागाध्यक्षों को इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये जायं कि अगर उनके विभागों में भौतिक लक्ष्य पूरे नहीं किये गये तो निश्चित रूप से उनको दण्डित किया जायगा। इसी के अनुरूप हमें अपनी लेखा प्रणाली को भी सुधार कर कार्यक्रमों को लेखा प्रणाली का आधार बनाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विभिन्न विभागों में वित्तीय अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। कितनी ही जगह यह सुनने को मिलता है कि फाइनेन्शियल रूल्स ऐसे बने हुए हैं कि आज उनकी सही और पूरी अनुपालना की जाय तो काम शुरू करना हा सम्भव नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम का अभाव है।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : ग्रामतौर पर सदन में अप्रोप्रिएशन बिल डिस्कशन्स होते ही नहीं हैं।

(कोरम की घंटी)

श्रीमती मदनकौर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि सभी स्तर के अधिकारी ग्रामतौर पर ऐसा कहते हैं कि हमारे फाइनेन्शियल रूल्स इस प्रकार के हैं कि उनकी पूरी पालना करने से हमारे विकास कार्यों में बाधा उपस्थित हो सकती है। मैं वित्त मन्त्री जी से और राज्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि ग्राज हमारे फाइनेन्शियल रूल्स और तौर-तरीके ऐसे हैं कि जिनसे हमारे विकास कार्यों में बाधा ग्राती है तो निश्चित रूप से उनमें सुधार करने की ग्रावश्यकता है, लेकिन जब तक यह कानून-कायदे हैं उनकी पूरी तरह से पालना कराना वित्त मंत्रालय का कर्तव्य है। ग्रामतौर पर हरएक डिपार्टमेंट में साल के ग्राठ-दस महीने तक कुछ काम होता ही नहीं है, नाम मात्र की धनराशि खर्च की जाती है। फरवरी और मार्च के महीने के ग्रन्दर ग्रन्धाधुन्ध तरीके से धन राशि व्यय की जाती है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना भी ग्रावश्यक समझती हूं कि फरवरी और मार्च के महीने में ही केवल इतने थोड़े समय में ही भारी धनराशि को व्यय करने से भयंकर ग्रनियमितताएं तो होती ही हैं लेकिन भारी धनराशि का गबन और दुरुपयोग भी होता है, इसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं। हमारे क्षेत्र में डी. पी. ए. पी. के कार्यक्रम की स्वीकृति करने के सम्बन्ध में बताना चाहती हूं। राजस्थान के पश्चिमी जिले जो स्थाई रूप से सूखे जिले घोषित किये गये हैं, वहां पर भयंकर ग्रकाल है, वहां के लोग रोजगार के लिये भटक रहे हैं और सूखा-निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमों की स्वीकृति फरवरी-मार्च में इश्यू की गई और सभी डिपार्टमेन्ट्स के जिला ग्रधिकारियों को फरवरी-मार्च के महीने में ही भारी धनराशि व्यय करने के लिए लेटर्स ग्रॉफ क्रेडिट इश्यू किये गये हैं। यह कैसे सम्भव था कि 8-10 महीने में जो कार्यक्रम पूरे होने चाहिएं वह दो महीनों में हो जायेंगे इससे जो कार्य पूरे होने चाहिए वे किसी भी हद तक पूरे नहीं किये जा सके। इसी के साथ-साथ एक सब-हैड की धनराशि दूसरे सब-हैड में रिएप्रोप्रिएट करने का भी हमारे राज्य में प्रवृत्ति तेजी से चल रही है। मार्च के महीने में यह काम तेजी से किया जाता है। इसी प्रकार एक जिले के प्रस्तावित कार्यों पर जो धनराशि व्यय करने की स्वीकृति वित्त मन्त्रालय देता है, मार्च के ग्रन्त में एक जिले की धनराशि दूसरे जिले में खर्च करने की ग्रनुमति....

श्री उपाध्यक्ष : That is not the change of sub-head.

श्रीमती मदन कौर : मैंने सुना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Change of District is not change of sub-head.

श्रीमती मदन कौर : मैं इसलिए निवेदन करना चाहती हूं कि ग्राम तौर पर यह कहा जाता है कि पूर्वी भाग में कम खर्च किया जाता है और पश्चिमी भाग में ज्यादा खर्च किया जाता है, और भी कई

(श्रीमती मदनकोर)
बातें कही जाती हैं उनको कहना मैं अच्छा नहीं मानती। मैं निवेदन कर रही थी कि इस तरह की वित्तीय अनियमितताएं आम तौर पर हुआ करती हैं और यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि प्रतिवर्ष साल के अन्त में, जिस तरह से साल के शुरू होने के समय बजट-अनुमान सदन के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं उसी तरह से साल के खत्म होने के बाद साल भर में जो भौतिक उपलब्धियां विभिन्न विभागों के माध्यम से विभिन्न धनराशि खर्च करके प्राप्त की गई हैं उसका विस्तृत ब्यौरा जिलेवार सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए एक तरफ वित्तीय अनियमितताएं घटेंगी और दूसरी तरफ सदन में जो आरोप लगाये जाते हैं कि बजट में अमुक जिले में इतनी राशि खर्च की गई है और अमुक में इतनी कम और साल के अन्त में मन्त्री महोदय को पूछेंगे कि आपने अपने जिले में इतना अधिक खर्च क्यों किया उसकी गुन्जाइश नहीं रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गत दो-तीन वर्षों में वित्त मन्त्री जी ने हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारा है, वसूलियां अधिक की गई हैं और खर्च पर कड़ा नियन्त्रण रखा गया है और इससे हमारी वित्तीय स्थिति में सुधार आया है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस तरह के वित्तीय नियन्त्रण से हमारी आर्थिक स्थिति को कोई ठोस आधार मिला हो। यह बात सही नहीं है कि आज भी अगर हमारे वित्तीय नियमों में कुछ ढिलाई करदी जाय और कोई दूसरे रास्ते हमारे पास नहीं हैं जिससे इनकम में बढ़ोतरी की जा सके। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि हमें अपनी आय को बढ़ाने के नये साधन ढूंढ़ने चाहिएं। आज भी हमारे प्रदेश की आय का मोटा जो साधन है वह सेल्स टैक्स और दूसरी तरह के टैक्स का है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य में जहां टैक्सेज लगाना ही हमारी आय का मुख्य साधन हो, उसको कोई अच्छी वित्तीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। हमारे राज्य में खनिजों के विपुल भण्डार हैं, राज्य सरकार को चाहिये कि वैज्ञानिक तरीके से इन खनिजों का अधिक से अधिक खनन करके हमारी आय के साधन बढ़ायें। दूसरे जो राजकीय उद्योग हैं उनकी प्रणाली में सुधार करके लाभप्रद बनाये जायं और नये उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में शुरू किये जाने चाहिएं। यदि इस तरह की व्यवस्था हमने हमारे प्रदेश में की तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह निश्चित मान्यता है कि थोड़े ही वर्षों में हमारे राज्य की जनता जो सदियों से गरीबी में पल रही है उसके लिये हम एक अच्छे जीवन-यापन का साधन जुटा पायेंगे, मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी !

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने सदन के विचारार्थ एप्रोप्रियेशन बिल इसलिये पेश किया है कि सन् 1970 के 31 मार्च तक जो भी खर्चा हो वह मंजूर किया जाय।

मैं सारे मुद्दों के बारे में निवेदन न करके कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिनसे आय का सम्बन्ध है उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने

(श्री भगराज चौधरी)

कहा कि राज्य की आय के मुख्य स्रोत हैं सैल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू और दूसरे दो-तीन प्रकार के अन्य और आय के साधन । कुल मिला कर जो विभिन्न प्रणालियां हैं आय की उनके द्वारा 115 करोड़ रुपये की आय होती है । इनमें से 60 करोड़ की आय बिक्रीकर से होती है । वैसे देखा जाय तो राजस्थान प्रदेश के लिये 115 करोड़ की आय करों से प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है । हमारा प्रान्त भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा प्रान्त है । और हम....

(म. प. 3-50)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति पदासीन)

खनिज आदि हमारी छिपी हुई सम्पदाओं को बाहर निकाल कर काफी बड़ी आय कर सकते हैं ।

लेकिन हम आज ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं कि आज हम वे साधन उपलब्ध होते हुए भी उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इसीलिये हमें आय का बहुत बड़ा भाग केवल सैल्स टैक्स से मिलता है । लेकिन यदि इसका सही रूप से विश्लेषण करें तो वास्तविक रूप से यह आय हम प्राप्त कर रहे हैं वह कम ही कर रहे हैं, इससे भी अधिक आय इससे हो सकती है ।

यदि माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूं तो वे स्वयम् महसूस करेंगे हमारी आय सैल्स टैक्स से अधिक होनी चाहिये थी वह क्यों नहीं हो रही है इसका मुख्य कारण है अण्डर एस्टीमेट करते हैं जिन्स का और एक्चुअली सैल्स टैक्स जो व्यापारी से वसूल होना चाहिये वह नहीं कर रहे हैं । और भी अन्य तरीके हैं जिससे राज्य की इस आय को छिपाया जाकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है राज्य को । विभिन्न तौर-तरीकों से करों में चोरी की जाती है, मैं आंकड़े देकर निवेदन करना चाहूंगा । सन् 73-74 में 44.88 करोड़ की सैल्स टैक्स से आय हुई, उसके दूसरे वर्ष में 74-75 में सैल्स टैक्स के हैड में 74 करोड़ की आय हुई । केवल 54 करोड़ की एक साल में वृद्धि हुई जबकि इस साल के दौरान भावों में 40 पर्सेन्ट की वृद्धि हुई यह माननीय वित्त मंत्री जी स्वयम् जानते हैं । इस दृष्टि से हम देखेंगे और वित्त मंत्री जी स्वयम् भी महसूस करेंगे कि जो कमोडिटीज की दर होती हैं और उन पर जो पर्सेन्टेज लगा रखा है सैल्स टैक्स की उनके अनुसार पूरी तरह से वसूली नहीं होती है । जब 40 पर्सेन्ट की भावों में वृद्धि मानते हैं तो क्या कारण था कि 74-75 में भी केवल इतनी ही वृद्धि क्यों हुई और अधिक क्यों नहीं हुई ?

(3.55 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

मैंने जो आंकड़े बताये हैं उनके हिसाब से तो केवल 20 पर्सेन्ट ही बढोतरी बतायी है । बाकी 20 पर्सेन्ट रह गया । अन्य कई कारणों से व्यापारियों ने पिलफिज किया, नहीं बताया और इस प्रकार से करों की चोरी कर ली । इस प्रकार से 20 प्रतिशत आय अधिक होनी चाहिये थी उसका आपको घाटा हुआ है और आप इस पर गम्भीरता से विचार करें । 74-75 तक

(श्री मगराज चौधरी)

62 करोड़ की आय हो जानी चाहिये थी उसके विपरीत 54 करोड़ की आय बतायी।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाकी की आय का साधन है आबकारी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी। वैसे रिजल्ट्स काफी एन्करेजिंग है लेकिन फिर भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोहिबिशन योजना लागू है नागौर वगैरह में, प्रोहिबिशन एरियाज में आपकी ओर से दुकानों से शराब नहीं बिकती है लेकिन नाजायजतौर से दूसरे लोगों के द्वारा तैयार की जती है जिससे कि राज्य की आय में घाटा होता है। प्रोहिबिशन का मतलब यह है कि शराब पीने की आदत है वह छूटे। लेकिन नाजायज शराब के कारण से वह जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री के पास एक्साइज डिपार्टमेन्ट है वे इसको देखें कि जिन जिलों में प्रोहिबिशन कर रखा है वहां पर प्रिवेन्टिव फोर्स दृढता से और सही रूप से कार्य करे। जिससे लोग शराब न बना पायें और राज्य की आय को नुकसान न पहुंचायें और प्रोहिबिशन का लक्ष्य रखा है वह भी पूरा हो। पांच-छः करोड़ रुपये की आय का इस प्रकार से नुकसान हो रहा है। इस पर गम्भीरता से विचार कर आपको रोकना चाहिये।

एक और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे राज्य की एक्साइज ड्यूटी कम है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरे प्रान्तों में देखें आप। देशी शराब वहां पर बनती हैं और विदेशी शराब जो कि बाहर से मंगाते हैं, उनमें काफी वृद्धि हुई है करों में। लेकिन हमारे यहां बहुत कम है। देशी पर 20 पर्सेन्ट और विदेशी पर 25 पर्सेन्ट। एक तरफ आप प्रोहिबिशन की पॉलिसी को लागू करना चाहते है लेकिन वित्तीय कारणों से आप लागू नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं कि ऐसी कर वृद्धि लायें जिससे आर्थिक दृष्टि से लोग उसको बरदाश्त न कर सकें और करे तो अपने रिस्क पर करें जिससे इस ट्रेड में अच्छा पैसा दें। आपको इसमें वृद्धि करके इसको 30 और 35 पर्सेन्ट पर करना चाहिये जिससे आय में बढोतरी होगी और प्रोहिबिशन की पॉलिसी को भी अन्य दृष्टिकोणों से सहायता मिलेगी।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य प्रान्तों में जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है वह राजस्थान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। वहां के आंकड़े कोट करना चाहूंगा कि जो कि आपने बजट स्टडी में दिये हैं। सबसे ज्यादा स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है पंजाब में। 21.11 पर्सेन्ट पर केपिटा। जम्मू कश्मीर में 13, कर्नाटक में 11.75

They have shown the incidence of taxation per capita.

उसके बाद में हरियाणा में 13.56, मध्य प्रदेश में 5.17, नागालैंड में 14. राजस्थान में 4.26। बाकी के प्रान्तों के आंकड़े देकर मैं सदन का समय खराब नहीं करूंगा। मेरा यह गम्भीरता से मानना है कि दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में स्टेट एक्साइज में हमको कम मिल रहा है काफी इसमें गुन्जाइश है इसलिये इस को बढाना चाहिये। मुझे दुःख इस बात का है कई बार विधान सभा में यह प्रश्न आया है।

(श्री भगराज चौधरी)

देशी शराब पर क्यों नहीं माननीय वित्त मंत्रीजी टैक्स बढा रहे हैं? दूसरे सोर्सेज को टेप किया है जिससे गरीब लोग तंग आ गये हैं, पीड़ित हैं। गरीबों के विपरीत काम कर रहे हैं। यह सोर्स ऐसा है जिसको टेप नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं देशी शराब पर 10-15 प्रतिशत की वृद्धि करें।

तीसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं जो सबसे बड़ी आय का साधन है सैन्ट्रल सेल्स टैक्स, उससे भी करीब 65 करोड़ की आय होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारा प्रान्त भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, ठीक है अविकसित है तो केन्द्रीय सरकार के सामने इस बात को मजबूती से क्यों नहीं रख पाते हैं कि जब हमारे विपरीत हालत हैं तो जो सेन्ट्रल सेल्स टैक्स से आय होती है उसमें से ज्यादा राशि हमको मिलनी चाहिये। मैं सदन का समय तो ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा लेकिन जो आंकड़े हैं उसको पेश करता हूं राजस्थान की पर कैपिटा इन्कम 18.5 है जो सैन्ट्रल सेल्स टैक्स से वसूली हो रही है पर कैपिटा इन्कम उड़ीसा की 19.4, पंजाब की 17.5 हो रही है, महाराष्ट्र की 21.9 हो रही है, केरला की 19.2 हो रही है, जम्मू और कश्मीर की 23 हो रही है, हरियाणा से 17.17 हो रही है, आसाम की 17.75 हो रही है ये जो अङ्क पेश किये हैं वह सैन्ट्रल सेल्स टैक्स से होने वाली स्टेट की जो इन्कम है वह बताया है। राजस्थान में केवल इन्कम हो रही है 18.8 तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सैन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी है और उनसे जो मिलने वाली आय है वह राजस्थान को बहुत कम मिल रही है। इस पर कोशिश करके वित्त मन्त्री जी को कोशिश करनी चाहिये कि कहीं हम नुकसान में तो नहीं रह रहे हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

4-5 मिनिट में समाप्ति करता हूं।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं जिससे वित्त मन्त्री जी खुश होंगे कि मैंने स्टेट की रेवेन्यू विभिन्न प्रकार से बढ़ाने का सुझाव दिया था। वे मानते हैं काफी अच्छे सुझाव हैं। अब मैं एक ऐसा प्रस्ताव माननीय वित्त मन्त्री जी के विचारार्थ पेश करना चाहता हूं जिसमें सेल्स टैक्स में कुछ रीलीफ मिलेगा और वह आइटम है क्रूड ऑइल, आप तो काश्तकार नहीं है मगर मैं काश्तकार हूं वित्त मन्त्री जी को मेरी समझ में नहीं आता है ग्रामीण जनता से ज्यादा ज्ञान नहीं है....

श्री चन्दनमल बैद: मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 200 गांव हैं।

श्री भगराज चौधरी: आज विकासशील प्रदेश के अन्दर और विशेष कर राजस्थान के अन्दर जो कृषि प्रधान है और जिसमें 15 प्रतिशत ऐरिया है जो सिंचित है न वह नहरों का है, न बान्धों का फिर वह कौनसा स्रोत है जिससे सिंचाई मिल रही है वह है कुआ और सभापति महोदय आजकल लोगों ने पम्पिग सेट लगाकर डीजल से सिंचाई को शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं यह एक ऐसा आइटम है क्रूड ऑइल जो देश की इकोनोमी पर असर डालता है। उस आइटम पर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी क्रूरता से 20 पर्सेन्ट लगा रखा है इसके मुकाबले जो दूसरे

Page No 116

(116)

(श्री भगराज चौधरी)

आइटम मिलते हैं लक्जरी गुड्स जिनको मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के काम में आते हैं जिसमें पांच पर्सेन्ट, सात पर्सेन्ट, तीन पर्सेन्ट लगा रखा है। उदाहरण के रूप में मैं पेश करना चाहता हूं रेफ्रीजरेटर जो उच्च वर्ग के काम में आता है उस पर केवल 10 पर्सेन्ट, इलेक्ट्रिक गुड्स जिसका गरीबों से काई ताल्लुक नहीं उस पर 10 पर्सेन्ट, स्पेयर पार्ट्स एण्ड पाइप पर 10 पर्सेन्ट, लिकर पर 20 पर्सेन्ट जिसको आसानी से और बढ़ाया जा सकता है, ड्राइ फूड्स पर जिसको हम बाहर से मंगाते हैं और जिसको मंगाने पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है 7 पर्सेन्ट, हेयर ऑइल एण्ड अदर ऐसेसरीज पर 10 पर्सेन्ट, कासमेटिक ऑइल्स पर 7 पर्सेन्ट। इन आंकड़ों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं इनको कौन काम में ले रहा है जिन पर 7 पर्सेन्ट और डीजल पर 20 पर्सेन्ट जिसको कौन काम में ले रहा है काश्तकार, कुछ हद तक ट्रकों और अन्य मशीनों में भी काम में आ रहा है मगर फिर भी इसका उपयोग देश के खाद्यान्न उत्पादन में किया जा रहा है और काश्तकार अपने ट्रैक्टरों में और पम्पिंग सेटों में काम में ले रहा है। जालौर जिले में 15 हजार पम्पिंग सेट्स हैं, उन पम्पिंग सेट्स पर एल. डी. ओ. काम ले रहा है।

10 हजार लीटर क्रूड ऑइल बाहर से मंगाना पड़ता है। सेन्ट्रल सेल्स टैक्स 4 पर्सेन्ट देना पड़ता है उसके अलावा 20 पर्सेन्ट स्टेट टैक्स देना पड़ता है कुल मिलाकर चार प्लस बीस सेन्ट्रल और स्टेट तो करीब 24 अथवा 25 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स जो काश्तकारों को चुकाना पड़ता है। आज से 15 साल पहले 35 पैसे था उस समय वित्त मंत्री महोदय ने टैक्स लगाया था क्योंकि उस समय ऐड हाक बेसिस पर प्रति टन पर 14 रु. लगा रखा था। दूसरे कानून थे उनमें इनफारमिटि लाने के लिये 20 पर्सेन्ट कर दिया लेकिन आज 75 में क्रूड ऑइल जो पहले 35 रुपये प्रति ड्रम मिलता था उसकी कीमत आज 250 रु. हो गई है...

एक मा. सदस्य : 265 रु. में मिलता है।

श्री भगराज चौधरी : सैन्ट्रल सेल्स टैक्स पड़ता है तो कुल मिलाकर एक ड्रम की कीमत 295 होती है। जिस ड्रम की आज से चार साल पहले 35 रु. की कीमत थी वह आज 295 रु. हो गई है। उस समय ज्यादा नहीं थी लेकिन अब प्राइस इतनी बढ़ गई कि आज एक काश्तकार को 35 रु. के बदले 295 रु. देने पड़ते हैं और साधारण काश्तकार को भी अपना खाद्यान्न उत्पादन करने के लिये कम से कम 15-20 ड्रम खर्च करने पड़ते हैं।

मैं निवेदन करूंगा वित्त मंत्री महोदय से कि बदली हुई परिस्थितियों के अन्दर क्रूड़ ऑइल पर जो 20 पर्सेन्ट लगा रखा है उसको कम करना चाहिये और अच्छा तो यह हो कि आप इस आइटम को एग्जेम्प्ट ही कर दें क्योंकि खाद्यान्न की कीमतों पर मंहगाई का असर पड़ता है क्योंकि कोई काश्तकार यह नहीं चाहेगा कि खाद्यान्न मंहगा पैदा करें और मण्डी में सस्ता बेचें इसलिये मैं चाहूंगा खाद्यान्न उत्पादन सस्ता पड़े सारे रा-मेटेरियल, खाद, क्रूड ऑइल जो खाद्यान्न उत्पादन

(श्री भगराज चौधरी)

करने में मदद कर रहे हैं उनको सस्ती दर पर कन्जूमर को, काश्तकार को मुहैया करें।

वित्त मंत्री महोदय इस मामले में अड़े न रहें आज से पांच साल पहले जो खाद्यान्न मिल रहा था उससे आज कितना गुणा बढ़कर मिल रहा है। सभापति महोदय इसके दो परिणाम होते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : आई एम जस्ट कम्पलीटिंग सर। राजस्थान में इतनी बड़ी भारी सिंचाई की असुविधायें इस पर और भी बुरा परिणाम पड़ता है। हमारे जो पड़ोसी प्रान्त हैं गुजरात, पंजाब, हरियाणा वहां पर क्रूड ऑइल पर 5 पर्सेन्ट, 7 पर्सेन्ट सैल्स टैक्स है इसका कारण क्या होता है। इसके कारण से काश्तकार जो यह सोचते हैं कि किसी प्रकार से उन्हें क्रूड ऑइल सस्ता मिले वह दूसरे तरीकों से अण्डर हैंड प्रेक्टिसेस काम में लेकर तस्करी के जरिये कभी गुजरात से मंगाते हैं तो कभी किसी और जगह से। इससे स्टेट एक्सचेकर को घाटा होता है और यह हमारे वित्त मन्त्री जी कभी पसन्द नहीं करेंगे और यह अच्छा भी नहीं है।

दूसरी बात यह है सभापति महोदय कि जो क्रूड ऑइल हमें मिलता है वह इतना मंहगा पड़ता है कि जैसा मैंने निवेदन किया कि उससे हमारी कृषि पर विपरीत असर पड़ता है। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और हम काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा इन्सेन्टिव दें जिससे वह ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करें और हम अपने ही देश में इतना अनाज पैदा कर सकें कि हमें दूसरी जगहों से नहीं मंगाना पड़े।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा ...

श्री सभापति : संक्षेप में जल्दी कीजिए।

श्री भगराज चौधरी : अब मैं मोबिल ऑइल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस पर भी 7 पर्सेन्ट का सेल्स टैक्स है। यह जब टैक्स लगाया था उस समय में प्रति ड्रम की कीमत 1969 के अन्दर चार सौ रुपये के करीब था लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले पांच सात सालों में मोबिल आइल की कीमत 500 पर्सेन्ट बढ़ गई और आज वह ड्रम 2,000 रुपये में पड़ता है। अगर काश्तकार इसे अपने उत्पादन बढ़ाने के काम में लेगा तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने काश्तकार आपको मिलेंगे कि जिनके पास इतना पैसा है कि वह मोबिल ऑइल का ड्रम 2000 में खरीद कर अपने पास रखें। इसी कारण से निश्चित रूप से हमारे खाद्यान्न के उत्पादन में मंहगाई पड़ रही है। इस प्रकार के मंहगे आइटम्स होने के कारण बहुत से काश्तकारों ने हमारे यहां पर आपने पम्पिग सेट लगा रखे हैं और वह पूरी हांल्डिग में इरिगेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास न तो पैसा होता है और न इतना मंहगा आइटम वह खरीद ही सकते हैं। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन दो आइटम पर विचार करें और इसमें थोड़ी कमी होगी उसकी पूर्ती आप दूसरे तरीकों से कर सकते हैं। आप फिजूलखर्ची को रोकिये, इकॉनामी मेजर्स अपनायें और जो साधन मैंने बताये उनको आप टैप कीजिए।

Page No 118

(118)

(श्री मगराज चौधरी)

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कई इस प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जैसे सिंचाई विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसमें करोड़ों रुपये फिजूल खर्च कर दिये जाते हैं । सभापति महोदय, जब आप खुद बोल रहे थे तो आपने कहा था कि आज हमारी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो वित्तीय एलोकेशन होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते । सड़कों पर कितना पैसा एलोकेट किया और फिजिकल टारगेट एचीव किये या नहीं और जिस स्टेण्डर्ड की सड़कें बनानी चाहिए और जिस स्टेण्डर्ड की नहरें बनानी चाहिए, जिस स्टैंडर्ड के बंध बनाने चाहिए क्या उस स्टेण्डर्ड की चीजें बनी या नहीं । इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है । आज मेरे खुद के जालोर क्षेत्र में छोटे मोटे बंध और नहरें बन रही हैं। वहां आज हालत यह है कि सैकड़ों और हजारों बोरियां सीमेन्ट की काला बाजारी में बेची जाती है और सीमेन्ट की जगह मिट्टी मिलाकर काम कर दिया जाता है और अभी थोड़े दिन पहले बनी नहरें टूट गई और बंधे टूट गये ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए क्या सरकार गम्भीरता से विचार नहीं कर सकती ? आज राजस्थान के अन्दर चार, पांच डिपार्टमेन्ट्स जिनके बारे में शिकायतें ज्यादा आ रही हैं उनकी कार्यप्रणाली को और उनके द्वारा किये हुए कार्यों की देख-भाल करने के लिए, उनका असेसमेन्ट करने के लिए कि काम स्टेण्डर्ड का हुआ या नहीं इसको देखने के लिए राज्य सरकार राज्य स्तर पर एक कमेटी क्यों नहीं बनाती है जो कि इस बात का वेल्यूएशन करे और रिपोर्ट दे और जो भी शिकायतें आयें उनके बारे में गम्भीरता से आगे कार्यवाही करे । तब आगे जाकर इसकी रोकथाम हो सकती है । दूसरे जो प्रान्त हरियाणा है, गुजरात है वह जो भी चीजें बनाते हैं वह पक्की बनाते हैं और 15-20 साल उनके देखने का काम नहीं पड़ता लेकिन हमारे यहां जो भी चीजें बनती हैं वह इस साल बनाई और दूसरी साल खतम हो जाती हैं । बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं काफी समय दे चुका हूं । समाप्त करें । आज समय कम है ।

श्री मगराज चौधरी : I am very much thankful to you for giving me time. But kindly give me a few minutes more.

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा विद्युतिकरण के बारे में । वित्त मंत्री महोदय ने बजट में कहा कि 1975-76 के अन्त तक करीब-करीब 7 हजार लोकेलिटीज का हम विद्युतिकरण कर पायेंगे और 95 हजार गावों का हो जायेगा । 1975 में हम यह कर पायेंगे तो मैं निवे-करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में पूरी लोकेलिटीज की संख्या 32 हजार से अधिक हैं तो उनको कब तक इलैक्ट्रिफाई करेंगे ? प्रति वर्ष एक हजार करें तो 25-30 साल लग जायेंगे तब जाकर पूरे राजस्थान के ग्रामों का विद्युतिकरण कर पायेंगे । यह बहुत धीमी रफ्तार है और आपका

(श्री भगराज चौधरी)

इसको बढ़ाना चाहिए। आप देखिये कि आज विकास के लिए लोग उग्र हैं और इन्टरेस्टेड हैं तो आपको किसी तरह से भी साधन जुटाने पड़े चाहे वर्ल्ड बैंक से आप पैसा लायें या और कहीं से लायें लेकिन हमें विद्युतिकरण की गति को बढ़ाना चाहिए। सभापति महोदय मेरे जिले में 15 हजार पम्प सैट काम कर रहे हैं और उनको चलाने के लिये हमें क्रूड ऑइल बाहर से मंगाना पड़ता है और वह बहुत मंहगा लाना पड़ता है और आप सब जानते हैं कि जिन देशों से हम क्रूड ऑइल मंगाते हैं उनसे किस प्रकार की बातें करनी पड़ती हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां 15 हजार पम्पिग सैट लगे हुए हैं तो इस प्रकार के जिलों को आर. एस. ई. बी. के माध्यम से एक साल में सारे कुओं का इलैक्ट्रिफिकेशन आप क्यों नहीं करवाते हैं? आज तक हमने जो भी स्कीम बनाई वह ऐसे जिलों में बनाई जहां कि कुओं की संख्या बहुत कम है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जालोर जिले के अन्दर जो कि राजस्थान में करीब 60 प्रतिशत क्रूड ऑइल खपत करता है कुओं को चलाने के लिए ऐसे जिलों के अन्दर शीघ्रता से आर. एस. ई. बी. के द्वारा कुओं का विद्युतिकरण किया जाना चाहिए ···

श्री सभापति : आप अब समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : जस्ट वन मिनिट।

श्री सभापति : नहीं। समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, अब मैं और निवेदन करना चाहता हूं····

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। मैं टाइम नहीं दे सकता। मेरी सीमा है इसलिए मैं टाइम अधिक नहीं दे सकता।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके आदेशों का पालन करता हुआ एक निवेदन करना चाहता हूं····

श्री सभापति : (श्री बिरदाराम के बोलने पर) आप कृपया बिराजिये। आपको समय दूंगा।

श्री भगराज चौधरी : ···थोड़ा ग्रामीण जलप्रदाय योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपने ग्रामीण योजना के लिए 6 करोड़ 18 लाख रुपया रखा है। और शहरी योजनाओं के लिए 20 करोड़ 80 लाख रुपया रखते हैं। याने शहरों में जिसमें केवल 15 प्रतिशत लोग रहते हैं वहां पर आपने पूरे एलोकेशन का 30 पर्सेन्ट हिस्सा दे दिया लेकिन आपने ग्रामीण जनता जो भूखी, नंगी है उसके साथ अन्याय किया है। मैं चाहता हूं कि जो पैसा रखा है उसमें आपको देहाती मद में बढ़ोतरी करनी चाहिए।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय अकाल हमारे राजस्थान में बहुत पड़ा है ···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : ठीक है, मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मणसिंह !

श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, आय और व्यय गाड़ी के दो पहिये हैं और

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कीमत उसकी धुरी है। कीमतें जब बढ़ती हैं तो गरीबों के कीचड़ की ग्रामदनी का पहिया फंस जाता है और दूसरे खर्च का पहिया ग्राकाश में ऊंचा लटक जाता है। 25 वर्षों से लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मंहगाई बढ़ती जा रही है और कीमतें और मंहगाई की बढ़ोतरी के साथ लोगों की ग्रस्थिरता भी बढ़ती जा रही है। सभापति महोदय, गये दो सालों में यह कीमतें और मंहगाई के बढ़ते हुए चक्र की रफ्तार और तेजी से चलने लग गई है। सन 1973 में कीमतों के थोक भाव 26 पर्सेन्ट बढ़े और खुदरा भाव तो 26 पर्सेन्ट से भी ज्यादा बढ़े लेकिन सन् 1974 में खाद्यान्नों के भाव 100 प्रतिशत बढ़े, मोटे ग्रनाज मक्का, बाजरा, ज्वार के भाव सौ प्रतिशत बढ़े गरीबों की दुर्दशा होगई। गरीब पिस गए, गरीबों के पास पैसा भी नहीं है कि पैसा खर्च करके मोटा ग्रनाज खरीद सकें। सभापति महोदय, राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता में से डेढ करोड़ ऐसी जनता है कि जो इस मंहगवाड़ी से प्रभावित है। प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित है। वर्षा की कमी से प्रभावित है। उत्पादन कम होने के कारण भी प्रभावित है। ऐसी स्थिति में सरकार की दिक्कतें बढ़ी हैं, यह भी स्वाभाविक है। लेकिन सरकार की कई नीतियां हैं वह ग्रालोचना के योग्य हैं उस पर मैं ग्रालोचना करना ग्रपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं प्राकृतिक जो दुर्घटनाये हुई हैं वह जनता के ऊपर उनसे कुप्रभाव पड़ा है उसके लिए सरकार का दोषी ठहराना और गैर जिम्मेदारी के रूप से ग्रालोचना करना मैं सर्वथा ग्रनुचित समझूंगा। यह सभापति महोदय, बारबार इस सदन के ग्रन्दर कहा गया है कि मंहगवाड़ी एक सारे विश्व के ग्रन्दर एक विश्व की घटना है, वह वर्ल्ड फैनौमिना है। इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक माननीय वित्त मंत्री का ध्यान ग्राकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि सन् 74 में यूनाइटेड किंगडम में, चाहे फ्रान्स हो या चाहे रशिया हो, इन देशों में 12 से 15 प्रतिशत मंहगवाड़ी बढ़ी उसके मुकाबले में हमारे हिन्दुस्तान में, भारतवर्ष में 26 प्रतिशत मंहगवाड़ी बढ़ी। सभापति महोदय, ग्रमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस में पर कैपिटा ग्राय 3 से 4 प्रतिशत सालाना बढ़ती गई है। जापान में 7 प्रतिशत ग्रौसतन बढ़ती है। ग्रतएव यही देश है जहां जो मंहगवाड़ी बढ़ती है उसके साथ साथ पर कैपिटा ग्राय जो बढ़ती है उससे जनता पर कुप्रभाव विशेष नहीं पड़ता है, मेरे कहने का मूल उद्देश्य यही है कि हिन्दुस्तान के ग्रन्दर पर कैपिटा ग्रामदनी दो या तीन प्रतिशत बढ़नी है। उसके साथ साथ समानान्तर रूप से जन संख्या दो ढाई प्रतिशत बढ़ जाती है और जो कुछ भी ग्रपनी उपलब्धियां होती हैं उन सब को न्यूट्रलाईज कर देती हैं और हम जहां थे वहां के वहां रह जाते हैं। ग्रर्थात् देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। यह एक बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है और बढ़ती हुई ग्राबादी के सम्बन्ध में जब तक हम साहस के साथ कोई कदम नहीं उठायेंगे यह जो रोग हमारे समाज में लगा है, रोग धीरे 2 बढ़ करके और हमको सम्भवतः बर्बाद कर सकता है। ग्रंतिम बजट के पारण के समय मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान उनकी इस घोषणा की ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने ग्रपने बजट भाषण में कहा था

(श्री लक्ष्मणसिंह)
कि कोई टैक्स नहीं लगा, बजट के अन्दर टैक्स नहीं लगाये, लेकिन यह वे भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि सरकार ने 27 करोड़ रुपये टैक्स से वसूल किये हैं। और वह भी बैक डोर के थ्रू वसूल किये हैं और उसके द्वारा आपने वसूल किये हैं। यह निश्चित रूप से एक बड़ी बुरी परम्परा है और सदन की गरिमा के विपरीत है और मैं समझता हूं कि यह बड़ा भद्दा, अशोभनीय तरीका है। सरकार अपने आपको कल्याणकारी होने का दावा रखती है। गरीबी हटाने वाली सरकार अपने आपको कहलाने के लिए उत्सुक है लेकिन सभापति महोदय, जब यह सरकार पेय जल पर टैक्स लगाए, नलों का पानी है वह मंहगा करे, घरेलू बिजली पर टैक्स लगाये, बस भाड़े बढ़ाये तो मेरे खयाल में और वह भी इस अकाल की परिस्थिति के अन्दर जब जनता के पास पैसा नहीं है, जब जनता दाने दाने के लिए कराह रही है, ऐसी परिस्थिति के अन्दर जो जीवन की यह आवश्यकता की चीजें हैं उनको मंहगा करना मैं समझता हूं कि यह समाजवाद का तौर तरीका नहीं है और असमाजवादी तरीका है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, यह तो राजस्थान सरकार ने टैक्सेज लगाए लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसके साथ चाय पर टैक्स लगाया, बीड़ी पर टैक्स लगाया, साबुन पर टैक्स लगाया, शक्कर पर टैक्स लगाया, उनका भी कुप्रभाव राजस्थान की जनता पर निश्चित रूप से पड़ा है।

अब मैं दो शब्द सभापति महोदय, लेवी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। आज अनिवार्य रूप से लेवी लेने के लिए सरकार तुली हुई है। मैं इसको एक अच्छा तरीका नहीं मानता लेकिन अगर सरकार तुली हुई है तो सरकार लेवी ले लेकिन उसके साथ साथ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे किसानों पर लेवी नहीं लेना चाहिए। छोटा किसान वह कि जो अपने परिवार के लिए काफी अन्न उत्पादन नहीं कर सकता, अपने परिवार का पोषण नहीं कर सकता। जिसकी जोत पांच या छः बीघा से भी कम है उससे आप लेवी लेकर कौनसा मीर मार लेंगे। यह सर्वथा अनुचित है और उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि लेवी की जो कीमत आप निर्धारित करते हैं वह इर्रेशनल है, अवास्तविक है और इर्रेशनल कीमतों के कारण आपकी दिक्कतें दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही हैं। कीमत आप लेवी की कम निर्धारित करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा। माननीय प्रकृति के विपरीत कोई सरकार नहीं जा सकती और भ्रष्टाचार बढ़ता है। आपकी जो कीमतें हैं जरूरत से ज्यादा नीची हैं, अवास्तविक हैं, इर्रेशनल हैं, उसको जब तक आप नहीं बढायेंगे तब तक आप स्थिति पर काबू नहीं पा सकेंगे। गेहूं की, मैं मानता हूं राजस्थान के लिए सम्भवतः काबू के बाहर की बात है। राजस्थान सरकार भी उसी दल की सरकार है जो केन्द्र में है। राजस्थान की सरकार यह कह सकती है, केन्द्र की सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कि 105) रुपया क्विन्टल का जो भाव है वह बहुत जरूरत से ज्यादा कम है। बाजार भाव खुद वित्त मंत्री महोदय जानते हैं 210 और 205 रुपया क्विन्टल है और 105 रुपये क्विन्टल के हिसाब से जनता के ऊपर लेवी लगायें यह

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरे खयाल में इन्साफ नहीं है, यह भी एक तरह की ज्यादति और जुल्म है। अगर 1(5) रुपया मायने 210) रुपया, दुगना फर्क आपकी लेवी की दर के अन्दर और बाजार के भाव के अन्दर, जब दुगना फर्क है तो व्यापारी और किसान अपने उत्पादन या अपने स्टॉक को दबाये नहीं तो और क्या करेगा। तो आप प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वास्तविक नीति को अगर अपनायेंगे तो आपको दिक्कत कम होगी। मुझे सुझाव देने का तो अधिकार नहीं है यहां पर लेकिन उदाहरण के तौर पर कह सकता हूं कि अगर आप 1'0) रुपया क्विन्टल भाव निर्धारित करें लेवी का तब तो एक बात है, 105) रुपया तो बिल्कुल ही अनुचित है। होर्डर्स को आप दोष देते हैं। होर्डर्स अनामाजिक तत्व हैं, उनकी प्रशंसा तो कोई नहीं कर सकता लेकिन आपकी नीति के द्वारा होर्डर्स को जो प्रोत्साहन मिलता है और अगर होर्डर्स गुनाह भी करें और कानून की अवहेलना भी करे तो आपके कानून में भी बिल्कुल गलत है इस कारण से होर्डर्स को प्रोत्साहन मिलता है. मजबूर होता है कालाबाजारी करने के लिए। केन्द्रीय भण्डारों के अन्दर अनाज नहीं मिलता। आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। आप माईलो लाते हैं, माईलो में भी लोगों को धतूरे के बीज खिलाते हैं और यह माईलो चाहे अमेरिका का हो, आस्ट्रेलिया का हो, कनेडा का हो या रशियन हो, जहां से आप लाते हैं वहां पर तो आप विदेशों के किसानों को तो नुकसान दे नहीं सकते। नुकसान देने की स्थिति में आप नहीं हैं नुकसान देना चाहें अब भी नहीं दे सकते वहां पर आपको झक मार कर बाजार भाव से, 225 रुपये क्विन्टल के भाव से माइलो खरीदना पड़ता है और यहां पर सबसीडाइज्ड रूप से उस माईलो को बेचते हैं वह भी गंदा, साफ सुथरा नहीं, और पाइजिनियस तत्व उसमें मिले हुए रहते हैं। मेरा निवेदन है आपको लेवी लेना है तो लीजिए परन्तु छोटे किसानों को छूट दीजिये। लेना है तो उसकी राशनल कीमत कायम करके आप लेवी लीजिये।

जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, सिंचाई भी मंहगी हो गई है। डीजल के भाव बढ़ गये हैं। बिजली के भाव बढ़ गये हैं। फरटीलाइजर का बाजार में भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है—राख की थैली लोगों ने बेची हैं और सरकारी कर्मचारियों के गुनहगार साबित होने पर, उसके उपरान्त भी आपने कुछ नहीं किया। आप उनको कुछ नहीं कहते हैं। अजीब विधि की विडम्बना है। आपको चाहिए कि इन खामियों को आप शीघ्रातिशीघ्र दूर करें। अगर लेवी के टारगेट आप निर्धारित करते हैं तो निर्धारित टारगेट से आप अधिक लेवी वसूल मत करिये। मैंने देखा है। मेरे जिले के अन्दर निर्धारित टारगेट पूरा हो जाने के उपरान्त भी आपने लेवी वसूल की है। छोटे मोटे कर्मचारी जो बिल्कुल अशिक्षित होते हैं डरपोक किसानों को नादिरशाही, हिटलरी तरीकों से डरा कर, धमका कर कहते हैं, लेवी दो नहीं तो सजा हो जायगी। यह हो जाएगा। सरकार इस सम्बन्ध में उचित रोकथाम कर सकती है। लेवी का टारगेट कायम करे—एक सरक्यूलर के द्वारा कर्मचारियों को, जिलाधीशों को कह सकती है कि टारगेट से ज्यादा लेवी को वसूल न करें।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

सभापति महोदय, राजस्थान के दक्षिणी जिलों के अन्दर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ, भीलवाड़ा के विकास के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष साढ़े चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सभापति महोदय, मेरे जिले के अन्दर ही करोड़ों रुपये आज तक सरकार ने इन पिछले 25 वर्षों में खर्च कर दिये हैं—करोड़ों रुपये। वह दिन मुझे याद है—मेरे चुनाव के समय डेढ महीने तक सरकार ने आसपुर तहसील में, जहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, एक लाख रुपया रोजाना खर्च किए····

श्री चन्दनमल बैद : जिससे आप जीत जाएं····

श्री लक्ष्मणसिंह : उसके परिणामस्वरूप ही जीत गया। बहुत उदार सरकार है। मैं जीता या हारा, अभी की बात नहीं है। यह सन् 67 की बात है। सुखाड़ियाजी के जमाने की बात है।

श्री चन्दनमल बैद : यह सदन आप जैसे शरीफ सदस्य को कैसे मिस कर सकता है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं यह कह रहा था कि सरकार की नीति क्या है, इस सम्बन्ध में, वित्त मंत्री कहें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर एक लाख रुपया डेढ़ महीने तक लगातार प्रतिदिन खर्च किया गया। मैं जीता या हारा यह तो दरकिनार रहा लेकिन इसमें अधिकांश रुपया जो था वह सब बिल्कुल शरबत बन कर माही, सोम नदियों में डूब कर बह गया। इस तरह से आधा खर्च किया और आधा छुट पुट लोगों ने, सरपंचों ने, प्रधानों ने, खा पी लिया। इस तरह का आपा धापी करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस साढे चार करोड़ रुपये को भी इसी तरह आपा धापी में खर्च न करें। अगर इस आपा धापी में खर्च मेरे खयाल से इससे बढ़ कर और दुःख की परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। मैंने तो मेरे जिले की एक बात निवेदन की है। दूसरी बात मेरे जिले के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, आदिवासियों में मुश्किल से 5-10 प्रतिशत लोगों में खुशहाली आई है। संभवतः 20 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो सामान्य दृष्टि से जैसे थे, ज्यों के त्यों रहे हैं लेकिन 60-65 प्रतिशत लोगों की हालत दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रही है उनकी गरीबी बढ़ रही है। वे परेशान हो रहे हैं। उनके तन पर कपड़ा नहीं है। खाने को अनाज नहीं है। पसलियां, हड्डियां, साफ उनके शरीर पर दिखाई देती हैं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर यह साढ़े चार करोड़ रुपया इस बुरी तरह से दुरुपयोग कर आपा धापी में खर्च करेंगे तो जनता को नुकसान होगा, जनता का भला नहीं होगा। मैं आपको इस सम्बन्ध में आगाह किए देता हूं।

फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में सभापति महोदय मेरा यह निवेदन है कि मैं भी जिला प्रमुख और वहां के पंचायत समिति के प्रधान और जिलाधीश के साथ घूमा। वहां लगान भी बताई और कुछ काम भी हुआ। और जो कुछ काम हुआ है फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में, वह मेरे खयाल में, एक ठीक दिशा में कदम उठाया गया है और अगर इसी तरह से आगे भी काम चला तो संभवतः डूंगरपुर जिले में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उपलब्धियों में

(श्री लक्ष्मणसिंह)

उन्नति हो सकती है। इस बहुत बडे काम को आप एजूकेशन, परसुएशन समझाईश, के साथ, दिलासे के साथ और प्रलोभन के साथ कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ-साथ जो नसबन्दी का काम है, उसके बाद देख भाल की व्यवस्था अगर और भी अच्छी कर सकें तो इस काम में आपको प्रगति मिल सकेगी लूप के सम्बन्ध में, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यह आम जनता में शोहरत है और आम जनता की भावना है। इस सम्बन्ध में सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा आपको जो कुछ भी डिफेक्टिव या खामी से भरपुर व्यवस्था है, उसका भी आप दूर करें।

मैं, सभापति महोदय, यह कहने जा रहा था कि साढ़े चार करोड़ को खर्च करने के लिए जिस योजना को आप क्रियान्वित करेंगे, वह योजना आपको ठीक ढंग से क्रियान्वित करना चाहिये। उदाहरणार्थ मैं निवेदन करूंगा 1973 में बाढ़ आई। बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए 4 लाख रुपया डूंगरपुर जिले के अन्दर खर्च हुआ। उसमें से दो लाख रुपया आपा धापी में लोग खा गये। दो लाख रुपया मुश्किल से लोगों को मिला। कांग्रेस के सदस्यों ने भी मांग की कि इस आपा धापी के सम्बन्ध में जांच कराई जाये। जांच कराई गई, वह रिपोर्ट कहां है, यह पता नहीं है। दो साल हो गये। इस सम्बन्ध में क्या किया गया। नहीं किया है तो इसका पता लगाना चाहिये। आखिर यह मसला क्या है। सरकार को यह चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में सजगता बरते और देख कर, रिपोर्ट पढ़ कर जो गुनाहगार है, उनको कुछ न कुछ सजा दे। यदि यह सरकार गुनहगार को सजा न दे तो सरकार खुद ही गुनाहगार है। सभापति महोदय, यह साढ़े चार करोड़ रुपये के प्रावधान के सम्बन्ध में पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि पहाड़ों और वनों को आप प्राथमिकता दें हमारे क्षेत्र के अन्दर। फॉरेस्ट प्रायोरिटी दें। जंगलों के साथ आदिवासियों के जीवन हैं और आदिवासियों के जीवन का मूलाधार जंगल है। जंगलों से आदिवासियों का पोषण होगा, घास, लकड़ी, जंगली फल उनको प्राप्त होंगे और आदिवासियों का भला अगर आप करना चाहते हैं तो एफोरेस्टेशन की योजना को निश्चित रूप से आप आगे बढायें। वन होंगे तो पहाड़ नंगे नहीं रहेंगे और पहाड़ नंगे नहीं रहेंगे तो आदिवासी भी नंगे नहीं रहेंगे तो इसलिए मैं आपको, सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि एफोरेस्टेशन के ऊपर पूरा जोर दिया जाय।

इसके साथ-साथ मेरे पूरे जिले के अन्दर एक भी उद्योग नहीं है, कोई भी उद्योग खनिज पर आधारित हो। आखिरकार 500 आदमियों को रोजगार मिले ऐसा एक भी उद्योग अगर 25 वर्षों के पश्चात् भी नहीं खुल सके तो उद्योग के लिहाज से आपने मेरे जिले के अन्दर कोई भी प्रगति नहीं की है मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में आप ध्यान देंगे।

लघु सिंचाई के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हरेक गांव के अन्दर दो-तीन छोटे-बड़े तालाब होते हैं। उनमें से तालाबों की मरम्मत नहीं है। उनकी मरम्मत करायें। उसमें कम खर्चा होता है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

उससे उत्पादन होगा, उत्पादन का क्षेत्र विस्तृत होगा। विस्तृत क्षेत्रों के अन्दर अगर उत्पादन होगा तो मेरे ख्याल में हजारों आदमियों का भला होगा। इसलिए लघु सिंचाई के ऊपर सरकार आशा है ध्यान देगी।

डूंगरपुर हॉस्पिटल के अन्दर प्राइमेरी जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यूरिन ब्लड, स्पूटम के एक्जामिनेशन के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक ही अस्पताल है और उस अस्पताल में बहुत रश है मेरा एक निवेदन है कि शहर में एक डिस्पेन्सरी खालेंगे तो अस्पताल के ऊपर जो प्रेशर है वह घटेगा, और डिस्पेन्सरी उसके वजन को एक हद तक वहन कर सकेगी।

अब सरकार की कृपा से, केन्द्रीय सरकार की कृपा से, डूंगरपुर में रेल भी आ चुकी है। वहां की आबादी भी बढ़ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर यू. आई. टी. की आवश्यकता है। अगर यू. आई. टी. की स्थापना हो तो प्लाण्ड विकास होगा और हैपहेजर्ड विकास नहीं होगा। हैपहेजर्ड विकास होगा तो आप लोगों को भी दिक्कत आयेगी और लोगों को भी दिक्कत आयेगी और नगर के सोन्दर्य में फर्क पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

सभापति महोदय, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट के ऊपर बिल्कुल बहस नहीं होती है। वह एक महान् महत्वपूर्ण विषय है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर फुल फ्लेज डिबेट होनी चाहिए। यह मेरी मांग है। अगर वह स्वावलम्बी संस्था है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उस विषय में यह सदन डिबेट न करें। दूसरी विधान सभाएं अन्य राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी बाड के ऊपर बहस करती हैं। मैं आशा करता हूं कि मानसून सेशन में अगर आप समय निकाल कर करें मगर इलेक्ट्रिसिटी बाड पर बहस करने के लिए एक दिन नियत करें तो बहुत अच्छा होगा।

वैसे रोडवेज भी एक महत्वपूर्ण विषय है। रोडवेज पर कोई बहस नहीं होती है इस सदन के सम्मानीय सदस्यों का यह अधिकार है। आप नेशनेलाइजेशन करें आपकी इच्छा हो वह करें। हमको कहने का मौका मिले कि नेशनेलाइजेशन कर रहे है, भाड़ा बढ़ रहा है वह किस तरह से कर रहे हैं। बसों की क्या स्थिति है उस सम्बन्ध में भी हमें प्रकाश डालने का अवसर मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, बार-बार इस सदन के अन्दर यह भी चर्चा हुई है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट के ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए। सरकार 1971 की रिपोर्ट लेकर आती है, टेबल करती है, सदन की मेज पर रखते हैं। सरकार को चाहिए कि सन् 74 की नहीं तो 73 की रिपोर्ट रख कर उस रिपोर्ट के बेसिस पर बजट के सेशन में अन्यथा मानसून सेशन के अन्दर इस संबंध में बहस होना परमावश्यक है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोड, रोडवेज और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स इन तीनों विषयों के ऊपर बहस मैं आशा करता हूं कि मानसून सेशन में सदन में करने का अवसर मिलेगा।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

अन्त में सभापति महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आपकी योजनाएं है, लेकिन वह कहां है वह मुझे तो नहीं दिखती हैं। आप आज बहुत बड़ा हिस्सा निरन्तर मंहगवारी भत्ते के अन्दर दे देते है। कर्मचारियों को खुश करना आपका कर्त्तव्य है लेकिन कर्मचारी एक खास प्रिविलेज्ड क्लास बन गई है। 12 वर्ष की सर्विस और 13 वर्ष की उनको तनख्वाह दें उसका स्वागत् है, उसका मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उसके मुकाबले में गरीब आदमियों को आप क्या देते हैं? आप टैक्स लगाते हैं तो जितना टैक्स लगाते हैं उसका प्लानिंग के अन्दर बहुत कम पैसा जाता है। सौ टैक्स लगाते हैं उसका 70 पर्सेन्ट मंहगवारी भत्ते में चला जाता है। बताइये आपका यह शासन कैसे चलेगा? आप स्वयं देख रहे हैं कि निरन्तर मंहगवारी भत्ते बढ़ रहे हैं। सुरसा के माफिक मंहगवारी बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ समानान्तर रूप से मंहगवारी भत्ते बढ़ते जाते हैं। इसका कोई न कोई अन्त तो होना चाहिए। आपको कीमतों पर कन्ट्रोल करना चाहिए। आपको मित्तव्ययिता का सिद्धान्त सीखना चाहिये। मित्तव्ययिता यह सरकार नहीं जानती है। अनाप-शनाप, अन्धाधुन्ध खर्चा होता है और उसके अन्दर आपाधापी होती है। तो ऐसी स्थिति के अन्दर आपकी योजनाएं है यह व्यर्थ जा रही है। प्लान होली डे के बारे में मेरे दल ने आपको कहा केन्द्रीय सरकार ने उस पर बुरा मान कर कहा कि यह कोई होली डे नहीं है। होली डे नहीं तो प्लानिंग की आपके पास कोई योजना नहीं है। आप किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये हैं। तो इस मंहगवारी को लेकर आपसे मेरा अनुरोध है कि मंहगवारी है उसका कोई न कोई हल नहीं कर सकेंगे तब तक सरकार की प्रगति होना मैं तो समझता हूं असम्भव है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय, "

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका नाम आज नहीं है।

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय, मैंने नाम दिया है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आपका नाम नहीं है। प्रोफेसर केदार!

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, एप्रोप्रियेशन बिल का बहुत लम्बा स्कोप मानते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने बजट स्पीच में और बजट स्पीच के बाद बजट के रिप्लाई में यह कहा था कि स्टेट के फाइनेन्सेज बहुत बड़ी साउन्ड फुटिंग पर हैं। जाने वाले सालों में हमारे फाइनेन्सेज सुधरे हैं। हमारी फाइनेन्शियल हैल्थ, हमारी फाइनेन्शियल लाइफ पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर है। मान्यवर, अगर हम सारे देश की इकोनॉमी को देखें तो जिस स्टेण्ड और जिस स्ट्रेस से हम चलते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना इन्क्रीज हुआ है, सारे वर्ल्ड के डेट हमारी इकोनॉमी पर बोझ के रूप में पड़े हुए हैं, फिर इन्कार करते हुए पी. एल. 480 के बीच 8 लाख टन जो ह्वीट का लोन लिया है यह ऐसी चीजें दिखाई देती

(श्री केदारनाथ)

हैं कि हमारी इकोनॉमी को साल दर साल मेन्टेन करने के लिए हमारे यह सारे एफर्ट्स हैं। इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने के लिए, ओरीजिनल चेन्ज लाने के लिए हमारे एफर्ट्स तेजी के रास्ते पर नहीं है। जब सारे देश की इकोनॉमी ऐसी हो तो स्टेट लेवल पर हमारे वित्त मंत्रीजी यह कह दें कि हमारी इकोनॉमी साउण्ड फुटिंग पर है, मेरे ख्याल से माननीय वित्त मंत्रीजी इकोनॉमी की परिभाषा को नहीं समझते हैं।

मान्यवर, इससे पहले जब भाषण दे रहे थे सप्लीमेंट्री प्लानिंग के बारे में तो जब से टी. एन. पाई आये हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि प्लानिंग कमीशन के जो अधिकार थे, जो इकोनॉमी पर ग्रिप था, इकोनॉमी को डाईरेक्शन देने का, टोन देने का, कलर देने का, प्लानिंग की सारी स्ट्रेटेजी को तय करने का वह प्लानिंग कमीशन से जा रहा है जब से पाई ने एक नया नारा फ्लोट किया है, क्या कहते हैं कि जिनकी केपेसिटी लिमिटेसन्स ज्यादा है उनको केपेसिटी दे दें। मान्यवर, यह इसलिए किया गया है कि मोनोपोली हाउसेज हैं हम कर्ब तो कर दें, उनको बाइन्ड कर दें, उनकी आवाज न हो। इसलिए लिमिटेशन्स वहां पर किये गये हैं। पिछले एक वर्ष से लगातार यह नारा चला आ रहा है कि सारी केपेसिटीज में जो लिमिटेशन्स किये गये हैं इनको खत्म किया जाय और केपेसिटी उनको दे दें। इसका मतलब यह है कि मोनोपोली कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक स्टेप्स लिये हुए हैं केन्द्रीय सरकार ने मोनोपोली को कर्ब करने के लिए फिर उनको छूट दे दी। मान्यवर, दूसरा एक नारा इन्होंने और दिया है कि जो शेयर्स थे हमारे आज तक पब्लिक एन्टरप्राइजेज में इनको फ्लोट कर दें प्राइवेट सेक्टर में और इनका सारे का सारा रूप नेशनल सेक्टर में आयेगा। यह भयंकर चीजें हमारी इकोनॉमी होंगीं। इस तरीके से सारे पब्लिक एन्टरप्राइजेज के और स्टेट अण्डरटेकिंग्स के शेयर्स हम फ्लोट कर देंगे तो कौन लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वह लोग लेंगे? कौन लेगा? वही लेंगे जो जो बिग हाउसेज हैं। अगर यह चीज किसी तरह से नेशनल सेक्टर में हमारे पास आती है तो सारा प्लानिंग कमीशन का ग्रिप था इकोनॉमी पर वह समाप्त हो जायगा। पाई साहब के दोनों सुझाव हमने मान लिये तो देश के अन्दर जो कैपेटेलिस्ट स्टेट हैं, जो मौजूदा व्यवस्था है वह स्ट्रेन्थन होगी और सोशियेलिस्ट पॉलिसी को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा।

... तो मान्यवर, मैं प्लानिंग के बारे में कह रहा था। केन्द्रीय सरकार ने एक एप्रोच के नाम से फाइव ईयर प्लान पर एक किताब बांटी। मान्यवर, ड्राफ्ट 73 में पेश होता है। उन्होंने कहा है कि हम 5 ईयर प्लान को देते हैं। यह रिवीजन चाहते हैं। उससे जो इन्क्रीज होगा सारा का सारा प्लान, जो आज हमारी हालत है उसका रिवीजन होना चाहिए। एक हजार आदमी प्लानिंग कमीशन में काम करते हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि यह पोजीशन आयेगी। आज इन्फ्लेशन बहुत है, प्राइसेज में। जो केन्द्र के मन्त्री हैं, वह कहते हैं। 126 करोड़ से डेफीसिट नहीं जायेगा। बजट स्पीच में 126 करोड़ की बात कहते हैं। यह सारा का सारा प्लान व्यवस्था पर होता है। ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे सारे प्लान पर

(श्री केदारनाथ)

आता है यह जो कण्ट्रीज हैं, इनमें यह प्लानिंग सिस्टम कामयाब नहीं होगा। यह आप मानकर चलते हैं। प्लानिंग कमीशन ने भी यह माना है। पावर देते हैं, स्टेट्स को। प्लानिंग कमीशन ऐसी चीजें करता रहा है। अब जब से पाई आये हैं। सारे थॉट्स, प्लानिंग कमीशन की सारी पावर कन्फाइन कर देंगे। यहां पर भी प्लानिंग कमीशन का बोर्ड है। उसकी कोई मीटिंग नहीं होना। आज हमारी इकानॉमी दुनिया भर के लोन्स पर जिन्दा है। इकानॉमी को रिपेण्ड करने के लिए नहीं ला रहे हैं। जो इकानॉमी में होता है। रीजनरेटिंग के अन्दर नहीं आता है। हम इसको जीवित रख सकें उसके लिए होता है। यह हमारे केन्द्र की पोजीशन है। सभापति महोदय, देश की पोजीशन ऐसी चलेगी तो यह साउण्ड फुटिंग कैसे आयेगी। यह साउण्ड फुटिंग की गलतफहमी है। 74-75 में 880 करोड़ का डेफिसिट है। एक्सपोर्ट इन्क्रीज हुये हैं 30%। इम्पोर्ट इन्क्रीज हुए 14%। यह सारी सेन्ट्रल की दो साल की इकोनॉमी कही है। तो यहां पर जो बात होती है, इन्होंने जो कोशिश की है। उसकी तारीफ करता हूं। स्टेट का जो अपना प्रोग्राम लेकर चले हैं, उनमें काफी सुधार हुआ है। यह मानकर चलते हैं। बिहार और यू. पी. की हालत क्या है। पिछले साल बिहार में 40 करोड़ का डेफिसिट था।

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का बिल पास होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जब तक बिल पास न हो जाये तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री केदारनाथ : सेन्ट्रल इन्सट्रक्शन के बावजूद भी अण्डर राईट कर दिया। लोन को ग्राण्ट के नाम कन्वर्ट कर दिया। मान्यवर बिहार को 40 करोड़ मिलता है। और यू. पी. को 60 करोड़ रिलीफ के नाम पर दिया है। फाइनेन्स कमीशन ने बिहार रिलीफ के नाम से ज्यादा पैसा दिया है। हमारे यहां की बैकवर्ड कण्डीशन है। यह मांग करते हैं राज के नाम से दो। क्योंकि हमारे जैसे बैकवर्ड स्टेट की लिमिट्स हैं। बैकवर्डनेस दूर करने के नाम से दो। हमको मिलनी चाहिए किसी भी नाम से दो। वह स्थिति बिहार और यू. पी. से यहां ज्यादा है। वहां पर इलेक्शन था जिससे वहां पर पोलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया।

श्री भगराज : सभापति महोदय, सदन का समय····

श्री चन्दनमल बैद : वह हो गया है।

श्री केदारनाथ : सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट में कुछ कहते हैं। हमारे कुछ लोन्स और इन्ट्रेस्ट पे करते हैं। 96 करोड़ देना पड़ेगा। 5 साल में 74-75 के बीच सेन्ट्रल से 56 करोड़ आया। 74 से 79 तक सेन्ट्रल से आयेंगे 231 करोड़। लोन क्लीयर हो गये 25 करोड़ के 76 तक आर्टिकल 75 के तहत 174 करोड़ मिले। यह हालत है। ग्रांट इन एण्ड हमारी डेफर होने के बाद यह मालूम होता है, हमारी छाती पर बर्डन पड़ा है।

(श्री केदारनाथ)

इसमें मैं अर्ज कर रहा हूं, आपने टैक्स एफर्ट्स के मार्फत रेवेन्यू बढ़ाया है, मैं मानता हूं और एक्साइज और सेल्स टैक्स में आपने इन्क्रीज की है, बचत की है, इकानॉमी की है, रिकवरी की है मैं मानकर चलता हूं, इसमें शक नहीं है। जो व्यक्ति काम करे उसको क्रेडिट लेने का अधिकार होना चाहिये। लेकिन सारी राजस्थान की इकोनॉमी को देखकर उसका इम्पेक्ट देखते है तो 70 पर्सेन्ट पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उन पर इसका इम्पेक्ट क्या होता है, आपकी पॉलिसी हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, इसका जो टच स्टोन है वह कन्जम्प्शन है। जो लोएस्ट लेवल है, जो लोएस्ट लेवल के 30 पर्सेन्ट हैं, पावर्टी लाइन के नीचे, उनका कन्जम्प्शन बढ़ा है या नहीं? और जो ऊपर के लेवल के हैं 5 पर्सेन्ट, उनका कन्जम्प्शन लेवल गिरा है या नहीं? यह आंकडे नहीं है, कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है। इसलिए जब तक इस देश में डिस्पैरिटी बढ़े नहीं, पावर्टी लाइन के नीचे है उनका कन्जम्प्शन इन्क्रीज नहीं हो, और ऊपर की क्लास के हैं उनका कन्जम्प्शन कम नहीं हो, मैक्जिमम लेवल और मिनिमम लेवल के बीच में प्रपोर्शन बराबर नहीं हो, तब तक कह दें कि हमारी इकोनॉमी साउन्ड फुटिंग पर जा रही है, जो सोशलिज्म का पाथ हमने चूज किया है, उस रास्ते पर जा रही है तो यह मानकर नहीं चलता। इसलिये यह बातें अर्ज की।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, सारे राजस्थान के मोड ऑफ रिक्रूटमैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। आज तक, मैं कहना चाहता हूं स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स का ब्रेक लागू है अनएम्प्लॉयड लोगों का बैक लोग है, वह एकुमुलेट नहीं हो पाये और लोगों का फेयर डील मिले इसके लिये रिक्रूटमैंट के बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जितने लोगों का अपॉइन्ट करें, जितने लोगों को भर्ती करे, नये लोगों को सिलेक्ट करें उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ ना कुछ कोटा देना पड़ेगा। आप मैरिट के नाम पर करें, किसी नाम पर करें, यह बैक लोग एक्युमुलेट नहीं हो।

अभी कॉमर्शियल टैक्सेजर इन्सपेक्टर का सिलेक्शन हुआ। मैं बड़े ह्मबल तरीके से अपील करना चाहता हूं। आपने एडवर्टाइजमैंट निकाला, उसमें यह नहीं कहा कि इन्टरव्यू के कितने मार्क्स होंगे, रिटन टेस्ट के कितने मार्क्स होंगे, जिसको ऑब्जेक्टिव असेसमैंट कहते हैं, सब्जेक्टिव असेसमैंट कहते हैं। आपकी पी. एस. सी. एलान करदेती है, केन्द्र की पी. एस. सी. ऐलान कर देती है कि इतने मार्क्स रिटन टेस्ट के होंगे, इतने मार्क्स इन्टरव्यू के होंगे। उससे केन्डीडेड को मालूम पड़ जाता है, कौनसा आर्डियल फेस करना पड़ेगा। आपने लिस्ट निकाल दी, आपने टैस्ट लि लिया, 29 मार्च को लिस्ट निकाल दी। अखबारों में लिस्ट क्यों निकालते हैं, मान्यवर, यह मैरिट है लिस्ट हैं। लिस्ट निकाली 664 केन्डीडेट की। यह मैरिट लिस्ट दे दी, इनको सिलेक्ट कर लिया गया। जब आपने मैरिट लिस्ट बना ली तो इन्टरव्यू करवाने की क्या जरूरत है? और फिर इन्टरव्यू करवाना है तो अखबारों में पब्लिश क्यों किया? यह मैरिट लिस्ट है, उसके बाद इन्टरव्यू में बुलाया जून-जुलाई में। और उसके बाद रिजल्ट आउट किया है जाकर 12 नवम्बर को। इतनी इनऑर्डिनेट डिले हुई। रिजल्ट निकालने में। कॉमर्शियल टैक्सेज इन्सपेक्टर

(श्री केदारनाथ)

के मामले में, इससे क्या मालूम पड़ता है, मैं नहीं कहता। आप अपने आपको विजिलेंट मानते हैं, कॉम्पीटेंट मानते हैं, ऑनेस्ट मानते हैं, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के द्वारा इस मामले में साढ़े छः महीने की इनआर्डिनेट डिले करना क्या साबित करता है, आप ज्यादा समझदार हैं, इतनी सी बात से आप समझ जायं। यह लिस्ट देखी है, जो आपने सिलेक्ट किये हैं 39 केन्डीडेट जो लोग मैरिट लिस्ट में आये हैं, उसको देखा है, सबसे नीचे जो था, वह वहां सिलेक्शन में आ जाता है। इन्टरव्यू में एक-दो पर्सेन्ट में चेंज आ सकती है। इन्टरव्यू में एक्सप्रेशन ठीक नहीं हो, पर्सनलिटी ठीक नहीं हो, अपनी बात न कह पाये, जनरल नॉलेज में लेक करता हो यह मान सकता हूं। लेकिन रिटिन टेस्ट में फर्स्ट डिवीजन लाने के बाद कोई सिलेक्ट नहीं हो यह नहीं मान सकता। यह मानता हूं कि पांच सौ, हजार में एक आध ऐसा चेंज हो सकता है। लेकिन यह नहीं मान सकता कि जो सबसे नीचे है वह टोप पर आ जाय। यह मैंने कहीं देखा है। यह लिस्ट है। मैं आपको दे दूंगा। वैसे यह लिस्ट जांच के लिए आ गई हो। इसके अलावा डिपार्टमेंटल आधार पर रिक्रूटमेंट किया है, उसमें जो कम्पीटेंट नहीं है वह आ गए हों और काम्पीटेंट रह गये हों। मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है, इस ढंग के उसमें शक शुबाह रहे तो राजस्थान के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो सिलेक्शन के लिए अपने को काबिल मानते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। उनके दिमाग में राजस्थान सरकार के लिए ठीक इमेज नहीं बनेगी। और हम लोग जो यहां बैठे हैं, उनकी बात को कहने के लिये, उनके प्रिवेन्सिज को वेंटीलेट करने के लिए हमारी यह फर्ज है कि जो रिक्रूटमेंट के अन्दर लेप्सेज हों, उनको यहां पेश करें ताकि आयन्दा के लिए कोई रास्ता निकाला जाय और सुधार का रास्ता आगे हो।

मैं अर्ज कर रहा हूं, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन है, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसने कहा है, सब जगह फूड बजट के नाम पर बजट के अन्दर पैसा हो। सारी स्टेट को जगजीवनराम ने कह दिया है, अपनी अपनी लेवी और प्रोक्योरमेंट का मोड तय करो। मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारा यह सेशन 31 मार्च तक है। स्टेट की पॉलिसी क्या है, लेवी के बारे में, प्रॉक्योरमेंट के बारे में वह हमारे सामने आ जाय। पिछले साल बंगलिंग की है, लेवी और फूडग्रेन ट्रेडिंग के अन्दर, वह तरीका नहीं अपनायें। लेवी वसूल हो जाय ग्रेडेड प्रोक्योरमेंट हो, सही प्राइस लोगों को मिले, उस पर खर्च होता है पैसा वह कम हो, वलनरेबल सेक्शन को सब्सीडाइज रेट पर फूडग्रेन दिया जाय—यह पॉलिसी हो।

मैं अर्ज कर रहा था, इस बजट के बाद देखा है कि स्टेट और केन्द्र के अन्दर लाइफ बहुत खर्चीली हो गई है। प्राइस स्पॉयरल के बाद, यह बजट पास करने के बाद क्या इकॉनामिक पालिसी आप पेश करना चाहते हैं। पब्लिक लाइफ सिम्पल तरीके से नहीं चले इलेक्शन सिम्पल तरीके से कन्टेस्ट न कर पायें, पॉलिटिकल लाइफ सिम्पल तरीके से लीड नहीं कर पायें, पालिटिकल लाइफ सिम्पल तरीके से नहीं चले तो आम आदमी, मैन इन स्ट्रीट, जो

Page No 131

(131)

(श्री केदारनाथ)

कामनर है, वह क्या इस असेम्बली में इलेक्शन लड़कर एम. एल. ए. बन सकता है। इस देश में इस बात को देखें कि कौन जीता, कौन हारा—इस बात को मैं नहीं कहना चाहता। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ओवर आॅल इम्पेक्ट यह रहा, स्थिति यह बढ़ती रही, पालिटिकल लाइफ में कॉम्प्लीकेसी बढ़ती रही तो जो हमारी पार्लियामेंट्री लीगेसी है वह समाप्त हो जायगी। इन सिद्धान्तों के आधार पर यह सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। आज डेड लॉक है, यह मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमारा फर्ज है कि सेन्ट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर जो मौजूदा पालिटिकल लाइफ है, जो मौजूदा इलेक्शन सिस्टम है—उसमें तब्दीली आये जिससे आम आदमी यह साहस कर सके कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो कम खर्च लगेगा, लोग मुझे चाहते हैं, इसलिए मैं जीत कर आ सकता हूं।

आप असेम्बली कम बुलाना चाहते हैं यह आम और साधारण बात हो गई है कि हमारा रिगार्ड नहीं है इलेक्टेड लोगों के प्रति असेम्बली की बैठकों के प्रति। मैं समझता हूं कि अब कितना बैक लॉग है कितने बिल पैंडिंग हैं कितनी कमीशन की रिपोर्ट पैंडिंग हैं। रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास पैंडिंग है, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है। उसका क्या होगा। यह चीजें कब आयेंगी? कब लोगों को राहत दे पायेंगे—यह हमारे सामने प्रश्न है।

मैं अर्ज कर रहा था, राजस्थान की पॉलिटिकल लाइफ देखें, इकोनामिक कन्डीशन देखें, पब्लिक लाइफ देखें। इससे मौजूदा मन्त्रिमण्डल अपनी इमेज नहीं बना पायेगा। मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं, आप अपनी इमेज को कायम नहीं करेंगे, इस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति शिकायतें आती रहती हैं उनको दूर नहीं करेंगे, प्राइस राइज को कम नहीं करेंगे, इन्फलेशन को चैक नहीं करेंगे, तो स्टेट की इकॉनामी को सोशलिज्म के पाथ पर नहीं ले जा सकते हैं। आज भी इमर्जेन्सी लागू है, इलेक्शन का तरीका वही है, पॉलिटिकल लाइफ मंहगी हो रही है तो क्या उम्मीद करते हैं कि कामन आदमी को प्रेरणा मिलेगी। नहीं मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री जान मोहम्मद खां।

श्री जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : सदरे मोहतरिम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत दिनों से दिल में एक बात दबाये बैठा था। आज मौका आया है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि हिन्दुस्तान और राजस्थान में अच्छे इन्सान बसते हैं। मुझे खुशी है कि इस हाउस में अच्छे इन्सान मौजूद हैं। सरदार गुरदयालसिंह संधु ने इस हाउस में कब्रिस्तान का मामला उठाया था। पहले किसी ने ऐसा सवाल नहीं उठाया। परसों के दिन मोहतरिम आचार्य जी, प्रोफेसर साहब रामानन्द जी ने इसी प्रकार का प्रश्न उठाया, कब्रिस्तान के बारे में। जब ऐसे इन्सान राजस्थान और हिन्दुस्तान में मौजूद हैं तो क्यों देश आगे नहीं बढ़ता है, क्या वजह है कि झगड़े होते हैं हिन्दु-

(श्री जान महोम्मद खाँ)

स्तान में और राजस्थान में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी गवर्नमेंट, राज्य सरकार ऐसा आदेश निकाल दे कि जो कब्रिस्तान हैं राजस्थान में, उनकी बाउन्ड्री खींच दी जाय तो झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। कब्रिस्तान के रकबे मौजूद हैं, कागज गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। तो राजस्थान सरकार सख्ती के साथ कलेक्टर और एस. पी. को यह आदेश दे। इससे झगड़े खत्म हो सकते हैं। वरना सारे राजस्थान में झगड़े पैदा होते रहते हैं, वह इसलिए ही होते हैं। आज जयपुर में क्या हो रहा है, नवाब कल्लन की तीस बीघा जमीन है, वह करोड़ों रुपये की है। इस गवर्नमेंट ने क्वार्टर बना लिये हैं और गवर्नमेंट ने कब्जा उस पर कर रखा है। वह कह रहे हैं कि यह हमारी जमीन है। उसका केस हाई कोर्ट, जोधपुर में चल रहा है। लोग कह सकते हैं कि मैं कैसी बात कहता हूं, लेकिन तीस बीघा जमीन लाखों, करोड़ों रुपये की जमीन है, इस गवर्नमेंट ने उस पर कब्जा करके क्वार्टर बना लिये हैं, और आज केस चल रहा है। राजस्थान की गवर्नमेंट इस जमीन को छोड़ दे तो एक मिसाल कायम होगी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इन्साफ किया है मुसलमानों के साथ।

मुसलमानों की कई तरह की शिकायतें हैं। मुसलमानों की एक शिकायत यह है कि कलेक्टर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देता है। इस कारण रोज झगड़े होते हैं। कलेक्टर मस्जिद के लिए इजाजत नहीं दे सकता

(म. प. 5.10 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

है, लेकिन हिन्दु भाई हैं वह मन्दिर बना सकते हैं। जिस प्रान्त में बीस लाख मुसलमान बसते हैं, उनके दिल में क्या क्या बातें उठ सकती हैं मैं वह बात अर्ज कर रहा हूं। एक यह बात सोचते हैं कि राज्य में मुसलमानों को मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देते हैं, कलेक्टर इजाजत नहीं देता है, मदाखलत करता है। कब्रिस्तान के झगड़े हैं, चाहे उदयपुर हो, जयपुर हो, कोटा हो, जोधपुर हो—इस तरह के झगड़े कायम रहते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि कोटा में एक तालाब है, उसके किनारे कब्रिस्तान है। यह कई साल पहले बनाया गया था, पच्चीस-तीस हजार रुपया लगा कर। लेकिन भूतपूर्व कलेक्टर ने उसको तुड़वा दिया। तालाब है कोटा के अन्दर, वह बहुत पुराने जमाने का है। उसको तुड़वा दिया। यह कितनी बड़ी ज्यादती की कलेक्टर ने। ऐसे कलेक्टर के खिलाफ जो ऊपर के अधिकारी हैं वह शिकायत नहीं सुनना चाहते हैं। यह मुसलमानों की शिकायत है। इस प्रकार कब्रिस्तान की जमीन के झगड़े होते हैं, जबकि उनका रकबा मौजूद है। वहां पर बाउण्ड्री खींच दी जाय तो झगड़े खत्म हो सकते हैं। जैसे मस्जिद का मामला और कब्रिस्तान का मामला है, सरकार हल कर सकती है। अगर चेयरमैन होते तो मेरी बात को सुनते। वह इस झगड़े को खत्म कर रहे हैं।

राजस्थान में 20 लाख के करीब मुसलमान बसते हैं होटलों और बाजारों में बात चलती है कि क्या वजह है कोई

(श्री जान मोहम्मद खां)

कोई एस. पी. या कलेक्टर मुसलमान राजस्थान में नहीं है। अफसोस की बात है। जितने और जातियों के लोग यहां बसते हैं जैसे चमार हो या मीणा हो, ब्राह्मण हो, सबको ये पोस्ट्स देते हैं। तो फिर लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं राजस्थान में मुसलमान कलेक्टर या एस. पी. नहीं है। जितने आसपास के प्रान्त हैं वहां मुसलमान कलेक्टर हैं तो हमारी सरकार को गौर करना चाहिए। एम. पी. देख लें, उत्तर प्रदेश को देख लें सब जगह मुस्लिम कलेक्टर व एस. पी. हैं। लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं अपने जजबात की बात कहता हूं। राजस्थान में एक कलेक्टर रखा था उसको भी हटा दिया। तो क्या वजह है? यहां हमीद खां जैसे पैदा हुए जिन्होंने बहादुरी के साथ लड़कर अपनी जान दी। मुसलमान देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। अपने जयपुर और राजस्थान में मुस्लिम लीग है। वह भी मुसलमानों का हिस्सा है, वे क्या कर सकते हैं। वे हमको कहते हैं कि हम सरकारी मुसलमान हैं। वैसे हम सरकारी मुसलमान थोड़े ही हैं? वे ताना कसते हैं। उनको गुस्सा है कब्रिस्तान के मसले को लेकर मुस्लिम एस. पी. और कलेक्टर न होने के कारण, तो मैं उनके दिल की बात कर रहा हूं। उनको नौकरियां नहीं दी जातीं। चाहे सेक्रेटेरियट हो, चाहे पी. एस. सी. हो, यही हाल है। मुसलमानों को नहीं लेते। कहते हैं कि लिखे-पढ़े नहीं हैं। कुछ तो लिखे-पढ़े होंगे। मिर्जा इस्माइल हिन्दुस्तान का काबिल आदमी था, एम. आई. रोड यहां उनके नाम पर है। तो नालायक और लायक दोनों किस्म के आदमी हो सकते हैं। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए और जो 15-20 लाख मुसलमान यहां रहते हैं उनको अपना हक मिले।

अब मैं झालावाड़ जिले की तरफ आता हूं। जहां जमीन अच्छी है लेकिन तालाब गहरे नहीं हैं, वहां के किसान बिजली के लिए तरस रहे हैं। मुख्य मन्त्री और बिजली मन्त्री को भी कहा है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सड़कों का भी यही हाल है। 6 किलोमीटर सड़क हमने एम. पी. सरकार को दे दी। 28 साल उस पर राजस्थान सरकार का कब्जा रहा। एक रोड़ है जिसकी लम्बाई 16 किलोमीटर है उसमें से 6 किलोमीटर मध्य प्रदेश सरकार को दे दी। इसमें झगड़े होते हैं, इसकी जांच हो। मैंने पिछले सेशन में भी कहा था लेकिन किसी ने जांच नहीं की। उस सड़क पर वैसे ही गड्ढे हैं।

लेवी झालावाड़ जिले में जो वसूल की गई है वह 14 हजार बोरी की है। पश्चिमी राजस्थान के लोग तो रोटी और पानी के लिये तरसते हैं और हम बिजली के लिये और सड़क के लिए रोते हैं। इतनी बेईमानी की है कि ज्वार में मिट्टी तक मिलाई है। गेहूं लिया है आपने 105) में और बाजार में है 200)। इतना थोड़ा पैसा सरकार किसान को देती है। कितनी ज्यादती है किसान पर! उनका गल्ला सस्ता छीना जाता है। कुछ आदमियों ने कहा कि हमसे लेवी नहीं ली, हम बच गए। अगर लेवी लेनी है तो सबसे लो, रबी की फसल आयेगी उसमें भी परेशानी होगी। जो चीज बाजार में 60) रु. प्रति मन है वह आप 28) रु. में लेते हैं। यह काश्तकार के लिए ज्यादती

(श्री ज़ान मोहम्मद खाँ)

है, यह तो जुल्म है। ठीक है डर के मारे देंगे, हम कोशिश करते हैं कि लेवी लें, लेकिन यह सरकार की फालतू पॉलिसी है। काश्तकार कितनी मेहनत करके गल्ला पैदा करता है और आप उनकी फसल छीन लेते हो आपने जिनसे ज्यादा लेवी ले ला है उनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई एन्कवायरी नहीं।

तो चन्द बातों की ओर मैंने आपका ध्यान खींचा है जैसे बिजली, लेवी वगैरह। पिड़ावा तहसील भी गवर्नमैंट का ही है। हमारे यहां एक हायर सेकेन्डरी स्कूल है। वहां आर्ट्स के सबजेक्ट्स हैं, साइन्स नहीं है, लड़कों को नौकरी नहीं मिल सकती। एक स्कूल पाटन में खोल रखा है वहां भी साइन्स वालों को नहीं लिया जाता है क्योंकि वहां भी आर्ट का सबजेक्ट है। तो ऐसे स्कूल को बन्द करना चाहिये। स्कूल में साइन्स और बायोलोजी खोलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष :-श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एप्रोप्रिएशन बिल हमारे समक्ष है, उसके तहत हम बड़ी रकम सेंक्शन करने जा रहे हैं। उस रकम का सही उपयोग हो और जिन जिन मुद्दों के अन्दर वह रकम सेंक्शन की गई है उसका सही इस्तेमाल हो, ये सब चीजें हमें देखनी है। आज हमारी जितनी पॉलिसी है वह टैक्सेशन पर आधारित है और जहां तक टैक्सेशन के स्ट्रक्चर का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं""

उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो चैन्जेज होने चाहिये थे वह कोई चैन्ज इसमें नहीं हुए हैं जिस तरह से हमेशा बजट बनता आया है उसी तरह से इस साल भी बजट बनाया गया है। तो मैं गुजारिश किये चाहूंगा कि इस तरह से आप जो शोशिलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं वह इन नीतियों से नहीं आयेगा। आपने ऐसे निर्णय इस बजट में नहीं लिये हैं, आपने ऐसे कोई कदम नहीं उठाये हैं जिससे कि आप समाजवादी व्यवस्था को मजबूत कर सकें। आज दुनियां के हर मुल्क ने जिसने भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया है उनका ढांचा टूट रहा है। वह पारा पारा हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय वह कौम जिनका कि इस दुनियां में सिक्का चल रहा था वह भी आज विकासशील देशों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गये हैं। आज अरब देशों के सामने उनके घुटने टिक गये हैं। इसलिये मैं आपसे गुजारिश किये चाहता हूं कि इस तरह जो आप अपनी पूंजीवादी व्यवस्था के सहारे चल रहे हैं उस दृष्टिकोण से आप समाजवाद नहीं ला सकते हैं। आपको इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिये हों चाहे आपने निर्णय लिये हों आपकी नीतियां ऐसी हैं कि जिससे आभास होता है कि आप केपिटलिस्टों को उजागर करना नहीं चाहते। आप उन्हें बढावा देना चाहते हैं। आज भी सदन में उसका जिक्र आया था लेकिन अभी मैं उस डिसकशन्स में नहीं जाना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय आज पूंजीवादी लोग किसी न किसी तरह से इस प्रकार की गतियां

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

पैदा कर रही है जिससे कि प्रगतिशील नीतियां जो हमारी केन्द्रीय सरकार ने पहले की थीं उससे दूर होते जा रहे हैं। आज अभी पाई साहब ने जैसा कि हम उम्मीद करते थे कि जो ज्वॉइन्ट सेक्टर है उसको नेशनल सेक्टर करेंगे वह नहीं किया आज गवर्नमेंट वापिस मिक्स इकोनॉमी की पॉलिसी को ही चला रही है। आज वापिस सरकार पून्जीपतियों के चक्कर में आ रही उपाध्यक्ष महोदय आज सरकार की जो नीतियां हैं चाहे वह केन्द्रीय सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार हो। वह सभी समाजवादी नीतियों के खिलाफ चल रही है। जिससे कि पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री ने अपने यहां पर प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर दिया है जिससे कि वहां के लोग बेकार हो रहे हैं। बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है। आज जो मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे थे वह भी सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों को नहीं दिया और उस पैसे को गलत तरीके से चुराकर दूसरे कामों में ले लिया उसका दुरुपयोग किया ऐसे कारखानों के मालिकों के खिलाफ में कोई कदम राज्य सरकार उठाने नहीं जा रही है। या यों कहिये कि उठाना नहीं चाहती है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय हमारी सरकार इन पूंजीपतियों के खिलाफ में कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आज हमारी राज्य सरकार का कितना पैसा इन पूंजीपतियों में बाकी है वह आपने कितना पैसा उनसे रिकवर किया। थोरे 2 यह पैसा आज इन पूंजीपतियों में करोड़ों का बकाया हो गयी है। आपने आज इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को 3-4 और पांच पैसे यूनिट पर बिजली दे रखी है आपने इन्हें पानी भी सस्ती दरों पर दे रखा है जिसके आज कम से कम इन पूंजीपतियों में करीब 40-50 करोड़ रुपये की बकाया निकल रही है पर काई भी उनसे रिकवरी की बात नहीं चल रही है। आज अगर एक व्यक्ति बिजली या पानी के बिलों का 6-7 दिन तक तारीख निकलने के बाद पैसे नहीं जमा कराता है तो आप उस पर पेनेल्टी लगा देते हैं। उनके यहां पर आप कनेक्शन्स काट देते हैं। आप गरीब जनता पर आर्डिनेन्स के जरिये लोगों पर बिजली की बढ़ी हुई दरों से पैसे वसूल करते हैं इसी प्रकार आप आर्डिनेन्स के जरिये लोगों के ऊपर पैसे टैक्सेज के लगा देते हैं पर इन पूंजीपतियों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही आर्डिनेन्स के जरिये नहीं की। आज हमारे मुल्क में एक दो सूबों को छोड़कर बाकी सभी जगह पर पूंजीपतियों को इतनी बिजली और पानी की दरों में छूट कहीं पर भी नहीं है। आज आपने किसी का भी नोटिसेज नहीं दिये हैं। कितना रुपया आज हमारी राज्य सरकार का इन पूंजीपतियों में बकाया है कोई पूछने वाला नहीं है मेरी गुजारिश है कि इनसे यह पैसा तुरन्त वसूल किया जाना चाहिये। लेकिन आप मर्ज का असली इलाज करना नहीं चाहते हैं। आप उल्टे इन्हें प्रोत्साहन ही दे रहे हैं। आज मान इन्डस्ट्रीज का ही उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा कि जहां सैकड़ों की तादाद में मजदूर थे अब वहां पर सिर्फ 150 मजदूर रह गये हैं। बाकी सभी को निकाल दिया गया है। पूंजीपति लोग प्रोडक्शन को डाउन कर रहे हैं ताकि अराजकता फैले। आज वहां पर

(श्री मोहम्मद गफ्फारग्रली)

पूंजीपति लोग मजदूरों की यूनियन में झगड़ा कराकर वहां पर लोगों में फूट डलवा रहे हैं ग्रौर बाद में पुलिस का सहारा लेकर मजदूरों का दमन कर रहे हैं। इस बारे में मैंने कई बार सदन में प्रश्न उठाये हैं ग्रापको बार-बार विस्तार से निवेदन किया कि इस तरह की गति-विधियां ग्रापके पूंजीपति लोगों की है। ग्राप इन्हें समाप्त करिये। पर ग्राप उनकी ग्रोर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ग्राज यही राज्य सरकार की नीतियां हैं जिससे कि देश का प्रोडक्शन गिर रहा है। ग्राप पूंजीपतियों के खिलाफ में कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं ग्राप ऐसा रोल ग्रदा कर रहे हैं जिससे कि पूंजीपतियों को बढावा मिल रहा है। ग्रगर ग्राप विकास करना चाहते हैं तो ग्रापको चाहिये कि ग्राप बिजली ग्रौर पानी की बकाया पूंजीपतियों में बाकी हैं उन्हें तुरन्त ग्राप वसूल कीजिये। ताकि ग्रपने यहां पर विकास सही रूप में हो सके। ग्राज पैसे के ग्रभाव में ग्राप कई योजनाग्रों को शुरू नहीं कर सकते हैं। एक तरफ तो ग्राप यह फरमाते हैं कि पैसा नहीं है दूसरी तरफ ग्राप इन पूंजीपतियों से पैसा बकाया है उसे ग्राप वसूली करना नहीं चाहते हैं तो ग्रापका विकास कैसे हो। ग्राप कितना ही इन पूंजीपतियों को कोग्रॉपरेट करें यह ग्रापकी मदद कभी नहीं करेंगे। इसके विपरीत यह प्रोडक्शन को गिराकर देश में ग्रराजकता फैलाना चाहते हैं। देश में प्रोडक्शन गिरा कर, मजदूरों को बेकार करके ग्रापकी ग्रार्थिक तन्त्र को पारा पारा करना चाहते हैं। ग्रापके ग्रार्थिक ढांचे को यह लोग टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ग्रगर ग्राप समय रहते नहीं चेते तो यह ग्रापको बर्बाद कर देंगे। लेकिन ग्राप खराब होते हुए भी उसे कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ग्राज ग्रापकी जो इकोनॉमी गिर रही है उसका कारण यह पूंजीवादी व्यवस्था है। ग्राज जो मंहगाई बढ़ रही है उसका सारा का सारा दोष इन पूंजीपतियों का है। ग्रभी थोड़े समय पहले हमारी केन्द्रीय सरकार ने कुछ पूंजीपतियों के खिलाफ में मीसा के तहत कार्यवाही की लेकिन हमारी प्रान्तीय सरकार ने उनके खिलाफ में यहां पर कोई कार्यवाही नहीं की। ग्राज पूंजीवादी लोग हमारी हिन्दुस्तान की ग्रार्थिक हालत को खराब करना चाहते हैं। मैं तो ग्रर्ज करूंगा कि ग्राप जल्दी से जल्दी इन लोगों में जो भी बकायात हैं उन्हें वसूल कीजियेगा ग्रौर उसके साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि ऐसे कौन से ग्रॉफिसर्स थे जिनके कारण कि यह रुपया इतना इनमें चढ़ता ही गया। क्यों नहीं उन लोगों से ग्रापने वसूली की उनके खिलाफ में ग्रापने एक्शन क्यों नहीं लिया। उपाध्यक्ष महोदय केन्द्रीय सरकार ने ग्रनाज का होल सेल व्यापार ग्रपने हाथ में लेने की घोषणा की थी लेकिन वह भी उन्होंने पूरी नहीं की। ग्राज जो इन्तजाम ग्रापके एफ. सी. ग्राई. ग्रौर दूसरी एजेन्सियां कर रही हैं वह इस प्रकार की है कि उसका एक उदाहरण ग्रापको देना चाहता हूं। ग्राज सुबह ही मैंने करीब 12 किलो ग्रनाज मंगाया उसमें कम से कम एक किलो कूड़ा करकट निकला। यह क्यों होता है इसका कारण है कि ग्रापका कन्ट्रोल उन पर नहीं है ग्रापको पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये सप्लाई करानी चाहिये। ऐसा हमें विश्वास था कि ग्राप सप्लाई का काम पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स से करायेंगे। उनकी मदद

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली.)

लेंगे लेकिन वह नहीं किया। आपने तो आपके जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्हें जिनके खिलाफ में भारी चार्जेज थे उन्हें नौकरी से हटाने के आदेश दिये थे या उन्हें उस डिपार्टमेंट से हटाने के आदेश दिये वह आदेश आपने वापिस ले लिये। इसलिये मैं आपको गुजारिश किये चाहता हूं कि इन नीतियों से जो कि अभी हाल में चल रही हैं वह आपकी सप्लाई के बारे में हो चाहे और किसी बारे में हो उसके लिये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमें किस हद तक ले जाना चाहते हैं। और आप क्या करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लेवी का क्वेश्चन है, हमने एक बार नहीं अनेक बार अपना यह नजरिया रखा कि आपको लेवी स्लेब सिस्टम के आधार पर लेना चाहिए। जिनके पास, जिन लोगों के ज्यादा पैदावार होती है उनसे ज्यादा लेवी लेनी चाहिए और छोटे काश्तकार हैं, जो साधारण दर्जे के हैं उनसे साधारण लेवी वसूल करनी चाहिए। लेकिन आपकी मशीनरी का काम करती नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। आपने कुछ आंकड़े लेवी के दिये हैं, मैं उनका रेफरेन्स यहां करना चाहता हूं। आपने कोटा में 161 क्विन्टल 80 किलो लेवी कायम की और एक पैसे की भी लेवी आपको नहीं मिली। झालावाड़ में 14.55 क्विन्टल लेवी कायम की और एक पैसे की भी नहीं दी, बून्दी में आपने 101.17 क्विन्टल की लेवी कायम की और आपको 39 क्विन्टल की दी, उदयपुर में आपने 19.61 क्विन्टल की लेवी कायम की और आपको हब्बा भी नहीं मिला, सिरोही में आपने 30.35 क्विन्टल की लेवी कायम की और आपको 4.44 क्विन्टल दी गई, बाकी वसूल नहीं की जा सकी। मेरा अर्ज करना यह है कि आपकी फूड पॉलिसी यह है और रिसोर्सेज बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन इस तरह से आप रिसोर्सेज घटाने की तरकीबें निकाल रहे हैं। आपने इनके बारे में क्या कार्यवाही की। आपने गरीब किसानों पर जिनके पास पांच एकड़, या दो-तीन एकड़ जमीन है, जो छोटे किसान हैं, उनके आप चालान कर रहे हैं और आपने कहा था कि हम उनको वापिस ले रहे हैं अगर पैसे दे देंगे तो। एक तरफ आप यह कहते हैं कि यूनियनें खत्म करनी चाहिए और दूसरी तरफ जो यूनियनें काम कर रही हैं, उनको एम्पलेयर से मिलकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस सदन में तीन बार नहीं दस बार यह मसला आया है कि कमानी और मान इण्डस्ट्रीज में मजदूरों को परेशान किया जाता है और पुलिस उनके खिलाफ उन पर डण्डे चलाती है, उनको पीटती है तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस प्रो-केपिटलिस्ट पॉलिसी में, प्रो-फ्यूडल-पॉलिसी में परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि आप इस तरफ कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं और इस बारे में बिल्कुल उदासीन हैं। आज आप केवल तीन किलो गल्ला देते हैं और वह गल्ला भी वक्त पर नहीं देते, इसलिए कि आप आधी नियत के साथ, आपकी हाफ-हार्टेड नीति है वह इस तमाम अव्यवस्था के लिये जिम्मेदार है। इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियन्स में इजाफा करके चलिये। आपने एक विपणन बोर्ड कायम किया है। को-ऑपरेटिव सोसायटीज में कई तरह के बोर्ड

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बनाये हैं। आज आपकी मन्शा यह कि जो लोग जॉब नहीं पा सकते, उनको खिलाने-पिलाने के लिए कहीं न कहीं टिका दिया जाय। आपने एक बोर्ड बनाया है, वाटर यूटिलाइजेशन कमेटी उसमें हमारे माननीय सदस्य रामचन्द्रजी को रख दिया, एक बोर्ड में आचार्यजी को रख दिया। मुझे किसी इन्डीविजुअल से कोई गिला नहीं है, कोई इन्डीविजुअल से ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हम फाइनेन्सियल ड्रेन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कई प्रकार के बोर्ड बनाते जा रहे हैं और अपने आदमियों को उनमें खपा रहे हैं जिनकी कोई यूटिलिटि नहीं है। वाटर यूटिलाइजेशन कमेटी का चार्ज आप किसी और को पंच को सरपंच को या किसी विधायक को दीजिये। लेकिन दो हजार और एक हजार पाने वाले को क्यों आप वहां पर बैठाना चाहते हैं, इससे आपका क्या मतलब है। इसका साफ मतलब यह है कि कुछ अपने आदमियों को खुश करने की गरज से ही आप यह सब कुछ करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप फाइनेन्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और दूसरी तरफ फिजूल खर्चा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय यह बतावें कि वह किस तरफ राजस्थान को ले जाना चाहते हैं। दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आज आपने जो सीलिंग कानून बनाया उसमें आपने हमारे बहुत कहने के बावजूद भी ट्रस्ट को निकाल दिया, ट्रस्ट को एक्सक्ल्यूड कर दिया उसका नतीजा यह हुआ कि लाखों रुपये की प्रोपर्टी की जो लोग जिसका दुरुपयोग करते थे, राजा-महाराजाओं ने उसका ट्रस्ट बना दिया। आपके जयपुर महाराजा ने आतीश का जिसकी लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती थी, बहुत से सोशल और रिलीजियश स्थानों को ट्रस्टों को आपने एग्जम्प्ट कर दिया। हमने निवेदन यह किया था कि इनको एग्जम्प्शन नहीं दिया जाय इससे सीलिंग का कानून खत्म हो जायगा। उदयपुर रूरल का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, कुछ प्रोपर्टी तो निजि हो सकती है परन्तु लाखों की प्रोपर्टी स्टेट की है वहां से नाकाम हुए। लाखों की प्रोपर्टीज इन रूलर्स ने बेच दी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां पर रिसोर्सेज बढ़ाने की बात है वहां पर हाथ नहीं डाल पाते हैं और गरीबों का गला घोटने को तैयार रहते हैं। बिजली का पैसा है, वाहन का पैसा है, पानी का बकाया है उसको भी आप वसूल नहीं करना चाहते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले को पूरी तरह से सोचने की कोशिश करें

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, पांच-सात मिनट और लूंगा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप इन चीजों पर गौर करके आप अपनी जो प्रो-फ्यूडल पॉलिसी है, प्रो-कैपिटलिस्ट पॉलिसी है उसको चैन्ज करिये। एक तश्करा मैं सरे राय कर दूं कि अभी भी 22 रूलर्स ऐसे हैं जिनके पास अनडिक्लेयर्ड मनी मिल सकती है। महाराजा जयपुर के खजाने के लिये वे कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, यह पता नहीं वह कितनी वैल्यू का है परन्तु एक अरब से ज्यादा है इस खजाने का पता आपके सी. आई. डी. नहीं लगा सके, सैन्टर वालों ने इसका पता लगा

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

लिया और यह अफसोस है कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि हम उसको नहीं ले सकते। वे नहीं समझते कि सम्पत्ति को किस प्रकार से निकाला जाय और उसकी जानकारी नहीं है तो कम से कम जब वह खजाना निकल गया तो ट्रेजर ट्रू एक्ट के तहत यह स्टेट गवर्नमेन्ट का होना, सेन्टर गवर्नमेन्ट का नहीं होना चाहिए। आपका इरादा ही नहीं है। जब आपका यह तरीका है कि जो हीरे-जवाहरात आपकी धरती ने उगले यह नहीं मान सकते कि अनडिक्लेयर्ड हैं। वे कहते हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है तो यह प्रोपर्टी तो राज्य सरकार का है, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की नहीं है, राज्य सरकार को मिलनी चाहिए। आपको इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए परन्तु आज तक भी राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाये और कोशिश नहीं की कि यह रकम हमको किस प्रकार से मिल सकती है। हम यह समझते हैं कि यदि कोशिश की जाय तो वीस-बाइस रूलर्स और भी ऐसे हैं जिनसे भी खजाने निकल सकते हैं तो हमारा जो 9 अरब का भार है वह खत्म हो सकता है अगर हम इस तरफ, इस दिशा में प्रयत्नशील रहें। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने कई बार इस बात को कहा है जो इजारे सबवर्सिव एक्टीविटीज में हिस्सा लेते हैं, इस किस्म की बातें बताते हैं, जो विधान के खिलाफ होती हैं, उन इजारों को मान्यता नहीं देना चाहिये। और उनकी मान्यता को वापिस लेना चाहिये मिसाल के तौर पर आदर्श विद्या मन्दिर को।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सदन में तो फिर कोरम का अभाव है। बाहर क्यों बैठते हैं, यहां क्यों नहीं बैठते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब कृपया आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कोरम के अभाव में मत बोलिये आप।

(कोरम सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : (कोरम पूरा होने पर) यस।

श्री चन्दनमल बैद : काफी लोगों को इन्ट्रेस्ट नहीं है इसमें, आपका हुक्म हो तो इनके बाद मैं जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं ब्रीफ में ही कह रहा हूं।

जनरल नॉलेज का एक पर्चा निकाला है। डॉ. हैडगा कौन थे, कहां पैदा हुए, उनके पिता का क्या नाम है, उनकी क्या तालीमात हैं। हमने कहा और हमारी मान्यता यह है कि यह फासिस्ट ओर्गेनाइजेशन है उसको मान्यता देना, उसको कायम रखना उसूलन सही नहीं है। हमने पहले भी निवेदन किया था। यह काफी नहीं होगा। ये लोग कुछ न कुछ खुराफात करते रहेंगे यह पर्चा इस बात का परिचायक है कि किस तरह से लड़कों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है और किस प्रकार तालीम उनको दी जा रही है।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
इसमें हमारा पैसा खर्च हो रहा है। उस पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, उसे आपको देखना होगा। इनके खिलाफ जो इजारे काम करते हैं, उनकी इजारेदारी खत्म होनी चाहिये।

टैक्स के स्ट्रक्चरल चेन्जेज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज वित्त मन्त्रीजी यह नहीं कह सकते यकीन के साथ कि टैक्सेज के लीकेज को रोका जा सकता है। जितना पैसा वसूल करते हैं उतना ही लीकेज होता है। उसका कारण यह है कि भ्रष्ट अधिकारी हैं। वे कामयाब नहीं बनाना चाहते हैं हलवाइयों पर आपने टैक्स लगाया उस वक्त भी निवेदन किया था कि एस्टीमेटेड इन्कम को आप 1।। करके उन पर लगा दीजिये और जो पैसा बनता है वह उनसे वसूल कर लीजिये और उसके बाद उनसे हलफनामा ले लीजियेगा लेकिन आज होता क्या है ? एक इन्सपैक्टर हलवाई के पास जाता है, उसके अकाउन्ट को चैक करता है। गलती निकालता है और दो-चार सेर मिठाई लेकर चला जाता है। इसलिये आप कन्जरवेटिव तरीका छोड़ कर ऐसा तरीका अपनाइये जिससे इस प्रकार के लीकेज को रोक सके। आज हलवाइयों से जो पैसा वसूल होता है उनसे डेढ़ा कर ले लीजिये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वे लोग डिक्लेरेशन दे देंगे। फिर आप चैक कीजिये।

माइनोरिटीज के बारे में ......

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : You have taken more than 25 minutes.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माइनोरिटी के बारे में हमें यह विश्वास दिलाया है कि उनको हकूक (राइट्स) मिलने हैं वह मिलें, यह सराहनीय डिक्लेरेशन है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सर्विसेज में लोग बैठे हैं वे कानून को उस शक्ल में होने देना नहीं चाहते हैं जब तक कि उनके लिये कोई कानून बना न दिया गया हो। माइनोरिटीज की आज क्या हालत है ? उनको मुलाजमत नहीं मिलती उनको कर्जा नहीं मिलता और आये दिन मजहबी इजारों पर हमले होते हैं अभी जान मोहम्मद साहब ने कहा कब्रिस्तान का सवाल है। आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि माइनोरिटीज की डिफिकल्टीज हैं उन पर गौर करके प्रोग्राम बनायें। संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि सोशलिस्टिक प्रोग्राम लागू करने के लिये प्रोफ्युडल और प्रोकैटेपेलिस्ट पॉलिसी को त्यागिये। और धनी किसान बैठे हैं आपके बीच उनसे लेवी वसूल करिये। अपनी फाइनेन्सेज को मजबूत करने के लिये आपने पानी पर और बिजली पर जो कर लगाया है उसको घटाइये और ऐसे टैक्स लगाइये जिनका वजन अमीरों पर अधिक पड़े।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदाराम !

श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर): यह निवेदन करूं मंत्री महोदय, काश्तकार इस साल बहुत दुखी है। काश्तकारों को फसल में इस साल नुकसान हुआ है। 30-40 पर्सेन्ट रोग हुआ है। बिजली नहीं पहुंची है।

सरकार की ओर से बीज भी नहीं मिला। टाइम पर बीज नहीं मिलने से

(श्री बिरदाराम)

समय पर लोग नहीं डाल सके। खाद्य भी नहीं मिलता। डेढ़ सौ, पौने दो सौ रुपये क्विन्टल के हिसाब से लिया। बीज भी बहुत महंगा लिया। सीमेन्ट भी मशीनों के कोठे भरने के लिये नहीं मिली। पचास-साठ रुपया प्रति कट्टा के हिसाब से काश्तकार देता है। काश्तकारों ने कितनी मुश्किल से जाकर अनाज पैदा किया। 267 रुपये क्विन्टल का इतना महंगा बीज लेकर काश्तकारों ने बोया। काश्त में नुकसान हुआ। लेवी का भाव उनका बढ़ना चाहिये। कम से कम 155 रुपया 195 रुपया होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

बोल्यो ही नहीं हूं। घंटी बजा दी। बोलने तो दो। बढ़ाओ, मत बढ़ाओ। हमारा सुझाव है। काश्तकारों को कितना नुकसान है यह तो सोचो। जिला जालौर में 30 हजार कुए हैं। 15 हजार पंपिंग सेट पहले लगे हुए हैं। पांच हजार इस साल लगे हैं। बिजली हमारे यहां है नहीं नुक्सान बहुत है। बड़ी लाइन कब आवेगी। बीज के लिये अनाज लिया तो सवाया 250 रुपया क्विन्टल का देकर लिया। सवाया 300 रुपया जिससे लिया वह लेगा। लेवी ली जाय, लेकिन रेट बढ़ायी जाय।

जिला जालौर में बिजली की कमी है। बाढ़ से पहले ही पीड़ित रहा है। अकाल का काम चलता नहीं, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को काम मिलता नहीं, काम खुलने चाहियें। बाढ़ से अकाल से पीड़ित लोग हैं। नदी से कटाना आया है। किनारे-किनारे के गांव हैं उनको खतरा है। इसलिये वहां पर रोक के काम करने जरूरी हैं।

पेय जल के लिये बहुत तकलीफ है। नपती गांव है। पानी पीने से कीड़ निकल जाते हैं। सरकार ने सर्वे कराया या नहीं, नहीं मालूम। वापरा के साथ में योजना ले ली है। एब बैरड हैं। इसके साथ ले लें। चार-पांच योजनायें ऐसी हैं सरकार बड़ी मेहरबानी करे और ले ले। मंत्री महोदय को रिपोर्ट दी है। नदी के बारे में। सौपाड़ पास में हैं। चार-पांच गांव हैं, यह योजना ले लें तो कम से कम गरीबों को पानी तो पीने को मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री बिरदाराम : नर्मदा नदी के लिए सर्वे हुई है तो सिंचाई के लिए हमको भी पानी मिलना चाहिये सिरोही जिले से लेकर नर्मदा जालोर का आधा गांव से लेकर मोकलसर तक जाती हैं। नर्मदा में पानी कम है तो हमारे सिंचाई के दूसरे साधन नहीं है। जवाई बान्ध बरसात में नुकसान देता है। नुकसान के वास्ते हम हैं और फायदा दूसरे लोग लेते हैं। कडाना का पानी है जालोर जिले में फायदा भी देता है गुजरात का बान्ध है इसके पानी का भी निपटारा होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री केदारनाथ : ज्यादा बोल्या तो थारी बात वापिस ले लेगा। बात मान ली बहुत है।

श्री बिरदाराम : एक अनाथा री बात है, लूला, लगंड्या, पांगल्या। सरकार कम

(श्री-बिरदाराम)

पैदा देती है। अकाल में देती है सो देती है वह भी मुश्किल से मिलता है·······

(समय-समाप्ति-सूचक दीर्घ घण्टी)

एक हमारा जिला में कॉलेज भीनमाल में खोल दे, जालोर में खोल दें, सरकार इस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देवे।

भेड़ मवेशी हमारा जिला में बहुत मशहूर हैं राजस्थान में ······

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में मशहूर है।

श्री बिरदाराम : जालोर जिले की ऐसी जमीन है पहाड़ी जमीन है रेतीली काली मिट्टी है। सरकार की मेहरबानी रहे तो हमारा जिला हरा भरा हो सकता है और राजस्थान को काफी अनाज दे देगा। राजस्थान सरकार कुछ ध्यान देवे तो कुछ विकास होवे और विकास में काम हो सकता है।

एक राजस्थान का व्यापारी विदेशों में जाकर इन्डस्ट्री खोलता है। व्यापारी कहता है वक्त पर कच्चा माल मिले तो क्यों नहीं खोले इसलिये हमारे राजस्थान का व्यापारी बाहर जाता है, यह भी एक झगड़ा है। अगर व्यापारी राजस्थान में ही इन्डस्ट्री खोले तो कम से कम मजदूर को तो काम मिले। सरकार ध्यान दें तो काफी तादाद में काम होगा। राजस्थान हरा भरा रहेगा। आपकी मेहरबानी रहे तो जिले में हमारा काफी काम हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द !

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय सन् 75-76 का बजट ···

श्री रघुनाथ विश्नोई : (खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : 5-7 मिनिट।

(माननीय सदस्य और माननीय उपाध्यक्ष के साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री गोकुलचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, आज (अश्रव्य) सदन में नियमानुसार बजट पास होने जा रहा है मैं बहुत जल्दी में आपको निवेदन करना चाहता हूं यदि शिकायत के रूप में बहुत सी बातें हो सकती हैं लेकिन (माननीय विश्नोई जी के बात करते रहने पर अश्रव्य) ··· माननीय विश्नोई जी। तो उपाध्यक्ष महोदय शिकायत के रूप में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन मैं कुछ एक-दो बुनियादी बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं यह बजट 570 करोड़ से कुछ ऊपर का बजट है। समाजवाद की बात बहुत पुराने समय से कही जा रही है और समाजवाद की बड़ी धूमधाम मची है रोजाना, जुलूस निकलते है, प्रदर्शन होते हैं लेकिन मैं बाहरी दुनियां को न देखकर जब इस विधान सभा के प्रांगण को देखता हूं, जहां सभी विधायक बैठते हैं तो फाईनेन्स मिनिस्टर साहब ने इतनी बड़ी रकम पास कराई है लेकिन उसका वितरण किस प्रकार होता है यह मेरी समझ में नहीं आता है।

उदाहरण के तौर पर अभी पिछले दिनों सवाल मैंने एक पूछा था कि कठूमर

Page No 143

(143)

(श्री गोकुलचन्द)

अलवर जिले में सब तहसील हैड क्वार्टर है उसे तहसील बनवाया गया और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी उससे सहमत हैं, कलेक्टर ने रिपोर्ट भेज दी है। वे दिल से मानते हैं कि मांग सही है और कई तहसील की जन संख्या 85 से 90 हजार तक है और लक्ष्मनगढ़ तहसील की संख्या 2 लाख से अधिक है तो फिर 1½ लाख जन संख्या कठूमर की होगी लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब फर्माते हैं कि फाईनेन्स डिपार्टमेंन्ट इजाजत नहीं दे रहे है तो सरकार मेरे खयाल से बातें करती है उसमें कुछ ऐसा फरक नजर आ रहा हैं हम में और सरकार में बहुत बड़ा फर्क लग रहा है। मन्त्री अपने क्षेत्र में चाहे जो कुछ काम करवा सकते हैं लेकिन विधायक की तरफ नजर नहीं आती है। अगर आज समाजवाद की बात करते हैं और लोकतांत्रिक की व्यवस्था को चालू रखना चाहते हैं तो कम से कम विधायक को भी जो जनता के वोट लेकर आते हैं, कुछ तो सन्तोष मिलना ही चाहिये।

दूसरी बात मैं आपके और ध्यान में लाना चाहता हूं मैंने प्रश्न भी पूछा और साबित भी कर दिया कि सन् 61 में कठूमर में खीसराया 12 मील, सड़क मेरे क्षेत्र में मन्जूर हुई थी आज 15 साल में 12 मील की सड़क में से केवल 6 मील लम्बी ही बन पायी है। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो बता दीजिये कठूमर क्षेत्र में कितनी सड़क अब तक बना दी है और मेरी बात को सही मानते हैं तो उस तरफ भी ध्यान देकर कुछ काम करवा दीजिये। राज्य सरकार को कठिनाइयां हो सकती हैं हम मानते हैं लेकिन यह बात भी नहीं है कि कहीं काम होता ही नहीं है कहीं ध्यान नहीं आता है तो काम बिल्कुल नहीं होता है यह सरासर अन्याय है। कहीं तो आंख बन्द कर ली जाती है और कहीं जरूरत से ज्यादा काम कर दिया जाता है, यह नहीं होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप इस लोकतन्त्र व्यवस्था को नीरस बना रहे हैं, आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि कोरम का अभाव है बार बार घन्टी बजानी पड़ती है।

(माननीय सदस्यों के व्यवधान करने पर अश्रव्य)

मैं चाहता हूं कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे और न्याय का जो तकाजा है कि कुछ न कुछ हिस्सा बजट का हमको भी मिलना चाहिये। आज इस बजट की रकम 184 को भाग दीजिये और जो प्रत्येक के हिस्से में आता है उससे कम से कम आधा तो दे दीजिये दुगना आप ले जाइये....

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि स्कूल के बारे में हमारी बड़ी मांग है और यह भी प्रश्न पूछने से साबित हो गया कि कठूमर निर्वाचन क्षेत्र में एक भी हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है। लेकिन क्या करें? इस साल बनने की उम्मीद थी लेकिन अब कहते हैं कि सरकार की पॉलिसी नहीं बदल गई तो क्या उसे इन्टर कॉलेज बनाने जा रहे हैं? उसके बारे में भी कोई निर्णय नहीं ले पाये हैं और दूसरी पंचायत समितियों में एक-एक और दो-दो हायर सैकेण्डरी स्कूल है। नवाब लुहारू तिजारा से चुनाव लड़े थे और उसके बाद स्वर्गीय बरकतुल्ला साहब ने लड़ा तो एक पंचायत समिति में दो हायर सैकण्डरी स्कूल बना

(श्री गोकुलचन्द)
दिये और हमारे यहां एक भी नहीं है। कम से कम हमें एक तो दे दो। इतना तो इन्साफ करो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप क्योंकि जल्दी कर रहे हैं तो मैं प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो कि जैन सहाब अभी कह चुके हैं। मेरी भी तकलीफ है। मेरे यहां एक पथरोड़ा गांव है वहां पर कृषि भूमि पर झगड़ा हुआ और उसमें एक हरिजन मर गया। उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि क्या झगड़ा था क्योंकि समय कम है। फिर भी इस मामले में एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय राज्य मन्त्री राजस्व को मैंने एक प्रार्थना-पत्र पेश किया था उन्होंने कलेक्टर, अलवर से रिपोर्ट मांगी है लेकिन दो महीने हो गये दरख्वास्त पेश किये और कलेक्टरेट से आज तक रिपोर्ट नहीं आ पाई है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, ध्यान दिला रहा हूं कि आपके अलावा और हम किससे कहें। आपको प्रार्थना-पत्र देते हैं और वह अधिकारियों के पास जाकर रद्दी की टोकरी में पड़ जाता है तो ऐसे प्रशासन का कोई मतलब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बुनियादी बात और कहना चाहता हूं। मैंने कटौती प्रस्ताव भी दिया था लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने यह कह कर रोका कि आप इस पर मत बोलिये। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी उपस्थित माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वह भी ध्यान से सुनें कि एक हरिजन अपनी कृषि भूमि को दूसरे गैर-हरिजन को नहीं बेच सकता। वह अपने ही हरिजन भाई को बेच सकता है। मेरा इस पर गम्भीर मत-भेद है और वह यह है कि कानून समान रूप से सब पर लागू होना चाहिये। जब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब अपनी कृषि भूमि किसी को भी बेच सकते हैं, बेचने का अधिकार रखते हैं तो फिर गोकुलचन्द विधायक क्यों नहीं बेच सकता?

श्री चदनमल बैद : मेरे पास जमीन नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह तो आपके हित में बना है कानून।

श्री गोकुलचन्द जाटव : आप सुनिये तो सही वकील साहब। मेरे हित में कैसे है? आपका कहना यह है कि मुझे क्षमा करें। एक-दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। आप बड़ी हमदर्दी रखते हैं हरिजनों से कि यदि यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया तो हरिजनों की जमीन बोहरे लोग हड़प लेंगे पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अलवर में इन्क्वायरी करा लीजिए वहां पर कितने ही हरिजनों ने अपनी कृषि भूमि सवर्ण लोगों को बेच दी और रकम ले ली अब जमीन तो बिक गई लेकिन आपने उसका नुकसान यह कर दिया कि एक रुपये की चीज 8 आने में वह बेच रहे हैं क्योंकि दूसरे को वे बेच नहीं सकते मैं खुद आपको दावे से कह रहा हूं कि मैं एक जमीन नहीं खरीदना चाहता था लेकिन 3 बीघा जमीन उस आदमी को 1600) रुपये बीघे में बेचनी पड़ी। मैंने कहा कि दूसरे को बेच दे तो वह कहने लगा कि मुझे कर्जा चुकाना है। अन्य कोई खरीदता नहीं वह 3 बीघा जमीन करीब 6 हजार रुपये की है तो मैं

(श्री गोकुलचन्द जाटव)
आपको यह कहना चाहता हूं कि आप यह कहते हैं....

श्री बिरदाराम : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : आप सुनें तो सही ।

श्री बिरदाराम : हरिजनों के पास जमीन नहीं रहेगी । 1 हजार के दस हजार देने वाले मिलेंगे ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं । आपका एक ही तो दृष्टिकोण है कि गरीब हरिजन मारे जायेंगे क्योंकि उसकी जमीन को बोहरे ले लेंगे । आप ऐसी कोई कन्डीशन लगा दें कि जो कर्जदार नहीं हैं, जो अच्छी हैसियत में हैं उन पर यह कानून लागू नहीं और जो गरीब हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है और दूसरा धन्धा वह करना चाहते हैं तो वह अपनी जमीन बेच कर अन्य चन्दा कर लें । तो आप यह कन्डीशन लगादें कि वे गवर्नमेंट से इजाजत लेकर बेचें मेरा यह कहना है कि हर कानून जो सब पर समाम रूप से लागू होते हैं किन्तु आप हरिजनों का अधिकार छीन रहे हैं । आप इन्क्वायरी करा लीजिए कि सैंकड़ों हरिजनों की जमीन गई और कौड़ियों में गई । दो-चार कैसेज तो मैं ही आपको बता दूं । अभी दो साल पहले बिकी है, 1300 रुपये बीघा में बिकी है । वह कहते इसलिए मैं कहता हूं कि आपके कानून से सैंकड़ों हरिजन कृषकों को नुकसान हो रहा है । और गरीब लूट रहे हैं । उसको जमीन का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है । इसलिए मैं कहता हूं कि आप कोई कन्डीशन लगा दें लेकिन आप इस प्रतिबन्ध को हटा लें ताकि उसको अपना पूरा पैसा मिल जाये जमीन का ।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की ओर से बड़े-बड़े हॉस्टल राजस्थान में बने लेकिन अलवर में एक भी नहीं है । तो मेरी शिकायत है कि जो बंटवारा बजट का हो रहा है वह गलत तरीके से हो रहा है । प्रभावशाली लोग अपने यहां काफी खर्च करवाते हैं और हर एक विधायक को बराबर का हिस्सा नहीं मिलता । हमको रुपये में 8 आना भी नहीं मिलता है । यह बड़े असन्तोष का कारण है । आपका बहुमत है लेकिन मानवता यह कहती है कि जो बजट आप आपके पास है, उसका अंश मुझे मिलना चाहिए आप अपना ही पेट भरते हैं आप दूसरों को भी दें जो कि भूखे बैठे हैं ।

जच्चाखाना मेरे यहां खेरली में 15 साल से खोले जाने का मामला है बिल्डिग पड़ी है और वहां का प्रेसीडेन्ट 15 हजार रुपया लेकर यहां आया है लेकिन स्टाफ भेजने की तैयारी सरकार की नहीं है । अब तो भवन भी तैयार है । एक असन्तोष हो तो बताऊं । टाइम नहीं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब हमारे पास कोई चारा नहीं है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से सोचिये । यह लोकतन्त्र है । इसमें हमको बराबर का साझा है । आप इतना मत दबोचिये । कम से कम कुछ तो करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मन्त्रीजी ।

श्री उम्मेदलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है ...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय वित्त मंत्री जी !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से सदन में विनियोग विधेयक पर विचार प्रकट किये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ अर्ज करना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस बात की ताईद की कि हमें टैक्स बढ़ाकर विकास के और कार्य करने चाहिए। जिन भी माननीय सदस्यों ने ऐसे विचार प्रकट किये मैं उनके प्रति आभारी हूं। वह इस बात को महसूस करते हैं कि विकास के लिए और टैक्स लगाने पड़ें तो टैक्स लगाकर भी हमें विकास करना चाहिए।

टैक्सेस के लिए कई बातें कही गई हैं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमको लग्जरीज पर और शराब पर ज्यादा टैक्स लगाने चाहिए और उसके बाद उससे विकास के काम करने चाहिए। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने हिन्दुस्तान के सारे स्टेट्स का 1974-75 के सैल्स टैक्स के आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि किस स्टेट में किस-किस के ऊपर कितना टैक्स है और मैं कह सकता हूं कि आमतौर पर राजस्थान में लग्जरी पर जितना टैक्स है उतना टैक्स शायद किसी दूसरी स्टेट में नहीं है। शराब के मामले में तामिलनाडु को छोड़कर देशी शराब के ऊपर जो हमने 20 प्रतिशत सैल्स टैक्स लगा रखा है किसी दूसरी स्टेट में नहीं है और इण्डियन मेड फॉरेन लीकर है उस पर राजस्थान में 25 पर्सेन्ट है जो कि मैं समझता हूं कि किसी स्टेट से नहीं है। जब हम बहुत ऊंचे टैक्स लगाने की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, हमें हमारे कम्पीटीटर्स को नहीं भूलना चाहिए जो कि हमारे टैक्सेज की चोरी करते हैं। अगर आज देशी शराब पर टैक्स बढ़ा दिया जाये तो हमारे कम्पीटीटर्स एक तो नाजायज शराब बनाने वाले और दूसरे प्रदेशों में अगर टैक्स कम हैं तो वहां से स्मगल होकर शराब आती है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह से लग्जरी पर टैक्स बढ़ जाता है तो दूसरी स्टेट्स में जाकर लोग अपना सामान ले आते हैं। अभी भी पैट्रोल हमारी स्टेट में मंहगा है और हमारे लोग कहते हैं कि हम दिल्ली जाते हैं तो अपना टैंक फुल कराके ले आते हैं क्योंकि हमें राजस्थान में पट्रोल सस्ता नहीं मिलता। यह हमारे लिए सोचने की बात हो जाती है कि जब हमारे राज्य का टैक्स इस तरीके से कानूनी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से लीक होता है और लोग चोरी करते हैं या अवॉइड करते हैं तो हमारे लिए सोचने का विषय हो जाता है। आखिर हम लग्जरी पर और दूसरी ऐसी चीजों पर जिसके लिए मानते हैं कि अच्छे और सम्पन्न लोग व्यवहार में लाते हैं उन पर हम टैक्स कितना बढ़ा सकते हैं। हम इस बातकी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बार-बार जब-जब भी हमारे नेबरिंग स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, बार-बार इस बात को कहते हैं कि हमारे सैल्स टैक्स की रेट आस पास की जितने राज्यों की रेट है वह बराबर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश यह कहता है, हरियाणा भी कहता है, पंजाब भी कहता है, गुजरात भी कहता है, राजस्थान भी बराबर कहता है

(श्री चन्दनमल बैद)

लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि दिल्ली इस बात को नहीं मानता है और दिल्ली की सेल्स टैक्स रेट नेबरिंग स्टेट्स की सेल्स टैक्स रेट से कम है। इस बार भी जब अभी हमारे सुब्रह्मण्यम साहब यूनियन फाइनेन्स मिनिस्टर यहां पधारे थे तब भी इस बात का जिक्र किया था और उसके बाद टैक्सेशन की इंचार्ज सुसीला रोहितगी डिप्टी मिनिस्टर सेन्ट्रल यहां पधारी थी उनके सामने भी हमने इस बात को रखा था और उन्होंने और सबने भी हमारी बात को माना है और हमको यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी दिल्ली की सेल्स टैक्स की रेट बढ़ायेंगे और उसको हमारे स्टेट का जो सेल्स टैक्स रेट है उसके बराबर लायेंगे। मैं समझता हूं कि जब एक बार सारी स्टेटों की सेल्स टैक्स रेट बराबर हो जायेंगी उस समय सारी स्टेटों को रेट बढ़ाने के बारे में हमें सोचने का मौका मिलेगा कि किस तरह से सारी स्टेटों की सेल्स टैक्स किस तरह से रखी जाय जिससे एक दूसरी स्टेट में इवेजन नहीं हो, स्मगलिंग न हो और सारी स्टेटों का व्यापार बराबर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आप सब लोगों ने अखबारों में पढ़ी होगी, सुब्रह्मण्यम साहब ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि हमें वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लीन बनना चाहिए। मैं भी इस बात का बहुत कायल हूं और बार-बार इस बात के लिए अर्ज कर देता हूं कि फाइनें-शियल डिसिप्लीन हम बनाये रखेंगे। तो आज बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो इसमें पैसा क्यों नहीं बढ़ा देते, इनके ग्रेड क्यों नहीं बढ़ा देते हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो गई है तो अब यह काम क्यों नहीं करते वह काम क्यों नहीं करते। मैं एक छोटी सी बात इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदमी ने किसी को खाना खाने के लिए बुलाया और सारी चीजें परोसने के बाद एक आचार भी परोसा और आचार सौ वर्ष पुराना है। खाना खाने वाले ने कहा कि अच्छा सौ वर्ष पुराना है तो और परोसो। उसने कहा कि अगर और परोसता तो यह सौ वर्ष पुराना कभी नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लीन कायम रहे फाइनेंशियल डिसिप्लीन में सतर्कता बर्ती जाय, जो फाइनेंशियल डिसिप्लीन अपना रहे हैं उसमें अगर ढील कर दें तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह जो हमारी स्थिति आज बनी है, हम समझते हैं कि हमने कुछ टर्न लिया है, हमने किसी तरह से काबू पाने की कोशिश की है स्थिति पर वह बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है। इसलिए यह फाइ-नेंशियल डिसीप्लीन हमारे मैनेजमेंट का अंग होना चाहिए और इस चीज में ढील नहीं देनी चाहिए। आपने हमने कभी भी ढील दी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जो स्थिति तीन साल तक कड़ी मेहनत करके हम सब लोगों ने मिल कर सुधारी है, वह स्थिति एक दो दिन में ही बिगड़ सकती है मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कि इस बात के लिए कुछ माननीय सदस्य कहें कि वित्त मंत्री बड़ा रूखा है वित्त मंत्री बड़ा कड़ा है, बड़ा कंजूस है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कंजूस कहलाना, मैं रूखा कहलाना, बुरा कहलाना बिल्कुल नागवार नहीं

(श्री चन्दनमल बैद)

मानूंगा। मुझे बिल्कुल नागवार नहीं गुजरता लेकिन अच्छा कहलाने के लिए राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब होती है तो मैं निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से मुझे नागवार गुजरेगा। मैं यह महसूस करता हूं कम्फरटेबल फाइनेन्स मिनिस्टर होगा जो सम्भवतः इसके कारण से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में ढील देकर बिगाड़ दें, मैं अनकम्फरटेबिल फाइनेन्स मिनिस्टर होना अच्छा समझता हूं बनिस्पत हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की बिगाड़ने के इसलिए आप अनकम्फर्टेबल फाइनेन्स मिनिस्टर के नाम पर बदनाम होकर अगर फाइनेन्सेस स्टेट के ठीक होते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा बनिस्पत इस बात के कि मैं कम्फर्टेबिल फाइनेन्स मिनिस्टर बन कर स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन खराब कर दू, मैं इसका हामी नहीं हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब यह बात करता हूं कि हमें फाइनेंशियल डिसिप्लीन रखना चाहिए तब सुब्रह्मण्यम साहब से भी प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम इस बात पर आमादा हैं कि सारी स्टेट्स में फाइनेन्शियल डिसिप्लीन हो, हमारी सर्टेन फाइनेंशियल डेफिसिट की, ओवर ड्राफ्ट की लिमिट है 3 करोड़ 60 लाख की, उत्तरप्रदेश की दूसरी तरह से है, तो हम यह चाहेंगे कि हमारा जो सेन्टर है, गवर्नमेंट है, वह भी अपने पर कुछ अंकुश लगाए। जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, जो ओवर ड्राफ्ट की लिमिट है उस पर पाबन्दी होनी चाहिए। केवल स्टेट्स अगर अपने यहां पर फाइनेंशियल डिसिप्लीन रखें और सेंटर फाइनेंशियल डिसिप्लीन नहीं रखें तो मैं समझता हूं कि देश में इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जहां तक फाइनेंशियल डिसीप्लीन का सम्बन्ध है अगर आवश्यकता है तो लिमिट बढ़नी चाहिए और लिमिट बढ़ाने के अन्दर सारे स्टेट्स को फाइनेंशियल डिसिप्लीन में कुछ शेयर मिलना चाहिए। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लीन में ओवर ड्राफ्ट की लिमिट तीन सौ करोड़ की होती है तो उस तीन सौ करोड़ में से स्टेट्स का भी हिस्सा होना चाहिए। तीन सौ करोड़ का डेफिशिट फाइनेंशिग होता है तो 150 करोड़ केन्द्र का और डेढ़ सौ करोड़ स्टेट का होगा और स्टेटों के अन्दर हिस्सा इस तरह से होगा कि जो कि डेफिशिट फाइनेंशिग में फाइनेंशियल डिसिप्लीन की जरूरत है, अगर डवलपमैंट के काम करने से लिए डेफिसिट फाइनेंसिग होती है तो सेन्ट्रल को डवलपमेंट के लिए जरूरत है तो उसी तरह से स्टेटों के लिए भी जरूरत है और वह उनको मिलना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सेंटर और स्टेटों के साथ साथ हमारी जो ऑटोनोमस कोरपोरेशन्स हैं, बोर्ड्स हैं, फाइनेन्शियल डिसिप्लीन में उनके लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले सालों में हमारे डिपार्टमैंट्स ने सब जगह, सबके सहयोग से काफी फाइनेशियल डिसिप्लीन किया है और काफी काम किया है मगर हम यह महसूस करते हैं कि जितने भी हमारे ऑटोनोमस कारपोरेशन्स हैं, बोर्ड्स हैं जैसे रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, एस. टी. सी. है, आर ई.एम.डी.सी. हैं, इस तरह से जितने भी कारपोरेशन और बोर्ड्स हैं उन सब में भी फाइनेन्शियल डिसिप्लीन लाना पड़ेगा। नहीं तो हालत यह हो

(श्री चन्दनमल बैद)

सकती है कि हम तो बहुत ही फाइनेन्शियल डिसिप्लीन करते रहें श्रौर इन श्रॉटोनोमस कारपोरेशन श्रौर बोर्ड्स में फाइनेन्शियल डिसिप्लीन नहीं हुआ तो इसका बुरा असर हमारी स्टेट पर पड़ने वाला है। जैसा कि सेंटर यह महसूस करता है कि स्टेटों को फाइनेन्शियल डिसिप्लीन रखना चाहिये क्योंकि स्टेटों के फाइनेंशियल डिसिप्लीन नहीं होने पर उन पर बुरा असर पड़ता है उसी तरह से आज हम यह महसूस करते हैं कि हमारे बोर्ड्स, कारपोरेशन्स अगर फाइनेन्शियल डिसिप्लीन नहीं रखेंगे तो हमारे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि आज हम जो कारपोरेशन श्रौर बोर्ड्स हैं उनके फाइनेन्शियल डिसिप्लीन पर हम पूरी सतर्कता श्रौर कड़ाई के साथ ध्यान दें श्रौर यह करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सेंटर श्रौर स्टेट रिलेशन्स की बात हम करते हैं तो मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि आज मार्केट बोरोविंग की लिमिट बन्धी हुई है। हम आज बाजार में रिजर्व बैंक के पास, दूसरी बैंकों के पास लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। हमको यह बता दिया जाता है कि बीस करोड़ की लिमिट है इतने का लोन फ्लोट कर सकते हैं। बाजार में से हम इससे ज्यादा बोरोविंग नहीं कर सकते। आज कितना भी ओवर ड्राफ्ट हो, हम आज किसी भी हालत में हों, बैंकों से, रिजर्व बैंक से या किसी से दो करोड़ रुपये भी चार दिन के लिए नहीं ले सकते, रिजर्व बैंक हमको नहीं देगा। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मार्केट बोरोविंग के 'बारे में भी चाहे रोजमर्रा के खर्चों की हमारी लिमिट हो जाय तीन करोड़ साठ लाख से ज्यादा रिजर्व बैंक लिमिट नहीं बढ़ायेगी लेकिन अगर हम डवलपमेंट के काम करें हमारे रोड्स ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन को आज चेसिस को खरीदने के लिए दो करोड़ की जरूरत है, उनको अगर रिजर्व बैंक से पूछ करके, केन्द्रीय सरकार से पूछ करके दो करोड़ का लोन फ्लोट करने की इजाजत दे सकें, चाहे उनकी गवर्नमेंट गारण्टी ले, या कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिजली के काम के लिए, बिजली का प्रसार करने के लिए गांवों में बिजली पहुचाने के लिए, कुओं पर बिजली पहुंचाने के लिए बीस करोड़ की जरूरत है तो यह अधिकार उनको होना चाहिये कि डवलपमेंट के कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बाजार में जाकर बाजार से ऋण ले सके। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन यह व्यवस्था नहीं है। हर स्टेट की लिमिट बन्धी है चाहे डवलपमेंट वर्क हों चाहे नोन डवलपमेंट वर्क हों यह रिलेक्सेशन नहीं हैं, यह लचकीलापन नहीं हैं। यह लचकीलापन नहीं होने से डवलपमेंट के कामों की बर्बादी है। मैं मानता हूं कि इस बात को जब यह सारी बातें तय हुई थीं एक बहुत पुरानी बात थी। जब यह सेंटर स्टेट रिलेशन्स तय हुये थे उसके बाद न मालूम कितनी बार संविधान में संशोधन हो गये, न मालूम कितनी चेंजेज हो गईं, हमारी नीतियां चेंज हो गई हैं, हमें काफी कड़े तरीके से डवलपमेंट की श्रोर कदम उठाने की जरूरत है तो यही वजह है कि जिससे आज यह जरूरी हो गया है कि इन बातों को, इन सारी बातों को फिर से एक बार सोचें। अगर नहीं सोचें तो कोई हाई पावर कमीशन बैठायें श्रौर कमीशन बनाकर इन सारी बातों को सोचें। हमारे बोरो-

(श्री चन्दनमल बैद)

विंग के बारे में, हमारे डवलपमैंट के बारे में हम क्या करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इसमें रिलेक्सेशन होना चाहिये। हमारे पास में यह अधिकार होना चाहिये कि डवलपमैंट के कामों के लिये ज्यादा पैसा बाहर से बोरों कर सकें। अगर आज एक प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन बाजार से दो करोड़, चार करोड़ का ऋण ले सकते हैं, एक तादाद में एडवरटाइजमैंट लेकर कि मेरे पास रुपया जमा कराओ मैं 15 पर्सेन्ट ब्याज देता हूं आप पैसा दीजिये। जब उनको पैसे की जरूरत होती है कि बड़ी बड़ी कम्पनियों के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एडवरटाइजमैंट निकलते हैं कि 12 पर्सेंट ब्याज पर, 15 पर्सेंट ब्याज पर हमें पैसा दीजिये हम इतना ब्याज देंगे, हमारे पास पैसा ब्याज पर दीजिये, तो प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स जब यह काम कर सकती हैं तो पब्लिक सेक्टर के जो लोग हैं, चाहे रोड़ ट्रान्सपोर्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे आर. आई. अम. डी. सी. हो, फिर इनको यह अधिकार क्यों नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी फिर से विचार करने की जरूरत है और गम्भीरता से सोचना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं एक अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारी विपदाओं के लिए चाहे वह फैमिन हो, चाहे अग्नि हो, बाढ हो, इस तरह से कोई भी विपदा हो, सारी स्टेटों के लिए एक मिकदार में रकम निश्चित कर दी गई। यह तो ठीक बात है कि राजस्थान के लिए जो रकम सारी स्टेटों के लिए तय की गई उनमें सबसे ज्यादा हैं, 10 करोड़ और 95 लाख रुपया है यह दूसरी स्टेटों के लिए नहीं है लेकिन आज अगर हमको पांच साल में जाकर कुल हमको पचास करोड़ 95 लाख मिलने वाला है लेकिन मान लीजिए कि पहले ही साल में अकाल पड़ जाय जैसा कि हमारे यहां हुआ है, पचास करोड़ 95 लाख जो पांच साल के लिए ही पहले की साल में खर्च करने की जरूरत पड़ जाय, इससे आधे की जरूरत पड़ जाय तो हमारे लिए जरूरी होना चाहिए कि चाहे सैन्टर से या चाहे किसी मार्केट में जाकर हमें अपने जो काम करने हैं, राहत के कार्य चलाने हैं, उसके लिए पैसा चाहिये। एक फाइनेन्स कमीशन होना चाहिये। यह दूसरी चीज है कि भारत सरकार एक स्टेडी टीम को राजस्थान भेज रही है। फाइनेन्स कमीशन के बारे में भी निर्णय होना चाहिये। वे बहुत ही डिपेन्डेन्ट व्यू लेकर चल रहे हैं। स्टेडी टीम के बारे में बात कही गयी है। फाइनेन्स कमीशन की एक सब कमेटी हो। एक मेम्बर की हाई पावर सब कमेटी हो सकती है स्टेडी टीम इस तरह से जो विपदाएं आती हैं, उस स्टेट में जाए, वहां जाकर उस स्टेट की जरूरत को समझे और उसके अनुसार सिफारिश करे और उनको प्लान में से एडवान्स के रूप में रुपया मिलना चाहिये। यदि आवश्यकता बीस करोड़ रुपयों की है और सैन्ट्रल यदि कहे कि आप प्लान में से एडवान्स 10 करोड़ ले लें, दस करोड़ ही देंगे, चाहे वह प्लान एडवान्स में हो, पैसा अपनी सरकार का मिलता है। भारत सरकार इसको नहीं दे रही है। वह तो इतनी ही मेहरबानी कर रही है कि एडवान्स के रूप में, वेज एण्ड मीन्स के रूप में धनराशि हमको दे रही है, देती है। वह धनराशि एडवान्स के रूप में देती है

(श्री चन्दनमल बैद)

जिसको लेना हमारा अधिकार है। वह हमारे कार्यों पर विजिलेन्स रखे, इसके लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है। कम से कम हाथ में होना चाहिए, कम से कम हमारी बात को माना जाना चाहिए, हमारी बात को सुना जाना चाहिए। आज स्टेट के जो हालात हैं और उसको देखते हुए वहां पर तत्काल राहत कार्य किए जाने हैं और इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है वह मिलना चाहिये। इसको तय करने के लिए एक इन्डीपेन्डेन्ट बोडी होना चाहिये। यह हम महसूस करते हैं और मांग करते हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर अकाल के बारे में कहा गया। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 10 करोड़ 19 लाख रुपया एक अप्रेल, 75 से मार्जिन मनी के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है भारत सरकार की ओर से एक स्टेटी टीम राजस्थान के दौरे पर आने वाली है—शायद यह साल खत्म होने के पहले पहले ही। मैं निश्चित रूप से यह मान कर चलता हूं कि 10 करोड़ 24 लाख रुपया एडवान्स के रूप में अगले वर्ष में से देंगे, यह हमको मिलना चाहिये और हमारे प्लान में से इतना पैसा डाईवर्ट करके रिलीफ का काम लोगों को मिल सकता है। कई कई ऐसे प्लान वर्क्स हैं जिनको कि हम अप्रेल शुरू होते ही शुरू कर देंगे और उनको तेजी से शुरू करेंगे ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। इतनी धनराशि 10 करोड़ 19 लाख और 10 करोड़ 24 लाख प्लान में से डाईवर्ट करके इधर लगा देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा अकाल राहत कार्यों पर लगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं अगर जरूरत हुई, इसके अलावा भी तो हम ज्यादा धनराशि इस काम के लिए मुहैया करेंगे जिससे अकाल के सिलसिले में यह शिकायत न रहने पावे कि इतना बड़ा अकाल पड़ा और हमने जनता की कोई सेवा नहीं की, उनको कोई राहत नहीं दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब एक दफा सैन्ट्रल और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करता हूं तो मैं समझता हूं कि इस बात को पूरे तौर से अर्ज कर दूं तो अच्छा होगा। कई दफा पहले कह चुका हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारे सदन की एक राय है। सदन की एक राय होती है, तो वह जनता की राय होती है और हम सब की जो राय होती है वह बाहर भी होती है। एक राय होकर हम सबने सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने राय प्रकट की। एक राय प्रकट करने से एक वातावरण बना और उस वातावरण से जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, प्रान्त में और देश में प्रान्त के पक्ष में एक वातावरण बना और उससे राजस्थान की जनता को 300 करोड़ का 5 साल में फायदा हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से आज हम यह चाहते हैं कि सैन्ट्रल और स्टेट्स के रिलेशन्स के बारे में पुनर्विचार हो। मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इसके लिए लॉबी बने। आज स्टेट को खर्चा करना पड़ता है। मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि इसके बारे में सैन्ट्रल को बहुत बारीकी से विचार करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज है क्या? जो अच्छे से अच्छे सोर्सेज हैं फाइनेन्स के टैक्सेस के वे सब सोर्सेज सैन्ट्रल के पास में

(श्री चन्दनमल वैद)

हैं। और जो जनता के नजदीक हैं स्टेट, उनके पास है सामुदायिक और सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रूरलवाटर सप्लाई, ये सब स्टेट के पास हैं। और स्टेट की जो गवर्नमेन्ट है वह जनता के ज्यादा नजदीक है। आखिर जो दिल्ली में सरकार है वह जनता से दूर है। हमारे पास ही लोग आते हैं—हमारे यहां पर कुए खुदवाए जायं, हमारे गांव में पानी नहीं पहुंचा है, पंचायत समिति के अन्दर स्कूल होना चाहिए, प्राईमरी हैल्थ सेन्टर में डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं। इन सारे कामों के लिए जनता स्टेट गवर्नमेन्ट के पास आती है। सामुदायिक और सामाजिक उत्तरदायित्व स्टेट गवर्नमेन्ट के पास है और रेवेन्यु का अधिकांश अंश भारत सरकार के पास है मैं इस बात को जानता हूं कि भारत सरकार को मजबूत रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देश की एकता, देश की रक्षा और सारे देश का समूचा विकास करने का दायित्व सेन्ट्रल का है। इसलिए सैन्ट्रल को मजबूत रखना है। परन्तु साथ ही साथ स्टेट्स को विशेष रूप से मजबूत करना भी जरूरी है क्योंकि स्टेट की जो गवर्नमेन्ट है वह जनता के ज्यादा नजदीक है। स्टेट गवर्नमेन्ट को ही सामुदायिक और सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है। इस वास्ते हमारे जो साधन हैं, उसके अनुसार जो स्टेट के टैक्सेज होते हैं, उन टैक्सेज में फाइनेन्स कमीशन की नियुक्ति करके हमको हिस्सा मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, इन सारी बातों के ऊपर पुर्नविचार करने की आज जरूरत है और यह सोचना है कि बदली हुई परिस्थितियों के अन्दर यह सारा स्टेट और सेन्ट्रल का फिस्कल रिलेशन्स कैसा हो। तो इन रिलेशन्स पर पुर्नविचार करना बहुत जरूरी है। मैं यह मानता हूं कि वह समय आ गया है कि एक बार फिर कमीशन या कमेटी बिठा कर इन सारी बातों पर पुनर्विचार करना होगा और सोचना होगा कि किस तरह से यह हमें करना है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया के आर्टिकल 75 के तहत भारत सरकार से स्टेट्स को ग्रान्ट मिलती है लेकिन भारत सरकार को प्लान के कुछ प्रिविलेजेज हैं और उस प्लान में न तो प्रायोरिटीज होती है और न क्वान्टम ही स्टेट के लिए तय होता है। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कर देता है। उसमें कोई काइटेरिया नहीं होता है और न क्वान्टम ही होता है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से फाइनेन्स कमीशन की नियुक्ति होकर आर्टिकल 275 के तहत स्टेट के लिए एक क्वान्टम तय होता है, इतना सारा पैसा बंटेगा स्टेट को, इसको बांटने का यह तरीका हो, इन्कम टैक्स का इतना हिस्सा स्टेट को मिलेगा, एक्साइज ड्यूटी का इतना हिस्सा स्टेट को मिलेगा, तो ये सारी चीजें एक इन्डीपेन्डेन्ट बोडी से तय हो। इसी तरह से आर्टिकल 283 के नीचे इस तरह की एक इन्डीपेन्डेन्ट बोडी हो जो यह तय करे कि प्लानिंग के लिए इतना पैसा स्टेट को दिया जायेगा और उस पैसे को बांटने का तरीका क्या हो, वह तय हो। यह नहीं हो कि जब तक एक प्रदेश, दूसरे प्रदेश का असन्तुलन न हो, उस पर विचार न हो। इस असन्तुलन को मिटाना है। जम्मू-काश्मीर और आसाम की विशेष परिस्थिति हो सकती है। परन्तु राजस्थान की भी विशेष परिस्थितियां हैं। हमारे यहां 53 प्रतिशत लोग आज भी रेगिस्तान में

(श्री चन्दनमल बैद)

रहते हैं। हमारा 53 प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है। हमारे प्रदेश में आधे से अधिक हिस्सा रेगिस्तानी हिस्सा है। हमारे प्रदेश में पांच साल में से तीन साल अकाल पड़ता है। जम्मू-काश्मीर और आसाम से किसी भी हालत में हम कम नहीं हैं। उन प्रदेशों के समान हमारी भी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के प्रति हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। निश्चित रूप से असन्तुलन है। आज सारे देश का विकास करना है। विकास की ओर हमें बढ़ना चाहिये और यह जरूरी है कि इस असन्तुलन को कम करने के लिए और सारी स्टेट्स को एक लेविल पर लाने के लिए, स्टेट और सेन्ट्रल रिलेशन के फिस्कल रिलेशन्स पर, इन सारे रिलेशन्स पर पुनर्विचार करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय मुझे और ज्यादा नहीं कहना है। मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज जो भी स्टेट के फाइनेन्स को सुधारने की बात कही है, हमने स्टेट की फाइनेन्स को सुधारने का प्रयत्न किया है। टैक्सेस से रेवेन्यू न बढ़ा कर हमने नॉन टैक्सेस से, रेवेन्यु बढ़ाने का प्रयत्न किया है। इस मामले में हमने सतर्कता बरती है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो उत्साह प्रदान किया है, उसी उत्साह से तेजी के साथ, मजबूती के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो प्रस्ताव पेश किया है, उसको पारित किया जाये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रूरल माइल के लिए कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय वित्त मंत्री जी !

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1975 को पारित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 1975 के प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 6-31 मिनिट पर मंगलवार दिनांक 25 मार्च, 1975 के प्रातः 8 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

154

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 739 के भाग 2 की सूची)

वर्ष 1974-75 में खोले गए नवीन औषधालयों को सूची

क्र. सं.	औषधालय का नाम		जिला	चिकित्सा पद्धति
1.	राजकीय आयुर्वेद औषधालय,	सामरिया	बांसवाड़ा	आयुर्वेद
2.	,,	कूचोली	उदयपुर	,,
3.	,,	बडवर	झुन्झुनूं	,,
4.	,,	हुंसासरी	झुन्झुनूं	,,
5.	,,	सियासरिया	जोधपुर	,,
6.	,,	टेपू	जोधपुर	,,
7.	,,	थाकड़सादा	भीलवाड़ा	,,
8.	,,	बम्बोरीघाटा	कोटा	,,
9.	,,	साईवाड	जयपुर	,,
10.	,,	नागलमरड़ा	जयपुर	,,
11.	,,	भगतपुरा	जयपुर	,,
12.	,,	झाग	जयपुर	,,
13.	,,	छापड़ाखुर्द	जयपुर	,,
14.	,,	जस्सूसर	बीकानेर	,,
15.	,,	गोगागेट	बीकानेर	,,
16.	,,	थावरिया	बीकानेर	,,
17.	,,	कोलासर	बीकानेर	,,
18.	,,	नासेरा	बीकानेर	,,
19.	,,	खारवाड़ा	बीकानेर	,,
20.	,,	मोहनमगरिया	गंगानगर	,,
21.	,,	जोरावरपुरा	गंगानगर	,,
22.	,,	चाहूवाली	गंगानगर	,,
23.	राजकीय यूनानी दवाखाना,	बिसनिया	भीलवाड़ा	यूनानी
24.	,,	सतामघ	भरतपुर	,,
25.	,,	दूदिया	बाड़मेर	,,

औषधालयों को सुचारु रूप से चलाने हेतु स्वीकृत 22 कल्पद धात्रियों के पदों का वितरण

क्र. सं.	नाम औषधालय	जिला	वितरित पद
1.	आदर्शनगर	जयपुर पूर्व	एक
2.	भांकरोटा	जयपुर पूर्व	एक
3.	निवाणा	जयपुर पश्चिम	एक
4.	तलाबगांव	जयपुर पश्चिम	एक
5.	कैलादेवी	सवाई माधोपुर	एक
6.	राजगढ़	अजमेर	एक
7.	पीपलाज	अजमेर	एक
8.	पहेल	अलवर	एक
9.	गुलपाड़ा	भरतपुर	एक
10.	मुसावर	भरतपुर	एक
11.	सरदारनगर	भीलवाड़ा	एक
12.	दड़ीवा	चूरू	एक
13.	अनूपशहर	गंगानगर	एक
14.	सदमीसर	गंगानगर	एक
15.	मन्डावर	झालावाड़	एक
16.	झाझड़	झुन्झुनू	एक
17.	खांगटा	जोधपुर	एक
18.	छाबड़ा	कोटा	एक
19.	सुनसुना	नागौर	एक
20.	महाजन	बीकानेर	एक
21.	अ श्रेणी औषधालय, अजमेर	अजमेर	दो

(38)

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 743 की सूची)

क्र. सं.	नाम पटवार मण्डल	नाम ग्राम	लेवी जो जमा हुई	विशेष विवरण
1.	दौलतपुरा	दौलतपुरा	0.97.000	
		निम्बोखुर्द	10,58.500	
2.	खुदरासन	खुदरासन	10,16.000	
		श्यामसर	1,67.000	
3.	बेगसर	बेगसर	1,36.300	
		मेडवा	4,64.000	
		कुण्डली	3,52.000	
		हुसाणाखुर्द	024.000	
4.	केराय	केराय	14,10.500	
		रणसीसर	13,05.000	
5.	डायगांव	सागूकलां	9,70.000	
6.	चोलूखां	चोलूखां	027.800	
		फगोड़ी	1,16.200	
7.	निम्बोद	निम्बोद	71,81.600	
		वासा	70,05.000	
		रसीदपुरा	2,24.000	
8.	तोसीणा	तोसीणा	1,44.000	
		मण्डकरा	064.000	
		कल्याणपुरा	048.000	
9.	पीड़वा	पीड़वा	6,31.000	
10.	खुनडाना	खुनखुना	080.000	
		सोनिया	15,10.000	
		रूग्रा	13,92.000	
11.	सादड़िया	सादड़िया	25,76.000	
12.	खाटू	खाटूखुर्द	2,28.800	
13.	खुड़ी	खुड़ी	096.000	
		कुपरिया	016.000	
		भवाद	024.000	
14.	थेवड़ी	थेवड़ी	038.400	
15.	मोलासर	मोलासर	15,02.000	
16.	घनकोली	घनकोली	14,80.000	
		खानड़ी	5,28.000	
		ग्रासलसर	092.000	
		योग:	3,20,04.800	

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

मेडिकल कॉलेज में कार्य करने वाले आर्टिस्ट, फोटोग्राफर एवं मोडलर के वेतनमान

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार के निर्णय के लागू होने के पूर्व और पश्चात्, वहां कार्य करने वाले आर्टिस्ट, मोडलर एवं फोटोग्राफर के लिए अलग अलग क्या वेतनमान थे ? कृपया उनकी पूर्ण सूची, विशेष वेतनमान सहित यदि कोई हो, तो सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) यदि उपरोक्त वेतनमानों में कोई असमानता रखी गई हो तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) कार्य का स्वरूप एवं निर्धारित योग्यता के कारण असमानता रहती है।

सूची

क्र. सं.	पद	दिनांक 1-9-68 से पूर्व वेतनमान	दिनांक 1-9-68 वेतनमान
1.	वरिष्ठ आर्टिस्ट	170-400	180-425
2.	फोटोग्राफर्स	170-400 120-385	180-425 130-300
3.	मोडलर्स	120-385	160-360 130-300
4.	आर्टिस्ट	130-320	130-300

(158)

बाड़मेर जिले के ग्रामों में पानी की समस्या

749. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि बाड़मेर जिले के रेवाली स्कूल (बाटाड़) हरखली स्कूल (बाटाड़) मुकनणिदा की ढ़ाणी (भीमड़ा), गणेशियों की ढ़ाणी (बाटाड़), माड़पुरा बरावाली स्कूल जीवनराम की ढ़ाणी (बोदरा) एवं ढ़ूंढा स्कूल से लगती हुई ग्राम आबादी में जल संकट की समस्या गम्भीर रूप धारण किये हुए है ?

(2) क्या जन स्वास्थ्य विभाग उक्त ग्रामीण घनी आबादी की बस्तियों में पानी की समस्या के हल करने के लिये भीमड़ा में नया नलकूप बनाकर भीमड़ा-बायतू ग्रामीण जल प्रदाय योजना में सम्मिलित करने के लिये सर्वे कराकर उक्त योजना की स्वीकृति कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) इन ढाणी विशेषों में पेय जल समस्या के विषय में जानकारी नहीं है किन्तु उक्त क्षेत्र में साधारणतया पेय जल का संकट है।

(2) वर्ष 1975-76 में नई ग्रामीण जल प्रदाय योजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार ही स्वीकृति की जा सकेगी।

वृद्धावस्था पेन्शन

750. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1974 में कितने लोगों ने वृद्धावस्था पेन्शन के लिए एवं कितने लोगों ने अपंग, अपाहिज आदि कारणों से आवेदन-पत्र दिया ?

(2) इनमें से कितने लोगों को पेन्शन मिल चुकी है और कितनों को नहीं ?

(3) जिन आवेदकों को अभी तक पेन्शन नहीं मिली उन्हें कब तक मिल जावेगी ?

(4) क्या इस प्रकार के आवेदन-पत्र दौसा उप-खण्ड में भी प्राप्त हुये ? यदि हां तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ?

(5) इनको अब तक पेन्शन स्वीकार न होने के क्या कारण हैं ?

(6) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन्हें पेन्शन नहीं मिल सकी ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

(7) क्या सरकार इनको शीघ्र पेन्शन दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(8) क्या यह सही है कि वृद्धावस्था पेन्शन में डॉक्टर का प्रमाण-पत्र देने के बाद भी मतदाता सूची की नकल भी देनी पड़ती है जब कि दोनों ही आयु के लिए होते हैं ?

(9) क्या सरकार दोनों में से किसी एक पर भरोसा करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1974 में अब तक वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शन के लिये

(समाज कल्याण मंत्री)
क्रमश: 2,827 व 1,176 प्रार्थना-प्रत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) इनमें से कुल 1963 लोगों को पेन्शन स्वीकृत हो चुकी है, 161 के प्रार्थना-पत्र नियमान्तर्गत रद्द किये जा चुके हैं तथा शेष प्रार्थना-पत्र अपूर्ण होने के कारण पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही जारी है।

(3) शेष आवेदन-पत्रों में से नियमान्तर्गत जो आवेदन-पत्र पूर्ण हो जाएंगे, उन पर पेन्शन स्वीकृत करने की कार्यवाही शीघ्र ही की जायेगी।

(4) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) शेष 26 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र की पूर्ति हेतु तहसीलों में भेजे गये हैं।

(6) जी नहीं।

(7) अपूर्ण प्रार्थना-पत्र पूर्ण होने पर इनमें से जितने भी मामले नियमान्तर्गत योग्य होंगे उनका निबटारा मार्च, 75 तक कर दिया जायगा।

(8) नियमानुसार आयु की जांच निम्नलिखित दस्तावेजों से प्राथमिकता के क्रम में की जाती है :—

(क) विद्यालय प्रमाण-पत्र।

(ख) म्युनिसिपल बोर्ड/पंचायतों द्वारा संधारित जन्म पंजिका।

(ग) विधान सभा की नवीनतम मतदाता नामावली जिसमें आवेदक का नाम हो।

(घ) आयु का प्रमाण-पत्र जो कि सब डिविजनल ऑफिसर या तहसीलदार द्वारा निराश्रित व्यक्ति के द्वारा उसके समक्ष दो साक्षियों के साथ एक अभिकथन भर कर देने तथा ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे, करने के बाद दिया गया हो।

इससे स्पष्ट है कि मतदाता सूची में नाम होने पर डॉक्टर के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टरी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता तो सब-डिविजल ऑफिसर या तहसीलदार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करते समय हो सकती है।

(9) प्रश्न के भाग 8 में उत्तर स्पष्ट है।

सूची

दौसा उपखण्ड कार्यालय में वर्ष 1974 में प्राप्त वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शन के प्रार्थना-पत्रों की सूची:—

क्रमांक	नाम व पता	प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेन्शन के लिये हैं या अपाहिज पेंशन के लिये	पेंशन स्वीकृत की गई या नहीं
1	2	3	4
1.	श्री राणाराम पुत्र हंसराज राम खत्री, दौसा	वृद्धावस्था	स्वीकृत की गई
2.	,, मु. बशीरम उर्फ भुट्टो खत्री मुनीदार खां, नि. बासखोह	,,	स्वीकृत नहीं गई

1	2	3	4
3.	श्री मु. रामसुखे स्त्री तुलसीनाथ देवली, तह. लालसोट	वृद्धावस्था	स्वीकृत नहीं की गई
4.	,, कजोड़मल पुत्र श्योनारायण महाजन निवासी लालसोट	,,	,,
5.	,, किशनदास पुत्र छोटेलाल ब्राह्मण मह खुद, तह. बसवा	,,	,,
6.	,, बन्शीधर पुत्र रामसहाय ब्राह्मण ग्राम मेरतावास, तह. बसवा	,,	,,
7.	,, मु. गौरा स्त्री छाज्यां बैरवा मह खेण्डा तह. बसवा	,,	,,
8.	,, मु. गौराबाई स्त्री सुन्दरलाल ब्राह्मण नया मोहल्ला, बांदीकुई	,,	,,
9.	,, लालाराम पुत्र भूरजी राणा तह. बसवा	,,	,,
10.	,, रामवया पुत्र शोला बैरवा, पीचूपाड़ा तह. बसवा	,,	,,
11.	,, मु. दुर्गादेवी बेवा छाजूराम ब्राह्मण निवासी वड़ीयाल, तह. बसवा	,,	,,
12.	,, रुकमणी बेवा सुखलाल महाजन, बसवा	,,	,,
13.	,, ठण्डाया पुत्र नन्दा मीणा, सिकराय	,,	,,
14.	,, कालूराम पुत्र सेवाराम, सालावास तह. बसवा	,,	,,
15.	,, रमेश कुमारसिंह पुत्र सागरसिंह, बांदीकुई	अपाहिज	,,
16.	,, मु. गंगा स्त्री बिरदीचन्द बैरवा नागवास, तह. बसवा	वृद्धावस्था	,,
17.	,, मालादास पुत्र नानूदास यादव, दौसा	,,	स्वीकृत की गई
18.	,, मूला पुत्र छोटा माली भाण्डारेज, दौसा	,,	स्वीकृत नहीं की गई
19.	,, केसरबाई बेवा सुमेन्द्रसिंह राजपूत मोराड़ी, तह. बसवा	,,	,,
20.	,, बालाबक्स पुत्र बंजीराणा बड़ीयाल कला, तह. बसवा	,,	,,

1	2	3	4
21.	श्री सुरग्यानी पुत्र छीतर ब्राह्मण भाण्डारेज, तह्. दौसा	वृद्धावस्था	स्वीकृत नहीं की गई
22.	मु. धापा पुत्री चतरू ब्राह्मण भाण्डारेज, तह्. दौसा	,,	,,
23.	श्री रेवड़ पुत्र छोटु भोरी पत्नी रेवड़ बलाई बरखेण्डा, तह. दौसा	,,	,,
24.	,, रामनाथ शर्मा पुत्र शिवनाथ शर्मा महशरा कल्ला, तह्. दौसा	,,	स्वीकृत की गई
25.	मु. सरस्वती देवी स्त्री गुरुदासंसिह, दौसा	,,	स्वीकृत नहीं की गई
26.	मु. नाराणी स्त्री शंकरनाथ बरखेड़ा, दौसा	,,	,,
27.	श्री शोभाराम पुत्र वरदीचन्द, मु. लाड़ा पत्नी शोभाराम रेगर, दौसा	,,	स्वीकृत की गई
28.	मु. बीशमिला स्त्री चांदखां मुसलमान, दौसा	,,	स्वीकृत नहीं की गई
29.	मु. सकीना पत्नी नूरखां मुसलमान, दौसा	,,	,,
30.	श्री राधेश्याम पुत्र छोटूराम खटीक, दौसा	अपाहिज	,,
31.	,, प्रभातीलाल पुत्र नारायण रेंगर, दौसा	वृद्धावस्था	स्वीकृत की गई

ईटाराना रूंध की भूमि

751. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ईटाराना रूंध, जिला अलवर, महाराजा अलवर ने अपने दूसरे लड़के यशवन्तसिह का जागीर में दी हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस रूंध में लगभग 2,000 बीघा जमीन है और एक कोठी है ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1952 में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम पास होने के बाद यह जागीर समाप्त हो गई और यह जमीन राज्य सरकार में वेस्ट हो गई ?

(4) क्या यह सही कि राज्य सरकार ने इस रूंध का कब्जा नहीं लिया और इसे महाराज कुमार के पास ही छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि इस रूंध को भारत सरकार ने सेना की छावनी बनाने के लिए ले लिया है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(6) क्या यह सही है कि महाराज कुमार यशवन्तसिंह इस जमीन का मुआवजा भारत सरकार से क्लेम कर रहा है ?

(7) इस रूंध का मुआवजा राज्य सरकार स्वयं क्लेम क्यों नहीं करती है जबकि यह भूमि राज्य सरकार में वेस्ट हो चुकी ?

(8) क्या यह सही है कि अलवर जिलाधीश ने एक नोट राज्य सरकार को भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह मुआवजा राज्य सरकार को मिलना चाहिए ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस रूंध का कुल रकबा 4080 बीघा है एवं एक कोठी है।

(3) जी नहीं।

(4) कब्जा नहीं लिया, क्योंकि यह रूंध राज्य सरकार में वेस्ट नहीं हुआ।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

(7) राज्य सरकार की ओर से क्लेम पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह भूमि राज्य सरकार में वेस्ट ही नहीं हुई।

(8) जी हां, इसमें मुआवजा राज्य सरकार को मिलने बाबत कोई उल्लेख नहीं है केवल अवाप्ति विज्ञप्ति को निरस्त करने बाबत सुझाव था। उस पर सरकार ने निर्णय लिया कि विज्ञप्ति को निरस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चूरू जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले

752. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में पिछले छः माह में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कुल कितने मुकदमें दर्ज किये गये तथा कितने मुकदमों में पुलिस अदालतों में चालान पेश किया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में कितने अनाज व चीनी डीलरों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही चल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में गत छः माह में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कुल 22 मुकदमें दर्ज किये गये। इनमें से 7 मामलों में पुलिस द्वारा अदालत में चालान पेश किया गया है और 2 मामलों में एफ. आर. दी गई है। शेष मामले जेर तफतीश है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के 6 अधिकृत अनाज व चीनी डीलरों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची

क्र. सं.	नाम फर्म या व्यक्ति	स्थान	कार्यवाही जो की गई है
1	2	3	4
(1)	मै. कमरुदीन बदरुदीन	राजगढ़	एफ. आर. दी गई ।
(2)	मै. कमरुदीन बदरुदीन	राजगढ़	दिनांक 6-1-75 को न्यायालय में चालान पेश किया गया ।
(3)	श्री मुरारीलाल पुत्र लालचन्द महाजन	हरपालू	दिनांक 23-11-74 को चालान पेश हुआ ।
(4)	मै. किशनलाल मदनलाल	चूरू	तफतीश जारी है ।
(5)	मै. रामस्वरूप राजेन्द्रप्रसाद	चूरू	तफतीश जारी है ।
(6)	मै. रामप्रसाद चोटियां	चूरू	तफतीश जारी है ।
(7)	मै. भार्गव स्टोर	सरदारशहर	29-10-74 को चालान पेश किया गया ।
(8)	मै. ओम ब्रदर्स	,,	,,
(9)	मै. गणेश स्टोर	,,	,,
(10)	सर्वश्री हासम, घीसा, जगदीश, बाबूलाल	,,	तफतीश जारी है ।
(11)	श्री मोहनलाल सारस्वत	रतनगढ़	तफतीश जारी है ।
(12)	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र परमानन्द	कीतासर	तफतीश जारी है ।
(13)	मै. हीरालाल दलसुखराय	सुजानगढ़	5-3-75 को चालान पेश हुआ ।
(14)	सर्वश्री मोहनलाल, सांवरमल, महावीर प्रसाद	सुजानगढ़	तफतीश जारी है ।
(15)	मै. केसरीचन्द, बालचन्द	सुजानगढ़	7-1-75 को चालान पेश हुआ ।
(16)	श्री दिनेश सारस्वत	रतनगढ़	तफतीश जारी है ।

1	2	3	4
(17)	श्रा मोहनलाल वकील	सरदारशहर	एफ. आर. दी गई ।
(18)	श्री जीवराज पुत्र मोहनलाल डागा	श्रीडूंगरगढ़	तफतीश जारी है ।
(19)	श्री किस्तुरगर गुसांई	"	"
(20)	श्री फूसदर गुसांई	"	"
(21)	श्री हुकमीगीर गुसांई	"	"
(22)	श्री सोहनदास मदनदास	"	"

सूची

क्र.सं.	नाम डीलर व स्थान
(1)	श्री सांवरमल अधिकृत चीनी रिटेलर, ग्राम पंचायत, बिरमी खालसा ।
(2)	श्री लिक्षमण पुत्र सुखराम जाट, अधिकृत चीनी रिटेलर, भीमसाना ।
(3)	श्री हरफूलसिंह पुत्र गोरूराम जाट, अधिकृत रिटेलर चीनी व खाद्यान्न, सुलखनिया ।
(4)	श्री मोहरसिंह पुत्र श्योलाल जाट, मंत्री ग्राम सेवा सहकारी समिति अधिकृत रिटेलर चीनी व खाद्यान्न, सांखणताल ।
(5)	श्री रामचन्द्र पुत्र सुरजाराम, अधिकृत खाद्यान रिटेलर, गोठिया ।
(6)	श्री मुरारीलाल पुत्र लालचन्द, अधिकृत डीलर चीनी हरपालू ।

बाड़मेर जिले की तहसीलों का पुनर्गठन

753. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले की तहसीलों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जिला बाड़मेर की तहसील बाड़मेर के पुनर्गठन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम कुरज की नल योजना

754. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि गांव कुरज जिला उदयपुर में नल योजना चालू हो गई है ? यदि हां, तो कब से चालू हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जल प्रदाय हेतु जिस कूप का निर्माण करना था, उसका ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो किसको और उसका साइज क्या था ?

(3) क्या जल प्रदाय हेतु कूप का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या अब इस समय उसके कारण जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही है ? अगर कोई दिक्कत है तो उसके कौन दोषी हैं और राज्य सरकार ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना माह जून, 73 से चालू है।

(2) जी हां। कुए का ठेका भवन निर्माण सहकारी समिति लि. राजसमन्द, जिला उदयपुर को दिया गया था।

(3) जी हां। गत वर्ष वर्षा का कमी होने कारण कुए में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो रहा। इस कमी को दूर करने के लिए कुए को गहरा करने का कार्य किया जा रहा है ?

कोटा से सवाई माधोपुर वाया बून्दी—लाखेरी बस सर्विस

755. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा से सवाई माधोपुर वाया बून्दी-लाखेरी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाई जाता हैं ? यदि हां, तो कितनी और कब कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा से प्रातःकाल चलने वाली बस सवाई माधोपुर में जयपुर जाने वाली रेलगाड़ी के समय से पूर्व नहीं पहुंचाने से यात्रियों को रात के एक बजे तक रुकना पड़ता है ? क्या इस बस को रेलगाड़ी के प्रस्थान के समय से पूर्व पहुंचाने का व्यवस्था की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मार्ग पर दिन में

(166)

(यातायात मंत्री)

चार ट्रिप की जाती हैं। बसों के आवागमन का समय निम्न प्रकार है:—

कोटा प्रस्थान	सवाई माधोपुर आगमन
0715	1230
1200	1615
सवाई माधोपुर प्रस्थान	**कोटा आगमन**
0700	1145
1500	2000

(2) जी नहीं। सवाई माधोपुर से जयपुर चलने वाली ट्रेन सवाई माधोपुर से 12-55 बजे दोपहर प्रस्थान करती है। जबकि निगम की बस वहां 12-30 बजे पहुंच जाती है। इस प्रकार ट्रेन से सवाई माधोपुर से जयपुर जाने वाले यात्रियों के लिये रेलगाड़ी के प्रस्थान के समय से पूर्व पहुंचने हेतु बस सेवा उपलब्ध है।

नाव दुर्घटना में मृत्यु

756. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 22 अप्रेल, 1973 को एक नाव दुर्घटना नक्की झील में हुई थी जिस कारण 10 मौतें हुई ?

(2) क्या यह सही है कि जिस नौका में दुर्घटना हुई उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था ? यदि हां, तो उसे क्यों काम में लिया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नौका में चालक के पास लाइसेन्स भी नहीं था ?

(4) क्या राज्य सरकार इस दुर्घटना की न्यायिक जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

जिस समय दुर्घटना हुई थी उस समय तक नौकाएं बिना फिटनेस सर्टिफीकेट के ही चलाई जा रही थी।

(3) चालक के पास लाईसेन्स था।

(4) इस दुर्घटना की जांच तत्कालीन अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा की गई। उससे यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना वोट यात्रियों द्वारा संतुलन बिगाड़ने के कारण हुई। नाव में किसी यान्त्रिक खराबी या अन्य कमी नहीं पाई गई।

अतः न्यायिक जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं है।

इमरजेन्सी केसेज और डॉक्टरों को बुलाने के लिये वाहन को सुविधा

757. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार सीनियर डॉक्टर्स को इमरजेन्सी केसेज के लिये घर से बुलाये जाने की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरकारी वाहन की सुविधायें उपलब्ध की जाती है ? यदि हां, तो नियमों अथवा आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रखने का कृपा करें।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली) उत्तर

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णयानुसार सभी बड़े अस्पतालों में बड़े डाक्टरों को इमरजेन्सी केसेज में घर से बुलाये जाने की स्थिति में सरकारी वाहन की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं ? यदि नहीं, तो किन-किन अस्पतालों में और क्यों ?

(3) क्या जनाना अस्पताल, जयपुर में भी उक्त सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो अब तक कब-कब किन-किन डॉक्टर्स को उक्त सुविधा उपलब्ध की गई ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल, जयपुर में वर्तमान सुपरिन्टेन्डेन्ट सीनियर डॉक्टर्स को स्वयं के वाहन द्वारा ही आने के लिये मजबूर किया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(1) जी हां, जहां सरकारी वाहन की सुविधा उपलब्ध है वहां डॉक्टरों को आवश्यकता पड़ने पर बुलाने की सुविधा उपलब्ध की जाती है। आदेश की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जहां पर सरकारी वाहनों की सुविधा उपलब्ध हैं वहां उपलब्ध की जाती है।

(3) जी हां। आवश्यकता पड़ने पर जन सुविधा सभी डॉक्टरों के लिये उपलब्ध की जाती है। इस सम्बन्ध में जो आदेश प्रसारित दिये गये थे उनकी सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Medical & Public Health Department

No. F. 14 (10) MPH/62/Gr. II *Dt. the 31st Jan., 63.*

The Director of Medical &
Health Services, Jaipur.

Sub:—Use of ambulance Cars for Calling doctors from their residences in emergencies.

Ref:—Your letter No. Med/F. 22/1128/62, dated 8-6-62.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to the use of ambulance Cars for fetching the Doctor from their residences in emergent circumstances in accordance with the Rules for the use of ambulance to be framed for the purpose.

A set of Rules may please be prepared and furnished to this department for approval.

Yours faithfully

Sd/-
(M. L. Gupta)
Section Officer.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

No. F. 18 (2) MPH/69/Gr. II *Dated 5-11-69*

The Superintendent,
Zenana Hospital,
Jaipur.

Since there is panelty of residential quarters in Zenana Hospital some of the Lecturers & Tutors are required to live out side the hospital premises. The Lecturers & Tutors residing outside do not get ambulance at the time of emergency and have to remain in the Hospital always leaving their families & children at home. In other Hospitals whenever there is an emergency ambulance is sent to fetch the Doctor concerned. After considering this difficulty, decision has been taken that the procedure which is prevalent in other Hospitals should also be adopted in Zenana Hospital, Jaipur and the Tutors & Lecturers who do not live near the Hospital should be brought from their houses by the ambulance whenever there is an emergency requiring their presence.

Action taken in this matter may kindly be intimated early.

Sd/GOPESH BHATT,
Dy. Secretary to the Government.

Copy forwarded to the Principal, S. M. S. Medical College, Jaipur for information.

Sd/-
Dy. Secretary to the Government.

जामसर में कार्य करने वाले कर्मचारी

758. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. जयपुर (पूर्व नाम बीकानेर जिप्सम कम्पनी) के कतिपय कर्मचारी जामसर में बिना कार्य तनख्वाह ले रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों को रॉकफास्फेट खनन कार्य उदयपुर में स्थानान्तरण करने हेतु पिछले सत्र में आश्वासन दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उदयपुर में उपरोक्त कम्पनी जामसर में बेरोजगार बैठे हुये कर्मचारियों की श्रेणी के पदों को नई भर्ती करके नियुक्तियां दी जा रही हैं तथा पूर्व में भर्ती किये जा चुके हैं ? अगर हां, तो क्या कम्पनी के इन अनुभवी कर्मचारियों को बिना कार्य तनख्वाह दी जा रही है उनको उदयपुर में क्यों नहीं एब्जोर्ब किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पिछले सत्र में यह कहा गया था कि जामसर खान के बन्द होने पर मजदूरों को अन्य खानों पर लगाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(3) जी नहीं। इनको रिक्त स्थानों पर एब्जोर्ब करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। नई नियुक्तियां करते समय झामर कोटड़ा में उतने पद रिक्त रखे गये हैं जितने जामसर से उपलब्ध हो सकते हैं।

कोटा शहर में 'ए' क्लास का यूनानी दवाखाना

759. श्री हाजी जान मोहम्मद खाँ (पिड़ावा) : क्या आयुर्वेदिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में 'सी' क्लास का यूनानी दवाखाना है ? अगर हां, तो क्या शहर की आबादी देखते हुए 'ए' क्लास का दवाखाना बनाने का सरकार इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा शहर में 'ए' क्लास के कई आयुर्वेदिक औषधालय है ? अगर हां, तो कितने ? क्या 'ए' क्लास के वैद्य व हकीम के ग्रेडों (तनख्वाह) में फर्क है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यहां की जनसंख्या को देखते हुये वर्तमान दवाखाने की रोगी संख्या वर्तमान में बहुत ही कम होने के कारण 'ए' क्लास यूनानी दवाखाने खोलने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।

(2) जी नहीं। कोटा शहर में आयुर्वेदिक औषधालय 'ए' क्लास एक ही है। 'ए' क्लास के वैद्यों एवं हकीमों की ग्रेड में कोई फर्क नहीं है।

अलवर में कब्रिस्तान एवं शमशान की भूमि का बेचान

760. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खसरा नं. 109/349, 169/439, 108 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा अलवर शहर में कब्रिस्तान व शमशान की भूमि थी ?

(2) क्या यह सही कि उक्त भूमि को किसी व्यक्ति ने खरीद कर दिनांक 14-5-71 को इन्तकाल नं. 32 अपने नाम करा दिया ? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वहां के नागरिकों एवं समाचार पत्रों द्वारा उक्त भूमि पर वहां गोपाल टॉकीज सिनेमा गृह निर्माण करने पर वहां के जिलाधीश को और राज्य सरकार को शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि वक्फ बोर्ड ने उसके विरुद्ध केस भी किया था, और फिर काफी धनराशि लेकर राजीनामा कर लिया ? यदि हां, तो कितनी धनराशि ली गई और रसीद कितने की दी गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का मामला राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां विचाराधीन है तथा राज्य सरकार के भी विचाराधीन होने के बावजूद जिलाधीश अलवर ने उक्त भूमि को सिनेमा के लिए परिवर्तित करदी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि और किस नियम के अधीन यह जमीन सिनेमा के लिए दे दी गई ? राज्य सरकार इस प्रकार गलत कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर शहर में नियुक्त अभियन्ता

761. श्री रतीराम यादव (तिजारा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में कितने सहायक व अधिशासी अभियन्ता ऐसे हैं जिन्हें तीन साल से ऊपर हो गये हैं यही कार्य करते हैं अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या विभाग में इसके लिये कोई नियम है कि एक व्यक्ति को एक शहर में कितने साल तक रखा जाय ? यदि नियम हैं तो सदन के पटल पर रखे जायें ?

(3) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ अभियन्ता ऐसे हैं जिन्हें जयपुर शहर में 5 साल से भी अधिक हो गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिये कोई कठोर कार्यवाही करेगी ?

Page No 171

(171)

(श्री चन्दनमल बैद)

उत्तर

(1) जयपुर में कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता जिन्हें तीन साल से ऊपर हो गये हैं एवं यहीं कार्य करते हैं, की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, राज्य कार्य हित में।

(4) इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

प्रश्न संख्या 1 की सूची

जन स्वास्थ्य-अभियान्त्रिक विभाग के सहायक अभियन्ताओं की सूची जो तीन साल से ऊपर जयपुर में कार्यरत हैं।

क्र. सं.	नाम	पद	दिनांक जिससे जयपुर में कार्यरत हैं	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री एन. एम. मंगलानी	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	17-6-70	
2.	श्री एस. के. धवन	„ „ (सिविल)	9-6-71	
3.	श्री अगम माथुर	„ „ (सिविल)	8-7-70	
4.	श्री एस. एस. मामेचा	„ „ (सिविल)	5-5-71	
5.	श्री ओमप्रकाश कछवाह	„ „ (सिविल)	21-1-70	
6.	श्री सुभाषचन्द्र बंसल	„ „ (यांत्रिक)	19-1-71	

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं की सूची जो तीन साल से ऊपर जयपुर में कार्यरत हैं।

क्र. सं.	नाम	पद	दिनांक जब से जयपुर में कार्यरत हैं	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री धनराज	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	7-7-71	वैसे इनका स्थानान्तरण जयपुर में ही योजना एवं अभिरूप खण्ड से भू-मापन एवं जल निरसारण खण्ड में दि. 27-7-74 को हो चुका है।
2.	श्री ब्रह्मस्वरूप शर्मा	„ „ (सिविल)	1-5-72	

ट्रांसफर के कारण छुट्टी पर गये वैद्य

762. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्तमान में राजस्थान में कौन-कौन से वैद्य ट्रान्सफर होने के पश्चात् दो माह से अधिक समय तक छुट्टी पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ट्रान्सफर होने के पश्चात् वर्तमान में दो माह से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने वाले 12 वैद्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

ट्रान्सफर होने के पश्चात् दो माह से अधिक समय पर छुट्टी रहने वाले वैद्यों की सूची

	वैद्य का नाम	परिवर्तन स्थान	
		कहां से	कहां को
1.	श्री मोहम्मद खां	टोंक	नागौर
2.	श्री जानकीलाल	चल चिकि., अजमेर	सिलोरा (अजमेर)
3.	श्री पतन्जली भट्ट	'अ' श्रे., चि. अलवर	खैरथल (अलवर)
4.	श्री हरिनारायण शर्मा	जयसिंह पुराखोर	रीछा (डूंगरपुर)
5.	श्री सत्यदेव मिश्रा	जामडोली	केलागिरी (सिरोही)
6.	श्री नारायण शर्मा	पायावास	सारासर (चूरू)
7.	श्री प्रभुदास स्वामी	बेगस	तसवारिया (भीलवाड़ा)
8.	श्री नारायणप्रसाद	मून्डोता	जयसिंह देसर
9.	श्री कन्हैयालाल	कार्यालय, जयपुर	नाना (पाली)
10.	श्री हरिश्चन्द भट्ट	अयार (भरतपुर)	कोटा (जालोर)
11.	श्री विश्वेश्वर दयाल	बीगपुर (सीकर)	लकमढ़ (सीकर)
12.	श्री पन्नालाल	बानुदा (सीकर)	खिनला (सीकर)

ग्राम बानूडा की जल प्रदाय योजना

763. श्री नारायणसिंह (दांताराम-गढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम बानूड़ा, जिला सीकर में वहीं का एक नागरिक जल प्रदाय योजना का कार्य चला रहा है।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जल प्रदाय योजना को ठीक प्रकार से न चला पाने के कारण राज्य सरकार को सम्भलाने की पेशकश की गई है? यदि हां, तो कितने समय से यह कार्यवाही विचाराधीन है?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना को लेने के लिये तय किया जा चुका है लेकिन अभी तक विभाग ने टेकओवर करने की कार्यवाही नहीं की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। योजना विभाग के अन्तर्गत लेने के लिये प्रस्ताव श्री बंशीधर खेतान द्वारा अक्टूबर, 72 में किये गये हैं।

(3) जी नहीं। अभी तक प्रस्ताव विचाराधीन है।

कर्ज से मुक्ति दिलाने की योजना

764. श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की जनजाति और आदिम जाति के लोगों को छोटे व्यापारियों के कर्ज से मुक्ति मिले इसके लिये क्या राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है?

(2) क्या बिना लाइसेन्स के जो व्यापारी ब्याज का धन्धा राज्य के आदिवासी इलाकों में करते हैं, राज्य सरकार की जानकारी में है?

(3) यदि नहीं, तो राज्य सरकार उसकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(1) राज्य की जनजाति और आदिम जाति के लोगों को छोटे व्यापारियों के कर्ज से मुक्ति मिले इसके लिए ऋण से ग्रसित लोगों के अनुपात, क्षेत्र व ऋण की मात्रा आदि का अध्ययन / मूल्यांकन कर योजना बनाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(2) राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिना लाईसेन्स के ब्याज का धन्धा करने वाले व्यक्तियों की सूचना शून्य है। केवल जिलाधीश, उदयपुर ने सूचित किया है कि जहां-जहां भी ऐसे मामले जानकारी में आये हैं वहां कानून के अन्तर्गत उन पर कार्यवाही चालू कर दी गई है। जिला बांसवाड़ा से उत्तर प्राप्त किया जा रहा है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट 4

(तारांकित-प्रश्न संख्या 442 के भाग 2 का विवरण

1. अटरू तहसील के अमृतखेड़ा गांव का 5869-50 बाकी है। इसका कारण यह बतलाया कि इसका बिल बनाकर तहसीलदार ने एफ. सी. आई. में भेजा था। बिल पर प्रथम बार एफ. सी. आई. ने ऐतराज किया। ऐतराज की पूर्ति कर बिल वापिस भेजा गया किन्तु बिल गुम हो गया है। जिला रसद कार्यालय का लेखाकार बिल बनाकर चुकारा करने की व्यवस्था के लिए भेजा गया है।

2. दीगोद तहसील के बम्बोरी गांव के कुछ काश्तकारों का 1680-00 बकाया है। काश्तकारों के नाम ज्ञात नहीं हो सके, नामों की जानकारी की जा रही है। वर्षा होने के कारण इनका गेहूं भीमसिह राजपूत के घर पटवारी द्वारा रखवाया गया था। भीमसिह राजपूत ने इस गेहूं को बेच दिया। अब श्री भीमसिह राजपूत के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

———

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 443 की सूची)

बाड़मेर जिला डी.पी.ए.पी. के रोजगार एवं व्यय का विवरण।
1970-71 से 1973-74 वन संरक्षण

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी	साज-सामान	रोजगार मानवीय दिवस
1973-74	1,07,914.49	63,083.00	44,831.49	13,135
योग	1,07,914.49	63,083.00	44,831.49	13,135
		सार्वजनिक निर्माण		
1973-74	1,52,400	3,500	1,48,900	4,000
योग	1,52,400	3,500	1,48,900	4,000
		सिचाई		
1773-74	5,82,000	63,000	19,000	68,385
योग	5,82,000	6 [illegible],000	5,19,000	68,326
		जन स्वास्थ्य		
1973-74	13,44,000	—	—	—
योग	13,34,000	—	—	—

नोट:—जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में केवल 10 प्रतिशत भाग जो मजदूरी पर व्यय किया गया।

जिला बाड़मेर (डी. पी. ए. पी.) 1974-75 के वर्ष हेतु स्वीकृत राशि

क्षेत्र 1	राशि 2	स्वीकृति की तिथि 3	स्वीकृत राशि का विवरण 4	(राशि रुपयों में) 5	विशेष विवरण 6
1. कृषि	90,700	11-1-75	(1) मशीनों व उपकरणों हेतु	15,000	
			(2) जीप	35,000	
			(3) भू-सर्वे एवं भू-संरक्षण कार्यक्रम मे संलग्न स्टाफ पर व्यय	30,700	
2. दुधारु पशु एवं डेयरी	7,73,000	18-12-74	(1) भवन निर्माण	3,23,700	महालेखाकार द्वारा इस राशि की स्वीकृति 21-1-75 को हुई तथा उसके बाद निदेशक, डेयरी विकास को यह राशि दे दी गई ।
			(2) उपकरण	2,16,000	
			(3) स्पीयर हैड टीम पर व्यय	41,000	
			(4) प्रबन्ध हेतु अनुदान	20,000	
			(5) डेयरी आदि पर प्रारम्भिक व्यय	9,000	
			(6) चल अस्पताल	49,000	
			(7) सीमन बैंक	1,10,000	
			(8) कृत्रिम गर्भाधान	3,000	
			योग	7,73,000	

3.	वन एवं चरागाह विकास	8,98,000	24-12-74	जनवरी, 1975 तक किया गया व्यय रोजगार माननीय दिवस में	33,811 10,236	वन एवं चरागाह विकास पर पगार आदि पर स्वीकृत राशि 29,000 रुपये व शेष चरागाह विकास पर व्यय होंगे।
4.	सिंचाई	3,00,000	—			इस राशि की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा संशोधित अनुमान प्राप्त होने के बाद प्रेषित की जायेगी।
	कुल योग	20,61,700				

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 444 की सूची)

बाड़मेर जिले में आवंटित विभिन्न मेकों के आयातित ट्रेक्टरों की सूची

क. सं.	व्यक्ति का नाम	ग्राम	तहसील	आवंटन की तारीख	आयातित ट्रेक्टर का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मायाराम पुत्र ऊकाई	सिन्दरी	बाडमेर	7-1-1971	उरसस सी. 335
2.	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह	कल्याणपुर	पचपदरा	7-1-1971	उरसस सी. 335
3.	श्री खेमदान पुत्र श्री मुकंददान	कालमवास	सिवाना	20-4-71	उरसस सी. 328
4.	श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री माधोसिंह	बामसीन	सिवाना	20-4-71	उरसस सी. 328
5.	श्री खेतसिंह पुत्र श्री भूरसिंह	कांकराल	पंचपदरा	20-4-71	उरसस सी. 328
6.	श्री मोहन लाल, धनराम पुत्र श्री मांगी लाल	गुढा	बाड़मेर	24-8-71	उरसस सी. 328
7.	श्री नवल सिंह पुत्र धोकल सिंह	जालिना	बाड़मेर	27-8-71	रसियन टी. 25
8.	श्री लद्धाराम चौधरी पुत्र श्री बागाराम	राठी	सिवाना	27-8-71	रसियन टी. 25
9.	श्री खरता राम पुत्र श्री कास्बराम	खरीन	बाड़मेर	20-5-71	रसियन टी 25
10.	श्री मोडारा चौधरी पुत्र श्री राजाराम जी	वारिया	पंचपदरा	3-7-71	मेसी. 135
11.	श्री हीराम पुत्र श्री भाना राम	समदडी	सिवाना	4-6-71	इन्टरनेशनल बी. 276
12.	श्री वीर सिंह पुत्र सगन सिंह	जालिया	बाड़मेर	4-6-71	इन्टरनेशनल बी. 276
13.	श्री हाकम सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह	राठी	समदड़ी	12-4-72	इन्टरनेशनल बी. 276
14.	श्री भोमता भील पुत्र छक्का	पाटोदी	पंचपदरा	24-8-71	फोर्ड. 3000

15.	श्री रघुनाथाराम पुत्र श्री जीताराम	किडनोद	पंचपदरा	24-8-71	फ़ोर्ड. 3000
16.	श्री मोहनलाल पुत्र श्री मांगीलाल	गुढ़ा	बाड़मेर	5-6-71	आई. एम. टी. 555
17.	श्री पन्ने सिंह पुत्र श्री सगत सिंह	जालिया	बाड़मेर	5-6-71	आई. एम. टी. 555
18.	श्री बख्तावरसिंह पुत्र श्री लालसिंह	खगडीवाली	सिवाना	27-7-70	जीटर. 2011
19.	श्री कानाराम विश्नोई पुत्र श्री हमीराराम	घोरीमेन्ना	बाड़मेर	19-10-70	जीटर. 2011
20.	श्री रघुनाथ पुत्र श्री हरचन्द	लांगेरा	बाड़मेर	19-10-70	जीटर. 2011
21.	श्री उम्मेदसिंह, हनुमतसिंह, खेमसिंह पुत्र श्री भौरी सिंह	कुसीप	सिवाना	19-1-71	जीटर. 2011
22.	श्री भुंजाराम बुधाराज पुत्र श्री मोडाराम	राठी	सिवाना	19-1-71	जीटर. 2011
23.	श्री भानाराम पुत्र श्री हिन्दुराम	समदडी	सिवाना	15-6-71	जीटर. 2011
24.	श्री बस्ता भील पाटोदी पुत्र सानिया	पाटोदी	पंचपदरा	18-1-71	जीटर. 5511
25.	श्री हस्तीमल पुत्र श्री बाबूदान	पाटोदी	पंचपदरा	18-1-71	जीटर. 5511
26.	श्री खेमाराम सोलंकी पुत्र हिन्दुराम	समदडी	समदड़ी	17-9-70	बेलारूस
27.	श्रीमती मान कंवर पत्नी श्री विजय सिंह	कल्याणपुरा	पंचपदरा	22-9-70	बेलारूस
28.	श्री लचयाराम नोतिया पुत्र चौवरी दोवीजी तोतिया	समदीकी	सिवाना	25-3-71	बेलारूस
29.	श्री केसर सिंह पुत्र जवाहरसिंह	पाटोदिया	पंचपदरा	25-3-71	बेलारूस
30.	श्री मोटाराम पुत्र श्री किसनाराम	सामुजा	सिवाना	25-3-71	बेलारूस
31.	श्री शंकरलाल पुत्र श्री अमरजी	रामपुरा	सिवाना	25-3-71	बेलारूस
32.	श्री मेराराम पुत्र श्री मोतीराम	सामुजा	सिवाना	25-3-71	बेलारूस
33.	श्री सवाई सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह	प्रधान पं.स. शिव	बाड़मेर	18-3-74	जीटर. 2511 एच.एम.टी.

(179)

(180)

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 451 के प्रश्न संख्या 1 की सूची)

(चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक व्यय की गई राशि)

नाम जिला	नगरीय जलप्रदाय योजना (लाख रु. में)	ग्रामीण जलप्रदाय योजना लाख रु. में
1. अजमेर	302.12	30.60
2. अलवर	36.09	57.07
3. जयपुर	303.52	93.55
4. बीकानेर	82.69	118.30
5. जोधपुर	193.27	220.92
6. उदयपुर	216.19	67.79
7. कोटा	100.36	29.30
8. टोंक	32.40	18.65
9. भरतपुर	150.45	25.24
10. गंगानगर	85.19	45.60
11. भीलवाड़ा	55.84	50.33
12. बांसवाड़ा	14.30	22.72
13. बून्दी	21.99	5.97
14. नागौर	91.73	206.19
15. पाली	52.10	170.36
16. जालौर	23.77	155.22
17. बाड़मेर	20.87	202.33
18. सिरोही	60.64	45.35
19. सवाई माधोपुर	52.26	49.74
20. जैसलमेर	14.71	104.85
21. चूरू	119.37	154.86
22. सीकर	90.48	52.24
23. डूंगरपुर	7.24	18.16
24. चित्तौड़गढ़	56.53	66.75
25. झुन्झुनूं	87.40	95.29
26. झालावाड़	40.96	17.25
अन्य	122.96	500.67
	2435.93	2625.30

Page No 181

(181)

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 463 की सूची)

6 दिसम्बर, 74 से 26 जनवरी, 1975 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा भूमि हीन श्रमिकों को दिये गये आवासीय भू-खण्डों को आवंटन के जिलेवार मानचित्र।

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये किये गये आवंटन की संख्या	अनुसूचित जन जाति को किये गये आवंटन की संख्या	भूमिहीन श्रमिकों को किये गये आवंटन की संख्या	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	4323	527	1081	5931
2.	अलवर	20835	1887	10128	32850
3.	बांसवाड़ा	2105	19 63	1498	22766
4.	अजमेर	9067	2968	2527	14562
5.	भीलवाड़ा	6145	3905	725	10477
6.	भरतपुर	24581	1549	12692	38822
7.	बीकानेर	6394	11	73	6468
8.	बून्दी	4228	1729	841	6798
9.	चित्तौड़गढ़	4650	3771	1953	10374
10.	चूरू	27641	428	685	28754
11.	डूंगरपुर	1307	6340	143	7790
12.	गंगानगर	29699	7	3798	35504
13.	जयपुर	39310	13131	12913	65354
14.	जैसलमेर	2879	909	345	4133
15.	जालोर	9038	3699	3371	16108
16.	झालावाड़	8244	2799	5149	16192
17.	झुन्झुनू	10159	1612	2887	14658
18.	जोधपुर	9522	1672	3243	14437
19.	कोटा	10896	6952	9062	26911
20.	नागौर	15838	110	6679	23617
21.	पाली	7805	1809	2371	11985
22.	सवाईमाधोपुर	21907	9279	2350	33536
23.	सीकर	11726	1446	2776	15948
24.	सिरोही	3905	1186	110	5201
25.	टोंक	8923	2783	810	12586
26.	उदयपुर	15050	49725	6816	71591
	Total....	317180	139097	97086	553363

(182)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित-प्रश्न संख्या 467 की सूची)

कार्यालय नगर विकास न्यास, उदयपुर, सूरजपोल, उदियापोल (अप्सरा होटल के सामने) योजना में आवंटित किये प्लाटों की सूची।

क्र. सं.	नाम अलॉटी	प्लाट नं.	एरिया वर्ग फी.	राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेन्द्रप्रसाद शर्मा	1 ए.	1400'	14,613-00
2.	श्रीमती नगीनाबाई पत्नी श्री सम्पतलाल	1 बी.	1327' 6"	30,532-00
3.	श्री शिवराजसिंह	1 सी.	1400'	35,600-00
4.	श्रीमती राधा एवं विमलेश	1 डी.	1400'	36 000-00
5.	श्री रमेश गुप्ता	1 ई.	400'	28,950-00
6.	श्री राजकमल जैन	1 एफ.	1500'	32,000-00
7.	श्री राजमल जैन	1 एच.	1500'	31,515-00
8.	श्री राजमल जैन	1 जी.	1500'	31,5 0-00
9.	श्री सोहनलाल हिम्मतलाल	1 आई.	1500'	34,000-00
10.	श्रीमती फूलकंवर बाई, दरियाव बाई	1 जे.	1500'	34,000.00
11.	श्री इन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह	1 के.	1500'	33,000-00
12.	श्री अवदेशकुमार	1 एल.	1427'	33,000-00
13.	श्री सादीलाल, रोशनलाल	1	1076' 3"	24,298-00
14.	श्री शीतलकुमार, बाघमल	2	1020'	16,501-00
15.	श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी मिलनदास	3	1020'	16,401-00
16.	श्रीमती जैठीबाई	4	1020'	16,401-00
17.	श्रीमती शान्तादेवी गहलोत	5	1020'	16,401-00
18.	श्रीमती उमादेवी	6	1020'	16'416-00
19.	श्री कैलाशचन्द हीरालाल	7	1020'	16,516-00
20.	श्री बलवन्तसिंह एवं भगवतीलाल भट्ट	8	976' 3"	15,630-00
21.	श्री विजय मेहता	9	971, 3"	15,721-00
22.	श्री मदनलाल पोराल	10	933'	14,965-00

1	2	3	4	5
23.	श्री मोहनलाल किशनदास	11	896' 3"	14,400-00
24.	श्रीमती हरबन्स कौर पत्नी भगतसिंह	12	858' 9"	13,760-00
25.	श्री नारायण दास	13	812'	13,207-00
26.	श्री नारायणदास	14	776' 3"	13,432-00
27.	श्रीमती फूलकंवर अग्रवाल	15	1015	17,995-00
28.	श्रीमती फूलकंवर अग्रवाल	16	1015	17,995-00
29.	श्री सत्यनारायण	17	562' 6"	9,600-00
30.	श्री नियाज मोहम्मद	18	513' 9"	9,001-00
31.	श्री कन्हैयालाल	19	570'	10,301-00
32.	श्री घनश्यामदास, जगदीशलाल	20	705'	12,551-00
33.	श्री प्रेमप्रकाश	21	881'	15,860-00
34.	श्री पूरन कुमार सोनी	22	846' 9"	30,551-00
35.	श्री खेमचन्द्र जोरजी	23	911' 3"	16,156-00
36.	रूपजी परमानन्दजी	24	907' 6"	16,089-00
37.	श्री परशराम दयाराम	25	915'	16,222-00
38.	श्रीमती गोदावरी देवी	26	918' 9"	16,289-43
39.	श्री नितीन कुमार,) राजस्थान	27	907' 6"	(
40.	श्री नितीन कुमार) एग्राकल्चर) डिपो	28	892' 6"	(31,994-00 (
41.	श्री गुलाबसिंह पिता पृथ्वीसिह जी	29	877' 6"	15,518-00
42.	श्री त्रिलोकचन्द	30	862' 6"	8,651-00
43.	श्री हुक्मीचन्द्र जैन	31	851' 3"	15,092-00
44.	~~श्री आर. के. बम्बानी~~	32	836' 3"	4,451-00
45.	श्री शारीराम	32 ए.	797' 50"	43,0 0-00
46.	श्री नानालाल तेजपाल	32 बी.	790' 25"	46,051-00
47.	श्री मानमल गुप्ता	33	1878' 6"	37,813-00

ह.

सचिव,

नगर विकास न्यास, उदयपुर ।

(184)

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 469 की सूची)

जिला सीकर के पंच, सरपंच एवं प्रधान के रिक्त स्थानों की सूची

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	पंच	सरपंच	प्रधान
	जिला सीकर			
1.	फतेहपुर	48	7	—
2.	लक्ष्मनगढ़	56	2	—
3.	पिपराली	35	2	—
4.	दांतारामगढ़	25	9	—
5.	श्रीमाधोपुर	42	3	1
6.	खण्डेला	35	3	1
7.	नीम-का-थाणा	28	5	—
		269	31	2

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 472 की सूची)

सूची जिला झालावाड़ की जिन सहकारी समितियों के पेड सेक्रेट्रियों द्वारा गबन किया गया

क्र. सं.	नाम समिति	गबनकर्ता का नाम	धन राशि	यदि पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई हो तो उसकी तारीख मय पुलिस थाना	गबनकर्ता यदि व्यवस्थापक है तो बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	पिपलोद ग्रा. से. स. स.	श्री गौत्तमप्रसाद	4591-00	—	सेवा मुक्त कर दिया गया है।	धारा 74 अन्तर्गत निर्णय हो चुका है। 118 सी के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।
2.	जरगा ,, ,,	श्री रामगोपाल धीया	1287-98	—	सर्विस छोड़ चुका है।	
3.	आकावद खुर्द ,, ,,	श्री द्वारकालाल	2427-84	—	सेवा मुक्त कर दिया गया है।	,,
4.	बल्देवपुरा ,, ,,	श्री राधेश्याम	969-00	—	,,	,,
5.	सूमर ,, ,,	श्री द्वारकालाल	549-21	—	,,	,,
6.	घोवडिया ,, ,,	श्री बालचन्द गौड़	7040-68	—	,,	,,
7.	जगदीशपुरा ,, ,,	श्री रामचन्दर	425-00	—	,,	,,
8.	सलावद ,, ,,	श्री भैरूलाल गुप्ता	8421-39	पत्र सं. 1696-1700 दि. 9-4-64 पुलिस थाना बकानी में एफ. आई. आर. दर्ज की।		
9.	मोडिया खेड़ी ,, ,,	श्री रतनपुरी	18600-00	पुलिस द्वारा एफ.आर. लगादी गई है।		धारा 74 के अन्तर्गत जांच कार्य जारी है।

1	2			3	4	5	6	7
10.	डोबडा	,,	,,	श्री श्रीलाल नागर	2925-00	—	,,	धारा 74 (2) अन्तर्गत निर्णय दिया जा चुका धारा 118 (सी) अन्तर्गत वसूली कार्यवाही जारी है।
11.	रामपुरिया	,,	,,	श्री रतनपुरी	3074-00	—	,,	धारा 74 के अन्तर्गत सुनवाई जारी है।
12.	कंवरपुरा	,,	,,	श्री श्रीलाल नागर	3189-71	—	,,	धारा 74 के अन्तर्गत निर्णय दिया जा चुका है। वारन्ट जारी हो चुके है।
13.	जूनाखेड़ा	,,	,,	श्री मोहनलाल	657-71	—	हटाया जा चुका है।	धारा 74 के अन्तर्गत निर्णय दिया जा चुका है। कुर्की वारन्ट जारी हो चुके हैं।
14.	थेरवड़िया	,,	,,	श्री बालचन्द गौड़	6[illegible]5-00	—	,,	,,
15.	गरवाड़ा	,,	,,	श्री अखतर खां	1047-00	—	,,	,,
16.	पिपलाज	,,	,,	श्री द्वारकालाल	263-55	—	,,	,,
17.	लीमी	,,	,,	श्री श्यामलाल	264-70	—	,,	,,
18.	अकनासा	,,	,,	श्री दिनेशचन्द	390-00	—	,,	धारा 74 के अन्तर्गत सुनवाई जारी है।
19.	सारोल कलां	,,	,,	श्री गनी मोहम्मद	318-86	—	,,	धारा 74 (2) के अन्तिम निर्णय दिया जाकर वारन्ट कुर्की जारी किये जा चुके हैं।
20.	लावासल	,,	,,	श्री कंवरलाल	941-81	—		,,

Page No 187

21. भंवरासा	,, ,,	श्री टीकमचन्द	2287-33	—	,,	धारा 124 के अन्तर्गत अपील चल रही है।
22. भंवरासा	,, ,,	श्री कृष्णमोहन शर्मा	2287-33	—	,,	,,
23. करावन	,, ,,	श्री नारायणलाल गुप्ता	5781-44	—	,,	धारा 74 (2) में अन्तिम निर्णय दिया जाकर वारन्ट जारी किये जा चके हैं।
24. माखनवासा	,, ,,	श्री अब्दुल मजीद	1324-02	—	,,	,,
25. मुलखेड़ी	,, ,,	श्री गोपालकृष्ण	676-00	—	,,	,,
26. पिपलाज	,, ,,	श्री द्वारकालाल	540-00	—	,,	,,
27. कीटिया	,, ,,	श्री सुरेशचन्द	392-97	—	,,	,,
28. घाटोली	,, ,,	श्री गोपालकृष्ण	6369-75	—	,,	,,
29. परासेकलर	,, ,,	श्री कन्हैयालाल	5481-24	—	,,	धारा 74 के अन्तर्गत सुनवाई जारी है।
30. बासखेडा मैथून	,, ,,	श्री देवीलाल	1094-C0	—	,,	धारा 118 (सी) के अन्तर्गत कुर्की वारन्ट जारी किये जा चुके हैं।
31. देवनगर	,, ,,	श्री बालचन्द टेलर	297-50	—	,,	धारा 74 के अन्तर्गत सुनवाई जारी है।
32. सुन्डलाव	,, ,,	श्री बालूराम	2816-00	—	—	,,
33. नानौर	,, ,,	श्रा रामप्रसाद	1269-30	—	—	धारा 74 के तहत सुनवाई जारी है।
34. आंवली कलां	,, ,,	श्री बालाराम	703-02	—	—	,,

1	2			3	4	5	6	7
35.	गालाना	,,	,,	श्री द्वारकालाल	998-00	—	—	,,
36.	समराईट	,,	,,	श्री बिरधीलाल	486-00	—	—	,,
37.	सेमला हाट	,,	,,	श्री जालिमसिंह	2110-00	—	—	धारा 74 के अन्तर्गत निर्णय देकर वारन्ट कुर्की जारी हो चुके हैं।
38.	वासखेड़ा	,,	,,	श्री जुमान खां	200-00	—	—	,,
39.	धावड़ा	,,	,,	श्री खजानमल जैन	684-00	—	निलम्बित कर दिया गया है।	धारा 74 के अन्तर्गत फाइनल निर्णय हो चुका है।
40.	सलातिया	,,	,,	श्री रामनारायण	52715-16	—	,,	धारा 74 के अन्तर्गत सुनवाई जारी है।
41.	बछलाव	,,	,,	श्री रामनारायण	320908-78	—	,,	,,

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 1975)

स्तम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
2	नीचे से 5	कन्सिल	कौंन्सिल
4	„ 11	बागीदोरा	बागीदौरा
59	ऊपर से 8	कार्यन्विति	कार्यान्विति
63	„ 1	स्थया	स्थायी
79	„ 7	छटकारा	छुटकारा
129	नीचे से 2	रामनन्द	रामानन्द
147	ऊपर से 11	आपने	आपसे
148	नीचे से 17	समझाता	समझता
15[illegible]	„ 3	चिम्मसिंह	चिम्मनसिंह
165	„ 4	डेमोक्रडिट	डेमोक्रेटिक
17[illegible]	ऊपर से 16	प्रस्ताव पर विचार	शासकीय प्रस्ताव—सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर हमले की निन्दा
170	„ 2	प्रस्तात	प्रस्ताव
171	ऊपर से 3	न्यायधीश	न्यायाधीश
172	„ 11	अनुकम्मा	अनुकम्पा
172	„ 11	भागवान	भगवान
188	नीचे से 14	जितके	जिनके
195	ऊपर से 16	आवश्यक	अनावश्यक
201	नीचे से 7	मैं	—
211—306	शीर्षक	शासकीय वक्तव्य—24 मार्च, 1975—शासकीय वक्तव्य	विधेयक पर विचार—24 मार्च, 19[illegible]5—विधेयक पर विचार
212	नीचे से 5	—	विधायी कार्य—राजस्थान विनियोग (सख्या 2) विधेयक, 1975 पर अग्रेतर विचार एवं पारण
214	ऊपर से 16	अफिसेज	ऑफिसेज
251	नीचे से 11-12	मितव्ययिता	मितव्ययता
263	ऊपर से 1	महोम्मद	मोहम्मद
283	ऊपर से 1	पैदा	पैसा